जिला आपदा प्रबंधन योजना

DISTRICT DISASTER MANAGEMENT PLAN

2026-2027

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
जनपद ऊधमसिंह नगर

संदेश

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
ऊधमसिंह नगर।

वर्तमान समय में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा मानवीय गतिविधियों के हस्तक्षेप से हो रहे वातावरणीय परिवर्तन तथा इसके कारण हो रही असामयिक अत्यधिक मौसमी घटनाओं से भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से अत्यधिक संवेदनशील हो गया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं यथा–बाढ़, चक्रवात/आँधी–तूफान, सुनामी, भूस्खलन और भूकम्प आदि की घटनाएं निरंतर होती रहती हैं। उत्तराखण्ड राज्य के एक मध्य हिमालयी राज्य होने के कारण यह राज्य ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से वर्ष भर प्रभावित होता रहता है। भूकम्पीय संवदेनशीलता के दृष्टि से जनपद ऊधमसिंह नगर सिस्मिक जोन–IV में स्थित होने से भूकम्प तथा मानसून एवं शीतकाल में अतिवृष्टि/त्वरित बाढ़ एवं भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यन्त संवेदशील क्षेत्र है। आपदाओं की सम्भावित क्षति को न्यून करने के लिये जनपद के प्रमुख रेखीय विभागों एवं अन्य संगठनों का समेकित प्रयास, त्वरित आपदा प्रतिक्रिया योजना का प्रभावी क्रियान्वयन तथा स्थानीय स्तर पर आपदा पूर्व तैयारियां एवं व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना आवश्यकीय है।

ऊधमसिंह नगर जनपद की भौगोलिक परिस्थितियों से जनित आपदा संवेदनशीलता के दृष्टिगत किसी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने हेतु तैयार की गई जनपद आपदा प्रबंधन कार्ययोजना, वर्ष 2026-27, ऊधमसिंह नगर आपदा प्रबंधन की वह तैयारी है जिसमें प्रतिक्रियात्मक राहत एवं बचाव कार्यों के साथ–साथ संवेदनशील क्षेत्रों का सूक्ष्म जोखिम विशलेषण, महत्वपूर्ण संसाधनों (मानवीय/ढांचागत) का नाजुकता विशलेषण एवं तात्कालिक प्रतिक्रिया व बचाव कार्यों हेतु प्रभावित/संवेदनशील क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों और क्षमताओं का विशलेषण किया गया है। आपदा प्रबंधन के सम्बन्ध में अर्जित अनुभवों एवं उपलब्ध सूचनाओं व जानकारी के आधार पर तैयार की गई आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु सम्बन्धित विभागों/संगठनों का निष्ठापरख योगदान दिए जाने के साथ–साथ स्थानीय जनसमुदाय की भागीदारी भी अत्यन्त आवश्यक है। सरकारी संगठनों/विभागों, सामुदायिक संगठनों एवं जनसमुदाय का सम्मिलित योगदान आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के क्रियान्वयन में गुणात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सम्भावित क्षति को न्यूनीकृत करते हुए जनपद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित किया जा सकता है।

आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के निर्माण में आपदा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून, द्वारा समय–समय पर निर्गत किए गए दिशा–निर्देशों तथा आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को समाहित कर जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नैनीताल के पदाधिकारियों द्वारा जनपद की संभावित आपदाओं से निपटने हेतु प्रक्रिया विधि तैयार की गई है। साथ ही कार्ययोजना का मूल्यांकन/अद्यतन निश्चित समयावधि (छमाही/वार्षिक) में घटित आपदाओं/समस्याओं से प्राप्त अनुभवों तथा इनके प्रबंधन में पायी गयी कमियों को दूर करते हुए किया जाना होगा जिससे इस योजना की उपयोगिता निरन्तर बनी रहे।

कार्ययोजना में निर्धारित मानदण्डों तथा मानक संचालन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन उत्तरदायी विभागों की अद्यतन आपदा प्रबंधन कार्ययोजनाओं, आपदा प्रतिक्रियात्मक दलों का क्षमतावर्धन तथा इनके योगदान से योजना की क्रियात्मकता सिद्ध होगी। इस कार्ययोजना का उपयोग आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के उपरान्त सुनिश्चित करते हुए समुदाय/सामुदायिक संगठनों को भी संवेदनशील एवं हितभागी बनाया जाना अति आवश्यक है, जिससे आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यून किया जा सके।

मेरा विश्वास है कि सम्भावित विषम आपदा परिस्थितियों में जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर द्वारा तैयार यह कार्ययोजना आपदा प्रबंधन के समस्त आयामों को पूर्ण करने में उपयोगी व प्रभावी सिद्ध होगी।

नितिन सिंह भदौरिया (आई.ए.एस.),
जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

प्राक्कथन

अपर जिलाधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
ऊधमसिंह नगर।

सर्वविदित है कि संवेदनशील हिमालयी अवसादी चट्टानों के बीच अवस्थित होने के कारण राज्य के प्राकृतिक सौन्दर्य की विरासत का प्रतीक जनपद ऊधमसिंह नगर एक तरफ भूस्खलन, अत्यधिक वर्षा त्वरित बाढ़/जल प्रवाह, वनाग्नि आदि मौसमी आपदाओं से प्रभावित है तो दूसरी तरफ भूकम्प जैसे अत्यधिक विनाशकारी आपदा से भी संवेदनशील है। मुख्य रूप से नगरीय समुदाय एवं संसाधनों की नाजुकता भूकम्पीय आपदा के प्रति अधिक संवेदनशील है जिसका कारण भू–कम्पन का पूर्वानुमान न लग पाना भी है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व में घटित आपदाओं से जन–धन की हानि तो हुई है, साथ ही विकास कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रकृति जनित इन आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता है परन्तु प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन एवं संसाधन प्रबंधन करने के साथ–साथ सम्बन्धित रेखीय विभागों का क्षमता विकास कर आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

आपदा प्रबंधन में उत्तरदायी विभागों के अतिरिक्त किसी आपदा के घटित होने पर घटनास्थल के निकट स्थित समुदाय द्वारा प्राथमिक प्रतिक्रिया करते हुए राहत एवं बचाव कार्यों को किया जाता है। स्थानीय समुदाय की सहभागिता एवं क्षमतावर्धन कर सम्भावित क्षति को न्यून किया जाना आवश्यक है। प्राकृतिक आपदाओं की समस्या को समग्र जनसहभागिता व जागरूकता, उत्तरदायित्व एवं उच्च कोटि के प्रबन्धन एवं उपायों के क्रियान्वयन द्वारा धीरे–धीरे नियंत्रित एवं कम किया जा सकता है।

ऊधमसिंह नगर जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों में संभावित आपदाओं से बचाव एवं राहत हेतु यह कार्ययोजना तैयार की गयी है। इस कार्ययोजना में इंसीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम (Incident Response System) का प्रभावी करने हेतु जनपदीय ढाँचे के साथ–साथ परगना/तहसील स्तर सम्बन्धित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की टीमों के दायित्वों का निर्धारण किया गया है। आपदाओं से बचाव एवं राहत हेतु हर दृष्टि से योजना तैयार करना कठिन कार्य है किन्तु उपलब्ध संसाधनों में आपदा के दृष्टिगत जो आवश्यक सूचनायें व उपयोगी बिन्दु हैं उन्हें समाहित किया गया है। कार्ययोजना की क्रियाशीलता को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक है कि समय–समय पर इसका अद्यतन किया जाए तथा प्रत्येक वर्ष सूचनाओं का अद्यतन कर योजना नवीनीकृत किया जाना उचित होगा। आपदा के समय विभिन्न विभागों/संगठनों एवं जनसमुदाय की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना का पूर्वाभ्यास करके आपदा प्रतिक्रियात्मक बचाव एवं राहत कार्ययोजना की ब्लूप्रिंट तैयार की जा सकती है। साथ ही आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटकों को विकास कार्यों हेतु तैयार की जाने वाली योजनाओं में समाहित कर जनपद के समग्र विकास को गति प्रदान की जा सकती है।

निश्चित ही, जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों का सूक्ष्म जोखिम विशलेषण कर सम्भावित क्षति को न्यून करने के दृष्टिगत तैयार की गई जनपद आपदा प्रबंधन योजना–2025–26 का प्रभावी क्रियान्वयन जहाँ एक तरफ मानवीय एवं विभिन्न परिसम्पत्तियों की क्षति को कम करने में सहायक सिद्ध होगी वहीं दूसरी तरफ जनपद के विकास कार्यों में गुणात्मक योगदान प्रदान करेगी।

कौस्तुभ मिश्र,(पी.सी.एस.)
अपर जिलाधिकारी,
जनपद ऊधमसिंह नगर।

प्रस्तावना

जनपद आपदा प्रबन्धन अधिकारी, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड में स्थित हिमालयी पर्वत श्रृंखला विश्व की नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसके निर्माण एवं समायोजन की प्रक्रिया भू–गर्भीय टेक्टॉनिक प्लेटों के निरन्तर दबाव के कारण आज भी जारी है। यद्यपि जनपद उधम सिंह नगर भौगोलिक दृष्टि से तराई क्षेत्र में स्थित है, तथापि यह हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने के कारण आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील जनपदों में सम्मिलित है। जनपद उधम सिंह नगर की औसत ऊँचाई समुद्र तल से लगभग 200 से 300 मीटर के मध्य है तथा यह जनपद प्राकृतिक संसाधनों, कृषि भूमि एवं औद्योगिक गतिविधियों से सम्पन्न है, किन्तु आपदा जोखिम की दृष्टि से संवेदनशील बना हुआ है।

उत्तराखण्ड राज्य के भू–भाग में स्थित जनपद उधम सिंह नगर की कुल जनसंख्या लगभग 16,48,902 है। राजस्व प्रशासन की दृष्टि से जनपद को 08 तहसील एवं 01 उप तहसील में विभाजित किया गया है, जिनमें जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा एवं नानकमत्ता सम्मिलित हैं। ये सभी तहसीलें मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में सामुदायिक विकास कार्यों के संचालन हेतु 7 विकास खण्ड स्थापित हैं, जिनमें जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज एवं खटीमा सम्मिलित हैं।

प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध उत्तराखण्ड राज्य के अन्य जनपदों की भाँति ही जनपद उधम सिंह नगर में भी विगत वर्षों में आपदाओं की आवृत्ति एवं तीव्रता में निरन्तर वृद्धि हुई है। विशेष रूप से बाढ़, अतिवृष्टि, जलभराव, लू (हीट वेव), शीतलहर, घना कोहरा तथा औद्योगिक दुर्घटनाओं की संभावनाएँ इस जनपद में प्रमुख आपदा जोखिम के रूप में उभर कर सामने आई हैं। जनपद की भौगोलिक स्थिति, मैदानी स्वरूप, नदियों की उपस्थिति तथा नेपाल सीमा से निकटता के कारण बाढ़ की घटनाएँ प्रायः घटित होती रहती हैं, जिससे मानव जीवन, पशुधन, कृषि एवं अधोसंरचना को व्यापक क्षति पहुँचती है।

भूकम्पीय संवेदनशीलता की दृष्टि से जनपद उधम सिंह नगर भूकम्प जोनदृप्ट में स्थित है, जिसे उच्च जोखिम श्रेणी में रखा गया है। यद्यपि यह जनपद पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में कम भूकम्पीय गतिविधि वाला प्रतीत होता है, तथापि तीव्र शहरीकरण, औद्योगिक विकास एवं सघन आबादी के कारण संभावित भूकम्पीय घटनाओं से होने वाली क्षति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से रुद्रपुर, काशीपुर एवं सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित संरचनाएँ आपदा जोखिम की दृष्टि से संवेदनशील मानी जाती हैं।

उत्तराखण्ड राज्य की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्रालय की स्थापना की गई है, जिसके अन्तर्गत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) का गठन किया गया है। इसी क्रम में जनपद स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) क्रियाशील है, जो आपदा न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया एवं पुनर्वास संबंधी कार्यों का संचालन करता है। आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु जनपद में ग्राम स्तर तक व्यापक जन–जागरूकता एवं क्षमता वर्धन कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

जनसहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचायत प्रतिनिधियों, युवाओं, महिलाओं, स्वयंसेवी संगठनों एवं विद्यालयों को आपदा प्रबंधन की विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एवं विद्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं का निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा मॉक ड्रिल के माध्यम से समुदाय की तैयारी को सुदृढ़ किया जा रहा है।

प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों की सफलता का मूल आधार सहभागी एवं जिम्मेदार विभागों तथा अधिकारियों की दूरदृष्टि, सूझ–बूझ, संवेदनशीलता, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता एवं प्रभावी नेतृत्व होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ एवं जलभराव की संवेदनशीलता तथा नगरीय क्षेत्रों में सघन आबादी, औद्योगिक गतिविधियों एवं अनियोजित बसाव से उत्पन्न जोखिम को कम करने हेतु यह योजना विभिन्न सरकारी विभागों एवं सामुदायिक हितधारकों के संयुक्त प्रयासों से प्रभावी सिद्ध होगी।

जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर

कार्यालय जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
जनपद ऊधम सिंह नगर।

मुख्य परामर्शदाता एवं सम्पादन
श्री नितिन सिंह भदौरिया, (आई0ए0एस0)
जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
ऊधम सिंह नगर।

पर्यवेक्षण
श्री कौस्तुभ मिश्र,(पी0सी0एस0)
अपर जिला मजिस्ट्रेट/मुख्य अधिशासी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
ऊधम सिंह नगर।

शोध, सर्वेक्षण एवं संकलन,
श्री उमाशंकर नेगी,
जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी,
ऊधम सिंह नगर।

सहयोग एवं टंकण
कार्यालय जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
आपातकालीन परिचालन केन्द्र,
ऊधम सिंह नगर में तैनात समस्त कार्मिक।

विषय–सारणी

क्रमांक	अध्याय	
	अध्याय–01 जनपद ऊधम सिंह नगरः एक परिचय	
1.1	**सामान्य विवरण**	**1–13**
1.2	आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के उद्देश्य और लक्ष्य	
1.3	आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का दायरा	
1.4	आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना हेतु अधिकार एंव संदर्भ	
1.5	आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का संक्षिप्त विकास	
1.6	हितधारक और उनकी जिम्मेदारियां	
1.7	डीडीएमपी ढॉचें का उपयोग कैसे करें	
1.8	डी0डी0एमपी के अनुमोदन प्रक्रिया/कार्यान्वयन के लिए तंत्र	
1.9	योजना की समीक्षा और अद्यतन प्रक्रिया	
	अध्याय–02 खतरों संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम आकलन	
2.1	जनपद प्रोफाईल	**14–38**
2.1.1	जनपद उधमसिंह नगर का सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल	
2.1.2	जनपद उधमसिंह नगर में घटित पूर्व आपदाओं का मैट्रिक्स	
2.1.3	अति संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों की पहचान करें	
2.1.3.1	भूकंप	
2.1.3.2	बाढ़	
2.1.3.3	सड़क दुर्घटना	
2.1.3.4	रासायनिक आपदाएँ	
2.1.3.5	सूखा	
2.1.3.6	आकाशीय बिजली	
2.1.3.7	आग	
2.1.3.8	वनाग्नि	
2.1.3.9	महामारी	
2.1.3.10	हीट वेव	
2.23	खतरा जोखिम एवं भेद्यता आकलन	
	अध्याय–03 आपदा प्रबन्धन हेतु संस्थागत व्यवस्थाये	
3.1	जनपद में आपदा प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था	**39–54**
3.1.1	जनपद में आपदा प्रबंधन की संरचना एवं दायित्व	
3.1.2	जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य	
3.1.3	तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति	
3.1.4	तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति के कार्य	
3.1.5	आपदा सुरक्षा इकाई	

क्रमांक	अध्याय	
3.1.6	आपदा त्वारित कार्यवाही दल (क्यू.आर.टी.)	
3.1.7	तहसील स्तरीय त्वरित कार्यवाही दल	
3.12	ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति	
3.2.1	वनाग्नि घटनाओं के निदान जिला तथा ब्लाक स्तरीय समितियां	
3.2.2	वन पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर समिति का गठन	
3.3	जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, ऊधम सिंह नगर (आपदा कन्ट्रोल रूम)	
3.4	अटरिया मेला यात्रा हेतु जनपद स्तर पर जारी हेल्पलाईन नम्बर	
3.5	जनपद अन्तर्गत समस्त तहसील कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर का विवरण	
3.6	विभिन्न जनपदों, संस्थाओं, के दूरभाष नम्बर सम्बन्धी विवरण	
अध्याय–04 रोकथाम एवं समन उपाय		
4.1	रोकथाम (Prevention)	**55–86**
4.2	Town Planning Act और भवन निर्माण सुरक्षा	
4.3	Zoning Regulations –उधम सिंह नगर जिला (उत्तराखंड) परिचय	
4.4	Development Control Regulations – उधम सिंह नगर जिला (उत्तराखंड)	
4.5	Proposed Retrofitting Work on Public Buildings to with stand Ground Shaking and in Flood.	
4.6	आपदा विशेषता (Specificity of Disaster)	
4.7	भूमि उपयोग विनियमन (Land Use Regulation)	
4.8	आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचनाओं, धार्मिक स्थलों और भीड़ प्रबंधन हेतु सुरक्षा मानक	
4.9	आपदा न्यूनीकरण हेतु क्षमता निर्माण (Capacity Building for Mitigation)	
4.10	आपदा न्यूनीकरण पर जन–जागरूकता (Awareness Generation on Disaster Mitigation)	
4.11	विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में रोकथाम उपायः–	
4.12	उधम सिंह नगर जिला में विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) का मुख्यधारा में समावेश	
4.13	खतरे के हिसाब से संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक शमन उपायः–खतरा : बाढ़	
अध्याय–05 तैयारी के उपाय		
5.1	विभागीय कार्य और जिम्मदारियां	**87–131**
5.2	जनपद अन्तर्गत विभागवार तैयारियों से सम्बन्धित कार्ययोजनाओं का विस्तृत विवरण	
5.3	जनपद आपदा प्रबन्धन दल के सदस्यों का विवरण	
5.4	विकास खण्डवार आपदा प्रबन्धन हेतु चिन्हित दल के सदस्यों का विवरण	
5.5	जनपद उधमसिंह नगर में खण्डवार 108 एम्बुलैंस का विवरण	
5.6	सरकारी एवं निजी ब्लड बैकों की सूची	
5.7	पशुपालन विभाग	
5.8	पुलिस विभाग	
5.9	फायर विभाग	

क्रमांक	अध्याय	
5.10	लोक निर्माण विभाग	
5.11	विद्युत विभाग	
5.12	जल संस्थान	
5.13	पूर्ति विभाग	
5.14	SDRF	
5.15	IDRN	
अध्याय–06 क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय		
6.1	दृष्टिकोण	**132–155**
6.2	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	
6.3	स्वयंसेवकों की सूची	
6.4	उपकरणों का विवरण	
6.5	आपदा प्रबन्धन शिक्षा	
6.6	कौशल उन्नयन एवं अनुवर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम	
अध्याय–07 प्रतिक्रिया एवं राहत उपाय		
7.1	प्रतिक्रिया योजना (बहु–आपदा प्रबन्धन) तैयारी और मूल्यांकन	**156–171**
7.2	जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsibility Matrix) का विकास	
अध्याय–08 पुनर्निर्माण, पुर्नवास एंव पुनर्प्राप्ति उपाय		
8.1	सामान्य नीति दिशा–निर्देश (पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया की प्राथमिकता सहित)	**172–183**
8.2	राहत और पुनर्प्राप्ति समन्वय	
8.3	क्षति और हानि का आकलन (Damage and Loss Assessment) DALA	
8.4	पुर्नस्थापना (Restoration)	
8.5	पुनर्निर्माण/मरम्मत (Reconstruction/Repair)	
8.6	पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (Recovery Program)	
8.7	बीमा एवं अन्य संबंधित उपाय	
अध्याय–09 आपदा प्रबन्धन कार्ययाजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन		
9.1	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत उत्तराखंड में वित्तीय व्यवस्थाए	**184–219**
9.2	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बनाए जाने वाले कोष	
9.3	आपदा जोखिम बीमा (Disaster Risk Insurance)	
9.4	टेक्नो–फाइनेंशियल प्रणाली (Techno-Financial Regime)	
9.5	अन्य वित्तीय विकल्प	
अध्याय–10 जिला आपदा प्रबंधन योजना का रख रखाव और समीक्षा		
10.1	परिचय	**220–223**
10.2	DDMP के रख रखाव और समीक्षा की जिम्मेदारी	
10.3	DDMP की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन	

क्रमांक	अध्याय	
10.4	आपदा के बाद मूल्यांकन तंत्र	
10.5	DDMP के अद्यतन (Updation) का समय निर्धारण–	
10.6	DDMA/SDMA वेब साइट पर अद्यतन योजनाओं को अपलोड करना	
10.7	मॉकड्रिल का आयोजन	
	अध्याय–11 जिला आपदा प्रबन्धन योजना के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र	
11.1	विभागों के बीच आंतरिक और बाह्य समन्वय	**224–234**
11.2	आपदा जोखिम प्रबंधन के संदर्भ में एनजीओ, सीबीओ और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के साथ समन्वय तंत्र	
11.3	ब्लॉक/गांव स्तर पर टास्क फोर्स के साथ समन्वय (Vertical Linkages) और ब्लॉक तथा गांवों के बीच समन्वय (Horizontal Linkages)	
11.4	राज्य विभागों और राज्य तथा जिला स्तर पर प्रशिक्षण संस्थाओ के साथ समन्वय तंत्र	
11.5	इंट्रा–ब्लॉक और इंट्रा–गांव समन्वय	
11.6	स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज–जिला परिषद, मध्यस्तरीय, ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय) के साथ समन्वय	
11.7	उधम सिंह नगर जिले का पड़ोसी जिलों के DDMPs (जिला आपदा प्रबंधन योजनाएं) से समन्वय	
11.8	(राज्य आपदा प्रबंधन योजना) के साथ समन्वय	
	अध्याय–12 मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) एवं चैकलिस्ट	
12.1	पूर्व चेतावनी प्रणाली	**235–245**
12.2	प्रारम्भिक चेतावनी मिलने पर निकासी योजना	
12.3	कोई पूर्व चेतावनी न होने पर निकासी	
12.4	खोज एवं बचाव	
12.5	राहत अभियान	
12.6	आवश्यक सेवाओं की पुर्नस्थापना	
12.7	शवों का निस्तारण	
12.8	शव निपटारण	
12.9	सूचना एवं मीडिया प्रबन्धन	

अध्याय– 1
जनपद ऊधम सिंह नगरः एक परिचय

1.1 सामान्य विवरण जिला उधमसिंह नगर की स्थापना 29 सितम्बर 1995 की उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती द्वारा की गई थी। स्थापना से पूर्व यह जनपद नैनीताल का भाग था, नवसृजित उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मण्डल का यह जिला प्रवेश द्वार है। जिले की सीमाओं पर नैनीताल, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, रामपुर मुरादाबाद तथा चम्पावत तथा नेपाल की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड प्रदेश का प्रवेश द्वार ही नही वरन पूरे राष्ट्र का एक प्रगतिशील जनपद है। कौमी एकता के गुलदस्तें के रूप में ख्याति प्राप्त इस जिलें में हिन्दु मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बंगाली, कुमाऊनी, गढवाली, पंजाबी तथा पूर्वाचल के अलावा थारू एवं बुक्सा जनजाति के लोग साथ–साथ रहते है। जनपद का नाम स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह के नाम पर रखा गया है।

क्षेत्रफल एवं प्रशासनिक विभाजन– जनपद ऊधमसिंह नगर 28.7228 दक्षिणी अक्षांश से 29.3683 उत्तरी अक्षांश एवं 78.7183 पश्चिमी देशान्तर से 80.0771 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जनपद ऊधमसिंह नगर का भौगोलिक क्षेत्रफल 2542 वर्ग किमी0 है। जनपद की पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 170 किमी0 तथा उत्तर से दक्षिण की लम्बाई 29 किमी0 है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 16,48,367 (8,58,906 पुरूष, 7,89,461 महिलायें) है, जब कि साक्षरता दर 65.73 प्रतिशत थी तथा वर्तमान में अनुमानित जनसंख्या 21,43,572 है। वर्ष 2022–23 के अर्थ सांख्यिकीय आंकलन के अधार पर जनपद अन्तर्गत कृषि क्षेत्रफल 2,70,897 है0, वन क्षेत्र 93,837 है0, बंजर भूमि 4382 है0, जब कि नहरों की लम्बाई 1103 कि0मी0 है। जनपद में 08 तहसील, 01 उपतहसील, 07 विकासखण्ड, 27 न्याय पंचायत, 375 ग्राम, 02 नगर निगम, 08 नगर पालिका परिषद एवं 08 नगर पंचायत है

जलवायु एवं वर्षा–जनपद का उच्चतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस है। जबकि जनपद में औसत वर्षा वर्ष 2023–24 के जुलाई माह में 507.44 (मि0मी0), अगस्त माह में 287.58 (मि0मी0), सितम्बर माह में 225.19 (मि0मी0) है।

सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य– जिलें में हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बंगाली, कुमाऊनी, गढवाली, पंजाबी तथा पूर्वाचल के अलावा थारू एवं बुक्सा जनजाति के लोग साथ–साथ रहते है। विभिन्न तहजीव एवं संस्कृति के बावजूद भी विकास, समृद्धि एवं कौमी एकता यहां के वाशिन्दों की सकारात्मक सोच है। धान, गेहूं व गन्ने का रिकार्ड उत्पादन उत्तराखण्ड प्रदेश में ही नही वरन् देश की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सर्वधा अग्रणी है। हरित क्रान्ति के साथ ही श्वेत क्रान्ति के लिये कृषि, पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय में भी यहां के प्रगतिशील कृषकों व पशुपालकों ने नये कीर्तिमान स्थापित किये है। जनपद उत्तराखण्ड का अग्रणीय औद्योगिक एवं व्यापार प्रबन्धन जनपद भी है। नौ विधान सभा क्षेत्रों में विभिक्त जिला ऊधमसिंह नगर रेल एवं सड़क मार्ग से भली भाँति जुडा हुआ है। विश्व विख्यात पं0 गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय पंतनगर में स्थापित है जो कि राज्य का एकमात्र कृषि विश्व विद्यालय है। जहाँ राष्ट्र एवं नवोदित उत्तराखण्ड राज्य में

कृषि तथा प्रौद्योगिकी के नये आयाम एवं कीर्तिमान बनाने के लिये वैज्ञानिकों द्वारा नित नये अध्ययन, चिंतन एवं अनुसंधान किये जा रहे है। सितारगंज के पास आस्था एवं श्रद्धा का प्रतीक नानकमत्ता गुरूद्वारा साहिब है, जहाँ कालान्तर में गुरूनानक देव व उनके शिष्यों द्वारा प्रवास किया था जनपद ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड के तराई क्षेत्र है, जो कि कृषि एवं उद्योगों की दृष्टि से स्मृद्ध है। प्रारम्भ से ही धान, गन्ना, गेहूँ यहां की प्रमुख फसलें रही है। चावल एवं खाण्डसारी उद्योग, मैकेनिकल कार्यशाला एवं कृषि उपकरण, निर्माण उद्योगों का विकास हुआ। चावल उद्योग पर आधारित साल्वेंट एक्सट्रेक्शन उद्योग भी विकासोन्मुख हुआ। हरित क्रान्ति के परिणाम स्वरूप अन्य फसलों के साथ ही गेहूँ का उत्पादन भी बढ़ने से यहां आटा मिलों का भी विकास हुआ।

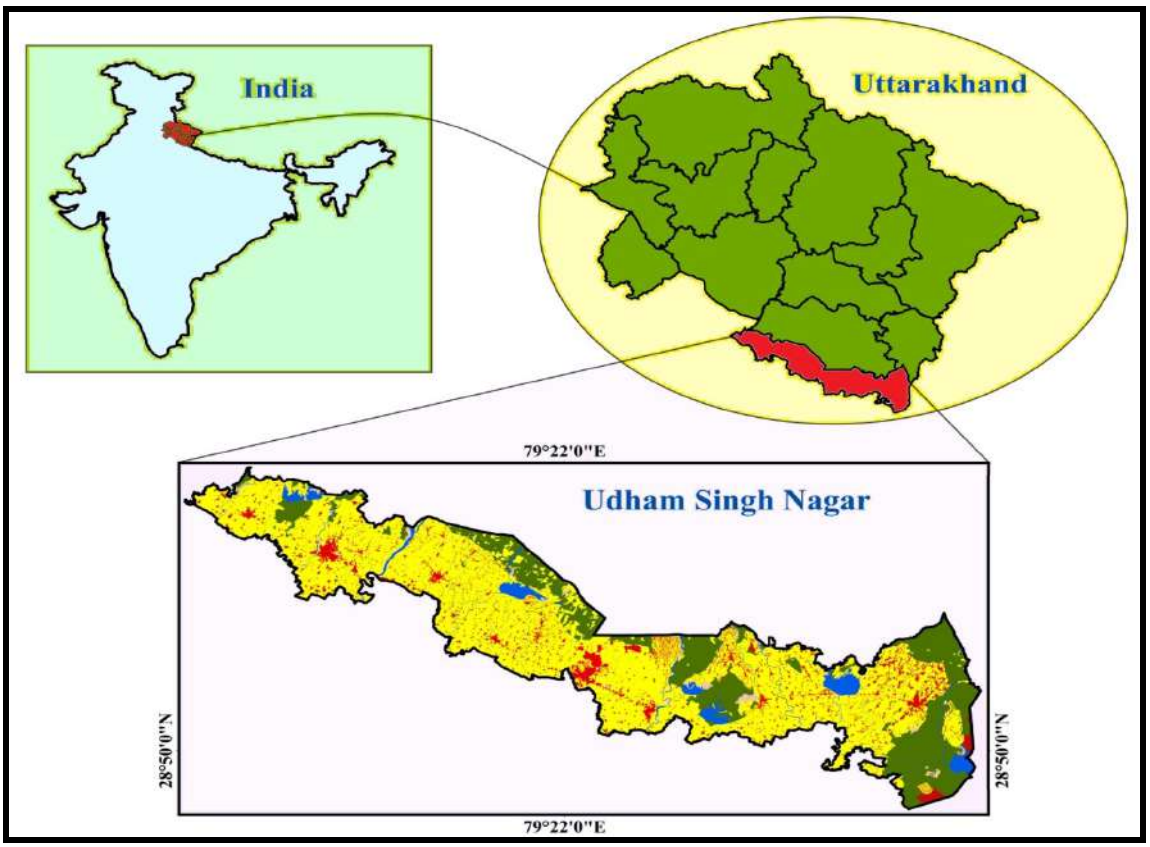

Figure 1.1 Location Map of Udham Singh Nagar

जनपद में यातायात के व्यापक संसाधनों एवं उच्च कृषि उत्पादन होने के फलस्वरूप यहां औद्योगिक विकास भी तेजी से हुआ है। विगत शताब्दी में जनपद का औद्योगिक विकास अपनी चरम सीमा पर था एवं 1984 में केन्द्रीय पूंजी उपादान लागू होने से औद्योगिकरण को और अधिक बढ़ावा मिला, इसी समय कागज उद्योग ने भी जनपद में दस्तक दी, उसके लिये वांछित माल गन्ने की खोई व धान की भूसी, चीनी व चावल उद्योग से सह उत्पाद के रूप में उपलब्ध है। सामाजिक वानिकी के आगमन के साथ ही प्लाईवुड उद्योग का आगमन हुआ, कागज उद्योग भी अपने चरम पर था। यह वह समय था जब कुछ प्रमुख उद्योग स्थापित हुये जिनमें इण्डिया ग्लाइकोल्स लि0 काशीपुर, होण्डा सील पावर प्रोडक्टस रूद्रपुर व रामाविजन किच्छा, सूर्या रोशनी काशीपुर, पौली प्लेक्स खटीमा आदि उद्योगों के नाम प्रमुख है। 1992–93 के आस पास भी यहां कुछ रोलिंग स्टील मिलें भी यहां स्थापित की गई जो कि स्वंय के कुछ कारणों से नहीं चल पाई। एक समय आया जब रिफाइंड ऑयल एवं वनस्पति

घी जो राईस ब्रान व तिलहन पर आधारित उद्योगों ने भी करवट ली है। विगत् दो दसकों में कुछ मुख्य उद्योग मैसर्स टाटा मोटर्स, बजाज, वोल्टाज, डाबर, ब्रिटेनिया, पारले, नेस्ले, अशोका लिलेण्ड, महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लि0, अशोका लीलैन्ड (ट्रेक्टर) मै0 गाडफे फिलिंग इण्डिया लि0, बी0डी0 मोदी पेपर मिल लि0, मै0 शिवांगी क्राफ्ट लि0 (स्पिनिग) मै0 जिन्दल वेजिटेविल प्रोडक्ट (रिफाइण्ड ऑयल) आदि स्थापित हुये है। पूर्व में स्थापित रिफाइण्ड ऑयल इकाईयों ने अपनी क्षमता का विस्तार किया। लघु उद्योग क्षेत्र में इलैक्ट्रानिक/इलैक्ट्रिकल इकाईयां अस्तित्व में आई जो कि घरेलू पंखे, प्रेस, टुल्लू पम्प, इमरशनरॉड, स्टेपलाइजर, इर्न्वटर आदि का निर्माण कर रहे है, इसी मध्य मिनरल वॉटर ईकाइयां भी यहां स्थापित की गई है, चूंकि यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी अच्छे बीज उत्पाद देने में सहयोगी है, इन्हीं तथ्यों के चलते पर्याप्त संख्या में सीड प्रोसेंसिंग इकाईयां भी स्थापित की गई जिसमें गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर द्वारा इस क्षेत्र में पूरा योगदान दिया गया।

अतः जनपद ऊधमसिंह नगर जो कि एक महत्वपूर्ण कृषि जनपद के रूप में जाना जाता है, अब औद्योगिक क्षेत्र में भी अन्तराष्ट्रीय व राष्ट्र स्तर पर पहचान बना चुका है।

1.2 आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के उद्देश्य और लक्ष्य

लक्ष्य – आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (डीएम अधिनियम) की धारा 31 प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) बनाना अनिवार्य बनाती है। डीडीएमपी में खतरा, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम आकलन (एचवीसीआरए), रोकथाम, शमन, तैयारी उपाय, प्रतिक्रिया योजना और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (डीडीएमपी) के उद्देश्य इस प्रकार हैं।

- ❖ जिले में प्रमुख प्रकार के खतरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रो की पहचान करना।
- ❖ आपदा को रोकने और उसके प्रभावो ं को कम करने के लि, सभी सरकारी विभागों द्वारा जिला स्तर पर सक्रिय उपाय अपनाना।
- ❖ आपदा के पूर्व और पश्चात चरणों के दौरान हितधारको को विभिन्न कार्य और जिम्मेदारियां परिभाषित करन और सौंपना।
- ❖ जिले के लोगो की आपदा सहनशीलता को क्षमता निर्माण के माध्यम से बढ़ाना।
- ❖ उचित योजना के माध्यम से सार्वजनिक और निजी संपत्ति, विशेष रूप से महत्वपूर्ण सुविधाओं और बुनियादी ढॉचे की हानि को कम करना।
- ❖ जिले में प्राकृतिक खतरों के प्रभाव को कम करने के लियें भविष्य के विकास को प्रबंधित करना।
- ❖ खोज, बचाव और प्रतिक्रिया में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए जिला स्तर पर एक आपातकालीन संचालन केन्द्र की स्थापना करना।
- ❖ आपदा स्थिति का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए प्रतिक्रिया के लिए एक मानकीकृत तंत्र विकसित करना।
- ❖ समुदाय को आपदा से निपटने के लिए तैयार करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और प्रमाणित तकनीक पर आधारित विश्वसनीय संचार प्रणाली स्थापित करना।

- ❖ राज्य आपदा प्रबंधन योजना में जारी दिशानिर्देशों के आधार पर एक प्रतिक्रिया योजना तैयार करना ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रो में त्वरित राहत, बचाव और खोज समर्थन प्रदान किया जा सके।
- ❖ जिले में आपदा–प्रतिरोधी निर्माण तत्र को अपनाना और समुदाय को आपदा–प्रतिरोधी भविष्य विकास की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार का उपयोग करना।
- ❖ आपदा प्रबंधन में मीडिया का उपयोग करना।
- ❖ प्रभावित लोगों के पुनर्वास की योजना और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जिल स्तर और स्थानीय प्राधिकरण पर जिला स्तर और स्थानीय प्राधिकरण पर पुनर्निर्माण उपाय करना।
- ❖ जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) का उद्देश्य शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक है। इस योजना को आपदाओं का सामना करने के लिए योजनाबद्ध) तरीके से तैयार किया जाना चाहिए ताकि मानवीय, संपत्ति और पर्यावरणीय नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।

1.3 आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का दायरा

आपदा प्रबंधन योजना आपदाओं के प्रभाव को कम करने और प्रभावित समुदायों को शीघ्रता से पुर्नबहाली में मदद करने का एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। यह योजना जिला प्रशासन, समुदाय और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करती है। DDMP जनपद की भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत भूकम्प, बाढ एवं अन्य आपदाओं के प्रभाव को कम करने और आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में मदद करेगी। आपदा प्रबन्धक कार्य योजना का दायरा जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों को कवर करता है। इसमें शामिल हैं–

(i) आपदा पूर्व (Preparednes)

- संभावित खतरों का मूल्यांकन और जोखिम विश्लेषण।
- समुदाय को जागरूक बनाना और प्रशिक्षण देना।
- चेतावनी प्रणाली स्थापित करना।
- संसाधनों और उपकरणों का प्रबंधन।

(ii) आपदा के दौरान (Response)

- त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (QRTS) का गठन।
- राहत कार्यों का कुशल संचालन।
- प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना।
- बचाव अभियान का समन्वय।

(iii) आपदा के बाद (Recovery)

- प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण।
- सामाजिक और आर्थिक पुनर्बहाली।
- आपदा के कारण हुए नुकसान का आकलन।
- भविष्य में आपदाओं से बचाव के लिए उपाय करना।

(iv) शामिल हितधारक

- जिला प्रशासन, पुलिस, और स्वास्थ्य विभाग।
- गैर–सरकारी संगठन (NGO) और सामुदायिक संगठन।
- राज्य और केंद्र सरकार के संबंधित विभाग।
- स्थानीय नागरिक और स्वयंसेवक।

(v) मुख्य घटक

- आपदा प्रबंधन टीमों और उनकी भूमिकाओं का निर्धारण।
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सूची बनाना।
- संसाधनों का भंडारण और वितरण प्रणाली।
- आपदा जोखिम कम करने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं।

1.4 आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना हेतु अधिकार एंव संदर्भ

- आपदा प्रबंधन अधिनियम (DM Act) के अध्याय–IV के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (District Disaster Management Authority & DDMA) की स्थापना करेगी, जिसका नाम अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाएगा। DDMA का नेतृत्व जिला कलेक्टर, उपायुक्त, या जिलाधिकारी (जैसा मामला हो) करेंगे, और स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि सह–अध्यक्ष (Co&Chairperson) होंगे।
- राज्य सरकार उस जिले के अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त जिलाधिकारी, या अतिरिक्त उपायुक्त (जैसा मामला हो) के पद से नीचे नहीं होने वाले अधिकारी को जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer & CEO) नियुक्त करेगी।
- DDMA जिले में आपदा प्रबंधन (DM) के लिए योजना बनाने, समन्वय करने और उसे लागू करने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगी। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इसके तहत, यह जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगी और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की सभी संबंधित नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।
- DDMA यह भी सुनिश्चित करेगी कि NDMA और SDMA द्वारा निर्धारित रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया के दिशा–निर्देशों का पालन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के जिला स्तर के सभी अधिकारियों द्वारा किया जाए।

- इसके अलावा, " जिला योजना" (District Plan) का मतलब जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना से है, जिसे धारा 31 के तहत तैयार किया जाता है। प्रत्येक जिले के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना अनिवार्य है। यह योजना जिला प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों से परामर्श के बाद, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए, राज्य प्राधिकरण से अनुमोदित कराई जाएगी।

1.5 आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का संक्षिप्त विकास

जिला आपदा प्रबन्धन योजना (DDMP) की तैयारी जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) की जिम्मेदारी है। प्रारंभिक मसौदा योजना को (DDMA) में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस योजना के विकास में मुख्य रूप से निम्नालिखित चरण शामिल है।

- NDMA टेम्पलेट के अनुसार DDMP विकसित करने के लिए राज्य और NDMA के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण।
- सभी संबद्ध विभागों से डेटा संग्रह।
- डेटा का विश्लेषण।
- विशेषज्ञों के साथ चर्चा।
- राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय साहित्य का संदर्भ।
- सभी संबद्ध विभागों के लिए कार्य योजनाओं की तैयारी।
- मसौदा योजना दस्तावेज की तैयारी।
- कार्यान्वयन की विधि की व्यवहार्यता और संभाव्यता जॉचने के लिए मॉक ड्रिल।
- सार्वनजनिक और विभागीय टिप्पणियों के लिए व्यापक प्रसार।
- अंतिम योजना दस्तावेज की तैयारी।

आपदा प्रबन्धन योजना विभिन्न मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण और धारण में एकरूपता प्रदान करती है, जिससें अनावश्यक जटिलताओं से बचा जा सकता हैं यह योजना क्षेत्र स्तर से लेकर जिला मुख्यालय और उससें आगें तक विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय तंत्री की व्यवस्था करती है। इस प्रकार, यह प्रतिक्रिया की दक्षता और संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करती हैं इसके अतिरिक्त, यह प्रशासन को किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए सतर्क और तैयार स्थिति में रखती है।

1.6 हितधारक और उनकी जिम्मेदारियां

- **राष्ट्रीय और राज्य स्तर–** राष्ट्रीय स्तर पर NDAMA, NIDM, NDRF की प्रमुख भूमिकाएँ निर्धारित है। राज्य स्तर पर, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और राहत आयुक्त (CoR), राजस्व विभाग, प्रमुख संस्थाएँ है जो आपदा प्रबंधन के सभी चरणों से निपटती है। सभी प्रमुख विभाग (राजस्व, पुलिस, सिंचाई, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, जल आपूर्ति और स्वाच्छता, वन सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत आपूर्ति) और आपातकालीन समर्थन कार्य एजेंसियाँ (पुलिस, होम गार्ड, फायर और स्वास्थ्य/प्राथमिक चिकित्सा) आपदाओं के दौरान DEOC में एकत्र होती है।

- **जिला स्तर पर–** जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA), जिसमें जिला कलेक्टर को प्रतिक्रिया अधिकारी (RO) के रूप में नामित किया गया है, और जिला मुख्यालय पर अन्य सम्बन्धित विभाग, जिले के भीतर आपदा प्रबन्धन के सभी चरणो से निपटने के लिये जिम्मेदार है।
- **अन्य तकनीकी संस्थाएँ –** समुदाय, स्थानीय स्व–सरकारें, NGO's आदि भी जिला आपदा प्रबन्धन योजना के हितधारक है। हितधारकों की भूमिका इस उद्देश्य से तैयार की गई है। ताकि सम्बन्धित संगठनों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझने मे मदद मिले, जो कि सभी स्तरों पर आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित है और उन्हें पूण किया जा सकें।

क्र.सं.	प्राधिकरण	कर्तव्य
01	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	• DDMA (जिला आपदा प्रबन्धन योजना) का क्रियान्वयन अद्यतन और संशोधन। • स्थानीय सरकारी निकायों के साथ समन्वय स्थापित करना ताकि जिले में आपदा पूर्व और आपदा पश्चात प्रबंधन गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। • सामुदायिक प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और आपातकालीन सुविधाओं की स्थापना के लिए स्थानीय प्रशासन, गैर–सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के सहयोग से सहायता प्रदान करना।
02	राज्य आपदा प्रबन्धन प्रधिकरण	• (DDMP) को अनुमोदित करना योजना की निगरानी और क्रियान्वयन। • इस योजना के विभिन्न पहलुओं के लिए (DDMP) को मार्गदर्शन प्रदान कना। • आपदा की स्थिति में जिले को आवश्यक सहायता प्रदान करना। • शमन और तैयारी उपायों के लिए धन की अनुशंसा करना।
03	राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	• आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजनाओं के प्रवर्तन और क्रियान्वयन का समन्वय करना।
04	सशस्त्र बल	• एनडी0आर0एफ, एस0डी0एमए और सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय में आपातकालीन राहत और प्रतिक्रिया गतिविधियों को अंजाम देना।
05	पुलिस होमगार्ड	• आपदा स्थितियों और उनसे सम्बन्धित मुद्दों से निपटने के लिए सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण देना। • कानून और व्यवस्था बनाए रखना। • लूटपाट और दंगों के खिलाफ कदम उठाना। • खोज और बचाव अभियान चलाना
06	सिंचाई और लोक स्वास्थ्य विभाग	• चिकित्सा कर्मियों, आपूर्ति और उपकरणों को सीधें सक्रिय करना। • रोगियों की निकासी का समन्वय करना। • प्रभावित क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बहाल करना। • बाढ़ की स्थिति में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। • सिंचाई बुनियादी ढांचें की निगरानी और सुरक्षा करना
	उत्तराखण्ड	• बाहरी उपकरणों की आवश्यकताओं की पहचान करना जैसे डीजी सेट

क्र.सं.	प्राधिकरण	कर्तव्य
07	पॉवर कॉरपोरेशन लि0	आदि। • क्षेत्र में हुए नुकसान का आंकलन करना।
08	संचार विभाग	• जिले में दूरसंचार समर्थन सुनिश्चित करने के लिए कार्यो का समन्वय करना। • प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी दूरसंचार आवश्यकताओं का समन्वय करना।
09	जनसंपर्क विभाग	• आपदा और पीड़ितों की स्थिति पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना और एकत्र करना ताकि राज्य स्तर पर राहत कार्यो का प्रभावी समन्वय हो सकें। • सभी टीवी और रेडियों नेटवर्क के साथ समन्वय कर विशेष जरूरतों की खबरें प्रसारित करना।
10	परिवहन विभाग	• परिवहन आवश्यकताओं का समग्र समन्वय। • विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपलब्ध वाहनों की सूची तैयार करना। • आपातकालीन प्रतिक्रिया और पुर्नप्राप्ति कार्यो, खोज और बचाव तथा नुकसान के आकलन को समन्वित और कार्यान्वित करना।
11	कृषि विभाग	• सूखें से सम्बन्धित आपदाओं के लिऐ नोडल विभाग के रूप में कार्य करना। • सभी प्रकार की फसलों के सम्बन्ध में आवश्यकताओं और नुकसान का आकलन करना। • कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित सभी अवसंरचना के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करना।
12	पशुपालन विभाग	• आपदाओं के मद्देनजर पशुओं से सम्बन्धित मुद्दों के लिए रणनीति और योजना विकसित करना। • किसी भी महामारी के प्रकोप को नियंत्रित और जांचना। • सभी पशु चिकित्सा केंद्रों की सूची तैयार करना और आपदा स्थिति से निपटनें की उनकी क्षमा का आकलन करना। • मृत पशुओं के शवों के निपटान के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना।
13	लोक निर्माण विभाग	• उपयुक्त कोड और दिशानिर्देश विकसित करना। • भवनों और महत्वपूर्ण भवनों की सुरक्षा का निरीक्षक करना।
14	राजस्व विभाग	• वास्तविक या संभावित आपदा स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना, प्रक्रिया करना और प्रसारित करना ताकि प्रभावित क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए सभी प्रतिक्रियाकर्ताओं की समग्र गतिविधियों को सुगम बनाया जा सकें। • आपातकालीन प्रावधानों से सम्बन्धित गतिविधियों का समन्वय करना।
15	वन विभाग	• जंगल की आग की घटना के दौरान कार्य करना।
16	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	• आपदा की स्थिति में खाद्यान्न, ईधन, रसोई गैस की आपूर्ति की सुनिश्चितता, राहत शिविरों व राहत कार्य में लगे व्यक्तियों हेतु खाद्य आपूर्ति व भोजन की व्यवस्था,

1.7 डीडीएमपी ढॉचें का उपयोग कैसे करें

- डीएम अधिनियम 2005 की धारा 31 प्रत्येक जिले के लिए यह अनिवार्य बनाती है कि जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार की की जाए, ताकि जिले के भीतर खतरनाक घटनाओ के प्रभाव से बचाव हो सके।
- महत्वपूर्ण आपात स्थितियों या आपदाओं मे, जिला मजिस्ट्रटे या जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएम,) के अध्यक्ष को राज्य सरकार के नियमों/राज्य आपदा प्रबंधन योजना दिशा–निर्देशों के तहत निर्दिष्ट समग्र पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां होंगी।
- जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) स्थिति की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों से संचालित किया जाएगा। सक्रिय होने पर, संचालन में लाइन विभागों और केंद्रीय सरकारी, एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समर्थन दिया जाएगा निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी संगठनों का उपयोग स्थिति से निपटने के लिए जानकारी, डेटा और संसाधन प्रदान करने हेतु किया जा सकता है।
- डीडीएमए डीएम अधिनियम की धारा 30 के तहत कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।
- उन सुविधाओं की पहचान की गई है, जो जिला सरकार के कार्यों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) या उनके नामित व्यक्ति जिला संसाधनों का समन्वय और नियंत्रण करगे।
- आपातकालीन सार्वजनिक जानकारी सभी उपलब्ध मीडिया माध्यमों से नामित मीडिया और सूचना अधिकारी द्वारा प्रसारित की जाएगी।
- कारगर आपातकालीन संचालन के लिए पूर्व योजना और कर्मियों का प्रशिक्षण आवश्यक है और इसे आपदा तैयारी के अभिन्न अंग के रूप में माना जाना चाहिए।
- जब कोई घटना जिले की सीमाओं से परे प्रभाव डालती है, तो आसपास के जिलों के साथ समन्वय आवश्यक है। अंतर–जिला सहयोग के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की जानी चाहिए और उनका अभ्यास किया जाना चाहिए।
- इस दस्तावेज़ में जिन विभागों एजेंसियों और संगठनों को प्राथमिक या सहायक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उन्हें इस योजना का समर्थन करने के लिए क्रियान्वयन दस्तावेज़ विकसित करना चाहिए।
- आपातकालीन संचालन के दौरान जब स्थानीय संसाधन अपर्याप्त होंगे तो राज्य या उच्च स्तर की सरकार और अन्य एजेंसियों से निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार मदद मांगी जाएगी।
- जिला प्राधिकरण सहायता/संसाधनों हेतु अनुरोध करने के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करेगा, अर्थात, जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) से राज्य EOC तक। यदि राज्य के संसाधन समाप्त हो जाते हैं, तो राज्य आवश्यक संसाधन केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध करागा।

- DEOC, SEOC और भारत सरकार की एजेंसियों जैसे IMD / CWC के साथ समन्वय करेगा ताकि संभावित बाढ, अतिवृष्टि, शीतलहर तथा अन्य उच्च चेतावनी (हाई अलर्ट) मौसम परिस्थितियों आदि से संबंधित अद्यतन जानकारी रखी जा सके। इस प्रकार की जानकारी प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को उपयुक्त रूप से प्रदान की जाएगी। इन क्षेत्रों में संभावित खतरों की सूचना प्राप्त होने पर, DEOC/नामित अधिकारी उचित रूप से अलर्ट जारी करेंगे और ताकि लोग खतरे के अनुसार खुद को सुरक्षित जगह पर ले जा सकें।
- आपदा के कारण सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सभी स्तरों की स्थानीय सरकार और उनके विभागो को ऐसी प्रक्रियाएं विकसित और बनाए रखनी चाहिए जो सरकार की कार्रवाई की निरतंरता सुनिश्चित करें।
- यह आवश्यक है कि आपदा प्रबंधन में शामिल एजेंसियों की स्वतः सक्रियता के लिये एक संस्थागत ट्रिगर तंत्र हो ताकि आपदा के समय प्रत्येक एजेंसी अपनी सौपी गई भूमिका निभाए।
- ऐसे मामले में, भारत सरकार/राज्य सरकार ने ऐस पूर्व चेतावनी संकेत उत्पन्न करने वाली एजेंसियों को अधिकृत किया है। यदि मामला बहुत जरूरी है और ब्लॉक/तहसील/ग्राम स्तर पर कार्यवाही की आवश्यकता है तो चेतावनी और कार्रवाई बिंदु सीधे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों तक पहुँचाए जाएंगें। इन संकेतों को समय पर प्राप्त करने और उस पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी चेतावनी/परामर्श प्राप्त होने के बाद, राज्य सरकार द्वारा SEOC (राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र) इसें तुरंत DEOC (जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र) को सूचित करेगा। DEOC इस चेतावनी को जिला स्तर पर विभागों को प्रेषित करेगा।

इस प्रकार के मामलों में जानकारी का प्रवाह निम्नानुसार होगाः–

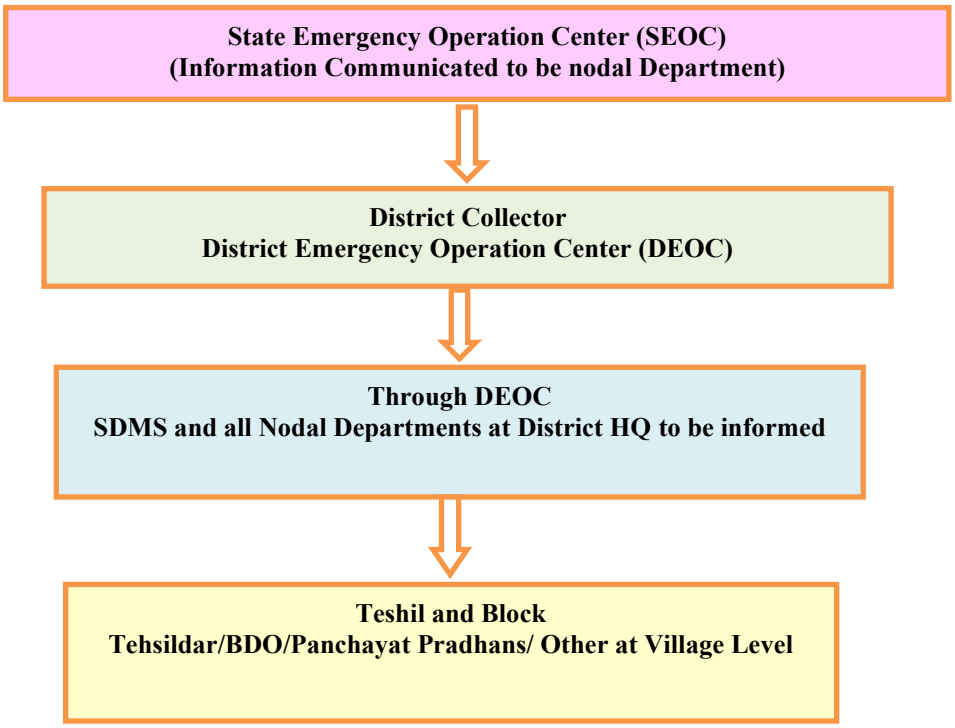

Fig No 1.3 पूर्व चेतावनी के बिना संकेत

जब कोई आपदा बिना किसी चेतावनी के आती है, तो उस स्थिति में घटना स्थल से सूचना सरकारी एजेंसियों या अन्य माध्यमों से प्राप्त होती है और ऐसी स्थिति में संस्थागत तंत्री निम्नानुसार होगाः–

- ✓ सम्बन्धित गाँव पंचायत, ब्लॉक, पुलिस स्टेशन/एस0डी0एम0/डी0एम0 को घटना की सूचना देगा, और यह सूचना उपायुक्त तक भेजी जाएगी।
- ✓ DDMA (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) जानकारी का आकलन करेगा और आपदा को स्तर L0,L1,L2, L3 के रूप में वर्गीकृत करेगा।
- ✓ DEOC (जिला आपदा प्रबंधन संचालन केंन्द्र) सक्रिय किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो SEOC (राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र) को सतर्क रखा जाएगा, अन्यथा घटना की सचूना SEOC को दी जाएगी।
- ✓ DDMA DEOC की बैठक आयोजित करेगा और घटना प्रबंधन योजना (Incident Response Plan) के तहत आपदा प्रबन्धन की योजना तैयार करेगा।
- ✓ सम्बन्धित घटना प्रतिक्रिया टीमों (Incident Response Teams) को प्रभावी प्रबंधन के लिए घटना स्थल पर भेजा जाएगा।

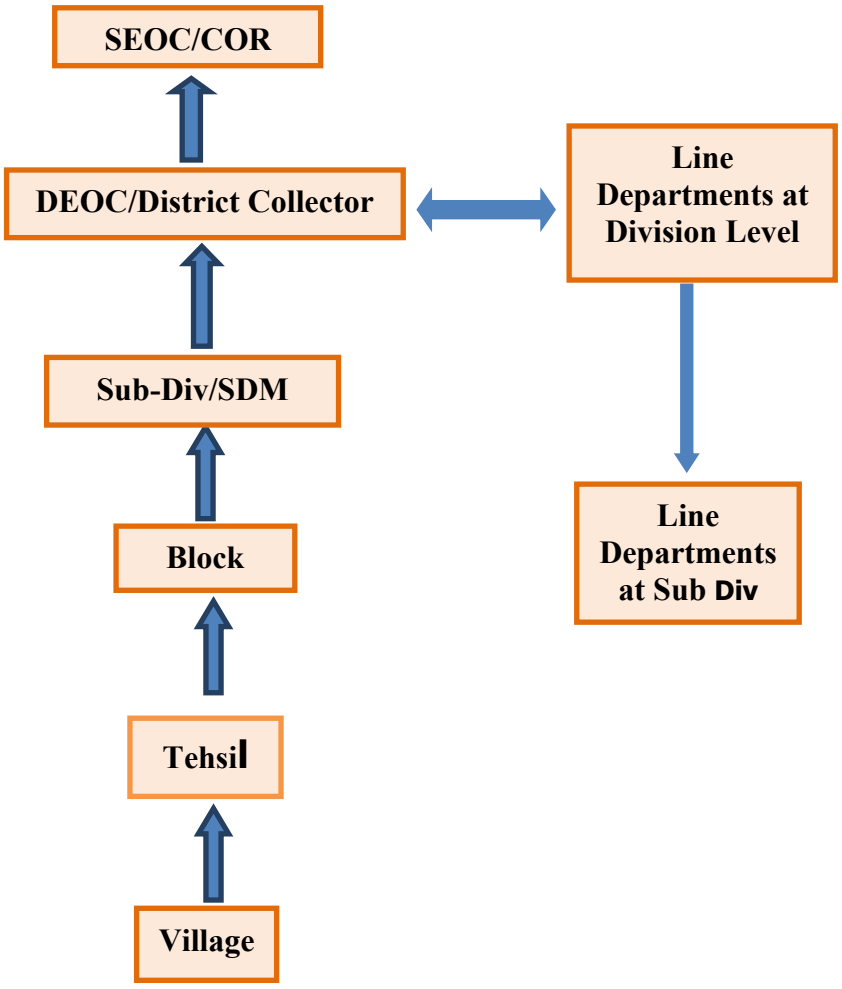

Fig ***No 1.4*** *Without warning: The Information Should follow (Bottom-Up)*

आपदा चेतावनी प्राप्त होने पर या सक्षम प्राधिकरण द्वारा आपदा के घटित होने पर आपदा प्रतिक्रिया संरचना सक्रिय की जाएगी। आपदा के घटित होने की सूचना सम्बन्धित निगरानी प्राधिकरण द्वारा राहत आयुक्त/एसडीएमए को सबसे तेज माध्य से दी जा सकती है। एसडीएमए/एसईसी आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए सभी विभागों को सक्रिय करेगा, जिसमें राज्य ईओसी, जिला ईओसी, पुलिस कर्मी और ईआरसी शामिल है। इसके अतिरिक्त वे निम्नलिखित विविरणों को शामिल करते हुए निर्देश जारी करेंगें।

1–आवश्यक संसाधनों की सटीक मात्रा (जनशक्ति, उपकरण और प्रमुख विभागों/ हितधारकों से आवश्यक वस्तुओं के रूप में)

2–प्रदान की जाने वाली सहायता का प्रकार।

3–वह समय सीमा जिसके भीतर सहायता की आवश्यकता है।

4–अन्य टास्क/प्रतिक्रिया बलों का विवरण जिनकें माध्यम से समन्वय होना चाहिए।

5–राज्य स्तर पर राज्य ईओसी, ईआरसी और अन्य नियंत्रण कक्षों के साथ–साथ जिला नियंत्रण कक्षों को पूरी क्षमता के साथ सक्रिया किया जाना चाहिए।

1.8 डी0डी0एम0पी0 के अनुमोदन प्रक्रिया/कार्यान्वयन के लिए तंत्र

डीडीएमपी को जिला और राज्य स्तर पर प्रासंगिक अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह योजना स्थानीय प्रशासन और राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेशों के तहत लागू की जाती है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के तहत परिभाषित, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन की योजना बनाने, समन्वय और क्रियान्वयन करने वाली इकाई के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से सभी आवश्यक उपाय करेगा।

तद्नुसार जिला आपदा प्रबन्धन योजना (District DM Plan) जिला प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों से परामर्श के बाद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (National DM Plan) और राज्य आपदा प्रबंधन योजना (State DM Plan) को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) के अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन योजना की एक प्रति, और इसमें किये गये किसी भी संशोधन की प्रति उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (USDMA) को योजना की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेगें। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (SDMA) विचार के बाद योजना को स्वीकृत करेगा और कार्यन्वयन के लिए दिशा– निर्देश जारी करेगा।

1.9 योजना की समीक्षा और अद्यतन प्रक्रिया:

अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/कलेक्टर उधमसिंह नगर का दायित्व है कि जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) का वार्षिक रूप से और आवश्यकता पड़ने पर समय–समय पर पुनरीक्षण और अद्यतन किया जाए। सभी सम्बन्धित विभाग आवश्यक जानकारी प्रदान करेगें। हाल के समय में आपदाओं के प्रति प्रशासनिक प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता में प्रगतिशील सुधार हुआ है। यह मुख्य रूप से

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की सुव्यवस्थित प्रशासनिक मशीनरी, सम्बन्धित विभागध्यक्षों और विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को पहले से आवंटित कर्तव्यों और सार्वजनिक तथा एनजीओ की साझेदारी के कारण संभव हुआ है।

प्रशिक्षणः– योजना विकसित करने के बाद इसे प्रसारित किया जाना चाहिए और आपदा प्रबन्धन समन्वयक अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेगें ताकि उन्हे योजना में पहचाने गए कार्यो को करने के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल और क्षमताएँ प्राप्त हों।

योजना का अभ्यास करेंः–योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभ्यासों और वास्तविक घटनाओं के संयोजन से किया जाता है ताकि यह निश्चित हो सके कि योजना में उल्लिखित लक्ष्य, उद्देश्य निर्णय क्रियाएँ और समय प्रतिक्रिया को सफल बना सके। योजना को बनाए रखने की रीढ़ मॉक ड्रिल करना और मॉक अभ्यास के परिणामस्वरूप सीखे गए सबक के आधार पर योजना को अपडेट करना है, जिसमें अंतराल की पहचान करना और उन्हें भरने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना शामिल है। अभ्यास का उद्ददेश्य नीतियों, योजनाओं का परीक्षण करना और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करके तैयारी को बढ़ावा देना है।

संशोधन और रखरखावः योजना तैयार करने वाली टीमों को योजना की समीक्षा और संशोधन के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए। समीक्षा एक आवर्ती गतिविधि होनी चाहिए और वार्षिक आधार पर समीक्षा को न्यूनतम माना जाता है। योजना की समीक्षा और अद्यतन निम्नलिखित घटनाओं के बाद किया जाएगा।

- किसी बड़ी घटना के बाद
- संचालन संसाधनों में परिवर्तन (जैसे, नीति कर्मचारी, संगठनात्मक संरचनाएं, प्रबंधन प्रक्रियाएं, सुविधाए,उपकरण)
- योजना मार्गदर्शन या मानकों का औपचारिक अद्यतन
- हर सक्रियता के बाद
- प्रमुख अभ्यासों के बाद
- जिले के जनसांख्यिकी खतरों या खतरे की प्रोफाइल में परिवर्तन
- नए या संशोधित कानूनों या अध्यादेशों का अधिनियमन्

मूल योजना, परिशिष्टों, उपपरिशिष्टों और कार्यान्वयन निर्देशों के विकास और पुनरीक्षण के समन्वय की जिम्मेदारी उपयुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सौंपी जानी चाहिए।

यह अनुशांसा की जाती है कि एक DDMP (जिला आपदा प्रबन्धन योजना) की आंतरिक रूप से हर वर्ष समीक्षा की जाए या तो उसे अद्यतन किया जाए या पुनः पुष्टि की जाए। अद्यतन किए पुनः पुष्टि किए गए दस्तावेज का उपयोग पिछले वर्ष की उपलब्धियों को संक्षेप में प्रस्तुत करने और अगले वर्ष के लिए न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राथमिकता देने मे प्रशासन की मदद करने के लिए भी किया जा सकता है।

अध्याय–02
खतरों, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम आकलन

2.1 जनपद प्रोफाइल (District Profile)

जनपद उधम सिंह नगर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 2,912 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तराखण्ड राज्य के तराई क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण कृषि एवं औद्योगिक जनपद है। यह जिला राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भौगोलिक दृष्टि से यह जिला लगभग 28°53′ से 29°23′ उत्तरी अक्षांश तथा 78°45′ से 80°08′ पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।
जनपद की सीमाएँ उत्तर में नैनीताल जनपद, पूर्व में चम्पावत जनपद, पश्चिम में हरिद्वार जनपद तथा दक्षिण में उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती हैं। जनपद का मुख्यालय रुद्रपुर में स्थित है, जो राज्य तथा देश के प्रमुख नगरों से सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से यह जिला विभिन्न प्रमुख शहरों से जुड़ा है, जबकि पंतनगर हवाई अड्डा जिले को वायु मार्ग से भी जोड़ता है। इसके अतिरिक्त रुद्रपुर, काशीपुर, पंतनगर तथा खटीमा प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं जो जिले को अन्य क्षेत्रों से जोड़ते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से जनपद को 8 तहसीलों में विभाजित किया गया है, जिनमें रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर, जसपुर, गदरपुर, सितारगंज, खटीमा तथा किच्छा हैं। जनपद में अनेक विकासखंड तथा बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतें स्थित हैं। जिले की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा और किच्छा प्रमुख नगर हैं।

जनगणना 2011 के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या लगभग 16,48,902 है। कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या लगभग 52 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या लगभग 48 प्रतिशत है। जिले का लिंगानुपात लगभग 920 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है। जनपद की साक्षरता दर लगभग 73 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर महिलाओं की तुलना में अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। तराई क्षेत्र की उपजाऊ भूमि तथा पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के कारण यहाँ कृषि उत्पादन उच्च स्तर का है। प्रमुख खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, धान, मक्का एवं दलहन शामिल हैं, जबकि गन्ना एवं तिलहन प्रमुख नगदी फसलें हैं। इसके अतिरिक्त पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन तथा बागवानी भी आजीविका के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

शहरी क्षेत्रों में उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र तथा अन्य आर्थिक गतिविधियाँ प्रमुख भूमिका निभाती हैं। जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र बनकर उभरा है। विशेष रूप से रुद्रपुर और पंतनगर में स्थित SIDCUL औद्योगिक क्षेत्र के कारण यहाँ अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने उद्योग स्थापित किए हैं, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है और जिले के आर्थिक विकास को गति मिली है।
जनपद में कई नगर निकाय स्थापित हैं, जिनमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत शामिल हैं। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण जिले में तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास देखा जा रहा है।
इस प्रकार कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास, परिवहन सुविधाओं तथा भौगोलिक स्थिति के कारण जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

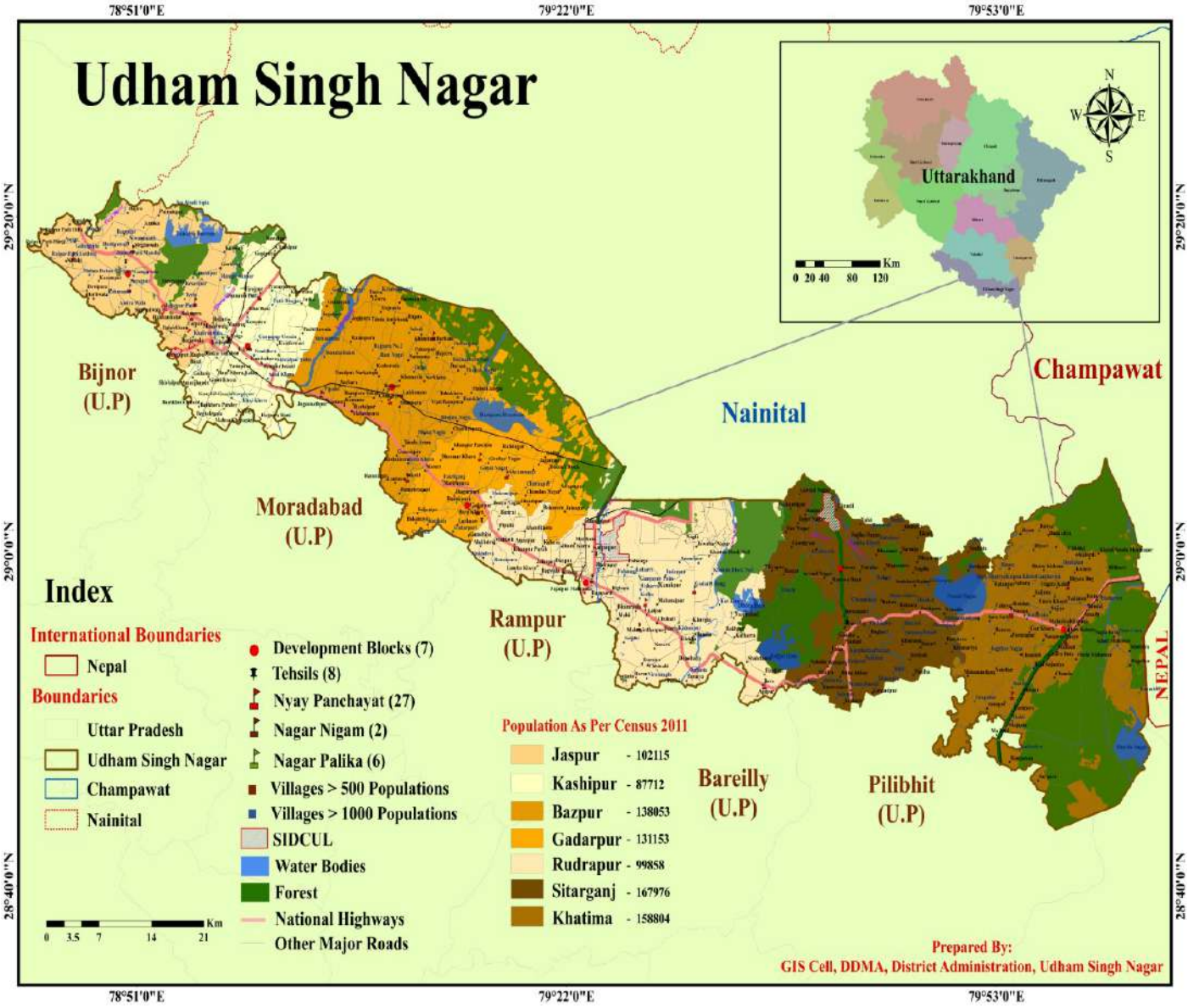

2.1.1 जनपद उधम सिंह नगर का सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल

(Socio–Economic Profile of District Udham Singh Nagar)

जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड राज्य के तराई क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण कृषि एवं औद्योगिक जनपद है। यह जिला राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है और अपनी उपजाऊ भूमि, विकसित कृषि प्रणाली तथा तीव्र औद्योगिक विकास के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जनपद का गठन वर्ष 1995 में किया गया था और इसका प्रशासनिक मुख्यालय रुद्रपुर में स्थित है। यह जिला महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के नाम पर रखा गया है। भौगोलिक दृष्टि से यह जिला उत्तर में नैनीताल, पूर्व में चम्पावत, पश्चिम में हरिद्वार, तथा दक्षिण में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। तराई क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ है तथा सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यही कारण है कि यह जिला उत्तराखण्ड के प्रमुख कृषि उत्पादक जिलों में से एक है।

जनपद में कृषि, उद्योग, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र प्रमुख आजीविका स्रोत हैं। रुद्रपुर और पंतनगर में स्थापित SIDCUL औद्योगिक क्षेत्र के कारण जिले में अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के उद्योग स्थापित हुए हैं, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति मिली है।

श्रेणी	विवरण
जनसंख्या (2011 जनगणना)	1,64,8367
लिंग अनुपात	920 महिलाएँ प्रति 1,000 पुरूष
मुख्य आर्थिक क्षेत्र	कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र
जीडीपी में सहयोग	
प्राथमिक	10.43:
दूसरे (उद्योग)	47.15:
तीसरे (सेवा)	42.42:
मुख्य फसलें	गेहूं (104.46 हजार हेक्टेयर), गन्ना, चावल
मुख्य उद्योग	ऑटोम्यूबिल्स (टाटा मोटर, बजाज, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा), पेपर, चीनी, खाद्य प्रसंस्करण।
विशेषतायें	"उत्तराखण्ड का अन्न भंण्डार" के रूप में प्रसिद्व, कृषि उत्पादन में अग्रणी।

ऊधम सिंह नगर जिले की शैक्षिक प्रोफाइल

क्र.सं.	वर्ग	विवरण।
01	राज्य	उत्तराखण्ड
02	कुल जनसंख्या (2011)	1,64,8367
03	साक्षरता दर	73.1 प्रतिशत
04	पुरूष साक्षरता दर	81.09 प्रतिशत
05	महिला साक्षरता दर	64.45 प्रतिशत
06	प्रमुख शिक्षण संस्थान	गोविद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर
07	स्कूल ड्रॉपआउट दर (2023)	10 प्रतिशत
08	प्रमुख भाषाएँ	हिन्दी, पंजाबी, बंगाली उर्दू कुमाउनी, भोजपुरी, थारू
09	शिक्षा से सम्बन्धित चुनौतिया	स्कूल ड्रॉपआउट दर, ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता में कमी।

ऊधम सिंह नगर जिले के सतत् विकास से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ और चुनौतियाँ

मुख्य समस्या/चुनौति	विवरण
कृषि में चुनौतियां	अत्यधिक रसायनिक उदाहरण का उपयोग, जल कोष, छोटे और सीमा कृषिकताओं की आर्थिक अनियमितता
औद्योगिकीकरण से जुड़े मुद्दे	प्रदूषण (वायु, जल और भूमि), अनियनिक औद्योगिक विस्तार, पर्यावरण क्षति।
बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण	बुनियादी ढॉचे पर दबाव, यातायात जाम, अव्यस्थित शहरी विकास
रोजगार एवं श्रम समस्याएँ	स्थानीय श्रमिकों की बेरोजगारी, कौशल विकास की कमी, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की खराब स्थिति।
पर्यावरण क्षति	जंगलों की कटाई, जल स्त्रोतों का प्रदुषण, बढ़तें औद्योगिक कचरें का प्रबंधन न होना
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी	ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवतापूर्ण शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओ की कमी, उच्च शिक्षा की अवसर समिति।
सड़क और बुनियादी ढॉचे की समस्या	कई ग्रामीण क्षेत्रों में खराब सड़कें, सार्वजनिक परिवहन की कमी।
अवैध खनन और भूमि अतिक्रमण	पर्यावरणीय असुंलन, नदी तटों और जंगलों का अतिक्रमण
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव	अनियमित वर्षा, कृषि उत्पादन पर असर, बाढ और सूखे की बढ़ती घटनाएँ।

2.1.2 जनपद उधम सिंह नगर में घटित पूर्व आपदाओं का मैट्रिक्स

(Matrix of Past Disasters in Udham Singh Nagar)

जनपद उधम सिंह नगर भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र में स्थित है, जहाँ नदियों, भारी वर्षा, तेज हवाओं तथा औद्योगिक गतिविधियों के कारण विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाएँ समय–समय पर घटित होती रही हैं। इन आपदाओं से जन–धन की हानि, कृषि भूमि की क्षति तथा आधारभूत संरचनाओं को नुकसान होता है। पिछले वर्षों में जिले में प्रमुख रूप से बाढ़, जलभराव, आंधी–तूफान, आगजनी, सड़क दुर्घटनाएँ तथा औद्योगिक दुर्घटनाएँ दर्ज की गई हैं।

नीचे दी गई तालिका में जिले में घटित प्रमुख आपदाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है।

जनपद उधम सिंह नगर में पूर्व में घटित आपदाओं का मैट्रिक्स

(Matrix of Past Disasters in the District – Udham Singh Nagar)

क्र. सं.	वर्ष	आपदा की तीव्रता/प्रकार	प्रभावित तहसील/ब्लॉक एवं गाँवों की संख्या	जनहानि एवं पशुधन हानि	अवसंरचना को क्षति	आर्थिक क्षति	पर्यावरणीय क्षरण, आजीविका
1	2011–12	जलभराव एवं भूकम्प	काशीपुर, बाजपुर, रूद्रपुर, खटीमा एवं सितारगंज	जनहानि, पशु हानि	ग्रामीण सड़कें एवं मकान प्रभावित	कृषि फसलों को नुकसान	कृषि भूमि में जलभराव, किसानों को राहत सहायता
2	2012–13	बाढ़ एवं जलभराव	बाजपुर, सितारगंज	जनहानि, पशु हानि	सड़कों एवं पुलियों को नुकसान	कृषि एवं संपत्ति को क्षति	जल निकासी सुधार एवं किसानों को सहायता
3	2013–14	जलभराव	बाजपुर, काशीपुर	जनहानि/ पशु हानि	ग्रामीण सड़को एवं मकानों को नुकसान	सम्पत्ति क्षति	जल निकासी सुधार
4	2014–15	अग्निकाण्ड एवं बाढ़	गदरपुर, सितारगंज	जनहानि/ पशु हानि	घरों को आंशिक नुकसान	कृषि एवं सम्पत्ति क्षति	भूमि किसानों को सहायता
5	2015–16	जलभराव, बाढ़	खटीमा, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर, रूद्रपुर।	जनहानि/ पशुहानि	घरों को आंशिक नुकसान	सम्पत्ति क्षति	प्रभावितों को आर्थिक, सहायता
6	2016–17	आंधी–तूफान, अग्निकाण्ड, बाढ़ एवं वर्षा	रूद्रपुर, सितारगंज, बाजपुर	जनहानि/ पशु हानि	बिजली व्यवस्था प्रभावित	सम्पत्ति क्षति	प्रभावितों को आर्थिक, सहायता
7	2017–18	अग्निकाण्ड, आंधी–तूफान, बाढ़ एवं जलभराव	किच्छा, काशीपुर, बाजपुर, सितारगंज, खटीमा	जनहानि/ पशु हानि	घरों और गोदाम	सम्पत्ति क्षति	प्रभावितों को आर्थिक, सहायता
8	2018–19	अग्निकाण्ड, आंधी–तूफान, बाढ़ एवं जलभराव	बाजपुर, गदरपुर, सितारगंज एवं खटीमा	जनहानि/ पशु हानि	घरों को आंशिक नुकसान	सम्पत्ति क्षति	प्रभावितों को आर्थिक, सहायता
9	2019–20	बाढ, जलभराव एवं अग्निकाण्ड	रूद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर, सितारगंज, खटीमा	जनहानि/ पशु हानि	घरों और गोदाम एवं विभागीय परिसम्पत्तियों की क्षति	सम्पत्ति क्षति	प्रभावितों को आर्थिक, सहायता
10	2020–21	अग्निकाण्ड, जलभराव, आंधी–तूफान, बाढ़	रूद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर, सितारगंज, खटीमा	जनहानि/ पशु हानि	घरों और गोदाम एवं विभागीय परिसम्पत्तियों की क्षति	सम्पत्ति क्षति	प्रभावितों को आर्थिक, सहायता
11	2021–22	बाढ एवं जलभराव	जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रूद्रपुर, किच्छा, सितारगंज एंव खटीमा	जनहानि/ पशु हानि	घरों को नुकसान	फसल क्षति	भूमि, किसानों को सहायता
12	2022–23	अग्निकाण्ड,	बाजपुर, सितारगंज एवं	जनहानि एवं	घरों को नुकसान	पशुधन	पशुपालक को

क्र. सं.	वर्ष	आपदा की तीव्रता/प्रकार	प्रभावित तहसील/ब्लॉक एवं गाँवों की संख्या	जनहानि एवं पशुधन हानि	अवसंरचना को क्षति	आर्थिक क्षति	पर्यावरणीय क्षरण, आजीविका
		आंधी–तूफान एवं बाढ़	काशीपुर	पशुहानि		क्षति	आर्थिक सहायता
13	2023–24	बाढ एवं जलभराव	जसपुर, काशीपुर, गदरपुर, रूद्रपुर, नानकमत्ता, खटीमा	जनहानि एवं पशुहानि	विभागीय परिसम्पत्तियों की क्षति	सम्पत्ति क्षति	प्रभावितों को आर्थिक, सहायता
14	2024–25	अतिवृष्टि एवं जलभराव	सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा	जनहानि एवं पशुहानि	विभागीय परिसम्पत्तियों की क्षति	फसल क्षति	प्रभावितों को आर्थिक, सहायता
15	2025–26	जलभराव	बाजपुर, सितारगंज	जनहानि एवं पशुहानि	विभागीय परिसम्पत्ति	सम्पत्ति क्षति	आजिविका प्रभावित

वर्ष	घटना का प्रकार	भूकंप	आग	अचानक बाढ़	तूफान	बादल फटना	बाढ़/भारी वर्षा	बिजली गिरना	कुल
2011-12	मृतक लोगों की संख्या	0	2	0	0	0	8	0	10
	मृतक पशुओं की संख्या	0	6	0	0	0	7	0	13
	भवन क्षति	10	0	0	0	0	329	0	339
	प्रभावित फसल क्षति (है0)	0	0	0	0	0	4.4	0	4.4
2012-13	मृतक लोगों की संख्या	0	0	0	1	0	5	1	7
	मृतक पशुओं की संख्या	0	14	5	0	0	4	0	23
	भवन क्षति	0	0	16	0	0	15	0	31
	प्रभावित फसल क्षति (है0)	0	0	1	0	0	25	0	26
2013-14	मृतक लोगों की संख्या	0	0	0	3	0	4	0	7
	मृतक पशुओं की संख्या	0	1	1	0	0	4	0	6
	भवन क्षति	0	0	16	0	0	12	0	28
	प्रभावित फसल क्षति (है0)	0	0	0	0	0	0	0	0
2014-15	मृतक लोगों की संख्या	0	0	0	0	0	2	0	2
	मृतक पशुओं की संख्या	0	1	0	0	0	7	0	8
	भवन क्षति	1	3	3	0	0	10	0	17
	प्रभावित फसल क्षति (है0)	0	0	0	0	0	1	0	1
2015-16	मृतक लोगों की संख्या	0	0	2	0	0	3	0	5
	मृतक पशुओं की संख्या	0	0	8	0	0	12	0	20
	भवन क्षति	0	3	12091	0	0	785	0	12879
	प्रभावित फसल क्षति (है0)	0	0	0	0	0	29345	0	29345
2016-17	मृतक लोगों की संख्या	0	0	0	0	0	10	1	11
	मृतक पशुओं की संख्या	0	5	1	0	0	35	0	41
	भवन क्षति	0	7	0	0	0	119	0	126
	प्रभावित फसल क्षति (है0)	0	0	0	0	0	7.81	0	7.81
2017-18	मृतक लोगों की संख्या	0	1	1	0	0	3	0	5
	मृतक पशुओं की संख्या	0	20	5	0	0	6	0	31
	भवन क्षति	0	22	5	0	0	163	0	190
	प्रभावित फसल क्षति (है0)	0	0	0	0	0	1	0	1
2018-19	मृतक लोगों की संख्या	0	1	0	0	0	8	0	9
	मृतक पशुओं की संख्या	0	15	22	0	0	10	0	47
	भवन क्षति	0	6	12	0	0	118	0	136

वर्ष	घटना का प्रकार	भूकंप	आग	अचानक बाढ़	तूफान	बादल फटना	बाढ़/भारी वर्षा	बिजली गिरना	कुल
	प्रभावित फसल क्षति (है0)	0	0	0	0	0	0	0	0
2019-20	मृतक लोगों की संख्या	0	5	0	1	0	7	1	14
	मृतक पशुओं की संख्या	0	14	0	0	0	7	0	21
	भवन क्षति	0	5	0	9	0	397	0	402
	प्रभावित फसल क्षति (है0)	0	0	0	0	0	1	0	1
2020-21	मृतक लोगों की संख्या	0	0	1	1	0	8	0	10
	मृतक पशुओं की संख्या	0	10	7	0	0	12	0	29
	भवन क्षति	0	5	0	0	0	401	0	406
	प्रभावित फसल क्षति (है0)	0	0	0	0	0	114.47	0	114.47
2021-22	मृतक लोगों की संख्या	0	1	1	0	0	3	0	5
	मृतक पशुओं की संख्या	0	5	7	0	1	59	0	72
	भवन क्षति	0	0	1944	0	0	187	0	2131
	प्रभावित फसल क्षति (है0)	0	0	0	0	0	9180.4	0	9180.4
2022-23	मृतक लोगों की संख्या	0	0	0	0	0	2	1	3
	मृतक पशुओं की संख्या	0	4	0	0	0	63	2	69
	भवन क्षति	0	4	0	0	0	1558	0	1562
	प्रभावित फसल क्षति (है0)	0	0	26	0	0	1126	0	1152
2023-24	मृतक लोगों की संख्या	0	0	1	0	0	8	0	9
	मृतक पशुओं की संख्या	0	2	4	0	0	5	0	11
	भवन क्षति	0	4	95	0	0	10	0	109
	प्रभावित फसल क्षति (है0)	0	0	2.39	0	0	75.4	0	77.8
2024-25	मृतक लोगों की संख्या	0	0	0	0	0	10	0	10
	मृतक पशुओं की संख्या	0	0	0	0	0	50	0	50
	भवन क्षति	0	0	0	0	0	51	0	51
	प्रभावित फसल क्षति (है0)	0	0	0	0	0	31.91	0	31.91
2025-26	मृतक लोगों की संख्या	0	0	01	0	0	08	1	10
	मृतक पशुओं की संख्या	0	06	0	0	0	0	1	7
	भवन क्षति	0	0	04	0	0	10	0	14
	प्रभावित फसल क्षति (है0)	0	0	0	0	0	22.211	0	22.211

तालिका 1: किसी खतरे के आपदा बनने की संभावना का स्तर

प्रायिकता	अंक	विवरण
लगभग निश्चित	5	लगभग निश्चित एक नियमित घटना, औसतन, 12 महीने में कम से कम एक बार
संभावित	4	हर दो साल में कम से कम एक बार होगा।
मध्यम	3	हर 5 साल में कम से कम एक बार होगा।
कम संभावित	2	25 साल की अवधि में कभी भी होगा।
बहुत कम संभावित	1	50 से 100 साल की अवधि में कभी भी होने की उम्मीद की जा सकती है।

प्रत्येक खतरे के संभावित परिमाण या प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है और फिर उसे निम्न तालिका के अनुसार एक प्रभाव स्तर सौंपा जाता है। भविष्य में अन्य खतरों के लिए भी इसी तरह का अभ्यास किया जा सकता है।

तालिका 2: प्रभाव रेटिंग

प्रभाव	क्षेत्र	विवरण
विनाशकारी	5	व्यापक असुरक्षा, जानमाल का काफी नुकसान होने की संभावना। जनसंख्या के बड़े हिस्से के लिए बड़ी और सामान्य सहायता की तत्काल आवश्यकता। अतिरिक्त प्रबंधन, प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञता की तत्काल आवश्यकता। बड़ी मात्रा में सामग्री इनपुट की आवश्यकता।
प्रमुख	4	जनसंख्या के बड़े हिस्से के लिए सुरक्षा खतरे में कमजोर समूहों पर काफी प्रभाव पड़ने की संभावना। कुछ जानमाल का नुकसान होने की संभावना। आपातकालीन स्थिति के प्रभाव को संभालने के लिए जीवन रक्षक कार्यक्रमों की आवश्यकता। बड़ी मात्रा में सामग्री इनपुट और अतिरिक्त प्रशासनिक कर्मचारियों और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होने की संभावना।
मध्यम	3	संभावित लक्षित समूहों के लिए सुरक्षा खतरे में है, कुछ हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, विशेष रूप से उन समूहों के लिए जो भेद्यता में वृद्धि का सामना कर सकते हैं। संगठन संभवतः मौजूदा देश/क्षेत्रीय प्रबंधन संरचनाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है।
लघु	2	क्षणिक असुरक्षा स्थानीय समूह जरूरतमंदों की समुचित रूप से सहायता करने में सक्षम हैं। संगठन द्वारा कुछ तकनीकी सहायता स्थानीय उत्तरदाताओं के लिए सहायक हो सकती है, हालाँकि इसकी तत्काल आवश्यकता नहीं है।
महत्वहीन	1	परिस्थितियों में बहुत कम या कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं, खतरे के परिणामस्वरूप सामान्य लक्षित समूहों के लिए जानमाल की हानि, चोट या संपत्ति का कोई महत्वपूर्ण नुकसान अपेक्षित नहीं है। सामान्य संचालन जारी है।

उपरोक्त दो तालिकाओं (7 और 8) का उपयोग करके, हम संभावना और प्रभाव स्कोर (जैसा कि निम्न तालिका में प्राप्त किया गया है) को गुणा करके भेद्यता रैंकिंग प्राप्त कर सकते हैं। परिणामी स्कोर कच्ची भेद्यता को दर्शाता है। नीचे दिए गए मैट्रिक्स का उपयोग किसी भी आपदा के खतरे, जोखिम और भेद्यता विश्लेषण के लिए किया जा सकता है। तालिका 10 इस मैट्रिक्स पद्धति का उपयोग करके ऊधमसिंह नगर के लिए सामान्य खतरों के विश्लेषण को दर्शाती है।

तालिका 3: अतिसंवेदनशीलता रैंकिंग

संभावना रेटिंग वर्ग और स्कोर	प्रभाव रेंटिंग : वर्ग और स्कोर				
	महत्वहीन	**लघु**	**मध्यम**	**प्रमुख**	**विनाशकारी**
लगभग निश्चित	कम–05	मध्यम–10	मध्यम–15	उच्च–20	उच्च–25
संभावित	कम–04	मध्यम–08	मध्यम–12	उच्च–16	उच्च–20
मध्यम	कम–03	कम–6	मध्यम–09	मध्यम–12	मध्यम–15
असंभावित	कम–02	कम–04	कम–06	मध्यम–08	मध्यम–18
दुर्लभ	कम–01	कम–02	कम–03	कम–04	कम–05

नीचे दी गई तालिका उपरोक्त पद्धति का उपयोग करके जिले के जोखिम और भेद्यता विश्लेषण को दर्शाती है। इस तरह के मैट्रिक्स का उपयोग आपदा प्रतिक्रिया योजना और तैयारी के लिए किया जा सकता है।

तालिका 4 : जनपद ऊधमसिंह नगर खतरा जोखिम अतिसंवेदनशीलता मूल्यांकन।

खतरा	संभावना	प्रभाव	भेद्यता रेटिंग (संभावना समय प्रभाव)	चिंता के विशिष्ट स्थान और आबादी
भूकम्प	4	5	20 (उच्च)	सम्पूर्ण जनपद
बाढ़	4	5	20 (उच्च)	जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रूद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा में नदी किनारे समीपवर्ती ग्राम
आग	4	4	16 (उच्च)	सम्पूर्ण जनपद
वनाग्नि	2	2	04 (कम)	पीपलपडाव, पु0 गडप्पू दक्षिणी गदगदिया गंगापुरपटिया, टाण्डा फूलबाग, धीमरी, बरहनी, आमपोखरा, दोगाडी, पश्चिमी किलपुरा, उत्तरी बनबसा, झनकिया, ककरा इत्यादि
वज्रपात	3	3	09 (मध्यम)	सम्पूर्ण जनपद
औद्योगिक दुर्घटना	4	4	16 (मध्यम)	सिडकुल पन्तनगर, काशीपुर एवं सितारगंज के निकटवर्ती क्षेत्र
सूखा	1	3	03 (कम)	वर्षाकाल में लगातार सामान्य से कम वर्षा होने पर सम्पूर्ण जनपद सूखे की चपेट में आ सकता है
लू	4	2	08 (मध्यम)	सम्पूर्ण जनपद
शीतलहर	3	2	06 (कम)	सम्पूर्ण जनपद
बांध विफलता	2	5	10 (मध्यम)	तहसील जसपुर, काशीपुर बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, सितारगंज एवं खटीमा
सड़क/रेल/हवाई दुर्घटना	4	3	12 (मध्यम)	सम्पूर्ण जनपद
महामारी	2	4	08 (मध्यम)	सम्पूर्ण जनपद

आपदा नियोजन के लिए उपरोक्त तालिका को निम्नलिखित तालिका के साथ जोड़ा जा सकता है।

तालिका 5: आपदाओं की संभाव्यता अवधि/मौसमीता

खतरे का प्रकार	घटना का समय	संभावित प्रभाव
बाढ़	जून से सितंबर	जीवन, पशुधन, फसल और बुनियादी ढांचे की हानि
महामारी	किसी भी समय	मानव जीवन की हानि
अग्निकांड	किसी भी समय	मानव हानि और घर का नुकसान
भूकंप	किसी भी समय	जीवन, पशुधन और बुनियादी ढांचे की हानि
सूखा	जुलाई–अक्टूबर	फसलों को नुकसान
जैविक खतरा	किसी भी समय	मानव जीवन और पशुधन की हानि

तालिका 6: इस योजना में संबोधित किए जाने वाले संभावित खतरों (आवृत्ति और परिमाण) की सूची

आपदा घटित होने की संभावना	
खतरे का	समय सीमा

प्रकार	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
भूकम्प	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
बाढ़						■	■	■	■	■		
अग्निकांड	■	■	■	■	■	■					■	■
लू					■	■	■					
शीतलहर	■	■										■
वज्रपात						■	■	■	■	■		
आंधी तूफान				■	■	■						
औद्योगिक दुर्घटना	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
वनाग्नि			■	■	■	■						

2.1.3 अति संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों की पहचान करें:

एक बार अति संवेदनशीलता रैंक की पहचान हो जाने के बाद, सबसे ज्यादा अतिसंवेदनशीलता वाले स्थानों और आबादी की पहचान की जानी चाहिए। इससे यह जानने में मदद मिलती है कि आपदा सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ हो सकती है,साथ ही यह भी पता चलता है कि अतिसंवेदनशीलता कम करने के प्रयास कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादक हो सकते हैं। ध्यान दें कि अतिसंवेदनशीलता कम करने में शिक्षा, संरचनात्मक उपाय और निकासी योजना जैसे गैर–संरचनात्मक उपाय शामिल हो सकते हैं। जहाँ संभव हो, अतिसंवेदनशीलता वाले क्षेत्रों का मानचित्रण किया जाना चाहिए और आपदा नियोजन दस्तावेजों में शामिल किया जाना चाहिए।

2.1.3.1 भूकंप:

देव भूमि कहे जाने वाले उत्तराखण्ड राज्य की हिमालय पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, इसके निर्माण तथा समायोजन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। 200 से 7000 मीटर की ऊंचाई वाला संसाधन सम्पन्न यह भू भाग आपदाओं की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। भूकम्पीय दृष्टि से 115 लाख लगभग की जनसंख्या वाले उत्तराखण्ड के कुल 13 में से 4 जनपद (चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ) संवेदनशीलता की दृष्टि से जोन 5 में जबकि उत्तरकाशी, पौडी, टिहरी, चम्पावत, अल्मोडा, जोन 4 (आंशिक रूप से जोन 5) तथा शेष 4 जनपद नैनीताल, देहरादून, ऊधमसिंह नगर तथा हरिद्वार पूर्ण रूप से जोन 4 में आते हैं ।

जनपद ऊधमसिंह नगर जोन iv में होने के कारण समस्त तहसील के समस्त बसे गांवों/क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील हैं।

भूकंप की अलग–अलग तीव्रता के साथ अलग–अलग तरह की जमीन हिलती है। नरम मिट्टी और ज्यादा पानी वाली मिट्टी आम तौर पर चट्टानी जगहों की तुलना में ज्यादा हिलती है। जहाँ संभव हो, संरचनाओं को मजबूत जमीन पर रखें। इससे भूकंप में होने वाले कंपन की गंभीरता कम होगी।

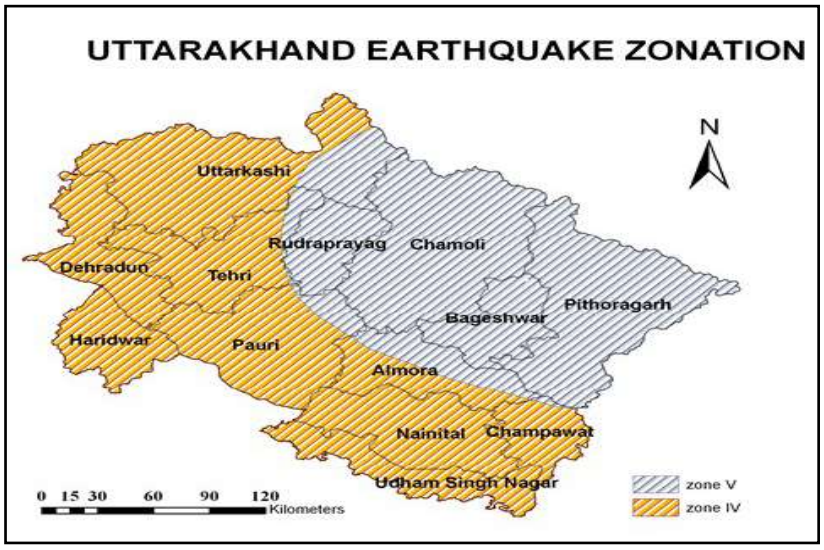

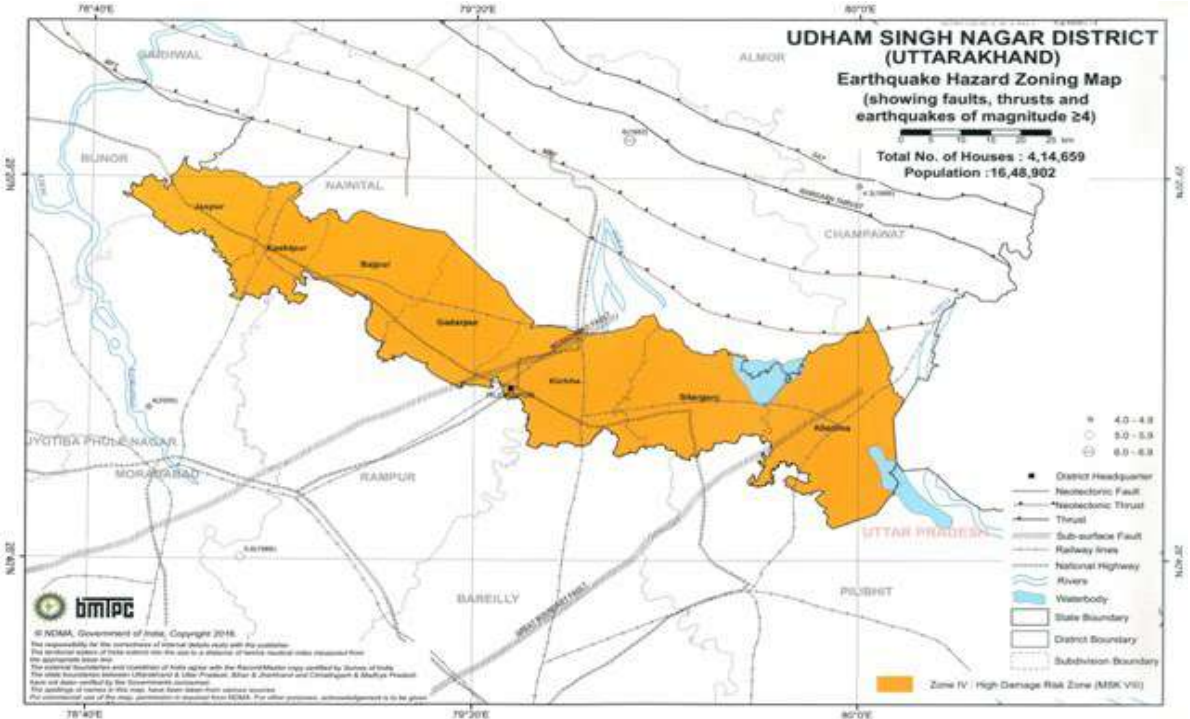

दिनांक	समय	तीव्रता रिक्टर पैमाने पर	भूकम्प का केन्द्र	गहराई (कि0मी0)	अक्षान्तर	देशान्तर
25-04-2015	12.15AM	6.6	नेपाल भारत बॉर्डर	10 किमी.	28.1° N	84.8°E
09-11-2022	1:57 AM	5.7	नेपाल भारत बॉर्डर		29.24° N	81.86°E
12-11-2022	7.57 PM	5.1	नेपाल सिंगला भारत बॉर्डर		29.81° N	81.20°E
24-01-2023	2.28 PM	5.4	नेपाल कालिका भारत बॉर्डर	10 किमी.	29.41° N	81.68°E
21-03-2023	10.17 PM	6.6	अफगानिस्तान (हिन्दू कुश रीजन)	156 किमी.	36.09° N	71.35°E
21-12-2024	03.59AM	4.8	नेपाल भारत बॉर्डर	10 किमी.	29.17° N	81.59°E

2.1.3.2 बाढ़:

वर्षा ऋतु में अचानक भारी वर्षा होने या बादल फटने की स्थिति में जनपद के मैदानी क्षेत्रों बाढ एवं भू–कटाव एवं जलभराव का प्रभाव होता है। निकटतम जनपद नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा होने से बाद पानी ढलान वाले स्थानों को चला जाता है, जिस कारण जनपद के मैदानी क्षेत्र– जसपुर / काशीपुर / बाजपुर /गदरपुर /रूद्रपुर/किच्छा/सितारगंज/खटीमा जल भराव के कारण प्रभावित रहते हैं।

बाढ़ के कारण नदियों के किनारे बसे गॉव के निवासियों को आने–जाने में असुविधा उत्पन्न होती है, कभी–कभार बाढ़ में मनुष्य एवं पशु भी बह जाते हैं या बंधे होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। मैदानी क्षेत्रों में निकटतम पर्वतीय क्षेत्र का सम्पूर्ण जल आने के कारण इनका स्वरूप तीव्र और भयंकर हो जाता है कि इससे जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भूमि कटाव जल भराव की समस्या विनाशक रूप धारण कर लेती है।

जनपद की तहसील सितारंगज के अन्तर्गत तीन प्रमुख नदिया है, बैगुल देवहा और कैलाश नदिया है, जिसकी वजह से

ग्राम सुरेन्द्र नगर, अरविन्दनगर, निर्मलनगर, राजनगर, रूदपुर, बरूवाबाग, सिसौना, बबनपुरी, सितारगंज, रम्पुरा, लौका, गौठा, चीकाघाट, सलमता, सलमती व रसोइयापुर, विज्टी अतिसंवेदनशील ग्राम तथा विचुवा, टुकडी, नकुलिया, थारूतिसौर, तुर्कातिसौर, डोहरा, औदला, लाम्बाखेडा, ऐचता, देवकली, मटिहा, कौधारतन, पिण्डारी, साधूनगर, मगरसडा ग्राम संवेदनशील बन जाता है।

तहसील काशीपुर के अन्तर्गत ढेला नदी से ग्राम बैलजूड़ी, लक्ष्मीपुर पट्टी, पट्टी हरू, सरवरखेड़ा, जगन्नाथपुर, गुलड़िया, बांसखेड़ाखुर्द, ढकियां गुलाबों, कोसी नदी से ग्राम दभौरा एहतमाली, ग्राम दभौरा मुस्तहकम, अर्जुन नाले से ग्राम ढकिया कला, गांधीनगर तथा लक्ष्मीपुर पट्टी एवं माइनर नहर से शहर काशीपुर के मुख्य बाजार, काशीपुर–रामनगर मुख्य मार्ग, काशीपुर–मुरादाबाद मुख्य मार्ग, काशीपुर बाजार मुख्य मार्ग तथा अन्य शहरी क्षेत्र सामान्यतः प्रभावित होते है। बाढ़ से कोसी नदी पर बना पुल तथा ढेला नदी पर बना पुल प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है, नेशनल हाइवे 74 भी बाढ़ से प्रभावित होता है। नेशनल हाइवे 121 मुरादाबाद टिहरी मार्ग, काशीपुर अलीगंज मार्ग, काशीपुर दडियाल मार्ग भी अतिवृष्टि से आंशिक रूप से प्रभावित होते है।

तहसील जसपुर के अन्तर्गत ढेला नदी से ग्राम नवलपुर, किलावली, दुर्गापुर, गढीनेगी, बगवाडा तथा फीका नदी से ग्राम किशनपुर, राजपुर, मकोनिया, हजीरों, कृपाचार्यापुर तथा शहर जसपुर के मुख्य बाजार जसपुर काशीपुर मुख्य मार्ग तथा अन्य शहरी क्षेत्र प्रभावित होते है।

तहसील किच्छा के अन्तर्गत गौला नदी के किनारे बसे ग्राम–कोटखर्रा, खामिया नं0–1, 2, 3 व 4 नजीमाबाद, धाधा, बण्डिया, किच्छा, सिरौलीकला, सिरौलीखुर्द, भंगा एवं सुतईया आते हैं, कल्याणी नदी के किनारे खेड़ा कालौनी व जगतपुरा कालौनी स्थिति है, एवं धीमरी नदी के किनारे ग्राम बागवाला, कोलड़ा, कोलड़िया आदि ग्राम स्थित है। जिनमें विगत वर्षो में काफी जन व पशु तथा फसल हानि हुई है। उपरोक्त सभी ग्राम अतिसंवेदनशील ग्रामों की श्रेणी में आते है। विगत वर्ष अक्टूबर, माह 2021 में अतिवृष्टि एवं जल भराव के कारण रूद्रपुर, किच्छा, गदरपुर, क्षेत्र में जागरूकता की भयानक स्थिति उत्पन्न हो गयी थी।

तहसील गदरपुर के अन्तर्गत मुख्य रूप से हरिपुरा जलाशय से निकले वाला नाला, भाखड़ा नदी, अंधुवा नदी, नाहाल नदी का नाले से जल स्तर बढ़ने से हरिपुरा जलाशय से निकलने वाला नाला से ग्राम कोपा छिद्दा, गूलरभोज रेलवे कालौनी व भाखड़ा नदी में अधिक जल भराव होने से बरीराई (सुन्दरपुर), अधुंवा नदी से कालीनगर तथा नाहाल नदी का जल स्तर बढ़ने से रजपुरा कालौनी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बौर, भाखड़ा, नाहाल नदी जो हरिपुरा व बौर जलाशय से निकलती हैं में जलाशय से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, शेष नालों में वन क्षेत्र से आये अधिक पानी से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती हैं। हरिपुरा जलाशय से निकलने वाले नाले से ग्राम कोपा छिद्दा, गूलरभोज रेलवे कालौनी एवं भाखड़ा नदी से ग्राम बरीराई (सुन्दरपुर) अधुंवा नदी से ग्राम कालीनगर एवं नाहाल नदी से रजपुरा कालौनी प्रभावित होते है, अत्यधिक पानी आने से राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या–74 पर ग्रम जाफरपुर में डिमरी नदी बने पुल भाखड़ा नदी पर ग्राम महेशपुर नदी में बने पुल एवं बौर नदी पर ग्राम मसीत पर बने पुल प्रभावित होने की सम्भावना होती है।

तहसील खटीमा के अन्तर्गत पूर्व में शारदा सागर स्थापित है, एवं पश्चिम में नानक सागर स्थापित है, एवं शारदा नहर में अधिक पानी छोड़ने से भी तहसील खटीमा के राजस्व ग्राम प्रभावित होते है, जिनका विवरण निम्न है, नानक सागर बांध से समय–समय पर पानी अत्यधिक छोड़ने से राजस्व ग्राम दाह, ढाकी, मजगमी, मेहरबाननगर, सुनपहर, भुड़ियादेशी, प्रतापपुर के ग्रामों का क्षेत्रफल पानी से प्रभावित होता है, तथा प्रवीन नदी में अत्यधिक पानी आ जाने से झनकट, वानूसा, पुरनापुर, नौसर, चन्देली, सड़ासड़िया, जोदापुर के ग्रामों का क्षेत्रफल प्रभावित होता है। इसी प्रकार देवहा नदी, थराना नाला, कामन नदी/नालों से ग्राम दियॉ, सुरेया, गॉगी, रतनपुर, मौहम्मदपुर, प्रतापपुर, विसैठा, उलधन ग्रामों का रकवा प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त ग्राम सिसैया अन्तर्गत जगबूढ़ा नदी, शारदा नदी में जल प्रवाह अधिक होने से ग्राम सिसैया, वनमहोलिया, दमगढ़ा, नगलातराई, खालीमहुवट का क्षेत्रफल भी प्रभावित होता है। शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत बहने वाले नालों/नालियों की सम्बन्धित विभाग द्वारा पीचिंग तथा नालों की सफाई समय से नहीं होती है, जिसके कारण भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है।

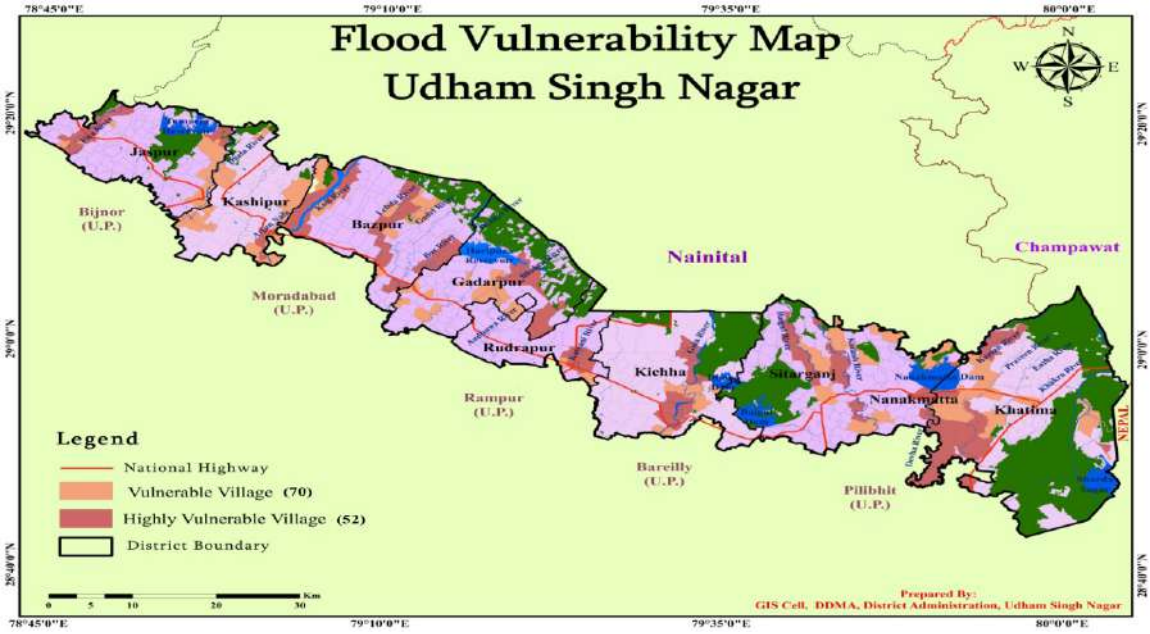

जनपद में संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील ग्रामों की सूची

क्र. सं.	तहसील का नाम	अति संवेदनशील ग्राम का नाम	संख्या	संवेदनशील ग्राम का नाम	संख्या	योग
1	जसपुर	राजपुर, नवलपुर	02	हजीरों, कृपार्यपुर, किशनपुर, गढीनेगी, बगवाड़ा, बैतवाला,	06	08
2	काशीपुर	दभौरा मुस्तकहम (अजीतपुर)	01	दभौरा एहतमाली, बैलजूड़ी, महेशपुरा, सरवरखेड़ा, बांसखेड़ाकला, बांसखेड़ाखुर्द रजपुरारानी, कचनालगुसाई	08	09
3	बाजपुर	जोगीपुरा, गोबरा	02	चकरपुर, चनकपुर, भौनाइस्लामनगर, मडैयाबक्शी	04	06
4	गदरपुर	गूलरभोज, नईबस्ती, रेलवे स्टेशन, कूल्हा(तिलपुरी), धीमरी ब्लॉक, दिनेशपुर (चन्दनगढ), कालीनगर, रजपुरा कालोनी, केशोगढ़ कालोनी	09	डौकपुरी, मोतियापुरा कालोनी, पिपलिया, बरीराई, कुईखेड़ी, खुशालपुर, मसीत (हरिपुरा), मजराशीला (बिजली घर)	08	17
5	रूद्रपुर	खेड़ा कालौनी, जगतपुरा कालौनी	02	रम्पुरा, रूद्रपुर देहात, जगतपुरा, शिमला बहादुर	04	06
6	किच्छा	खामिया नं0 1,2,3,4, कोटखर्रा, बण्डिया, किच्छा, धाधा, सिरौलीखुर्द, सिरौलीकला	10	कनगन, गंगोली, बखपुर, नजीमाबाद, सतुईया, बागवाल, खुररपिया, गौरीकला,	08	18
7	सितारगंज	सुरेन्द्र नगर, अरविन्दनगर, निर्मलनगर, राजनगर, रूद्रपुर, बरूआबाग, सिसौना, बवनपुरी, सितारगंज, रम्पुरा, लौका, गौठा, चीकाघाट, सलमत्ता,	17	बिचुवा, टुकड़ी, नकुलिया, थारूतिसौर, तुर्कातिसौरा, डोहरा, औकला, लाम्बाखेड़ा, ऐचता, देवकली, गटिहा, कौधरतन, पिण्डारी, साधुनगर, मगरसाड़ा।	15	32

क्र. सं.	तहसील का नाम	अति संवेदनशील ग्राम का नाम	संख्या	संवेदनशील ग्राम का नाम	संख्या	योग
		सलमती, रसोइयापुर, विज्टी,				
8	खटीमा	सिसैया, भगचुरी, दाह, ढाकी, सुनपहर, मजगमी, गांगी दियॉ जंगलजोगीठेर	09	भूडियादेशी, प्रतापपुर, झनकट बानूसार, पुरनापुर, नौसर, चन्देली, सडासडिया, जादोपुर, रतनपुर, मौहम्मदपुर, विसौटा, उलधन, वनमहोलिया दमगढ़ा नगलातरोई खालीमहुवट,	17	26
योगः–			52		70	122

जनपद ऊधम सिंह नगर के अन्तर्गत नदियों एवं जलाशयों का विवरण।

क्र.सं.	तहसील का नाम	नदी का नाम	वार्निंग लेवल क्यूसेक	डेन्जर लेवल क्यूसेंक
01	सितारगंज	बैगुल/सूखी नदी	30000	45000
02	सितारगंज	कैलाश नदी	45000	79000
03	खटीमा	मेन शारदा कैनाल	11500	11500
04	खटीमा	जगबूढ़ा नदी	19000	28000
05	खटीमा	परवीन नदी	2000	6000
06	खटीमा	कामन नदी	15000	24000
07	काशीपुर/जसपुर	ढेला नदी	37000	48000
08	जसपुर	फीका नदी	18500	37000
09	किच्छा	गौला नदी	39927	115000

जनपद के जलाशय की सूचना

क्र0	तहसील का नाम	जलाशय का वर्तमान जल स्तर (फिट में)	वार्निंग लेवल (फिट में)	डेन्जर लेवल (फिट में)
01	जसपुर	तुमरिया जलाशय	857	859.50
02	गदरपुर	बौर जलाशय	795	796.00
03	गदरपुर	हरिपुरा जलाशय	795	796.00
04	खटीमा	बैगुल जलाशय	690.50	691.00
05	खटीमा	ननकसागर जलाशय	706	708.50
06	खटीमा	शारदा सागर डेम	623	625.00

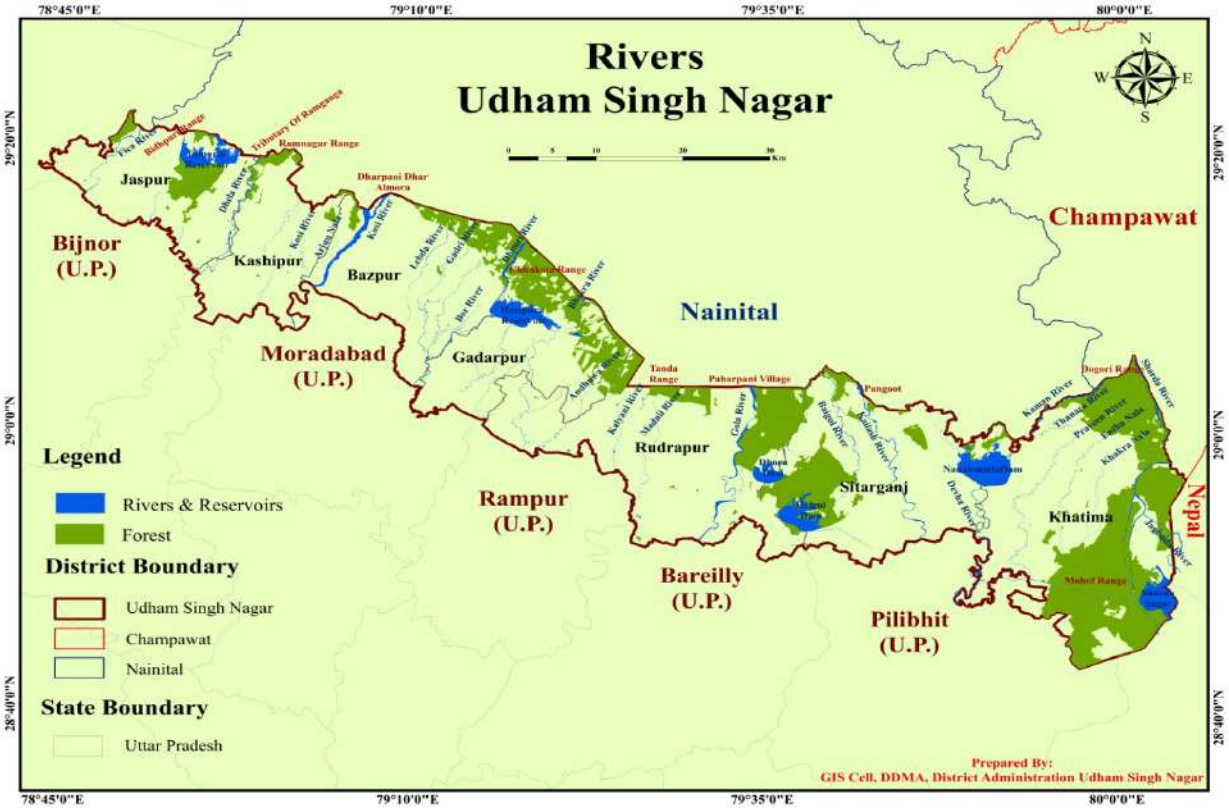

2.1.3.3 सड़क दुर्घटना–

जनपद उधम सिंह नगर औद्योगिक क्षेत्र, जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण सड़को पर अवागाम बड़ने व यातायात संकेतों का ज्ञान न होना, सड़कों की खराब स्थिति, अप्राप्त प्रशिक्षण, शीतलहर के दौरान अत्यधिक कोहरा, रिफलेक्टर का उपयोग न करना, तथा ब्लैक स्पोट, लापरवाही व नशे में वाहन चलाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या अधिक होती है।

सड़क दुर्घटनाओं का वर्षवार विवरण जनपद उधमसिंह नगर				
क्र.सं.	वर्ष	कुल सड़क दुर्घटनाएं	कुल मृतक	कुल घायल
01	2019	326	205	281
02	2020	271	188	162
03	2021	361	230	235
04	2022	419	259	342
05	2023	425	301	362
06	2024	422	271	322

क्र.सं.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	सड़क दुर्घटना एक मानव जानित आपदा है। अत्यंन्त संकरे व घुमावदार/तीव्र मोड युक्त सड़के तथा लापरवाही इसके मुख्य कारण है।	सम्पूर्ण जनपद के अधिकांश शहरी/ग्रामीण मोटर मार्ग	जनपद में वाहन दुर्घटना के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ संभावित जन हानि ➢ परिवार की आर्थिक हानि ➢ सम्पत्ति का नुकसान ➢ सामाजिक दुषप्रभाव

जनपद उधम सिंह नगर में चिन्हित ब्लैक स्पॉट के स्थल का विवरण वर्ष–2017–24 तक					
क्रं. सं.	तहसील	ब्लैक स्पॉट स्थल का नाम	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	मार्ग का नाम
01	काशीपुर	स्टेडियम तिराहे से उज्जैन तिराहा	09	09	एन0एच 121/309
02	बाजपुर	केशोवाला मोड के निकट	05	04	एस0एच0–01 तथा केशोवाला – कोशीनगर मुख्य जिला मार्ग
03	रूद्रपुर	महतोष मोड	10	08	एन0एच–74
04	रूद्रपुर	बगवाड़ा	43	26	एन0एच–74/09
05	किच्छा	लालपुर चौकी	38	21	एन0एच 74/09
06	किच्छा	दरउ चौक	14	08	एन0एच–74/09
07	खटीमा	शिव मन्दिर जगबूडा के पास	10	10	एन0एच–09/125
08	सितारगंज	सिसौना	05	04	रामनगर–चौरगलिया–सितारगंज एस0एच0–41 पर कि0मी0 101/102
09	खटीमा	चारूबेटा से मुंडेली पीलीभीत रोड	08	07	खटीमा–मझोला एस0एच0–41
10	रूद्रपुर	नगला बाईपास	24	26	एन0एच 87/109
11	रूद्रपुर	नगला विश्वविद्यालय गेट से शान्तिपुरी गेट के मध्य	07	07	एस0एच0–44
12	किच्छा	आदित्य चौक	06	10	एस0एच0–44
13	रूद्रपुर	31वी0 वाहिनी पी0ए0सी0	06	05	एन0एच–109
योगः–			185	145	

2.1.3.4 रासायनिक आपदाएँ

ऊधमसिंह नगर में रासायनिक प्रक्रिया उद्योग के विकास में नाटकीय रूप से तीव्र गति मिली है। परिष्कृत प्रौद्योगिकी जटिल प्रक्रियाएँ और रसायनों और रासायनिक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला लाखों लोगों को बेहतर मानक और बेहतर जीवन जीने का तरीका प्रदान करने के लिए उभरी है, जिसमें जनपद उधम सिंह नगर में क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पन्तनगर, काशीपुर एवं सितारगंज अवस्थित हैं, जिसमें कुल पन्तनगर क्षेत्रान्तर्गत 576 औद्योगिक आस्थान, काशीपुर 71 एवं सितारगंज क्षेत्रान्तर्गत 30 आस्थान अवस्थित हैं।

ऊधमसिंह नगर जिले में कारखानों का एक विशिष्ट रासायनिक क्षेत्र है। हालाँकि, आपदा की तैयारी के लिए एहतियाती उपायों के रूप में उन सभी प्रमुख विभागों को शामिल किया गया है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रासायनिक खतरे के लिए जिम्मेदार हैं। इस जिले में कुल 19 MAH इकाइयाँ हैं। इस जिले में रासायनिक आपदा की संभावना बहुत अधिक है।

ज्वलनशील, खतरनाक और विषैले पदार्थों के उत्पादन या परिवहन में शामिल उद्योगों को ऑफ–साइट योजना तैयार करने और उसे जिला कलेक्टर को बताने की जिम्मेदारी है। आस–पास के समुदायों में सिमुलेशन अभ्यास भी किए जाते हैं।

- खतरनाक और विषैले पदार्थों के सभी परिवहन की सूचना आरटीओ को दी जाती है।
- पानी में विषैला कचरा छोड़ने वाले छोटे उद्योगों को साझा अपशिष्ट उपचार सुविधा स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- जिले में सभी उद्योगों से जानकारी एकत्र करने के लिए औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक डेटा शीट का एक सामान्य प्रारूप अग्निशमन विभाग और NDRF दोनों के पास उपलब्ध है।

LIST OF MAH UNITS IN UDHAM SINGH NAGAR

S.No	NAME OF MAH UNIT	HAZARD INVOLVED
1	INDIA GLYCOLS LTD., KASHIPUR	ETHYL ALCOHOL, ETHYLENE OXIDE, ETHANOL, LIQUID OXYGEN, METHANOL, CHLORINE
2	NAINI TISSUES LTD, KASHIPUR	CHLORINE, SODIUM HYDROXIDE
3	SIDDHARTH PAPERS PVT LTD, KASHIPUR	LPG
4	PARLE BISKUITS PVT.LTD, SIDCUL PANTNAGAR	PROPANE
5	MAHINDRA USAINESTEAL COMPANY LTD., KICHHA, RUDRAPUR	PROPANE
6	VOLTAS LTD, SIDCUL PANT NAGAR	CYCLOPENTANE
7	VARROC ENGINEERING PVT. LTD PANT NAGAR	LPG
8	BELRISE INDUSTRIES PVT. LTD, SIDCUL PANT NAGAR	PROPANE
9	SWG INDUSTRIES LTD, SIDCUL PANT NAGAR	PROPANE
10	NEEL AUTO PVT. LTD, SIDCUL, PANT NAGAR .	PROPANE.
11	PARLE BISCUITS PVT. LTD, SIDCUL SITARGANJ	PROPANE
12	BRITANIA INDUSTRIES LTD., PANTNAGAR	PROPANE
13	ASHOKA LYLEND SIDCUL PANTRNAGAR	PROPANE
14	NANI PAPERS LTD, MURADABAD ROAD KASHIPUR	PROPANE
15	HINDUSTAN ZINK LTD, SIDCUL PANT NAGAR	CHLORINE
16	LAOPLA RG LTD, SITARGANJ	LPG
17	PARLE BISCUT PVT. SIDCUL, PANTNAGAR	LPG
18	TATA MOTORS LTD, PANT NAGAR	PROPANE
19	CLARIANT IGL SPECIALITY CHEMICALS PRIVATE LIMITED	ETHYL ALCOHOL, ETHYLENE OXIDE, ETHANOL, LIQUID OXYGEN

2.1.3.5 सूखा:

ऊधमसिंह नगर सूखे के प्रति संवेदनशील जिला नही राज्य है परन्तु कम बारिश और मानसून के अनियमित व्यवहार के कारण सूखे की संभावना भी हो सकती है । सभी प्राकृतिक आपदाओं में से, सूखे का सबसे अधिक प्रभाव हो सकता है और यह सबसे अधिक लोगों को प्रभावित कर सकता है। सूखे का खाद्य उत्पादन और समग्र अर्थव्यवस्था पर सीधा और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हालाँकि, सूखा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से अलग है। इसकी धीमी शुरुआत के कारण, इसका प्रभाव समय के साथ जमा हो सकता है और कई वर्षों तक बना रह सकता है। भूकंप या बाढ़ जैसी घटनाओं की तुलना में इसका प्रभाव कम स्पष्ट होता है, लेकिन यह एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैल सकता है। सूखे के व्यापक प्रभावों के कारण, इसके प्रभाव का आकलन करना और सहायता की योजना बनाना अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में अधिक कठिन हो जाता है।

2.1.3.6 अकाशीय बिजली:

एक गरज वाला तूफान, जिसे बिजली का तूफान या बिजली का तूफान भी कहा जाता है, एक ऐसा तूफान है जिसमें बिजली की उपस्थिति और पृथ्वी के वायुमंडल पर इसके ध्वनिक प्रभाव की विशेषता होती है, जिसे गरज के रूप में जाना जाता है। गरज के साथ होने वाले तूफान कई गंभीर मौसम संबंधी घटनाओं के विकास और गठन के लिए जिम्मेदार होते हैं। गरज के साथ होने वाले तूफान और उनके साथ होने वाली घटनाएँ बहुत बड़ा खतरा पैदा करती हैं।गरज के साथ होने वाली क्षति मुख्य रूप से तेज हवाओं, बड़े ओलों और भारी वर्षा के कारण होने वाली बाढ़ से होती है।

2.1.3.7 आग:

भूकंप, विस्फोट, बिजली की खराबी और कई अन्य कारणों से आग लग सकती है। राज्य को आग के खतरों का विस्तृत मूल्यांकन करना होगा जैसे कि जहरीले/खतरनाक पदार्थों के भंडारण स्थानों की सूचीध्मानचित्र तैयार करना, अग्निशमन उपकरणों का प्रावधान और नियमित रखरखाव, निकासी मार्गों की पहचान, फेल–सेफ डिजाइन और संचालन प्रक्रिया, नियोजन इनपुट, परिवहन गलियारे आदि। ऊधमसिंह नगर जिले में कई MAH कंपनी और तेल संयंत्र हैं, इसलिए आग लगने की संभावना अधिक है।

2.1.3.8 वनाग्नि

सामान्य परिचय–भौगोलिक स्थिति एवं वनों का वर्गीकरण विवरण :–

भौगोलिक स्थिति :–तराई भाबर
वन क्षेत्रों का विवरण :–सागौन, यूकेलिप्टस, पौपलर, मिश्रित वृक्षारोपण, साल, पथ व पटरी।
प्रभाग वार वन क्षेत्र का विवरण :–

वनाग्नि संवेदनशील क्षेत्रों का विवरण–

क्र.सं.	प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)			
		उधमसिंहनगर	नैनीताल	चम्पावत	कुल क्षेत्रफल
1.	तराई केन्द्रीय वनप्रभाग, रूद्रपुर	17766.61	22730.36	-	40496.97
2.	तराई पश्चिमी वनप्रभाग, रामनगर	11507.59	22420.47	-	33928.06
3.	तराई पूर्वी वनप्रभाग, हल्द्वानी	64552.15	15078.97	2798.80	82429.92
	योग	**93826.35**	**60229.80**	**2798.80**	**156854.95**

विगत 05 वर्षो का मानव वन्य जीव संघर्ष–

क्र.सं.	प्रभाग का नाम	वर्ष	वन्य जीव जिसके द्वारा हानि पहुचाई गयी	मृतको की संख्या	घायल की संख्या	वितरित मुआवजा राशि रू0	रेजं का नाम
01	तराई केन्द्रीय रूद्रपुर	2021–22	बाघ, गुलदार एवं अन्य	04	24	1695000	समस्त रेंज
		2022–23		4	15	1325000	
		2023–24		1	23	723100	
		2024–25		3	19	1611900	
		2025–26		8	29	4883000	
		योग–		20	110	10238000	
02	तराई पश्चिमी रामनगर	2021–22		2	15	1040000	समस्त रेंज
		2022–23		1	12	580000	
		2023–24		2	12	1065000	
		2024–25		2	8	1120000	
		2025–26		2	19	1740000	
		योग–		9	66	5545000	
03	तराई पूर्वी हल्द्वानी	2021–22		20	23	8665000	समस्त रेंज
		2022–23		22	42	9990000	
		2023–24		17	49	10034000	
		2024–25		20	40	11615000	
		2025–26		7	49	5415000	
		योग–		86	203	45719000	
कुल योग–				115	379	61502000	

वनों का प्रजातिवार क्षेत्रफल :–

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	यूकेलिप्टस	पौलपर	सागौन	वृक्षारोपण	संरक्षण	साल	अन्य / पटरी	योग
1.	तराईकेन्द्रीय वनप्रभाग, रूद्रपुर	1610.28	3167.60	1371.43	6654.34	2330.45	0.00	0.00	**15134.10**
2.	तराईपश्चिमीवनप्रभाग, रामनगर	3402.43	0.00	4903.30	9782.69	8154.93	4480.01	0.00	**30723.36**
3.	तराईपूर्वीवनप्रभाग, हल्द्वानी	4235.60	0.00	3602.23	24445.80	15226.05	17035.43	0.00	**64545.11**
	योग–	**9248.31**	**3167.60**	**9876.96**	**40882.83**	**25711.43**	**21515.44**	**0.00**	**110402.57**

3.1– अत्याधिक संवेदनशील क्षेत्र **(है0 में)** :–

प्रभाग	रेंज	ब्लॉक	क्षेत्र
तराई केन्द्रीय वनप्रभाग	पीपलपडाव	पीपलपडाव - 1 to 3, 5, 6, N-4, 32, 56 to 63, 67, 22, 35, 36, 54, 55, 24, 27, 33, 9, 11, 30, 31, 25, 20, 53, 26, 29, 44 to 50, 10, 17, 19, 42, 43, 64, 65, 51, 4, 7, 12, 13, 8, 14, 28, 37, 39, 21, 34, 41, 52, 16	2453.30
		खैर भाखडा- 1, 2	81.50
		पु0 गडप्पू- 8, 9, N-1	246.23
		दक्षिणी गदगदिया-75, 77, 108 to 116, 4, N-5, 22, 23, 35, 50, 51, 64, 81, 82, 101 to 103, 10, 14, 15, 42, 43, 68, 73, 74, 78, 76, 5, 38, 19, 39, 45 to 48, 66, 18, 26, 37, 69, 106, 7, 8,	1871.20
	टाण्डा	गंगापुरपटिया- 2a, 10a, 25, 20, 14, 13a, 9	168.27
		धीमरी- 47d, 13a, 13b, 17a, 28, 32b, 5b, 55, 12a, 27s ,54b, 53a	448.10
		टाण्डा- 165, 46a, 23a, 4a, 54b, 47 part, 46a, 46b, 49, 57, 3a	251.00
	रूद्रपुर	नगला- 1 (a,b,c)	21.5
		फूलबाग- 1, 2,चकफेरी- a, b	55.84
		रोडसाईड- जफरपुर से दिनेशपुर	9 Km
		योग	**5596.94**
तराई पश्चिमी वनप्रभाग	बन्नाखेड़ा	कमोला 33, बैलपड़ाव 64, 67, 51, 23, करारी 39, 50, बरहनी 60, 63	123.68
	बैलपड़ाव	गैबुआ 37, 38, 47, 28, 33,34	165.85
	रामनगर	गुलजारपुर 16, 18द	32.04
	आमपोखरा	आमपोखरा 38, जसपुर 30 भाग–1, भाग–2	31.00
		योग	**352.57**
तराई पूर्वी वनप्रभाग	बाराकोली	बाराकोली अ– 1 से 113, 1ब, 2ब, 5अ, 6अ, 7अ, 11स	24685.00
	दक्षिणी जौलासाल	पश्चिमी जौलासाल– 3अ, 3ब, 3स, बेरिया 1, 2, सुदलीमथ 1अ,1ब, 2अ, 2ब, 4अ, 4ब, 5, से 11, 11ब, देवीपुरा 1 से 4	
	किलपुरा	दोगाडी, पश्चिमी किलपुरा,	
	खटीमा	उत्तरी बनबसा 1से 8, सालभोजी 1 से 13	
	सुरेई	झनकिया 12 से 22, ककरा 1 से 47स, सुरेई 47अ,ब,स, 46अ	
	डौली	तिलयापुर	
		योग	**24685.00**
		कुल योग	**30634.51**

ऐसे वन क्षेत्र जहां विगत कुछ वर्षो से वनाग्नि की घटनाओं की पुनरावृति होती रही हो अथवा एक ही अग्निकाल में कई बार अग्नि घटनायें घटित हुई हो, का विवरण निम्नवत् है–

जनपद में विगत 10 वर्षो में हुई अग्नि घटनाओं का संक्षिप्त विवरण								
वर्ष	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रूद्रपुर		तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी		तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर		कुल योग	
	संख्या	हैक्टेयर	संख्या	हैक्टेयर	संख्या	हैक्टेयर	संख्या	हैक्टेयर
2011	–	–	01	2.50	–	–	01	2.50
2012	–	–	29	30.55	07	5.75	36	36.30
2013	–	–	03	5.00	–	–	03	5.00
2014	–	–	01	1.50	–	–	01	1.50
2015	01	1.50	–	–	–	–	01	1.50
2016	–	–	14	12.10	02	2.25	16	14.35
2017	03	5.50	17	12.48	04	7.00	24	24.98
2018	01	0.012	–	–	01	0.50	2	0.512
2019	15	20.50	08	14.175	09	5.8	32	40.475
2020	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	13	10.70	0	0	0	0	13	10.70
2023	05	3.35	0	0	0	0	05	3.35
2024	27	46.83	0	0	0	0	27	46.83

2.1.3. 9 महामारी

सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग महामारी की निगरानी और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। स्थानीय सरकारों और नगर निगम अधिकारियों की भी इस संदर्भ में उचित कदम उठाने की जिम्मेदारी है। इसलिए, महामारी के नियंत्रण के लिए शमन रणनीति की सफलता स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय अधिकारियों के बीच मौजूद समन्वय के प्रकार पर निर्भर करती है। महामारी के नियंत्रण के लिए शमन प्रयासों में शामिल होंगे

1. निगरानी और चेतावनी
2. निवारक और प्रारंभिक उपाय
3. संस्थागत बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जैसे

पैराप्रोफेशनल्स के पर्याप्त नेटवर्क के साथ सामुदायिक अस्पतालों को बढ़ावा देना और मजबूत करना महामारी की निगरानी और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग की क्षमता में सुधार करेगा।

राज्य के विभिन्न संभागों में उचित स्थानों पर परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने से निदान और तत्पश्चात चेतावनी में लगने वाला समय कम हो जाएगा। स्वास्थ्य विभागों और स्थानीय प्राधिकारियों के बीच समन्वय की प्रक्रियाएं और तरीके स्थापित करना।

2.1.3.10 हीट वेव

हीट वेव एक खतरा है, जो विनाशकारी परिदृश्य पैदा कर सकता है। हीट वेव के वैज्ञानिक कारण मौसम संबंधी, एल–नीनो प्रभाव और जलवायु परिवर्तन हो सकते हैं। ज्यादातर गर्मियों के मौसम में, जमीन के ऊपर (3–7

किलोमीटर) उच्च दबाव वाले क्षेत्र बनते हैं, ठंडी हवा नीचे उतरती है, गर्म होती है और सूख जाती है, जबकि जमीन के ऊपर वायुमंडल बहुत कम या बिना किसी संवहन के ढक जाता है।

यह हीट डोम गर्मी, धूल और नमी को कैप के अंदर फंसा लेता है। जलवायु परिवर्तन भी हीट वेव का कारण हो सकता है। ग्रीनहाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन, वनों की कटाई, शहरी भूमि उपयोग, मानवजनित गतिविधियाँ और ग्लोबल वार्मिंग गर्म मौसम के पीछे कारण हैं।

हीट वेव के लिए संकेतक:

हीट वेव के संकेतक
(जैसा कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा परिभाषित किया गया है)

हीट वेव को तब तक नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों के लिए कम से कम 40°C और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30°C तक न पहुँच जाए।

जब किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से कम या उसके बराबर हो

- **हीट वेव का सामान्य से विचलन 5°C से 6°C होता है**
- **गंभीर हीट वेव का सामान्य से विचलन 7° या उससे अधिक होता है**

जब किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से अधिक होता है

- **हीट वेव का सामान्य से विचलन 4°C से 5°C होता है**
- **गंभीर हीट वेव का सामान्य से विचलन 6° या उससे अधिक होता है**

जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45°C या उससे अधिक रहता है, चाहे सामान्य अधिकतम तापमान कुछ भी हो, हीट वेव घोषित की जानी चाहिए।

स्रोतः भारतीय मौसम विभाग, http://www-imd-gov-in

आपदाओं की पहचान, विश्लेषण एवं रोकथाम हेतु निम्नलिखित विभाग, संस्थान एवं संगठन कार्य करते हैं

क्र. सं.	संस्था विभाग का नाम	मुख्य कार्य भूमिका	संपर्क/समन्वय इकाई
1	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA),उधम सिंह नगर	आपदा जोखिम मूल्यांकन, जिला आपदा योजना का निर्माण एवं समन्वय	जिला नियंत्रण कक्ष, रुद्रपुर
2	राजस्व विभाग/तहसील कार्यालय	प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण, राहत वितरण, जोखिम डेटा संकलन	उपजिलाधिकारी कार्यालय
3	लोक निर्माण विभाग (PWD)	भवनों, पुलों, सड़कों की संरचनात्मक सुरक्षा का मूल्यांकन	कार्यपालक अभियंता, PWD
4	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	नदियों, नालों व तटबंधों की स्थिति का निरीक्षण, बाढ़ जोखिम विश्लेषण	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड
5	वन विभागभूस्खलन	वनाग्नि एवं पर्यावरणीय जोखिम का मूल्यांकन	वन संरक्षक, प्रभागीय वन अधिकारी
6	जल संस्थान/जल निगम	पेयजल स्रोतों की सुरक्षा, जलजनित रोगों का मूल्यांकन	अधिशासी अभियंता, जल संस्थान
7	नगर निकाय/ग्राम पंचायतें	जलभराव,सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व जनसहभागिता	EO /ग्राम प्रधान
8	स्वास्थ्य विभाग महामारी, जलजनित रोग	कोविड जैसी स्थितियों का विश्लेषण	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO)
9	शिक्षा विभाग/ विश्वविद्यालय/ अनुसंधान संस्थान (जैसे जी.बी. पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर)	आपदा जोखिम अध्ययन, जलवायु परिवर्तन प्रभाव पर शोध	कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर
10	पुलिस विभाग / SDRF / NDRF	आपदा प्रतिक्रिया, बचाव कार्य और जोखिम क्षेत्र पहचान	पुलिस अधीक्षक / SDRF नियंत्रण कक्ष
11	विद्युत विभाग (UPCL)	विद्युत दुर्घटनाओं, शॉर्ट सर्किट और आग	अधीक्षण अभियंता,

क्र. सं.	संस्था विभाग का नाम	मुख्य कार्य भूमिका	संपर्क/समन्वय इकाई
		के जोखिम का आकलन	UPCL
12	पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	औद्योगिक इकाइयों का पर्यावरणीय जोखिम मूल्यांकन	RO, PCB
13	कृषि एवं पशुपालन विभाग	सूखा, पशु रोग और कृषि पर प्रभाव का मूल्यांकन	जिला कृषि अधिकारी
14	औद्योगिक सुरक्षा एवं श्रम विभाग	औद्योगिक क्षेत्रों में रासायनिक, यांत्रिक दुर्घटनाओं का विश्लेषण	श्रम निरीक्षक कार्यालय
15	गैर सरकारी संगठन (NGOs)/सामुदायिक संगठन (CBOs)	सामुदायिक आपदा प्रबंधन,जनजागरूकता एवं राहत सहयोग	रेड क्रॉस, SEEDS,Rotary आदि
16	भारतीय मौसम विभाग (IMD)/केंद्रीय जल आयोग(CWC)	मौसम पूर्वानुमान, बाढ़ अलर्ट एवं चेतावनी प्रणाली	देहरादून क्षेत्रीय केंद्र
17	सांख्यिकी एवं योजना विभाग	जनसांख्यिकीय डेटा एवं जोखिम संकेतकों का विश्लेषण	जिला योजना इकाई
18	राजस्व एवं राहत अनुभाग	आपदा से प्रभावित परिवारों को मुआवजा एवं पुनर्वास	जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी

2.1.3 खतरा, जोखिम एवं भेद्यता आकलन (HVCRA)

जनपद के सीमांकन एवं सम्पर्क माध्यम (ऊधमसिंह नगर)

क्र.सं.	श्रेणी	जुडने वाले जनपद	सम्बन्धित माध्यम/मार्ग
1	जनपद सीमांकन (उत्तर)	जनपद नैनीताल	सडक मार्ग (NH–09, राज्य मार्ग)
2	जनपद सीमांकन (दक्षिण)	जनपद बरेली एवं रामपुर (उत्तर प्रदेश)	सडक मार्ग (NH–09, अन्य जिला मार्ग)
3	जनपद सीमांकन (पूर्व)	जनपद पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) एवं नेपाल देश	सडक मार्ग (NH–125), शारदा नदी
4	जनपद सीमांकन (पश्चिम)	जनपद हरिद्वार	सडक मार्ग (राज्य मार्ग, MDR)
5	सडक मार्ग (Road Connectivity)	जनपद को जोडने वाले प्रमुख मार्ग	NH –09 (काशीपुर–किच्छा), NH–125 (सितारगंज–खटीमा), SH-06, MDR, ODR-247
6	रेल मार्ग (Rail Connectivity)	प्रमुख रेलवे संपर्क	काशीपुर, रुद्रपुर, किच्छा, लालकुआं (निकट)
7	जल मार्ग (नदियाँ)	प्रमुख नदियाँ	कोसी, ढेला, गौला, शारदा, बैगुल, नानकसागर
8	अन्य संरचना	संपर्क हेतु संरचनाएं	पुल – 210, पुलिया – 3429, राफ्ट –97

विकास खण्डवार ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत का विवरण– (तालिका–01)

क्र.सं.	विकासखण्ड का नाम	न्याय पंचायत की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या	राजस्व ग्रामो की संख्या
01	जसपुर	04	51	97
02	काशीपुर	03	34	60
03	बाजपुर	04	59	112
04	गदरपुर	03	52	69
05	रूद्रपुर	05	42	71
06	सितारगंज	04	76	123
07	खटीमा	04	59	83
कुल योग–		27	373	615

जनपद अन्तर्गत विकासखण्डवार कुल जनसंख्या का विवरण–(तालिका–02)

क्र. सं.	नगर का नाम एवं वर्ग न0नि0 /न0पा0प0/ न0पं0/कैण्टो0बो0/ सेन्सन टाउन	सम्बन्धित तहसील	भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0	कुल जनसंख्या		पुरूष		महिला		अनु0जा0 /अनु0 जन0 जा0 संख्या
				कुल	0–6 वर्ष	कुल	0–6 वर्ष	कुल	0–6 वर्ष	
01	न0निगम काशीपुर	काशीपुर	29.84	182840	23502	96107	12684	86733	10818	18409
02	न0निगम रूद्रपुर	रूद्रपुर	55.03	178672	25647	94209	13381	84463	12266	30677
03	न0पा0परि0 जसपुर	जसपुर	13.72	56266	7898	29400	4155	26866	3743	3467
04	न0पा0परि0 किच्छा	किच्छा	28.36	74603	10917	39329	5821	35274	5096	8783
05	न0पा0परि0 बाजपुर	बाजपुर	6.18	28721	3480	15340	1881	13381	1599	4197
06	न0पा0परि0 सितारगंज	सितारगंज	1.66	29965	4249	15623	2276	14342	1973	2934
07	न0पा0परि0 नगला	किच्छा	34.75	33509	4007	17868	2068	15641	1939	7928
08	न0पा0परि0 खटीमा	खटीमा	10.92	59509	8069	30563	4210	28946	3859	10012

क्र. सं.	नगर का नाम एवं वर्ग न0नि0 /न0पा0प0/ न0पं0/कैण्टो0बो0/ सेन्सन टाउन	सम्बन्धित तहसील	भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0	कुल जनसंख्या		पुरूष		महिला		अनु0जा0 /अनु0 जन0 जा0 संख्या
				कुल	0–6 वर्ष	कुल	0–6 वर्ष	कुल	0–6 वर्ष	
09	न0पा0परि0 गदरपुर	गदरपुर	2.83	19301	2673	10168	1371	9133	1302	1422
10	शक्तिफार्म टा0ए0	सितारगंज	1.49	6309	807	3225	406	3084	401	371
11	सुल्तानपुर टा0ए0	बाजपुर	0.86	9881	1441	5233	794	4648	647	1428
12	न0पा0परि0 महुवा खेड़ागंज	काशीपुर	0.22	12584	1948	6877	1012	5707	936	3596
13	टा0ए0 केलाखेड़ा	बाजपुर	3.33	10929	1901	5615	976	5314	925	344
14	टा0ए0 दिनेशपुर	गदरपुर	3.60	11343	1327	5888	688	5455	639	510
15	टा0ए0 महुवाडाबरा	जसपुर	1.66	7326	1079	3828	559	3498	520	1004
16	टा0ए0 नानकमत्ता	सितारगंज	5.88	8470	916	4389	494	4081	422	2829
17	टा0ए0 गूलरभोज	गदरपुर	1.85	3085	427	1559	226	1526	201	1036
18	टा0ए0 लालपुर	रूद्रपुर	2.13	3975	659	2075	342	1900	317	458
19	टा0ए0 गढ़ीनेगी	जसपुर	8.98	5497	712	2920	400	2577	312	1578
	योग		**213.29**	**742785**	**101659**	**390216**	**53744**	**352569**	**47915**	**100983**

कुछ प्रमुख मदों के विकास खण्डवार संकेतक (तालिका–3)

क्र.सं.	विकासखण्ड का नाम	जनसंख्या का धनत्व प्रति वर्ग कि0मी0	अनु0जाति/जन जाति का प्रतिशत का कुल जनसंख्या से प्रतिशत (2011)	कुल मुख्य कर्मकरों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत (2011)	कृषि में लगे कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (2011)	पारिवारिक उद्योग में कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (2011)	साक्षर व्यक्तियों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत (2011)
1	जसपुर	556	22.60	28.01	68.34	5.97	72.42
2	काशीपुर	676	31.39	26.37	56.15	4.79	71.43
3	बाजपुर	591	26.19	26.53	77.85	1.85	64.53
4	गदरपुर	683	19.01	29.13	73.42	2.11	69.96
5	रूद्रपुर	633	18.99	28.50	59.13	3.09	70.27
6	सितारगंज	636	31.36	28.61	76.33	2.99	71.18
7	खटीमा	611	45.08	27.40	67.83	4.50	76.95
	समस्त विकासखण्ड	**624**	**28.82**	**27.84**	**69.81**	**3.46**	**71.10**

जनपद अन्तर्गत विभागीय जे0सी0बी0 / निजी संसाधनो का विस्तृत विवरण– (तालिका–4)

क्र.सं.	विभाग का नाम	उपकरण का नाम	कुल संख्या
01	लोक निर्माण खण्ड रूद्रपुर	जे0सी0बी	02
02	लोक निर्माण खण्ड काशीपुर	जे0सी0बी	03
03	लोक निर्माण खण्ड खटीमा	जे0सी0बी	03
04	समस्त नगर निकाय	जे0सी0बी0	19

जनपद अन्तर्गत स्थापित हाईड्रोमेट्रोलॉजिकल उपकरणो का विवरण–(तालिका–5)

Details of Hydro metrological Service in Udham singh Nagar			
STATION	**Type**	**COORDINATES**	**CWC River water level**
RUDRAPUR(UKG)	AWS	28° 58' 37.503" N, 79° 23' 34.613" E	* Fica Barragar on Fica River, * Ramnagar Barrage on Koshi River
BAJPUR	AWS	29° 8' 5.603" N, 79° 7' 18.794" E	
KHATIMA	AWS	28° 52' 58.468" N, 79° 55' 15.152" E	
KICHHA	ARG	28° 54' 32.620"N, 79° 30' 34.880"E	
KASHIPUR	AWS+SFO	29° 12' 38.95" N, 78° 57' 41.62" E	
SULTANPUR PATTI	ARG	29.157452 N, 79.051332 E	
GADARPUR	ARG	29° 2' 29.633" N, 79° 14' 51.152" E	
GULAR BHOJ	ARG	29.128383 N, 79.268841E	
TOTAL-	**AWS-04, SFO-1, ARG-4**		

आपदाओं की सम्भावना एवं प्रभाव का विवरण– (तालिका–6)

क्र.सं.	आपदा का प्रकार	घटित होने की अवधि	सम्भावित प्रभाव
01	भूकम्प	किसी भी समय अवधि	मानव हानि, अवसंरचना की हानि
02	अतिवृष्टि	माह जून से अक्टूबर	मानव हानि, अवसंरचना की हानि
03	त्वरित बाढ़	माह जून से सितम्बर	मानव हानि, भवनो को क्षति
04	नदी में डूबना	माह जून से अक्टूबर	मानव हानि
05	ऑधी तूफान	माह मार्च से अप्रैल	मानव हानि, अवसंरचना की हानि
06	आकाशीय बिजली	माह मार्च से अप्रैल	मानव हानि
07	वनाग्नि	15 फरवरी से 15 जून	मानव हानि, वनसम्पदा को हानि
08	आग	किसी भी समय अवधि	मानव हानि, वनसम्पदा को हानि
09	सड़क दुर्घटना	किसी भी समय अवधि	मानव हानि
10	मानव जीव संघर्ष	किसी भी समय अवधि	मानव हानि
11	औद्योगिक दुर्घटना	किसी भी समय अवधि	मानव हानि, अवसंरचना की हानि

शिक्षा संस्थानों की उपलब्धता–(तालिका–7)

क्र.सं.	संस्थान	अनुमानित संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय	900
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय	400
3	माध्यमिक / इंटर कॉलेज	200
4	महाविद्यालय	20
5	तकनीकी संस्थान	10

औद्योगिक विकास–(तालिका–8)

क्र.सं.	औद्योगिक क्षेत्र	स्थान	प्रमुख उद्योग
1	SIDCUL Industrial Area	रुद्रपुर	• उद्योग प्रकार • ऑटोमोबाइल उद्योग • फार्मास्यूटिकल उद्योग • इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग • प्लास्टिक एवं रसायन उद्योग
2	IIE Industrial Area	पंतनगर	
3	Industrial Estate	काशीपुर	

Overview of Disaster Losses (2011-2025)
District Udham Singh Nagar

Incident	Human Loss	Animal Loss	House Damage	Crop (Hec) Damage
Earthquake	0	0	11	0
Fire	4	115	72	0
Cloud burst	11	38	262	14907
Thunderstorm	6	0	0	0
Flood	72	349	5012	39103.4
Lightning	12	0	0	0
Total	**105**	**502**	**5357**	**54010.1**

इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को जिला विकास योजनाओं में शामिल करना आवश्यक है।

अध्याय – 03

आपदा प्रबन्धन हेतु संस्थागत व्यवस्थायें

3.1– जनपद में आपदा प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था–

जनपद में संभावित आपदाओं के शमन, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी तथा तत्पर राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन एवं प्रबंधन हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा 25 के अंतर्गत राज्य द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के प्रावधानों के अंतर्गत जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। जनपद में आपदा प्रबंधन के विभिन्न हितधारकों के सहयोग एवं समन्वय हेतु आपदा प्रबंधन कार्यों को संपादित करने हेतु जनपद, तहसील व ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों एवं स्थानीय आपदा प्रबंधन दलों का गठन किया गया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25(4) के अंतर्गत अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व में प्राधिकरण के कार्यों के सुचारु संचालन में आपदा प्रबंधन के विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वयन हेतु आपदा प्रबंधन से संबन्धित कार्यों के संचालन हेतु अपर जिलाधिकारी को जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जनपद में आपदा प्रबंधन कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य द्वारा जनपद आपदा प्रबंधन अधिकारी नियुक्त किया गया हैं तथा आपातकालीन कार्यों के संचालन हेतु कलैक्ट्रट परिसर में ही जिला आपातकालीन केंद्र स्थापित किया गया है ।

जनपद में आपदा प्रबन्धन की संस्थागत व्यवस्थाः–

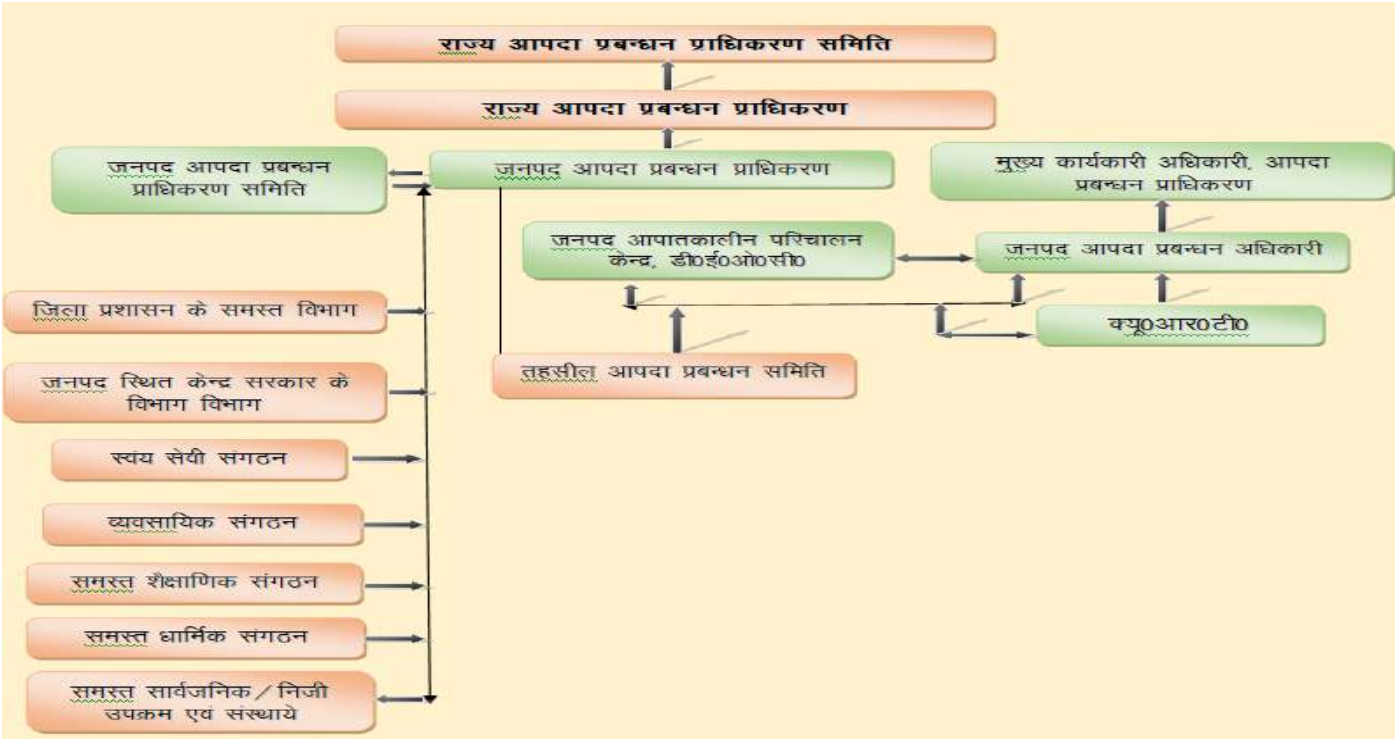

3.1.

Fig No. 1

1–जनपद आपदा प्रबंधन की संरचना एंव दायित्व–

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अध्याय 04 के प्राविधानों के अनुसार जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। जनपद में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्न प्रकार अधिसूचित है–

(तालिका–3.1)

क्र. सं.	पदनाम		फोन नं.		
			कार्यालय	आवास	मोबाइल
1	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष	05944–242344, 242345,250408		9456331144
2	जिला पंचायत अध्यक्ष	सह अध्यक्ष	05944–236666	–	9412091777
3	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	सदस्य	05944–242025	–	9411112711
4	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य	05944–250450	–	8447513145
5	अपर जिला मजिस्ट्रेट	सदस्य एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	05944–242087		7535830569
6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य	05944–250100 250101	–	9997973377
7	अधीशासी अभियंता, प्रा.ख., लो.नि.वि.	सदस्य	–	–	9412988879

3.1.2– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्य–

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दायित्वः–

1. जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निश्चित समयावधि में बैठक कर जनपद के आपदा प्रबंधन कार्यों को सम्पन्न करना।
2. जनपद आपदा प्रबंधन कार्य योजना तैयार कर इसे नियमित अद्यतन रखना।
3. जनपद में आपदा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और आपदा निवारण एवं शमन हेतु जिला स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
4. राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मोचन के उपायों का जनपद स्तर पर सभी विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाना सुनिश्चित करना।
5. जनपद स्तर और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उचित एवं आवश्यक निर्देश देना।
6. जनपद एवं स्थानीय स्तर पर आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करना।
7. जनपद स्तर पर विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वन को मॉनिटर करना।
8. जनपद स्तर पर विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वन को मॉनिटर करना।
9. जनपद स्तर की योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण एवं शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।

10. किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति में मोचन के लिए क्षमताओं का पुनर्वलोकन करना एवं और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबन्धित विभागों या प्राधिकारियों को निर्देश देना।
11. आपदा संबन्धित पूर्व तैयारियों का पुर्न अवलोकन करना एवं जहां आपदा या आपदा की आशंका हो वहाँ प्रभावी रूप से मोचन की तैयारियों को अपेक्षित स्तर तक लाने के निर्देश देना।
12. जनपद के विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वैछिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं समन्वयन करना।
13. आपदा निवारण एवं शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
14. जनता को पूर्व–चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना करना एवं उसका पुनर्विलोकन करना।
15. यह सुनिश्चित करना की जनपद स्तर पर सभी विभाग और स्थानीय प्राधिकारी मोचन योजना के अनुसरण मे अपने विभागों की मोचन योजना तैयार करें।
16. जनपद की सीमा के अंदर सभी संबन्धित विभागों को किसी संभावित आपदा की आशंका पर मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना।
17. जनपद स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और आपदा प्रबंधन मे लगे हुए सरकारी, गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना और उनके कार्यों का समन्वयन करना।
18. जनपद के किसी क्षेत्र में संनिर्माण की जांच करना तथा अधिकथित मानकों के पालन हेतु संबन्धित प्राधिकारी को सलाह एवं निर्देश देना।
19. ऐसे भवनों एवं स्थानों की पहचान करना जिनका किसी आपदा की आशंका या घटना की स्थिति मे राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सके। एसे भवनों और स्थानों में स्वच्छता एंव आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
20. राहत संचय और बचाव सामग्री की अल्प सूचना पर उपलब्ध करने की व्यवस्था करना।
21. आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर राज्य प्राधिकरण को सूचना देना।
22. जनपद में प्रारम्भिक स्तर पर कार्यरत स्वैछिक, सामाजिक, स्वयंसेवी संस्थाओं गैर सरकारी संगठनों को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने हेतु प्रोत्साहित करना।
23. संचार प्रणालियों की दुरुस्तता का ध्यान रखना, राज्य सरकार या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए दिये गए आवश्यक अनुदेशों का पालन करना।
24. जिले के सभी शासकीय एवं गैर शासकीय विधालयों एवं उनमे पदस्त प्रभारी अधिकारीयों के नाम एवं संपर्क नंबरों की अधतन सूची एवं उनके संसाधनो की सूची जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास अनिवार्य रूप से रखना।
25. जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति एवं विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी एवं उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सूची अध्यतन करना ।

3.1.3– तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति–

जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात तात्कालिक व दीर्घकालिक राहत कार्यो हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद ऊधम सिंह नगर की समस्त तहसीलों में तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का निम्नवत् गठन किया जाता हैः–

(तालिका–3.2)

1	**उप जिलाधिकारी,**	**अध्यक्ष**
2	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी / थानाध्यक्ष	सदस्य
3	तहसीलदार	सदस्य
5	तहसील अन्तर्गत चिकित्साधिकारी	सदस्य
6	तहसील अन्तर्गत पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
7	तहसील अन्तर्गत अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
8	तहसील अन्तर्गत सहा.अभि., लो.नि.वि.	सदस्य
9	तहसील अन्तर्गत सहा.अभि., पी.एम.जी.एस.वाई.	सदस्य
10	तहसील अन्तर्गत सहा. अभि. सिंचाई	सदस्य
11	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, जल संस्थान	सदस्य
12	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, पेयजल निगम	सदस्य
13	तहसील अन्तर्गत एस.डी.ओ., विद्युत विभाग	सदस्य
14	तहसील अन्तर्गत एस.डी.ओ., बी.एस.एन.एल.	सदस्य
15	तहसील अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
16	तहसील अन्तर्गत पूर्ति निरीक्षक, जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	सदस्य
17	तहसील अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका / पंचायत	सदस्य
18	तहसील अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
19	तहसील अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य

3.1.4– तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति के कार्य–

उपरोक्त तहसील स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति, संबन्धित तहसीलों में निम्नांकित दायित्वों का निर्वहन करेंगी–

1. तहसील स्तर पर आपदाओं के जोखिम एवं संवेदनशीलता का निर्धारण कर ब्लॉक स्तर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।
2. आपदा संभावित ग्राम में स्थानीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन सुनिश्चित करना।
3. आपदा संभावित ग्राम में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु मार्गदर्शन एवं समन्वयन प्रदान करना।
4. आपदा संभावित ग्राम में मॉक–ड्रिल का आयोजन करना।

5. आपदा के दौरान जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियों के समन्वयन में राहत एवं बचाव कार्यों का प्रबंधन करना।
6. यह सुनिश्चित करना कि रोकथाम, न्यूनीकरण और तैयारी की गतिविधियां जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप हों।
7. ब्लॉक स्तर पर स्थानीय प्रशासन, स्वंयसेवी संस्थाओं, निजी संस्थाओं व स्वंयसेवकों के सहयोग से सामुदायिक प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और आपातकालीन व्यवस्थाओं को स्थापित करना।
8. आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करना।
9. आपातकालीन स्थितियों से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराना।
10. नियोजन व विकास प्रक्रिया में समुदाय को संलग्न करना।
11. यह सुनिश्चित करना कि ब्लॉक स्तर पर नगरपालिका, नगर पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकाय अपनी स्वंय की न्यूनीकरण रणनीतियां विकसित करें ।

3.1.5– आपदा सुरक्षा इकाई–

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग के कार्यालय आदेश संख्या–5045/XIV-168 (2004) दिनांक–04.09.2006 के द्वारा जनपद में अवस्थित महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की भूकम्प सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के लिए निम्न प्रकार जनपद आपदा सुरक्षा प्रकोष्ठ (District Hazard Safety Unit) का गठन किया गया है, जो जनपद भूकम्प व अन्य आपदाओं से सुरक्षा के दृष्टिगत समय–समय पर निर्गत आदेशों का जनपद स्तर पर अनुपालन करना सुनिश्चित करेगी व आपदा सुरक्षा के परिपेक्ष्य में जनपद की विशिष्टता आवश्यकता/संवेदनशीलता के दृष्टिगत अपने सुझाव प्रदान करेगी।

(तालिका–3.3)

क्र.सं	पदनाम	कार्यभार
1	अधीशासी अभियन्ता, प्रा.ख., लो.नि.वि., ऊधम सिह नगर	संयोजक
2	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	सदस्य
3	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, रूद्रपुर	सदस्य
4	अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रूद्रपुर	सदस्य
5	सहायक भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई रूद्रपुर।	सदस्य

3.1.6– आपदा त्वारित कार्यवाही दल (क्यू.आर.टी.)– जनपद में आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में तत्काल खोज एवं बचाव हेतु 04 सदस्यीय त्वारित कार्यवाही दल (क्यू.आर.टी.) का गठन किया गया है जिसका मुख्य उदेश्य किसी घटना के घटित होने पर ससमय मौके पर मय उपकरणों एवं वाहन के साथ पहुॅच कर राहत एवं खोज बचाव कार्य हेतु समन्वय तथा वास्तुस्थिति से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराना।

3.1.7– तहसील स्तरीय त्वरित कार्यवाही दल– जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् विभिन्न आपदाओं से दौरान खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात् तात्कालिक व दीर्घकालिक राहत कार्यो हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील स्तर पर त्वरित कार्यवाही दल (Quick Response Team (QRT) का निम्नप्रकार से गठन किया जाता हैः–

तहसील रूद्रपुर :–

(तालिका–3.4)

नोडल अधिकारी	उप जिलाधिकारी, रूद्रपुर
सहायक नोडल अधिकारी	तहसीलदार रूद्रपुर
सदस्य	अपर पुलिस उपाधीक्षक रूद्रपुर
सदस्य	खण्ड विकास अधिकारी, रूद्रपुर
सदस्य	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, रूद्रपुर
सदस्य	पूर्ति निरीक्षक, रूद्रपुर

जिसके अन्तर्गत थाना रूद्रपुर, 31 व 46 वी वाहिनी पी0ए0सी0 रूद्रपुर, एस0डी0आर0एफ0, एंव एन0डी0आर0एफ0 गदरपुर, फायर स्टेशन रूद्रपुर, 57 वी0 वाहिनी एस.एस.बी., सितारगंज अवकाश प्राप्त सैनिक कर्मियों का सहयोग लिया जायेगा।

तहसील जसपुरः–

(तालिका–3.5)

नोडल अधिकारी	**उप जिलाधिकारी, जसपुर**
सहायक नोडल अधिकारी	तहसीलदार जसपुर
सदस्य	थानाध्यक्ष जसपुर
सदस्य	खण्ड विकास अधिकारी, जसपुर
सदस्य	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वा. केन्द्र, जसपुर
सदस्य	पूर्ति निरीक्षक, जसपुर

जिसके अन्तर्गत थाना जसपुर, 31 व 46 वी वाहिनी पी0ए0सी0 रूद्रपुर, एस0डी0आर0एफ0, एंव एन0डी0आर0एफ0 गदरपुर, फायर स्टेशन जसपुर, 57 वी0 वाहिनी एस.एस.बी., सितारगंज अवकाश प्राप्त सैनिक कर्मियों का सहयोग लिया जायेगा।

तहसील काशीपुरः–

(तालिका–3.6)

नोडल अधिकारी	उप जिलाधिकारी, काशीपुर
सहायक नोडल अधिकारी	तहसीलदार, काशीपुर
सदस्य	अपर पुलिस उपाधीक्षक, काशीपुर
सदस्य	खण्ड विकास अधिकारी, काशीपुर
सदस्य	चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वा0 केन्द्र, काशीपुर
सदस्य	पूर्ति निरीक्षक, काशीपुर

जिसके अन्तर्गत थाना जसपुर, कुण्डा, आई0टी0आई0, 31 व 46 वी वाहिनी पी0ए0सी0 रूद्रपुर, एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0 गदरपुर, फायर स्टेशन काशीपुर, 57 वी0 वाहिनी एस.एस.बी., सितारगंज अवकाश प्राप्त सैनिक कर्मियों का सहयोग लिया जायेगा।

तहसील बाजपुरः–

(तालिका–3.7)

नोडल अधिकारी	उप जिलाधिकारी, बाजपुर
सहायक नोडल अधिकारी	तहसीलदार बाजपुर
सदस्य	खण्ड विकास अधिकारी, बाजपुर
सदस्य	चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वा. केन्द्र, बाजपुर
सदस्य	थानाध्यक्ष, बाजपुर
सदस्य	पूर्ति निरीक्षक, बाजपुर

जिसके अन्तर्गत थाना बाजपुर/57 वी0 वाहिनी एस.एस.बी., सितारगंज/एस.डी.आर.एफ. दल रूद्रपुर एवं अग्शिमन केन्द्र बाजपुर, 31 व 46 वी वाहिनी पी0ए0सी0 रूद्रपुर, एन0डी0आर0एफ0 गदरपुर, अवकाश प्राप्त सैनिक कर्मियों का सहयोग लिया जायेगा।

तहसील गदरपुरः–

(तालिका–3.8)

नोडल अधिकारी	उप जिलाधिकारी, गदरपुर
सहायक नोडल अधिकारी	तहसीलदार गदरपुर
सदस्य	खण्ड विकास अधिकारी, गदरपुर
सदस्य	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वा. केन्द्र, गदरपुर
सदस्य	थानाध्यक्ष, गदरपुर
सदस्य	पूर्ति निरीक्षक, गदरपुर

जिसके अन्तर्गत थाना गदरपुर/57 वी0 वाहिनी एस.एस.बी., सितारगंज/एस.डी.आर.एफ. दल रूद्रपुर एवं अग्शिमन केन्द्र रूद्रपुर, 31 व 46 वी वाहिनी पी0ए0सी0 रूद्रपुर, एन0डी0आर0एफ0 गदरपुर, अवकाश प्राप्त सैनिक कर्मियों का सहयोग लिया जायेगा।

तहसील किच्छाः–

(तालिका–3.9)

नोडल अधिकारी	उप जिलाधिकारी, किच्छा
सहायक नोडल अधिकारी	तहसीलदार किच्छा
सदस्य	खण्ड विकास अधिकारी, रूद्रपुर
सदस्य	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वा. केन्द्र, किच्छा
सदस्य	थानाध्यक्ष, किच्छा
सदस्य	पूर्ति निरीक्षक, किच्छा

जिसके अन्तर्गत थाना किच्छा/57 वी0 वाहिनी एस.एस.बी., सितारगंज/एस.डी.आर.एफ. दल रूद्रपुर एवं अग्शिमन केन्द्र रूद्रपुर, 31 व 46 वी वाहिनी पी0ए0सी0 रूद्रपुर, एन0डी0आर0एफ0 गदरपुर, अवकाश प्राप्त सैनिक कर्मियों का सहयोग लिया जायेगा।

तहसील सितारगंजः–

(तालिका–3.10)

नोडल अधिकारी	उप जिलाधिकारी, सितारगंज
सहायक नोडल अधिकारी	तहसीलदार सितारगंज
सदस्य	खण्ड विकास अधिकारी, सितारगंज
सदस्य	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वा. केन्द्र, सितारगंज
सदस्य	थानाध्यक्ष, सितारगंज
सदस्य	पूर्ति निरीक्षक, सितारगंज

जिसके अन्तर्गत थाना सितारगंज/57 वी0 वाहिनी एस.एस.बी.,सितारगंज/एस.डी.आर.एफ. दल रूद्रपुर एवं अग्शिमन केन्द्र खटीमा यथा आवश्यक 31वीं वाहिनी पी0ए0सी0, 46 वी0 पी0ए0सी0 रूद्रपुर अवकाश प्राप्त सैनिक कर्मियों का सहयोग लिया जायेगा।

तहसील खटीमाः–

(तालिका–3.11)

नोडल अधिकारी	उप जिलाधिकारी, खटीमा
सहायक नोडल अधिकारी	तहसीलदार खटीमा
सदस्य	खण्ड विकास अधिकारी, खटीमा
सदस्य	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वा. केन्द्र, खटीमा
सदस्य	थानाध्यक्ष, खटीमा
सदस्य	पूर्ति निरीक्षक, खटीमा

जिसके अन्तर्गत थाना खटीमा /57 वी0 वाहिनी एस.एस.बी., सितारगंज/एस.डी.आर.एफ. दल रूद्रपुर एवं अग्शिमन केन्द्र रूद्रपुर यथा आवश्यक 31वीं वाहिनी पी0ए0सी0, 46 वी0पी0ए0सी0 रूद्रपुर अवकाश प्राप्त सैनिक कर्मियों का सहयोग लिया जायेगा।

3.12– ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति–

जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये गये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण, ग्राम स्तर पर आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं का निर्माण किये जाने, ग्राम स्तर पर खोज व बचाव दलों को गठित किये जाने हेतु प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है–

(तालिका–3.12)

1	ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2	राजस्व उपनिरीक्षक	सह–अध्यक्ष
3	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
4	प्रधानाचार्य, प्रा.वि./उ.प्रा.वि./जू.हा./इण्टर	सदस्य
5	अध्यक्ष, महिला स्वंय सहायता समूह/महिला मं.दल/यु.मं. दल	सदस्य
6	सरपंच वन पंचायत	सदस्य
7	आंगनबाड़ी कार्यकर्ती	सदस्य
8	ए.एन.एम./आशा कार्यकर्ती	सदस्य
9	ग्राम प्रहरी	सदस्य
10	ग्राम स्तरीय स्वंय सेवी संगठनों के प्रतिनिधि/भूतपूर्व सैनिक	सदस्य

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समितियॉ प्रत्येक माह कि निश्चित तिथि को आवश्यक रूप से बैठक करेंगी तथा गांव की आपदाओं के प्रति खतरों को चिन्हित कर, खतरों से निपटने हेतु ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित करेगी। यह समिति गांव की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें तैयार कर तहसील कार्यालय में उपलब्ध करायेंगी। ग्राम स्तर पर युवाओं को शामिल करते हुये खोज व बचाव दलों का गठन करेगी। किसी भी आपदा से पूर्व आपदा पूर्व तैयारी के अर्न्तगत गांव को आपदाओं से बचाने हेतु आवश्यक उपाय करेगी तथा आपदा के समय खोज व बचाव तथा आपदा पश्चात राहत व पुर्नवास कार्यो में प्रशासन को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। यह समिति आपदा के पश्चात ग्राम स्तर पर हुयी क्षति का आंकलन करेगी तथा राजस्व उपनिरीक्षक के माध्यम से क्षति की सूचना तहसील स्तर पर उपलब्ध करायेगी। यह समिति किसी भी आपदा की सूचना सम्बन्धित तहसील अथवा जिला आपातकालीन परिचलान केन्द्र को देगी तथा राहत व बचाव दलों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। उक्त दल के साथ संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से निम्न कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करेंगे :–

1. ग्राम स्तरीय क्षति आंकलन।
2. तहसील मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय को सूचनाओं का प्रेषण।
3. अवस्थापना संबंधी यथा–बिजली, पानी, सड़क, पुल, राजकीय सम्पत्ति की क्षति की प्राथमिक सूचना।

3.13– जनपद में विभिन्न आपदायों के रोकथाम हेतु समितियों का गठन–

3.2.1–वनाग्नि धटनाओं के निदान जिला तथा ब्लाक स्तरीय समितियां– प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्रामीण विकास के शासनादेश सं0–1766/एफ0आर0डी0सी0/2002 दिनांक, 11.01.2002 में निर्गत निर्देशो के अनुसार वनाग्नि घटनाओं के निदान के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति व ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में ब्लाक स्तरीय समिति का गठन का प्राविधान है। इन समितियों के संयोजक सदस्य क्रमशः प्रभागीय वनाधिकारी तथा सहायक वन संरक्षक होंगे।

(तालिका–3.13)

1	जिले के अन्य प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4	लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी	सदस्य
5	समस्त परगनाधिकारी	सदस्य
6	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण संरक्षण में रूचि रखते हो	सदस्य

जिला स्तरीय समिति में अध्यक्ष और संयोजक के अलावा निम्न सदस्य हैं–
इसी प्रकार ब्लाक स्तरीय समितियों के अध्यक्ष व संयोजक के अलावा निम्न सदस्य हैं–

(तालिका–3.14)

1	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2	उप प्रभागीय वनाधिकारी	संयोजक
3	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
4	मुख्यालय के सम्बन्धित थानों के थानाध्यक्ष	सदस्य
5	परगनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो नायब तहसीलदार से कम न हो	सदस्य
6	ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित दो ग्राम प्रधान	सदस्य
7	ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित दो सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण मे रूचि रखते हो	सदस्य

जिला स्तरीय बैठकों में सभी सम्बन्धित विभागों के जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के दायित्व निश्चित किये गये हैं। विभाग के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्षेत्र/भौगोलिक क्षेत्र में अग्निशमन का दायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा। पुलिस विभाग/अग्निशमन की सहायता समय–समय पर आवश्कतानुसार वनाग्निशमन हेतु ली जायेगी।

3.2.2 वन पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर समिति का गठन– वन पचांयत के स्तर पर प्रत्येक गांव में वनाग्नि अवरोधक समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है। जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा–

(तालिका–3.15)

1	वन सरपंच/ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
2	राजस्व उपनिरीक्षक	सदस्य
3	संबंधित क्षेत्र का वन दरोगा	संयोजक
4	संबंधित क्षेत्र का वन रक्षक	सदस्य
5	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
6	उप प्रधान	सदस्य
7	महिला/युवक मंगल दल	सदस्य

उक्त समितियों के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् हैं–

1. जनपद में उपलब्ध संचार, यातायात प्रचार सामग्री व अन्य उपकरणों को चिन्हित करके आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाना।
2. सिविल वनों में सुरक्षा हेतु वन विभाग के अतिरिक्त राजस्व विभाग एवं ग्राम प्रधानों की भूमिका तय करके उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।
3. लोक निर्माण विभाग की सड़कों को पक्का करते समय श्रमिकों को सर्तकता बरतने हेतु संबंधित विभाग के कर्मचारियों व श्रमिकों को प्रशिक्षित कर उनका सहयोग प्राप्त करना।
4. वनों में अग्नि दुर्घटना का अनुश्रवण किया जाना–वनों की अग्नि दुर्घटना से सुरक्षा के लिए अन्य ऐसी समस्त कार्यवाही करना जिसे समिति आवश्यक समझे।
5. अग्निशमन हेतु विशेष संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में शासन को रिपोर्ट प्रेषित करना–समिति द्वारा सामान्यतया माह अप्रैल से जून तक की अवधि में प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक अवश्य की जायेगी विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन बैठक का आयोजन भी किया जायेगा।

3.3– जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, ऊधम सिंह नगर (आपदा कन्ट्रोल रूम) – District Emergency Operation Center Udham Singh nagar (DEOC)

- जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र (कन्ट्रोल रूम) कलक्ट्रेट परिसर में स्थापित है जिसमें प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नियंत्रण कक्ष के रूप में समस्त सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त कन्ट्रोल रूम को 24X7 की तर्ज पर कार्यशील रखते हुये कुल कार्मिकों (कम्प्यूटर ऑपरेटर/अनुसेवकों) की शिफ्टवार तैनाती की गयी है। मानसून काल में अन्य विभागों के अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती की जाती है।

- जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में 01 सेटेलाइट फोन, 01–पुलिस वायरलैस सेट, तथा अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। आपातकालीन परिचालन केन्द्र के दूरभाष नम्बर निम्नवत हैं–

Phone:	05944-250719, 250250, 1077 (Toll free),
Mobile.:	+ 9412088410
Satellite ph.	+ 918991112988
Mail Id:	ddmausn@gmail.com

A. जनपद आपताकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा भारतीय मौसम विभाग की वैबसाईड से मौसम सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर सभी सम्बन्धितों/मीडिया तथा जनसामान्य हेतु प्रचारित किया जाता है।

B. परिचालन केन्द्र में जनपद के अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनबाडी, आशा, ग्राम प्रधान, जन प्रतिनिधियों, अध्यापकों एवं भूतपूर्व सैनिकों की सूचि सांकलित की गयी हैं, जिससे आपदा की स्थिति में क्षेत्रीय स्तर से सूचनायें एकत्रित कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

C. विभिन्न मार्गों के संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है। मानसून अवधि में अवरूद्ध सड़क मार्गों को खोलने के लिये लो.नि.वि., सीमा सड़क संगठन, पी.एम.जी.एस.वाई. तथा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो. नि.वि. के पास विभागीय जे.सी.बी., डोजर तथा संसाधनों की सूची उपलब्ध है। मार्ग बाधित होने पर कन्ट्रोल रूम द्वारा तत्काल सम्बन्धितों को सूचित किया जाता है तथा नियमित निगरानी की जाती है।

D. जनपद में एस.डी.आर.एफ., पी0ए0सी0, एन0डी0आर0एफ0, पुलिस तथा स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय कर प्रशिक्षित टीमें एवं जनपदीय अधिकारियों, तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवकों की दूरभाष नंबर सहित सूची कन्ट्रोल रूम में उपलब्ध है।

E. आपात स्थिति में प्रयोग में आने वाले अस्थायी हैलीपैड चिन्हित किये गये है। उनके कॉर्डीनेटस् कान्ट्रोल रूम में उपलब्ध है।

F. आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा दैनिक रूप से वर्षा, नदियों का डिस्चार्ज, मौसम की स्थिति, जनपद के समस्त मार्गो की स्थिति, विद्युत, पेयजल व्यवस्था व प्राकृतिक आपदा से हुयी क्षति की सूचना संकलित कर दैनिक रूप से आख्या राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र तथा उच्चाधिकारीयों को प्रेषित की जाती है। इसके साथ ही सम्बन्धित विभागों को यथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत कराते हुये नियमित मॉनिटरिंग की जाती है।

3.7– जिला स्तरीय इंसिडेंस रिस्पौस सिस्टम कि संरचना एंव दायित्व –

जनपद में संभावित आपदाओं के प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के तहत राहत बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यों को सम्पन्न करने हेतु इंसिडेंट रिस्पौंस टीम का गठन किया गया है। अतः किसी आपदा के घटित होने पर सम्बन्धित तहसील एवं जनपद स्तरीय इंसिडेंट रिस्पौंस टीम क्रियाशील किया जाएगा।

तहसील स्तरीय आई0आर0एंस0 एंव उत्तरदाायित्व– किसी भी आपदा की स्थिति में जनपद में आई0आर0एस0 तंत्र सक्रिय किया जाता है।

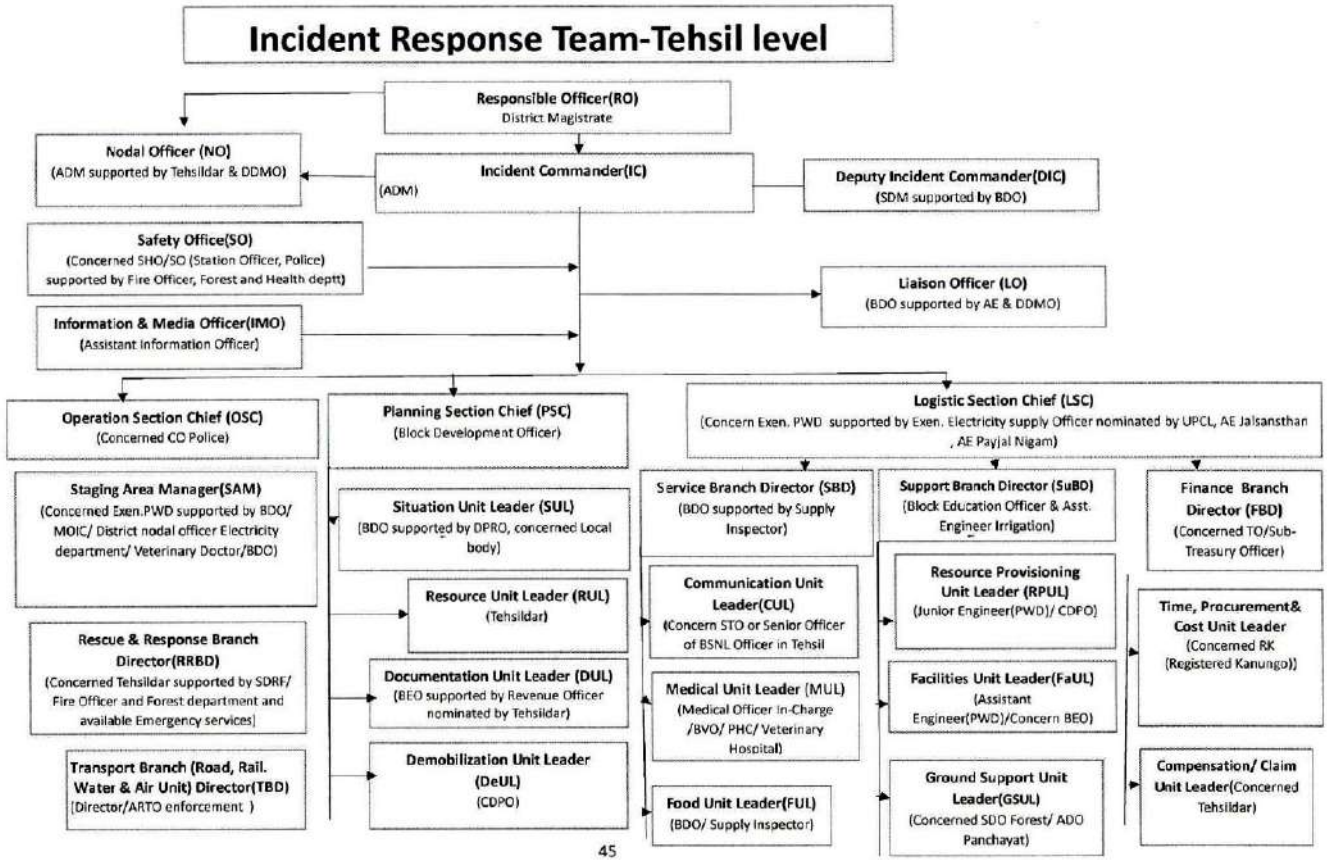

जनपद में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली(आईआरएस)– किसी भी आपदा की स्थिति में जनपद में आई0आर0एस0 तंत्र सक्रिय किया जाता है। समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपस्थित होगे तथा आई0आर0एस0 कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

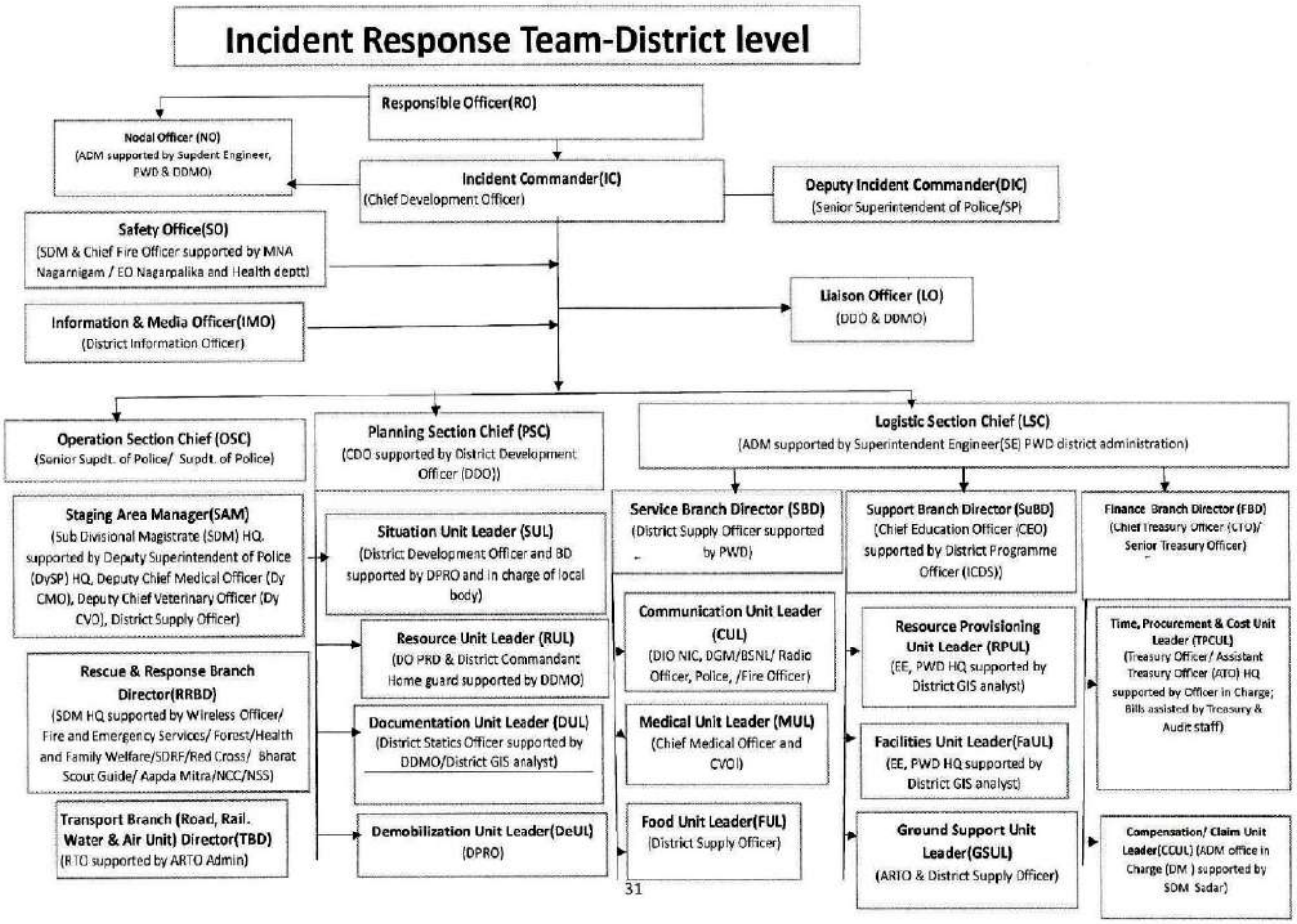

3.4– अटरिया मेला यात्रा हेतु जनपद स्तर पर जारी हेल्पलाईन नम्बर–

(तालिका–3.16)

1	**जिला आपदा प्रबन्धन कंट्रोल रूम**	**05944-250250,250719, 250500,250823**
2	आपदा प्रबन्धन कंट्रोल रूम टोल फ्री नम्बर	1077
3	पुलिस कन्ट्रोल रूम	9411112980
4	पुलिस हैल्पलाईन नं0	112
5	स्वास्थ्य व एंबुलेंस सेवा	108
6	जिला चिकित्सालय, रूद्रपुर	05944–250100,250101
7	फायर सर्विस, रूद्रपुर	05944–243665

3.5– जनपद अन्तर्गत समस्त तहसील कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर का विवरण–

(तालिका–3.15)

क्र.स.	तहसील	दूरभाष
1	जसपुर	9568457717
2	काशीपुर	05947–274026
3	बाजपुर	05949–281002
4	गदरपुर	05949–231136
5	रूद्रपुर	05944–250010
6	किच्छा	05944–264348
7	सितारगंज	8392825345
8	खटीमा	05943–250023

3.6– विभिन्न जनपदों, संस्थाओं, के दूरभाष नम्बर सम्बन्धी विवरण–

(तालिका–3.17)

Sn.	USDMA/DDMA/DEOC	Control Room Number
1	USDMA/ State Emergency Operation Centre	0135-2710334, 2710335 (Toll Free No. 1070)
2	DDMA/DEOC, Pithoragarh	05964-228050, 226326, 224224 (Toll Free No. 1077)
3	DDMA/DEOC, Bageshwar	05963-220197, 220196 (Toll Free No. 1077)
4	DDMA/DEOC, Almora	05962-237874, 75 (Toll Free No. 1077)
5	DDMA/DEOC, Pauri	01368-221840 (Toll Free No. 1077)
6	DDMA/DEOC, Uttarkashi	01374-222722, 222126 (Toll Free No. 1077)
7	DDMA/DEOC, Udham Singh Nagar	05944-250719, 250103,250250 (Toll Free No. 1077)
8	DDMA/DEOC, Champawat	05965-230819, 230703 (Toll Free No. 1077)
9	DDMA/DEOC, Dehradun	0135-2726066, 2626066 (Toll Free No. 1077)
10	DDMA/DEOC, , Rudraprayag	01364-233727, (Toll Free No. 1077)
11	DDMA/DEOC, Nainital	05942-231179, 231178 (Toll Free No. 1077)
12	DDMA/DEOC, Chamoli	01372-251437, 251077 (Toll Free No. 1077)
13	DDMA/DEOC, Haridwar	01334-223999, 7055258800 (Toll Free No.1077)
14	DDMA/DEOC, Tehri	01376-233433, 234793 (Toll Free No. 1077)

DDMO/ EOC'S CONTACT NUMBER

S.N.	DDMO Name	District	Mobile Number	Control Room No.
1	Shri Bhupendra Singh Meher	Pithoragarh	9411305382	05964-228050, 226326, 224224
2	Ms. Shikha Suyal	Bageshwar	9412097805	05963- 220197, 220196
3	Shri Shailesh Kumar	Nainital	9456523808	05942-231179, 231178
4	Shri. U.S. Negi	U. S. Nagar	8954725707	05944-250719, 250103,250250
5	Shri Nand Kishor Joshi	Chamoli	9411352136	01372-251437, 251077
6	Shri Nandan Singh Rajwar	Rudraprayag	8078687829	01364-233727,8958757335 (O)
7	Shri Devanand Sharma(Additional Charge)	Uttarkashi	7452129777	01374-222722, 222126
8	Shri. Rishabh Kumar	Dehradun	9855828317	0135-2726066, 2626066
9	Smt.Meera Rawat	Haridwar	7351428593	01334-223999, 239423
10	Shri Brijesh Bhatt	Tehri	9411399080	01376-233433, 234793
11	Shri Vineet Pal	Almora	7983511096	05962-237874, 237875
12	Shri Devendra Singh Patwal	Champawat	9456147974	05965-230819, 230703
13	Shri Deepesh C. kala	Pauri Garhwal	9410366707	01368-221840,222424

CENTRAL WATER COMMISSION (CWC), DELHI			
S.No.	Name	Phone Number	Mobile
1	Control Room (CWC)	011-29583666	
CENTRAL WATER COMMISSION (CWC), DEHRADUN			
2	Control Room (CWC)	0135-2761562	
DISASTER MANAGEMENT DIVISION MINISTRY OF HOME AFFAIRS, NEW DELHI (MHA)			
1	DM Division (Control Room)	011-23093564 011-23093566	011-23093750 (F)
2	Control Room (MHA)	011-23092885 011-23092923	011-23093750 (F) 011-23092398 (F)
NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY			
1	Control Room	011-26701728 (F) 011-26701729	9868891801, 9868101885
NATIONAL DISASTER RESPONSE FORCE (NDRF)			
1	Control Room	(O) 011-23438091 (F) 011-23438091	
15th Bn NDRF, Kamla Nehru Nagar, Ghaziabad (UP)- 201002			
1	Control Room No.	0120-2766618	09412221035 (M)
2	Sh. Parveen Kumar Tiwari, Commandant	(O) 0120-2766013 (F) 0120 -2766012	
15th Bn NDRF, Gadarpur, U.S.Nagar (Uttarakhand)			
1	Control Room No.	05949-231198 7579098442 (M)	

INDIAN METEOROLOGICAL DEPARTMENT (IMD) New Delhi				
1	Weather Forecast Control Room		(O) 011-24344221	
EARTHQUAKE CONTROL ROOM DETAIL				
1	Seismology Control Room		011-24624588 011-43824484	011-24619943 (T/F) 011-24649850 (F)
MINISTRY OF DEFENCE, NEW DELHI				
1	Control Room		011-23012983 011-23012966	23012200
SNOW&AVALANCHESTUDY ESTABLISHMENT (CHANDIGARH)				
1	Exchange		0172-2699804, 2699806	
INDIAN NAVAL DIVERS TEAM NEW DELHI				
1	(EXCHANGE NO)		23010121,23014167	
ITBP Uttarakhand (Northern Frontier) Seemadwar				
1	Control Room		0135-2766098	0135-2762976 (F)
SHQ Dehradun (ITBP)				
1	Control Room		0135-2761912	0135- 2766098 (O) 0135- 2760406 (F)
ITBP, 12 th BN, Matli, Distt, Uttarkashi, Uttarakhand				
1	EPABX/ Control Room		01374-297041 (Exchange)	297041 (F)
ITBP, 35 th BN, Mahidanda, Distt, Uttarkashi Uttarakhand				
1	Sh. sunil kumar, Comdt.		01374-234232, 234204 (Exchange)	01374-234232 (F) 7589161616
Uttarakhand Civil Aviation Development Authority				
1	Add. CEO C.Ravi Shankar UCADA		0135-2719912	8859999977
2	Sh. Alam Shah, Assistant Manager Operation		9837015632	
3	Col. Samerr Singh, UCADA		7895555437	
HELICOPTER NUMBERS OF AIR FORCE & Pvt.				
1	Jollygrant, Dehradun		0135-2412051	2412201(fire and rescue)
2	Pawan Hans		011-24633320, /275361	09868123667/668
UTTARAKHAND STATE DISASTER RESPONCE FORCE (SDRF)				
1	Mr.Manikant Misra (Commandant)		0135-2410197	9411113990
2	Shri Ajay Bhatt, Dy. Commandant SDRF HQ			7005410746

अध्याय –4
रोकथाम एवं समन उपायः

4.1 रोकथाम (Prevention)

रोकथाम उन क्रियाओं और योजनाओं को कहते हैं, जो प्राकृतिक या मानवजनित आपदाओं के जोखिम को कम करती हैं। उधम सिंह नगर जिला भौगोलिक, जलवायु और जनसंख्या संरचना के कारण विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए संवेदनशील है, जैसे–भूकंप, बाढ़ और जलभराव आग (थ्पतम) औद्योगिक/रासायनिक दुर्घटनाएँ, सड़क और भवन दुर्घटनाएँ।

4.1.1 रोकथाम के लिए जिला स्तर पर उठाए गए प्रमुख उपाय

- भवन निर्माण संहिता (Building Codes)

नए और पुराने भवनों के लिए भूकंप–रोधी और सुरक्षित निर्माण मानक लागू किए जा रहे हैं। सभी बहुमंजिला और सार्वजनिक भवनों के लिए प्रमाणित इंजीनियर और ठेकेदार ही जिम्मेदार होंगे।

- बाढ़ प्रबंधन (Flood Plan Management)

प्रमुख नदियों जैसे बैगुल, कल्याणी, लेवड़ा, फीका आदि और उसके सहायक नालों के किनारे सुरक्षित निर्माण।

संवेदनशील क्षेत्रों में जलभराव रोकने के लिए नाले और जल निकासी प्रणालियों का नियमित रखरखाव।

- वर्षा जल प्रबंधन (Storm Water Management)
  सड़कों और कॉलोनियों में पर्याप्त ड्रेनेज निर्माण और नियमित सफाई।
  जलभराव रोकने के लिए पुनः उपयोग योग्य जलाशय और चेकडैम का निर्माण।
- भूमि उपयोग नियोजन (Land Use Planning)
  आवासीय, औद्योगिक और कृषि भूमि का अलग–अलग नियोजन।
  संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण से रोक।
- दीर्घकालिक न्यूनीकरण लक्ष्य (Long & Term Mitigation Goals)
  बाढ़, तूफान और भूकंप के लिए बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली।
  जीवन और संपत्ति के नुकसान को न्यूनतम करना।
- आबादी वाले क्षेत्रों में बाढ़ और जलभराव को रोकना।
  जल आपूर्ति और विद्युत आपूर्ति में वैकल्पिक (Redundant) प्रणाली।
  सड़क, परिवहन और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा।
  पर्यावरणीय ह्रास कम करना और आजीविका बहाली।

4.1.2 सुरक्षा (Protection)

सुरक्षा का उद्देश्य लोगों, संपत्ति और पर्यावरण पर संभावित खतरे को कम या समाप्त करना है। उधम सिंह नगर में सुरक्षा उपाय मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र, स्कूल, अस्पताल, पानी और बिजली के मुख्य संसाधनों के लिए लागू हैं।

4.1.3 प्रमुख सुरक्षा उपाय

महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा (Protection of Critical Infrastructure) जलाशय, विद्युत वितरण केंद्र, अस्पताल और प्रशासनिक भवन।

भूकंप, आग और अन्य मानवीय खतरे से सुरक्षा।

संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बैरियर, फायर अलार्म, CCTV और सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था।

आपदा के दौरान आवश्यक आपूर्ति (आपूर्ति केंद्र) की सुरक्षा।

4.1.4 न्यूनीकरण (Mitigation)

न्यूनीकरण का उद्देश्य आपदा के प्रभाव को कम करना है। इसमें संरचनात्मक (Structural) और गैर–संरचनात्मक (Non&structural) उपाय शामिल हैं।

4.1.5 संरचनात्मक उपाय (Structural Measures)

भूकंप–रोधी निर्माण (Earthquake Resistant Construction)

सभी बहुमंजिला और महत्वपूर्ण भवनों में भूकंप–रोधी तकनीक।

पुराने भवनों का रेट्रोफिटिंग (Retrofitting)।

जलभराव/बाढ़ नियंत्रण (Flood Control Measures)

नदियों और नालों की समय–समय पर सफाई और डी–सिल्टिंग।

उच्च–जोखिम क्षेत्रों में बांध और चेकडैम।

सड़क एवं परिवहन संरचना (Transport & Infrastructure Protection)

सड़कों का मजबूत निर्माण और आपदा प्रतिरोधी पुल।

मुख्य मार्गों पर जलभराव रोकने के उपाय।

4.1.6 गैर–संरचनात्मक उपाय (Non&structural Measures)

जागरूकता कार्यक्रम (Awareness Generation)

स्कूल, कॉलेज, समुदाय, अस्पतालों में नियमित ट्रेनिंग और जागरूकता।

IEC सामग्री, पोस्टर, स्ट्रीट प्ले, रैली और सार्वजनिक मीटिंग।

शिक्षा और क्षमता निर्माण (Training & Capacity Building)

जिला आपदा प्रबंधन टीम, सब–डिविजनल अधिकारी, RWAs, NGOs और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण।

सामाजिक संगठनों और नागरिक समितियों के माध्यम से आपदा न्यूनीकरण गतिविधियाँ।

सुरक्षित शेल्टर (Safe Shelters)

बाढ़ और तूफान प्रभावित क्षेत्रों में कम्युनिटी शेल्टर और सुरक्षित कक्ष।

आपदा प्रतिक्रिया तैयारी (Preparedness Methodology)

अस्पताल, स्कूल और सामुदायिक भवनों में आपदा प्रतिक्रिया योजना।

भवनों के लिए आपातकालीन निकासी योजनाएँ।

4.1.7 विशेष लक्ष्यों के लिए उपाय (Specific Goals)

बाढ़ और तूफान के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली मजबूत करना।

भवनों और समुदायों में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा।

सड़क और परिवहन सुरक्षा सुनिश्चित करना।

बुनियादी सुविधाओं जैसे जल और विद्युत आपूर्ति में वैकल्पिक व्यवस्था।

पर्यावरण संरक्षण और आजीविका बहाली।

सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए।

4.2 **Town Planning Act और भवन निर्माण सुरक्षा** – उधम सिंह नगर जिला (उत्तराखंड)

Town Planning Act का उद्देश्य शहर और नगर क्षेत्र में सुरक्षित, व्यवस्थित और आपदा–रोधी विकास को सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम स्थानीय प्रशासन को अधिकार देता है कि वह भूमि उपयोग, भवन निर्माण और पर्यावरणीय सुरक्षा के नियमों को लागू कर सके।

उधम सिंह नगर जिला, उत्तराखंड, भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में आता है। इसके अलावा, जिला में बाढ़ और तूफान की संभावना भी रहती है। इसलिए Town Planning Act के अंतर्गत भवन निर्माण और आपदा सुरक्षा के उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

4.2.1 भवन निर्माण और Town Planning Act के तहत मुख्य प्रावधान

1.1 भवन निर्माण संहिता (Building Codes)

NBC – National Building Code 2016 (India) का पालन अनिवार्य।

Seismic Zone IV के अनुसार भूकंप–रोधी डिजाइन।

बहुमंजिला और सार्वजनिक भवनों के लिए RCC (Reinforced Cement Concrete) संरचना।

1.2 **मुख्य नियम–**

सभी नए निर्माणों में भूकंप–रोधी तकनीक का उपयोग।

पुराने भवनों का रिट्रोफिटिंग (Retrofitting) अनिवार्य।

निर्माण कार्य केवल प्रमाणित ठेकेदार और इंजीनियर के पर्यवेक्षण में।

स्वंक–bearing और Non&load&bearing भवनों के लिए अलग–अलग डिजाइन मानक।

1.3 **बाढ़–रोधी निर्माण (Flood&proofing Requirements)**

नदी किनारे और नाले के पास के क्षेत्रों में उन्नत नींव (Elevated Foundation)। घरों और सार्वजनिक भवनों के प्रथम तल को पानी से सुरक्षित बनाने के उपाय। जलनिकासी और ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था अनिवार्य। **कोड के अनुसार–**

न्यूनतम 0.6 – 1 मीटर ऊँचाई बाढ़ जोखिम क्षेत्र में।

निर्माण अनुमति केवल तब दी जाएगी जब flood plan management का पालन हो।

1.4 **भूकंप डिजाइन मानक (Seismic Design Standards)**

District udham singh Nagar: Seismic Zone IV में आता है।

सभी नई निर्माण योजनाओं में भूकंप लोड और प्रतिरोध शामिल।

बहुमंजिला भवनों के लिए IS 1893: Criteria for Earthquake Resistant Design of Structure अनिवार्य।

1.5 मुख्य बिंदु–

लचीला ढांचा (Ductile Frame Design) अनिवार्य।

छत और दीवारों में seismic bracing.

भवन के सभी हिस्सों की structural integrity का प्रमाण पत्र।

1.6 तूफान और पवन–रोधी मानक (Cyclone Wind&bracing Requirements)

ऊँचाई वाले भवनों में ॅपदक स्वंक Analysis

छत और दीवारों के लिए अतिरिक्त ब्रीसिंग।

सामुदायिक भवनों और स्कूलों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय।

1.7 कोड/मानक–

IS 875 Part 3: Wind Load का पालन।

पतली दीवारों और शेड्स को तूफान–रोधी सामग्री से निर्माण।

1.8 भूमि उपयोग और निर्माण नियंत्रण (Land Use & Development Control)

Town Planning Act के अंतर्गत Zoning Regulations लागू।

नदियों, नालों और संवेदनशील भूमि में निर्माण प्रतिबंध।

अवैध निर्माण और unauthorized colonies पर सख्त कार्रवाई।

पर्यावरणीय मानकों का पालन अनिवार्य।

उपाय–

भूमि उपयोग योजना के अनुसार भवन निर्माण। निर्माण से पहले No Objection Certificate (NOC) लेना। सड़कों, पार्किंग और इमरजेंसी निकासी मार्ग सुनिश्चित करना।

1.9 लागू करने वाली संस्थाएँ और निगरानी (Implementing Agencies) जिला विकास प्राधिकरण (District Development Authority) नगर पालिका/नगर निगम (Municipal Corporation) Town & Country Planning Department (उत्तराखंड) Civil Engineering Consultants और Certified Engineers निगरानी। प्रत्येक निर्माण स्थल पर Quality Auditor द्वारा निरीक्षण। भवन पूरा होने पर प्रमाणपत्र जारी करना। भूकंप और तूफान संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी।

4.3 Zoning Regulations – उधम सिंह नगर जिला (उत्तराखंड) परिचय

Zoning Regulations का उद्देश्य जिले में सुरक्षित, व्यवस्थित और आपदा–रोधी विकास को सुनिश्चित करना है। ये नियम यह निर्धारित करते हैं कि कौन–सी भूमि पर किस प्रकार का निर्माण या विकास किया जा सकता है। उधम सिंह नगर जिला भौगोलिक दृष्टि से नदियों और जल निकायों के पास स्थित है और जिले में बाढ़ की संभावना अधिक रहती है। इसलिए zoning regulations का पालन करना अत्यंत आवश्यक है।

1. मुख्य उद्देश्य

बाढ़, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम वाले क्षेत्रों में अवैध और जोखिमपूर्ण निर्माण को रोकना। सुरक्षित क्षेत्रों में ही आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना। नदियों, नालों, और संवेदनशील भूमि की पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। आपदा प्रबंधन और बचाव कार्यों के लिए उचित निकासी मार्ग और आपातकालीन स्थान

सुनिश्चित करना।

2. भूमि श्रेणी और निर्माण प्रतिबंध (Land Use Categories)

उधम सिंह नगर जिले में भूमि को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है–भूमि प्रकार उद्देश्य निर्माण प्रतिबंध/निर्देश बाढ़–जोखिम क्षेत्र (Flood Prone Area) जल निकायों के किनारे आवासीय/औद्योगिक निर्माण प्रतिबंधितय केवल आपदा–रोधी संरचना की अनुमति। कृषि क्षेत्र (Agricultural Zone) कृषि कार्य औद्योगिक निर्माण निषिद्धय आवासीय निर्माण सीमित। औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Zone) उद्योग और उत्पादन पर्यावरणीय मानकों का पालन अनिवार्य बाढ़/भूकंप संवेदनशील क्षेत्र से दूर। आवासीय क्षेत्र (Residential Zone) नागरिक निवास केवल प्रमाणित भवन कोड के अनुसार निर्माणय सुरक्षा मानक का पालन अनिवार्य। संवेदनशील पर्यावरण क्षेत्र (Ecologically Sensitive Zone) जंगल, नदी किनारे, जलाशय कोई निर्माण निषिद्धय संरक्षण और हरित क्षेत्र के नियम लागू।

3. विशेष उपाय और नियम

बाढ़–जोखिम वाले क्षेत्र–नदियों और नालों के किनारे निर्माण के लिए अनुमोदन केवल जिला प्रशासन द्वारा। न्यूनतम 1 मीटर ऊँचाई के आधार पर भवन निर्माण। जलनिकासी और ड्रेनेज सिस्टम अनिवार्य। तूफान और स्टॉर्म सरज जोन–कमजोर संरचनाओं और झुग्गी–झोपड़ियों को स्थानांतरित। सामुदायिक भवन और स्कूलों के लिए सुरक्षित स्थान पर निर्माण।औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र–Hazardous Units tSls chemical plants, water treatment plants) को संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रखा जाए। पर्यावरणीय Impact Assessment अनिवार्य। सामुदायिक और सार्वजनिक भवन–अस्पताल, स्कूल और पुलिस स्टेशन को सुरक्षित जोन में निर्माण।आपदा समय में आपातकालीन शरण और राहत केंद्र।

4. योजना और निगरानी (Planning & Monitoring)

Town & Country Planning Department (उत्तराखंड) और District Administration, Udham Singh Nagar जिम्मेदार। निर्माण अनुमति (Building Permit) केवल zoning regulations के पालन पर। GIS और डिजिटल मैपिंग से जोखिम क्षेत्र की पहचान और अपडेट। अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई।

5. लाभ

बाढ़ और तूफान के प्रभाव को कम करना। सुरक्षित और व्यवस्थित आवासीय और औद्योगिक विकास। आपदा प्रबंधन और बचाव कार्यों में आसानी। पर्यावरणीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा।

4.4 Development Control Regulations – उधम सिंह नगर जिला (उत्तराखंड) परिचय

उधम सिंह नगर जिला आपदा–प्रवण क्षेत्रों में आता है, जैसे भूकंप और बाढ़। इसलिए जिले में होने वाले सभी विकास कार्यों में आपदा प्रबंधन की चिंताओं को शामिल करना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि हर निर्माण और विकास कार्य सुरक्षित, नियोजित और आपदा–रोधी हो।

उद्देश्य जिले में सभी विकास कार्यों में आपदा–रोधी उपायों को लागू करना। सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं में जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षित निर्माण। अवैध निर्माण और अतिक्रमण को रोकना। जिले के सतत और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना।

1. आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण में नियंत्रण जिले में नए भवनों के निर्माण और पुराने भवनों की मरम्मत में भूकंप–रोधी और आपदा–रोधी तकनीक का पालन अनिवार्य है। बाढ़–जोखिम वाले क्षेत्रों में निर्माण के लिए जिला प्रशासन की अनुमति आवश्यक है। बहुउच्च भवनों के लिए केवल प्रमाणित इंजीनियर और विशेषज्ञ द्वारा निर्माण।
2. औद्योगिक विकास में नियंत्रण खतरे वाले उद्योग (Chemical plants आदि) को संवेदनशील क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जा रहा है। सभी औद्योगिक परियोजनाओं में आपदा प्रबंधन योजना और पर्यावरण सुरक्षा लागू की जा रही है।
3. **सड़क और यातायात नेटवर्क**

   जिले की मुख्य सड़कों और पुलों को भूकंप और बाढ़–रोधी बनाया जा रहा है।आपदा के समय के लिए निकासी मार्ग और आपातकालीन पहुँच सुनिश्चित की जा रही है।
4. **सरकारी योजनाओं में आपदा–प्रबंधन**

   जिले में चल रही सभी सरकारी योजनाओं (जैसे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास) में आपदा प्रबंधन उपाय शामिल हैं। योजना निर्माण से पहले जोखिम मूल्यांकन और तैयारियाँ की जाती हैं।
5. **संवेदनशील क्षेत्र और पर्यावरण**

   नदी किनारे और नालों के पास किसी भी निर्माण को नियंत्रित किया जा रहा है। जल निकायों और वन्य क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। संवेदनशील भूमि पर केवल सार्वजनिक उपयोग और हरित क्षेत्र का विकास किया जा रहा है।

4.5 Proposed Retrofitting Work on Public Buildings to With stand Ground Shaking and in Flood. परिचय –

उधम सिंह नगर जिला उत्तराखंड राज्य के तराई क्षेत्र में स्थित है, जो भूकंप की दृष्टि से सीस्मिक जोन–IV में आता है। यह क्षेत्र समय–समय पर भूकंप, तेज हवाओं, आंधियों और भारी वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए, जिले में यह आवश्यक है कि सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों को संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ (Structurally Strengthened) बनाया जाए ताकि वे भूकंप के झटकों या तेज हवाओं, जलभराव एवं बाढ़ के प्रभाव का सामना कर सकें।

रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता–

जिले के कई सरकारी भवन पुराने निर्माण मानकों के अनुसार बने हैं, जिनमें भूकंप या तेज हवा के प्रति पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता है। परन्तु कुछ सरकारी भवन एवं सार्वजनिक भवन क्षमता के अनुरूप नहीं है जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है आवश्यकतानुसार रेट्रोफिटिंग की कार्यवाही गतिमान है। सुरक्षित स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, थाना, तहसील कार्यालय, पंचायत भवन और ब्लॉक मुख्यालय जैसे भवन आपदा के समय आपात राहत केंद्र के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इन भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आपदा पूर्व तैयारी (Disaster Preparedness) का एक महत्वपूर्ण भाग है।

प्रस्तावित कार्य योजना –

संरचनात्मक मूल्यांकन (Structural Assessment) जिले के सभी प्रमुख सार्वजनिक भवनों का तकनीकी मूल्यांकन कराया जा रहा है। मूल्यांकन के आधार पर कमजोर भवनों की पहचान की जाएगी।

रेट्रोफिटिंग डिजाइन एवं योजना निर्माण–

इंजीनियरिंग विशेषज्ञों और तकनीकी संस्थानों की सहायता से भवनों की रेट्रोफिटिंग डिजाइन तैयार की जाएगी। इसमें भूकंप–रोधी और वायु–प्रतिरोधी तकनीकों का समावेश किया जाएगा।

प्राथमिकता वाले भवन–

जिला अस्पताल, कलेक्ट्रेट, पुलिस थाना, राजकीय विद्यालय, तहसील और ब्लॉक कार्यालयों को प्रथम चरण में शामिल किया जाएगा। ये भवन आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

तकनीकी प्रशिक्षण–

स्थानीय इंजीनियरों, ठेकेदारों और राजमिस्त्रियों को भूकंप–रोधी निर्माण तकनीक एवं रेट्रोफिटिंग पद्धतियों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अपेक्षित लाभ–

भवनों की संरचनात्मक मजबूती बढ़ेगी। आपदा की स्थिति में जनहानि और संपत्ति हानि में कमी आएगी। इन भवनों का उपयोग आपातकालीन राहत केंद्र के रूप में सुरक्षित रूप से किया जा सकेगा। जिले में आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना (Disaster Resilient Infrastructure) का विकास होगा।

4.6 आपदा विशेषता (Specificity of Disaster) बाढ़ (Flood) के संदर्भ में उधम सिंह नगर जिला परिचय –

उधम सिंह नगर जिला उत्तराखंड राज्य के तराई क्षेत्र में स्थित है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति इसे बारिश के मौसम में बाढ़ और जलभराव की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील बनाती है।

जिला के विभिन्न भागों में कई प्रमुख नदियाँ जैसे –फीका, ढेला, कोसी, लेवड़ा, गौला, बैगुल, कैलाश, परवीन आदि –यहाँ से होकर बहती हैं। ये नदियाँ बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले पानी और तलछट के कारण उफान पर आ जाती हैं।इसके अतिरिक्त, जिले का अधिकांश भूभाग समतल होने के कारण ड्रैनेज सिस्टम की कमी से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की समस्या भी गंभीर रूप ले लेती है।

संवेदनशील क्षेत्र (Flood Prone Areas)–

उधम सिंह नगर के निम्नलिखित क्षेत्र विशेष रूप से बाढ़ व जलभराव के लिए संवेदनशील हैं– सितारगंज ब्लॉक– नानक सागर बांध से जुड़े क्षेत्र, खटीमा मार्ग पर निम्न भूभाग। बाजपुर ब्लॉक– लेवड़ा नदी के किनारे बसे गाँव। किच्छा और गदरपुर ब्लॉक– गौला और भाकड़ा नदी के निकटवर्ती क्षेत्र। रुद्रपुर नगर क्षेत्र– नालियों और नालों के अवरोध के कारण शहरी जलभराव। खटीमा क्षेत्र– बाढ़ नियंत्रण तटबंधों के पास बसे गाँव।

प्रमुख कारण–

अत्यधिक वर्षा एवं पहाड़ों से आने वाला पानी। नदियों का अपर्याप्त प्रवाह मार्ग एवं तटबंधों की क्षति। ड्रेनेज नेटवर्क का अवरुद्ध या अपर्याप्त होना। अनियंत्रित निर्माण कार्य एवं नदी तटों पर अतिक्रमण। नालों में ठोस अपशिष्ट (Solid Waste) का जमाव।

निवारक एवं शमन उपाय (Prevention and Mitigation Measures)–मास्टर ड्रेनेज प्लान का निर्माण–

जिला प्रशासन एवं सिंचाई विभाग द्वारा रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा और सितारगंज जैसे प्रमुख शहरी क्षेत्रों के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार किया जा रहा है।

इसका उद्देश्य है — वर्षा जल निकासी की वैज्ञानिक योजना बनाना ताकि शहरी बाढ़ और जलभराव को नियंत्रित किया जा सके। प्रमुख नालों का डिसिल्टेशन (Desiltation) और पुनः चौनलाइजेशन किया जा रहा है।

2. **तटबंधों और नालों का सुदृढ़ीकरण–**

सिंचाई विभाग (Irrigation Department) द्वारा प्रमुख नदियों कोसी, गौला, कैलाश, ढेला आदि कृ के तटबंधों की मरम्मत और मजबूती की योजना तैयार की गई है।

3. **बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं का निरीक्षण–**

प्रत्येक वर्ष मानसून से पूर्व तटबंधों, पुलों और जल निकासी चौनलों का निरीक्षण किया जाता है। कमजोर हिस्सों की पहचान कर अस्थायी सुरक्षा कार्य (Temporary Flood Protection Works) कराए जाते हैं।

4. **बाढ़ संभावित क्षेत्रों में निर्माण नियंत्रण–**

टाउन प्लानिंग विभाग द्वारा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में निर्माण पर प्रतिबंध की सिफारिश की जा रही है। जोनिंग रेगुलेशन (Zoning Regulation) के तहत ऐसे क्षेत्रों को "नो कंस्ट्रक्शन जोन" के रूप में चिह्नित किया जा रहा है।

5. **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System)–**

जल संसाधन विभ ाग और मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त बाढ़ चेतावनियाँ DDMA को भेजी जाती हैं। ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों को मोबाइल संदेश और वॉइस कॉल के माध्यम से सूचित किया जाता है। नदी गेज स्टेशन स्थापित कर जलस्तर की वास्तविक समय (Real&time) निगरानी की जा रही है।

6. **वनस्पति और प्राकृतिक अवरोधों का संरक्षण–**

नदी किनारों पर वृक्षारोपण (Riparian Plantation) को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि मिट्टी का कटाव और तटों का क्षरण कम हो। इससे जल की गति भी नियंत्रित रहती है और पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है।

7. **समुदाय आधारित पहल–**

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समितियाँ (VDMCs) को बाढ़ पूर्व चेतावनी और निकासी योजना के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। स्थानीय युवाओं को "आपदा मित्र" कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया है ताकि बाढ़ के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहायता मिल सके।

संबंधित विभाग एवं संस्थाएँ –

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), उधम सिंह नगर
सिंचाई विभाग
नगर पालिका परिषद/नगर निगम
लोक निर्माण विभाग (PWD)
राजस्व विभाग

मौसम विज्ञान विभाग

वन विभाग

4.7 भूमि उपयोग विनियमन (Land Use Regulation) परिचय–

उधम सिंह नगर जिला उत्तराखंड का एक प्रमुख औद्योगिक एवं कृषि प्रधान क्षेत्र है, जो तराई के समतल भूभाग में स्थित है। यहाँ का अधिकांश भूभाग बाढ़, जलभराव और भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। इसलिए जिले के विकास कार्यों में भूमि उपयोग की वैज्ञानिक योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम किया जा सके और सुरक्षित बस्तियों एवं संरचनाओं का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।

भूमि उपयोग विनियमन का उद्देश्य–

संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण को रोकना। आपदा जोखिमों को ध्यान में रखकर शहरी एवं ग्रामीण विकास की योजना बनाना। सुरक्षित सार्वजनिक भवन, विद्यालय, सामुदायिक आश्रय स्थल एवं राहत केंद्रों का निर्माण करना। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए सुरक्षित स्थानों का चयन करना। उधम सिंह नगर में भूमि उपयोग विनियमन से संबंधित प्रमुख पहलें–

1. जोखिम आधारित भूमि उपयोग योजना (Risk&Based Land Use Planning)–

जिला प्रशासन द्वारा भूमि उपयोग का निर्धारण इस प्रकार किया जा रहा है कि बाढ़ संभावित एवं जलभराव वाले क्षेत्रों में आवासीय निर्माण को हतोत्साहित किया जाए।

कृषि एवं हरित पट्टी (Green Belt) क्षेत्रों में केवल सीमित कृषि–आधारित निर्माणों की अनुमति दी जा रही है।

2. सुरक्षित भवन एवं आश्रय स्थल का नियोजन (Community Shelters and Safe Structure)–

DDMA सिंचाई विभाग, एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से बाढ़ संवेदनशील ब्लॉकों जैसे सितारगंज, खटीमा, बाजपुर और किच्छा में सामुदायिक आश्रय स्थलों (Community Flood Shelters) की योजना बनाई जा रही है। विद्यालयों और पंचायत भवनों को आपदा के समय अस्थायी राहत शिविर (Temporary Relief Camp) के रूप में उपयोग हेतु सुदृढ़ बनाने की सिफारिश की गई है। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक सुरक्षित सामुदायिक भवन (Safe Community Structure) की पहचान कर उसका मानचित्र तैयार किया जा रहा है, जहाँ आपदा की स्थिति में लोगों को स्थानांतरित किया जा सके।

3. शहरी क्षेत्रों के लिए भूमि उपयोग नियंत्रण (Urban Land Use Regulation)–

शहरी सीमाओं में जल निकासी मार्गों, नालों और हरित पट्टियों को संरक्षित करने के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित किए जा रहे हैं। जलभराव वाले इलाकों में बेसमेंट निर्माण पर रोक और ऊँचे प्लेटफॉर्म पर निर्माण (Plinth Height Regulation) अनिवार्य किया गया है।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि उपयोग और पुनर्वास योजना–

बाढ़ प्रभावित गाँवों में ग्राम पंचायत स्तर पर सुरक्षित स्थल चयन (Safe Site Identification) और आपदा अनुकूल पुनर्वास (Disaster & Resilient Rehabilitation) की प्रक्रिया शुरू की गई है।

5. पर्यावरणीय एवं जल निकासी संरक्षण–

वन विभाग और सिंचाई विभाग के सहयोग से जल निकासी चौनलों के आसपास हरित अवरोध (Vegetative Buffer Zone) तैयार किए जा रहे हैं ताकि मिट्टी कटाव कम हो और जल का प्रवाह सुचारु रहे।

6. भविष्य की कार्ययोजना–

जिला स्तर पर (Integrated Land Use and Flood Risk Zonation Map) तैयार किया जाएगा। सभी विभागों द्वारा भविष्य के विकास परियोजनाओं में आपदा जोखिम आकलन (Disaster Risk Assessment) अनिवार्य रूप से किया जाएगा। भूमि उपयोग योजना को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) के दिशा–निर्देशों के अनुरूप नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा।

4.8 आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचनाओं, धार्मिक स्थलों और भीड़ प्रबंधन हेतु सुरक्षा मानक (Safety Norms for Economic and Social Infrastructures including Places of Worships and Crowd Management)

1. उद्देश्य–

उधम सिंह नगर जिला प्रशासन द्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थलों पर जनसुरक्षा सुनिश्चित करने और आपदा के दौरान संभावित जोखिमों को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। भीड़ प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षा तथा जन–जागरूकता बढ़ाना इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं।

2. धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा मानक लागू करने के कार्य–

जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे गुरुद्वारा नानकसागर , हनुमान धाम , शिव मंदिर (रुद्रपुर) आदि में सुरक्षा मानकों का अनुपालन कराया जा रहा है। फायर विभाग एवं लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा इन स्थलों का सुरक्षा ऑडिट (Safety Audit) कराया जा चुका है, जिसमें अग्निशमन उपकरण, विद्युत संयंत्रों की जाँच एवं आपात निकासी मार्गों की समीक्षा की गई है।
भीड़भाड़ वाले धार्मिक आयोजनों जैसे रामनवमी मेला, कांवड़ यात्रा, दुर्गा पूजा आदि में अस्थायी नियंत्रण कक्ष (Temporary Control Rooms) बनाए गए हैं, जिनमें पुलिस, फायर और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमें तैनात रहती हैं।

3. भीड़ प्रबंधन (Crowd Management) के अंतर्गत किए गए प्रमुख कार्य–

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (क्क्ड।), पुलिस विभाग एवं नगर निकायों के सहयोग से भीड़ नियंत्रण योजना (Crowd Control Plan) तैयार की गई है। भीड़ प्रबंधन हेतु स्वयंसेवक दल (Volunteer Groups) गठित किए गए हैं जिन्हें आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दिया गया है। लाउडस्पीकर घोषणाओं, सूचना पटों और CCTV निगरानी की व्यवस्था सभी प्रमुख आयोजनों में अनिवार्य की गई है। बड़े आयोजनों के दौरान भीड़ का मार्गदर्शन करने हेतु एक–तरफा प्रवेश और निकास मार्ग (Unidirectional Flow System) लागू किया गया है।

4. आर्थिक और औद्योगिक स्थलों की सुरक्षा–

उधम सिंह नगर के SIDCUL रुद्रपुर, पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र, किच्छा इंडस्ट्रियल जोन आदि में स्थित इकाइयों में ऑन–साइट एवं ऑफ–साइट आपदा प्रबंधन योजनाएँ (DM Plans) तैयार कराई गई हैं। फैक्ट्री निरीक्षण विभाग (Factory Inspection Dept-) द्वारा नियमित रूप से सुरक्षा मानकों

की समीक्षा की जा रही है। औद्योगिक इकाइयों में मॉक ड्रिल्स, फायर सेफ्टी प्रशिक्षण तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यास जिला प्रशासन के पर्यवेक्षण में किए जा रहे हैं।

5. बाजार एवं सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा उपाय–

रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर एवं खटीमा जैसे नगरों के मुख्य बाजारों में फायर लेन (Fire Lanes) चिन्हित की गई हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में फायर टेंडर का आवागमन सुगम हो सके। नगर निकायों द्वारा पुराने विद्युत तारों एवं असुरक्षित बोर्डों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बड़े मेलों, हाट–बाजारों एवं सार्वजनिक आयोजनों के दौरान पुलिस, होमगार्ड और सिविल डिफेंस कर्मियों की तैनाती अनिवार्य की गई है।

6. जन–जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम–

DDMA उधम सिंह नगर द्वारा धार्मिक समितियों, बाजार संघों और औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के लिए आपदा सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। NCC/NSS स्वयंसेवक, रेड क्रॉस, और सिविल डिफेंस कर्मियों को भी इन कार्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है। धार्मिक मेलों और त्योहारों के दौरान लोगों को सुरक्षा संदेश प्रसारित करने के लिए पोस्टर, बैनर और डिजिटल स्क्रीन का उपयोग किया जा रहा है।

7. भविष्य की कार्ययोजना–

जिले के सभी बड़े धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थानों का सुरक्षा मानचित्रण (Safety Mapping) तैयार किया जा रहा है। ड्रोन आधारित भीड़ निगरानी प्रणाली (Drone Surveillance System) लागू करने की दिशा में योजना प्रगति पर है। प्रत्येक आयोजन के लिए पूर्व स्वीकृत आपातकालीन निकासी मार्ग (Emergency Evacuation Routes) और मेडिकल रेस्पॉन्स टीम्स की व्यवस्था की जा रही है। भविष्य में स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से भीड़ और यातायात नियंत्रण को और सशक्त किया जाएगा।

4.9 आपदा न्यूनीकरण हेतु क्षमता निर्माण (Capacity Building for Mitigation)

1. उद्देश्य–

उधम सिंह नगर जिला प्रशासन द्वारा आपदा न्यूनीकरण के लिए मानव संसाधन विकास (Human Resource Development) और संस्थागत क्षमता निर्माण (Institutional Capacity Building) पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक सभी विभागों, संस्थानों और समुदायों को आपदा के प्रति सक्षम, तत्पर और आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

2. मानव संसाधन विकास के अंतर्गत किए गए कार्य–

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा, सिंचाई, लोक निर्माण, विद्युत, नगर निकाय आदि के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपदा प्रतिक्रिया प्रशिक्षण (Disaster Response Training) दिया जा रहा है।राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से Incident Response System (IRS) पर आधारित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं। जिला मुख्यालय रुद्रपुर में स्थित आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र (DMTC) में समय–समय पर कर्मचारियों, एनसीसी/एनएसएस/रेड क्रॉस स्वयंसेवकों और सिविल डिफेंस

कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विद्यालय एवं कॉलेज स्तर पर भी "स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम" के अंतर्गत शिक्षकों और छात्रों को Mock Drill, Fire Safety, Earthquake Safety एवं प्राथमिक उपचार की जानकारी दी जा रही है।

3. विभागीय और संस्थागत क्षमता निर्माण–

जिला प्रशासन ने सभी प्रमुख विभागों को विभागीय आपदा प्रबंधन योजना (Departmental DM Plan) तैयार करने के लिए निर्देशित किया है। पुलिस, फायर सर्विस, स्वास्थ्य, और PWD विभागों में आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (Emergency Response Teams) गठित किए गए हैं।

प्रत्येक विकासखंड स्तर पर रैपिड रेस्पॉन्स टीम (RRT) और कम्युनिटी वॉलंटियर ग्रुप्स का गठन किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र (SIDCUL पंतनगर, रुद्रपुर, किच्छा) में ऑन–साइट एवं ऑफ–साइट आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से कार्मिकों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

4. सामुदायिक स्तर पर क्षमता निर्माण के प्रयास–

ग्राम स्तर पर ग्राम आपदा प्रबंधन समितियाँ (VDMCs) गठित की गई हैं, जिन्हें बाढ़, आग, भूकंप और सड़क दुर्घटनाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, आशा कार्यकत्री, आंगनबाड़ी कार्यकत्री आदि को भी स्थानीय आपदा प्रबंधन में शामिल किया जा रहा है। DDMA द्वारा "आपदा से पहले तैयारी–आपदा के बाद राहत" विषय पर ग्राम पंचायतों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। रेड क्रॉस सोसायटी एवं एनएसएस इकाइयों के माध्यम से युवाओं को प्रथम चिकित्सा, खोज एवं बचाव (Search & Rescue), तथा राहत वितरण कार्यों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

5. क्षमता निर्माण हेतु किए गए प्रमुख प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल्स–

जिले में वार्षिक मॉक ड्रिल कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसके तहत स्कूलों, अस्पतालों, औद्योगिक इकाइयों और सार्वजनिक स्थलों में नियमित मॉक ड्रिल कराई जाती है। राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, फायर सर्विस, SDRF, NDRF एवं स्वयंसेवी संगठनों की संयुक्त भागीदारी से अंतर–विभागीय तालमेल अभ्यास (Inter&Departmental Coordination Exercises) आयोजित किए जा रहे हैं। खटीमा, बाजपुर, काशीपुर और रुद्रपुर में विशेष रूप से बाढ़ और औद्योगिक आपदा पर केंद्रित अभ्यास आयोजित किए गए हैं।

6. तकनीकी और संस्थागत सहयोग–

GB Pant University of Agriculture and Technology (पंतनगर), IIT Roorkee, और Red Cross Society के सहयोग से जिला प्रशासन ने आपदा प्रशिक्षण सामग्री और सिमुलेशन अभ्यासों का विकास किया है। NIC (National Informatics Centre) के सहयोग से जिला EOC (Emergency Operation Centre) को तकनीकी रूप से सशक्त किया जा रहा है। राजस्व विभाग के साथ मिलकर GIS आधारित डेटा बेस तैयार किया जा रहा है ताकि बाढ़ या भूकंप जैसी आपदाओं में त्वरित प्रतिक्रिया संभव हो सके।

7. भविष्य की कार्ययोजना–

प्रत्येक ब्लॉक में स्थायी प्रशिक्षण केंद्र (Permanent Training Hubs) स्थापित किए जाने की योजना है। विद्यालयों, औद्योगिक इकाइयों, और ग्राम पंचायतों के लिए सालाना आपदा प्रबंधन

अभ्यास अनिवार्य किए जाएंगे। ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु (Community Resilience Volunteer Programme) शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है।

4.10 आपदा न्यूनीकरण पर जन–जागरूकता (Awareness Generation on Disaster Mitigation)

1. उद्देश्य–

आपदा न्यूनीकरण के क्षेत्र में जन–जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण घटक है। उधम सिंह नगर जिला प्रशासन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक, संस्थान, और समुदाय आपदा के प्रकार, प्रभाव और उससे बचाव के उपायों के प्रति जागरूक और प्रशिक्षित हो। इस दिशा में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा व्यापक जन–जागरूकता अभियान निरंतर चलाए जा रहे हैं।

2. प्रमुख रणनीतियाँ और क्रियान्वयन

विद्यालय एवं कॉलेज स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम–

जिले के सभी ब्लॉकों में स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षकों और विद्यार्थियों को भूकंप, बाढ़, आग, सड़क दुर्घटना और औद्योगिक आपदाओं से बचाव के उपाय सिखाए जा रहे हैं।मॉक ड्रिल, पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, क्विज एवं रैली का आयोजन किया जा रहा है। विद्यालय सुरक्षा समिति (School Disaster Management Committee) का गठन कर उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को आपदा सुरक्षा योजना (School DM Plan) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

(अ) समुदाय स्तर पर जन–जागरूकता–

ग्राम पंचायतों में "आपदा जागरूकता शिविर" आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें ग्राम प्रधान, ग्राम प्रहरी, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC) के माध्यम से घर–घर जाकर बाढ़ पूर्व तैयारी, सुरक्षित निकासी मार्ग, प्राथमिक चिकित्सा, और पशुधन की सुरक्षा पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती स्तर पर पोस्टर, बैनर, और फ्लेक्स लगाए जा रहे हैं जिनमें स्थानीय खतरों और उनसे निपटने के उपायों की जानकारी दी गई है। लोक गीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो और जनसभा के माध्यम से ग्रामीण जनता तक संदेश पहुँचाया जा रहा है।

(ब) शहरी क्षेत्रों में जागरूकता प्रयास–

रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर, खटीमा, सितारगंज जैसे नगरों में फायर सेफ्टी ड्रिल, भूकंप सुरक्षा अभ्यास और औद्योगिक आपदा पर मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही हैं। नगर निकायों और औद्योगिक इकाइयों को उनके कर्मचारियों के लिए वार्षिक आपदा जागरूकता कार्यक्रम करने के लिए निर्देशित किया गया है। बाजार समिति, परिवहन संघ, स्कूल बस यूनियन आदि में सड़क सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं।

(क) मीडिया एवं संचार माध्यमों का उपयोग–

जिला सूचना कार्यालय के माध्यम से रेडियो, समाचार पत्र, सोशल मीडिया और लोक चौनलों पर नियमित रूप से आपदा जागरूकता संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। "1077" आपदा नियंत्रण कक्ष (District Control Room) का प्रचार किया जा रहा है ताकि आम नागरिक किसी भी आपदा की

स्थिति में तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें। आईईसी (Information Education and Communication) सामग्री जैसे पंपलेट, पुस्तिकाएं, पोस्टर और ब्रोशर वितरित किए जा रहे हैं।

(म) विशेष अभियान और आयोजन–

हर वर्ष राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस (29 अक्टूबर), भूकंप सुरक्षा सप्ताह, और फायर सेफ्टी सप्ताह के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिला स्तरीय आपदा मेला (Disaster Awareness Fair) आयोजित कर विभिन्न विभागों जैसे फायर, स्वास्थ्य, पुलिस, SDRF, और एनजीओ के स्टॉल लगाए जाते हैं। स्कूल, कॉलेज, उद्योग और अस्पतालों को इस मेले में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है ताकि वे अपने–अपने क्षेत्र में अपनाए जा रहे सुरक्षा उपायों का प्रदर्शन कर सकें।

3. स्वयंसेवी संस्थाओं और विभागों की भागीदारी–

रेड क्रॉस सोसाइटी, NYKS, NSS, NCC, SDRF, Civil Defence, NGOs आदि को जिला प्रशासन के साथ जोड़कर जन–जागरूकता अभियानों में शामिल किया जा रहा है।इन संगठनों को आपदा जागरूकता दूत (Disaster Awareness Ambassadors) के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।महिला समूहों, धार्मिक संगठनों और व्यापार मंडलों के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

4. भविष्य की योजना–

"एक ग्राम– एक जागरूकता शिविर" कार्यक्रम के तहत हर ग्राम पंचायत में वार्षिक आपदा जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। ई–लर्निंग एवं मोबाइल एप आधारित जागरूकता सामग्री विकसित की जा रही है ताकि नागरिक अपने मोबाइल पर आपदा संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। औद्योगिक इकाइयों में (Zero Accident Week) और (Disaster Ready Industry) अभियान प्रारंभ करने की योजना है। स्कूल और कॉलेजों में अनिवार्य आपदा शिक्षा मॉड्यूल लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

4.11 विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में रोकथाम उपायः–

आपदा रोकथाम और शमन के लिए संरचनात्मक और गैर.संरचनात्मक दोनों प्रकार के उपायों की योजना बनाई जा सकती है। संरचनात्मक उपायों में भौतिक इंजीनियरिंग और गैर–इंजीनियरिंग संरचनाओं का निर्माण शामिल है, जो खतरे के जोखिमों को कम करने के लिए होते हैं। गैर–संरचनात्मक शमन में आधिकारिक और समुदाय स्तर पर जागरूकता और क्षमता निर्माण, नई योजनाओं का निर्माण और समग्र रूप से सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना शामिल है। शमन उपायों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता हैः–

- **संरचनात्मक उपायः–**स्थल पर काम, निर्माण, और इंजीनियरिंग कार्य।
- **गैर–संरचनात्मक उपायः–** इसमें अध्ययन, शोध, नियम, नीति में परिवर्तन और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं जो संरचनात्मक उपायों का समर्थन करती हैं। तालुका आपदा प्रबंधन योजना में विभिन्न विभागों के साथ परामर्श और सहयोग से विशिष्ट खतरों के लिए संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक शमन योजनाएँ शामिल की जाती हैं। उदाहरण के लिए, MGNREGA कार्य बाढ़ सुरक्षा के लिए तटबंध निर्माण पर गतिविधियाँ कर सकता है या वन विभाग तटीय क्षेत्रों में मैनग्रोव पौधारोपण कर सकता है, जबकि जल आपूर्ति विभाग ऊँचे प्लेटफार्मों पर हैंड पंप

स्थापित कर सकता है। विभाग अपनी योजना, लक्ष्य, और मील के पत्थर तैयार करेंगे और वार्षिक रूप से उनकी प्राप्तियों और अगले वर्ष की योजना की समीक्षा करेंगे। शमन, तैयारियों, और रोकथाम के उपाय आपदा से पहले लिए जाते हैं ताकि आपदा की संभावना (जोखिम में कमी) या संभावित आपदा से होने वाले नुकसान (संवेदनशीलता में कमी) को कम किया जा सके। संवेदनशीलता में कमी को जोखिम में कमी से पहले प्राथमिकता दी जाती है। जिला निम्नलिखित चार तंत्रों का उपयोग करके जोखिम और संवेदनशीलता को कम कर सकता है।

- **दीर्घकालिक योजनाः**—शमन, तैयारियों, और रोकथाम के लिए जिला में निवेश की दीर्घकालिक योजना बनाना।
- **नियमों का प्रवर्तनः**—विशेष रूप से निर्माण और सुरक्षा कोड और भूमि उपयोग योजनाओं का प्रवर्तन।
- विकास योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा और मूल्यांकनः ताकि जोखिम और संवेदनशीलता को कम करने के उपायों की पहचान की जा सके।
- क्षमता निर्माणः जिसमें चेतावनी प्रणाली, राहत और पुनःसंचार सहायता प्रदान करना और समुदाय स्तर पर जोखिम और संवेदनशीलता की पहचान करना शामिल है। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण इन तंत्रों का उपयोग करके शमन, तैयारियों और रोकथाम के लिए योजनाएँ और गतिविधियाँ विकसित करने में अहम भूमिका है।
- जोखिम और संवेदनशीलता का अंतरिम मूल्यांकन करने के आधार पर, जिला शमन, तैयारियों और रोकथाम के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगाः
- जीवन रेखा प्रणालियों (पानी, बिजली, और संचार) की लचीलापन
- स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, स्कूलों, और सड़कों पर आपदा के प्रभाव में कमी
- बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में संवेदनशीलता में कमी
- औद्योगिक स्थलों के पास ऑफ—साइट तैयारियों में सुधार

4.12 उधम सिंह नगर जिला में विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) का मुख्यधारा में समावेश

DM अधिनियम ने DDMA को यह उंदकंजम किया है कि वह ''राज्य सरकार के विभागों द्वारा आपदाओं की रोकथाम और न्यूनीकरण के उपायों को उनके विकास योजनाओं और परियोजनाओं में एकीकृत करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करें और इसके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करें'' और ''राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि रोकथाम और न्यूनीकरण के उपायों को इसमें समाहित किया गया है''। इस संदर्भ में, उधम सिंह नगर जिले को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह क्षेत्र विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़, सूखा, और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो सकता है।

उधम सिंह नगर जिला में DRR के मुख्यधारा में समावेश के लिए प्रमुख दिशानिर्देशः—

1. **विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को एकीकृत करना**

- हर विकास योजना में जोखिम आकलन और प्रभाव मूल्यांकन करना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी परियोजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनतम किया जाए और कोई नई परियोजना आपदा के जोखिम को बढ़ाए नहीं।
- शहरी योजनाओं और जोनिंग को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जो उच्च जोखिम वाले हैं, और उन्हें सही तरीके से विकसित किया जाएगा।

2. **विकास योजनाओं में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को प्राथमिकता देना:**

- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव (जैसे कि बढ़ती बाढ़, सूखा और उच्च तापमान) को पहचानते हुए, उन प्रभावों को कम करने के उपायों को समाहित किया जाएगा।
- स्मार्ट सिटी और सतत शहरी योजनाओं में DRR उपायों को एकीकृत करना, ताकि शहरीकरण के परिणामस्वरूप होने वाली समस्याओं से बचा जा सके।

3. **विकास परियोजनाओं में "किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने" (Do No Harm) का दृष्टिकोण:**

- प्रत्येक विकास परियोजना को इस दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि वह स्थानीय समुदायों, पर्यावरण और संसाधनों के लिए जोखिम उत्पन्न न करें।
- इसके लिए सुरक्षा योजनाओं, जैसे भवन कोड्स का उन्नयन, आपदा प्रतिरोधक डिजाइनों, और बाढ़ सुरक्षा उपायों को विकास योजनाओं में समाहित किया जाएगा।

4. **आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों का समावेश और पारदर्शिता:**

- प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की स्थापना की जाएगी ताकि उधम सिंह नगर जिले में किसी भी प्रकार की आपदा के होने से पहले समुदायों को सचेत किया जा सके।
- सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि लोग आपदा के बारे में जागरूक हों और उनके पास बचाव के उपाय हों।

5. **न्यूनीकरण उपायों के लिए सभी विभागों का समन्वय:**

- DDMA द्वारा राज्य और जिला स्तर पर सभी विभागों को समन्वित किया जाएगा ताकि आपदा न्यूनीकरण के उपायों को सटीक रूप से लागू किया जा सके।
- विकास योजनाओं में DRR उपायों का समावेश सभी विभागों के द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा, जिनमें जल, बिजली, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभाग शामिल होंगे।

6. **स्थानीय प्रशासन और समाज को तैयार करना:**

- स्थानीय प्रशासन और समाज को आपदा प्रतिक्रिया योजना और आपदा प्रबंधन उपकरणों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- स्वयंसेवकों और प्रशिक्षकों का गठन किया जाएगा, ताकि जिला स्तर पर किसी भी आपदा के दौरान प्रतिक्रिया तंत्र मजबूत हो सके।

4.12.1 उधम सिंह नगर जिला के लिए प्रमुख चुनौतियाँः

1. बाढ़ और जलमग्न क्षेत्रः

- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का न्यूनीकरण और जल निकासी प्रणाली का सुधार।

2. सूखा और जल संकटः

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए जल पुनर्चक्रण और वर्षा जल संचयन के उपायों को प्रोत्साहित करना।

3. जलवायु परिवर्तन से होने वाली घटनाओं का बढ़ता जोखिमः

- जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले अत्यधिक तापमान और वृष्टि की असमानता से निपटने के लिए स्थायी कृषि प्रथाओं और जलवायु अनुकूल शहरी योजनाओं की आवश्यकता होगी।

4. आपदा में स्थायित्व और विकासः

- बुनियादी ढांचे के लिए आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और नए भवन निर्माण नियमों का पालन करना सुनिश्चित करना। इन चुनौतियों का समाधान विभिन्न विभागों के समन्वय, तकनीकी सुधार, और सामुदायिक भागीदारी से किया जाएगा। इससे उधम सिंह नगर जिले में सुरक्षित और टिकाऊ विकास सुनिश्चित होगा।

4.12.2 उधम सिंह नगर जिला में विकास क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) का मुख्यधारा में समावेशः

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) उन उपायों को कहा जाता है जो आपदा से होने वाले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और अमूर्त नुकसान को कम करने के लिए किए जाते हैं। ये उपाय तकनीकी, आर्थिक या सामाजिक हो सकते हैं। DRR में दो मुख्य पहलू होते हैंः ''न्यूनीकरण'' और ''तैयारी''। न्यूनीकरण का उद्देश्य आपदा के जोखिम, प्रभाव या परिणामों को कम करना होता है, जबकि तैयारी का उद्देश्य समाज को पूर्वानुमान करने और आपदा के प्रभावों से निपटने के लिए तैयार करना होता है।

4.12.3 DRR को विकास और पुनर्निर्माण योजनाओं में मुख्यधारा में लाने का उद्देश्यः

- विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को शामिल करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा जोखिम और संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाए।
- विकास योजनाओं के प्रारूपण या निधिकरण के दौरान, संभावित खतरनाक प्रभावों पर विचार किया जाएगा और न्यूनीकरण उपायों को शामिल किया जाएगा।
- सभी विकास योजनाएं स्थानीय आपदा जोखिम और संवेदनशीलता के हिसाब से तैयार की जाएंगी, ताकि भविष्य में आपदाओं का असर कम किया जा सके।

4.12.4 उधम सिंह नगर जिला में DRR के समावेश के लिए कुछ प्रमुख कदमः

1. विकास योजनाओं का आपदा जोखिम और संवेदनशीलता के हिसाब से मूल्यांकनः

- सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे स्थानीय क्षेत्रों में आपदा जोखिम और संवेदनशीलता को संबोधित कर रही हैं।
- योजना के प्रारूपण या निधिकरण के चरण में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी परियोजना संभावित आपदा जोखिम से मुक्त हो।

2. स्थानीय आपदा जोखिम और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्माणः

- DDMA यह सुनिश्चित करेगा कि सभी आपदा राहत और पुनर्निर्माण कार्यक्रम विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करें और भविष्य में आपदा जोखिम को कम करें।

4.12.5 मुख्यधारा में DRR को शामिल करने के लिए प्रमुख योजनाओं का उपयोगः उधम सिंह नगर जिला में निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं के माध्यम से DRR को मुख्यधारा में लाया जा सकता हैः

क. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)

- MGNREGS निधियों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए किया जाएगा।
- उन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जो आपदा जोखिम को कम करते हैं, जैसे भूमि संरक्षण, जल संरक्षण और भूस्खलन की रोकथाम।

ख. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

ग्रामीण सड़क योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मुद्दों को शामिल किया जाएगा, ताकि बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याओं से निपटा जा सके।
सड़क परियोजनाओं में स्लोप स्थिरीकरण, बाढ़ और भूस्खलन से बचाव के लिए काम किया जाएगा।

निष्कर्षः

उधम सिंह नगर जिले में DRR का मुख्यधारा में समावेश करने से, क्षेत्र के विकास को स्थिर और सुरक्षित बनाया जा सकता है।

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के उपायों को विकास योजनाओं में सम्मिलित करना
- स्थानीय संवेदनशीलता और आपदा जोखिम के आधार पर परियोजनाओं का निर्माण करना
- स्थानीय समुदायों और अधिकारियों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित करना
- विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के दृष्टिकोण को लागू करना

इन उपायों के माध्यम से उधम सिंह नगर जिला में आपदा जोखिम को कम किया जा सकता है

और क्षेत्रीय विकास को सुरक्षित और दीर्घकालिक बनाया जा सकता है।

4.13 खतरे के हिसाब से संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक शमन उपायः–

खतरा : बाढ़

बाढ़ के लिए संरचनात्मक शमन उपाय

संभावित शमन उपाय	क्रियान्वयन करने वाले विभाग	योजना/कार्यक्रम के साथ समन्वय	समय सीमा
जलमार्ग की सफाई और गहराईकरण	सिंचाई, ग्रामीण विकास एवं खनन विभाग	विभागीय कार्यक्रम और MGNREGS	नियमित रूप से
तटबंध/सुरक्षा दीवार का निर्माण	सिंचाई विभाग, लो0नि0वि0 एवं वन विभाग	विभागीय कार्यक्रम और MGNREGS	नियमित रूप से
तटबंध/सुरक्षा दीवार का मरम्मत	सिंचाई विभाग, लो0नि0वि0 एवं वन विभाग	विभागीय कार्यक्रम	नियमित रूप से
बाढ़ चैनलों, नहरों, प्राकृतिक जल निकासी, वर्षा जल लाइनों की मरम्मत और रखरखाव	सिंचाई विभाग	विभागीय कार्यक्रम	विभागीय या विशेष योजना
सुरक्षित आश्रय का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना	कलेक्टर और जिला पंचायत	जिला विकास प्राधिकरणए	नियमित रूप से
भूमि संक्षरण के हेतु सुरक्षा दीवार और मैनग्रोव तथा वनस्पति आवरण	वन और ग्रामीण विकास विभाग, कृषि लघु सिंचाई	GEC, विभागीय योजनाएँ, MGNREGA, IWMP, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबन्धन, भूमि संरक्षण	नियमित रूप से
जल निकायों जैसे नदी और तालाबों की सफाई	सिंचाई विभाग	DDO ग्रामीण विकास	MGNREGA और भूमि विकास

यह तालिका बाढ़ के खतरे के लिए विभिन्न संरचनात्मक शमन उपायों को और उनकी क्रियान्वयन योजना को दर्शाती है।

बाढ़ के लिए गैर–संरचनात्मक शमन उपाय

गैर–संरनात्मक उपाय	क्रियान्वयन करने वाले विभाग	एजेंसी/कार्यक्रम करने वाले विभाग	समय सीमा
जोखिम प्रवण क्षेत्रों में मौजूदा और प्रस्तावित आवासीय भंडार का सुरक्षा ऑडिट	IRRIGATION,CFO,DDA, Muncipal Bodies	PMGSY एवं अन्य ग्रामीण योजना	नियमित रूप से
आपदा प्रबन्धन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण योजना	सभी स्तरों पर/डी.डी.एम.ए.	SDRF,NDRF,CMO,CFO, FOREST,Education इत्यादि	नियमित रूप से
स्वयंसेवकों और तकनीशियनों का क्षमता निर्माण	DDMA, SDRF,NDRF, Red Cross	आपदा प्रबन्धन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण योजना, समस्त विभाग।	नियमित रूप से
पशुधन की स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना	पशु चिकित्सा अधिकारी, ग्रामीण विकास	विभागीय योजना	नियमित रूप से

यह तालिका बाढ़ के लिए विभिन्न गैर–संरचनात्मक शमन उपायों को और उनकी क्रियान्वयन योजना को दर्शाती है

भूकम्प के लिए संरचनात्मक शमन उपाय

संभावित शमन उपाय	पहचानित स्थान और गांव	क्रियान्वयन करने वाले विभाग	एजेंसी/कार्यक्रम करने वाले विभाग	समय सीमा
सार्वजनिक उपयोगिता भवनों जैसे कार्यालयं,	भूकम्प प्रवण	R & B ;राज्य और पंचायत), DDO, ग्रामीण विभाग/लो0नि0वि0	नगर योजना और सभी विकास योजनाएँ	नियमित रूप से
असुरक्षित ग्रामीण घरों का रिट्रोफिटिंग	DDA, R & B राज्य और पंचायत)	ग्रामीण आवास योजनाएँ और विभागीय कार्यक्रम ग्रामीण विभाग/लो0नि0वि0		नियमित रूप से
असुरक्षित संरचनाओं की पहचान करना और सुरक्षित रूप से नष्ट करना	R & B विभाग	विकास योजना,लो0नि0वि0		नियमित रूप से

यह तालिका भूकम्प के लिए विभिन्न संरचनात्मक शमन उपायों को और उनकी क्रियान्वयन योजना को दर्शाती है।

भूकम्प के लिए गैर–संरचनात्मक शमन उपाय

गैर–संरचनात्मक उपाय	स्थान और कवरेज क्षेत्र	क्रियान्वयन करने वाले विभाग	एजेंसी / कार्यक्रम करने वाले विभाग	समय सीमा
भूकम्प प्रतिरोधी विशेषताओं पर आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरिंग और मिस्त्रियों का क्षमता निर्माण	भूकम्प प्रवण	जिला विकास प्राधिकरण / जिला पचांयत राज विभाग विभाग / लो0नि0वि0	IIT Roorkee ,CBRI	विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम
प्रशिक्षित और प्रमाणित मिस्त्री का पंजीकरण	–	–	–	–
सरकारी ग्रामीण आवास, शहरी विकास संरचनाओं के लिए भूकंपीय सुरक्षा से संबंधित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन करना	–	जिला विकास प्राधिकरण / जिला पचांयत राज विभाग विभाग	ग्रामीण आवास योजनाएँ	नियमित रूप से
स्कूल, अस्पतालों और सार्वजनिक भवनों के लिए मॉक–ड्रिल और मिस्त्रियों, इंजीनियरों, और आर्किटेक्ट्स के लिए प्रशिक्षण	DDMC, स्कूल	DRM, NSSP, DRR	DM विनियम	नियमित रूप से

यह तालिका भूकम्प के लिए विभिन्न गैर–संरचनात्मक शमन उपायों को और उनकी क्रियान्वयन योजना को दर्शाती है।

सूखा के लिए संरचनात्मक शमन उपाय

संरचनात्मक उपाय	पहचानित स्थान और गांव	क्रियान्वयन करने वाले विभाग	एजेंसी / कार्यक्रम के साथ समन्वय	समय सीमा
घरों और सार्वजनिक भवनों में वर्षा जल संचयन टैंक	सूखा प्रवण	GWSSB (WASMO), ग्रामीण विकास विभाग	MGNREGA, स्वजल धारा	नियमित रूप से
जल संचयन और पुनः चार्जिंग के लिए कुएं, ताल	सूखा प्रवण	DDO, ग्रामीण विकास विभाग, सिंचाई विभाग	MGNREGA, जलग्रहण कार्यक्रम, विभागीय योजनाएँ	नियमित रूप से
जल स्रोतों, चेक डेम, हैंड पंप आदि की मरम्मत और रखरखाव, सिल्टिंग		सिंचाई विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जल संस्थान	MGNREGA, जलग्रहण	नियमित रूप से

यह तालिका सूखा के लिए विभिन्न संरचनात्मक शमन उपायों को और उनकी क्रियान्वयन योजना को दर्शाती है।

सूखा के लिए गैर–संरचनात्मक शमन उपाय

गैर–संरचनात्मक उपाय	स्थान/कवरेज क्षेत्र	क्रियान्वयन करने वाले विभाग	एजेंसी/कार्यक्रम के साथ समन्वय	समय सीमा
सूखा–रोधी/संकट कार्यों के लिए कार्यों की सूची/शेल्फ का निर्माण करना जिसमें जलाशयों के संभावित स्थानों की पहचान भी शामिल है	सूखा प्रवण	ग्रामीण विकास विभाग	MGNREGS	नियमित रूप से
किसानों को सूखा–प्रतिरोधी फसलें उगाने और जल का कुशल उपयोग करने के लिए शिक्षा देना	कृषि और बागवानी विभाग	विभागीय योजनाएँ		नियमित रूप से
पानी के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण तंत्र स्थापित करना (तालाब, छोटे डेम, चेक डेम) प्रारंभिक समय में	पंचायत	–		नियमित रूप से

यह तालिका सूखा के लिए गैर–संरचनात्मक शमन उपायों को और उनकी क्रियान्वयन योजना को दर्शाती है।

खतराः औद्योगिक (रासायनिक) संरचनात्मक उपाय

संरचनात्मक उपाय	गतिविधियाँ	अमल करने वाले विभाग	संघटनध्कार्यक्रम के साथ समन्वय	समय सीमा
उद्योगों के पर्यावरणीय प्रभाव की निगरानी	प्राकृतिक संसाधनों (भूजल निगरानी कुएं, वायु गुणवत्ता परीक्षण, आदि) पर प्रभाव का डेटा संग्रहण	DDMC, DCG	GPCB (राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)	पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम
सुरक्षा आकलन	संरचनात्मक सुरक्षा निरीक्षण/ऑडिट करना	DISH, DCG (औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सहायक निदेशक)	औद्योगिक अधिनियम	नियमित हस्तक्षेप
सुरक्षा दीवार	आपदा के जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षा दीवार का निर्माण	औद्योगिक इकाई	औद्योगिक अधिनियम	नियमित हस्तक्षेप

विशेष परियोजनाएँ और आपदाओं को रोकने के लिए चल रहे कार्यक्रमः–

आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (DRMP) आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (DRMP) उत्तराखण्ड में प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर मजबूत जड़ें जमा चुका है। उत्तराखण्ड सरकार में राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, जो USDMA के साथ मिलकर इस विषय को संभालता है, नोडल विभाग है। विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन समितियाँ गठित की जाती हैं और उन्हें कार्यक्रम को लागू करने का कार्य सौंपा जाता है। इन समितियों का प्रतिनिधित्व निर्वाचित प्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों, पेशेवर संगठनों, सिविल डिफेंस, एनजीओ और समुदाय आधारित संगठनों (CBO) के प्रतिनिधियों और स्थानीय राय नेताओं से किया जाता है। DRM कार्यक्रम के तहत मुख्य गतिविधियाँ जैसे–विभिन्न स्तरों पर योजना निर्माणए SDRN/IDRN के माध्यम से आपातकालीन संसाधन डेटाबेस का रखरखाव, प्रशिक्षण और संसाधन जुटाने के माध्यम से क्षमता निर्माण, आपदा जागरूकता कार्यक्रम, उन्मुखीकरण, अभियान, मीडिया प्रबंधन और IEC वितरण की जा रही हैं। जिला प्रशासन को आपदा प्रबंधन गतिविधियों के लिए विशेषज्ञता, लॉजिस्टिक्स और निधि आवंटन के साथ समन्वय करना।

राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रमः–

राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (NSSP) एक पायलट परियोजना है जो NDMA और भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही है। NSSP परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल सुरक्षा है और इसमें कई गतिविधियाँ जैसे– शिक्षक, छात्रों का क्षमता निर्माण, विद्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम, खतरों के अनुसार मॉक ड्रिल का आयोजन, विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण आदि किया जा रहे हैं।

संरचनात्मक न्यूनीकरण उपायः–

क. भवनों का रेट्रोफिटिंगः ऊधमसिंह नगर जिला भूकंपीय दृष्टि से क्षेत्र IV में आता है। ऊधमसिंह नगर क्षेत्र में अधिकांश भवनों में अच्छा भूकंपीय प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। मुख्य रूप से चार प्रकार की निर्माण शैलियाँ हैंः–

- श्रेणी A: मिट्टी, पत्थर की दीवारें
- श्रेणी B: ईंट निर्माण की दीवारें
- श्रेणी C: R-C-C- निर्माण
- श्रेणी D: पारंपरिक और सामान्य निर्माण

श्रेणी A के भवन बहुत कमजोर होते हैं और यहां तक कि हल्के तीव्रता के भूकंप से भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इन भवनों की विस्तृत मूल्यांकन की आवश्यकता है ताकि वे जीवन को नुकसान पहुँचाने वाले खतरे का कारण ना बन सकें। इन भवनों का मूल्यांकन करके, उनके रेट्रोफिटिंग के लिए रणनीति विकसित की जा सकती है। सामान्यतः सार्वजनिक भवनों को पहले प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इनकी संख्या कम होती है और आपदा के समय लोग इन भवनों में शरण ले सकते हैं। महत्वपूर्ण भवनों के उदाहरण हैं– अस्पताल, क्लीनिक, संचार भवन, अग्नि और पुलिस स्टेशन, जल आपूर्ति, सिनेमा हॉल, बैठक हॉल, स्कूल और सांस्कृतिक भवन जैसे संग्रहालय, स्मारक और मंदिर। श्रेणी C-RCC निर्माण नियंत्रणः भूकंप में सबसे अच्छी सुरक्षा एक मजबूत निर्माण प्रणाली है। भवनों की गुणवत्ता, जिसे उनके भूकंपीय प्रतिरोध से मापते हैं, बुनियादी महत्व की है। भूकंप और बाढ़ प्रतिरोधी संरचनाओं के लिए

राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम डिजाइन और निर्माण मानक एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में अब भूकंपीय और बाढ़ प्रतिरोधी डिजाइन के लिए भवन कोड और नियम हैं। इन कोडों की निरंतर समीक्षा की जाती है। भारत में सामान्य रूप से निम्नलिखित भवन कोड लागू होते हैंः–

- IS: 1893, 1984 – संरचनाओं के भूकंपीय प्रतिरोधी डिजाइन के लिए मानक
- IS: 13828, 1993 – कम मजबूती वाले भूकंपीय प्रतिरोधी ईंट निर्माण भवनों के लिए दिशा–निर्देश
- IS: 13920, 1993 – भूकंपीय बलों से प्रभावित सीमेंट–कंक्रीट संरचनाओं के लिए डक्टाइल विवरण
- IS: 13827, 1993 – मिट्टी के भवनों की भूकंपीय प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए दिशा–निर्देश
- IS: 13935, 1993 – भवनों की मरम्मत और भूकंपीय मजबूती के लिए दिशा–निर्देश

भवन के लिए उपयुक्त नियम और भूकंपीय कोड को नगरपालिका, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण और पंचायती निकाय द्वारा लागू किया जाना चाहिए।

गैर–structural:

भूमि उपयोग योजनाः एक भवन के नुकसान का मुख्य कारण आमतौर पर उस क्षेत्र की मिट्टी की स्थिति और स्थलाकृतिक विशेषताएँ होती हैं। ऊधमसिंह नगर जिला भूकंप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में आता है (क्षेत्र 4)।

प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमः न्यूनीकरण में यह भी शामिल है कि लोगों को भूकंप और बाढ़ से अपने घरों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। विभिन्न लक्षित समूहों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाने चाहिए, जैसे– इंजीनियरों और मिस्त्री के लिए सुरक्षित निर्माण प्रथाओं के बारे में और जनता के लिए सामान्य 'क्या करें और क्या न करें'।

न्यूनीकरण रणनीतियाँः

- ऊधमसिंह नगर जिले में निम्नलिखित क्षेत्र में मानव बस्तियों का विस्तार भूमि उपयोग योजना के द्वारा रुकना चाहिए। ऐसे क्षेत्र न केवल बाढ़ के खतरों से बल्कि भूकंपीय द्रवण से भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे नुकसान बहुत बढ़ सकता है।
- नए इंजीनियरिंग और गैर–इंजीनियरिंग निर्माणों के लिए उचित भवन कोड लागू किए जाएंगे और इन्हें स्थानीय निकायों द्वारा कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।
- बुनियादी ढाँचा विभाग सार्वजनिक भवनों का रेट्रोफिटिंग करेगा, जो उनके रखरखाव प्रभार में हैं। सामान्यतः, PWD, ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएँ और आवास बोर्ड सार्वजनिक भवनों का रखरखाव करते हैं। ऐसी रेट्रोफिटिंग के लिए व्यय रखरखाव मद के तहत किया जाएगा।
- समुदाय में भूकंपीय–प्रतिरोधी भवन निर्माण तकनीकों और मौजूदा भवनों के भूकंपीय रेट्रोफिटिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। आवास बोर्ड को कार्यशालाओं और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जाएगा।
- भूकंप के दौरान 'क्या करें और क्या न करें' के बारे में समुदाय में जागरूकता बढ़ाई जाएगी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं और ब्ठे की भागीदारी होगी। इस गतिविधि के लिए राजस्व विभाग नोडल एजेंसी होगा।

प्रत्येक विभाग की रोकथाम और न्यूनीकरण जिम्मेदारीः–कृषि

रोकथाम गतिविधियाँः

- विभिन्न पौधों के रोगों, आपदा–प्रवण क्षेत्रों में वैकल्पिक फसल प्रथाओं, फसल बीमा, ऋण सुविधाओं की उपलब्धता, बीजों का उचित भंडारण आदि के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
- खतरे वाले क्षेत्रों का मानचित्रण (कीट संक्रमण, सूखा, बाढ़ और अन्य खतरों के लिए क्षेत्रों की पहचान)।
- गाँव–वार, फसल–वार, सिंचाई स्रोत–वार, बीमा विवरण, ऋण आदि का डेटाबेस विकसित करना।
- ब्लॉक स्तर पर नियमित निगरानीय वर्षा के वितरण और विभिन्नताओं का मूल्यांकन।
- किसानों और विभागीय अधिकारियों को विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप तत्काल कदम उठाने के लिए तैयार करना और आपातकालीन उपायों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना।
- विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए किसानों को सलाह देने के लिए विस्तृत प्रतिक्रिया मैनुअल तैयार करना, जैसे कि जुलाई या सितंबर में वर्षा का विफल होना और साप्ताहिक वर्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एक गतिशील प्रतिक्रिया योजना का विकास करना।
- कृषि समुदाय को फसल प्रथाओं और विभिन्न आपदाओं के दौरान उठाए जाने वाले सावधानी बरतने के उपायों के बारे में सलाह देने के लिए IEC सामग्री का विकास करना।
- सिंचाई सुविधाओं में सुधार, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, मृदा संरक्षण और अन्य मृदा, जल और उर्वरता प्रबंधन उपायों का कार्यान्वयन।
- स्थानीय कृषि–जलवायु परिस्थितियों और क्षेत्र की विशिष्ट खतरों के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उपायों का विकास करना।
- विशिष्ट खतरों के प्रति क्षेत्रों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक फसल प्रजातियों और फसल पैटर्न को बढ़ावा देना।
- कीटों और फसल रोगों की निगरानी करना और प्रारंभिक रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना।
- सामान्य सुविधाओं, बीज और कृषि इनपुट स्टोर, और फसल बीमा के लिए कृषि सेवा आउटलेट्स/उद्यमों को बढ़ावा देना।

स्वास्थ्य विभाग

रोकथाम गतिविधियाँः–

- राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर तैयारियों की स्थिति का मूल्यांकन।
- उन क्षेत्रों की पहचान करना जो महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं।
- परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करना।
- निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ सूचीबद्ध करना और नेटवर्क बनाना।
- रक्तदान के लिए स्वयंसेवकों का नेटवर्क विकसित करना, जिसमें रक्त समूह डेटा शामिल हो।
- रोग निगरानी को मजबूत करना, फील्ड स्तर के कार्यकर्ताओं (ANMs/LHV आदि) से नियमित

रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना और पीएचसी और जिला स्तर पर इसका संकलन और विश्लेषण करना, और इसे राज्य रोग निगरानी सेल को भेजना, और राज्य से जिला और जिला से पीएचसी तक मासिक प्रतिक्रिया प्राप्त करना।

- प्रशिक्षित कर्मियों, परीक्षण सुविधाओं, संचार प्रणालियों और आपातकालीन उपचार सुविधाओं के साथ पर्याप्त संख्या में मोबाइल इकाइयों का गठन।
- संभावित आपदा स्थलों पर आपातकालीन ऑपरेशन कैम्पों के लिए स्थानों की पहचान करना।
- विभिन्न संक्रामक रोगों और उनकी रोकथाम के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
- प्रशिक्षण और प्म्ब् गतिविधियाँ।
- फील्ड कर्मियों, पारंपरिक प्रसव सहायकों, समुदाय के नेताओं, स्वयंसेवकों, NGOs और CBOs को प्राथमिक चिकित्सा, आपदा के दौरान और बाद में महामारी के प्रकोप को नियंत्रित करने के उपायों पर प्रशिक्षण देना।
- प्रत्येक अस्पताल के लिए स्टैंडबाय जनरेटर की व्यवस्था करना।
- वाहनों की सूची बनाना, और उन विभागीय वाहनों की मरम्मत करना जिन्हें आपातकालीन स्थिति में घायल लोगों के परिवहन के लिए मांगा जाएगा।

महामारी के दौरान रोकथाम गतिविधियाँः–

- सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराना, जल गुणवत्ता की निगरानी करना, और बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करना।
- सामुदायिक स्वच्छता गतिविधियों के तहत वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना।
- व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों को बढ़ावा देना।
- नालों और सीवेज प्रणाली की सफाई करना।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास करना।
- मलेरिया के नियंत्रण के लिए जल निकायों की निगरानी और छिड़काव करना।
- महामारी के निगरानी और नियंत्रण क्षमता को बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बढ़ावा देना और पैराप्रोफेशनल्स का नेटवर्क बनाना।
- उचित स्थानों पर परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित करना ताकि जल्दी निदान और उसके बाद की चेतावनी में लगने वाला समय कम किया जा सके।
- स्वास्थ्य विभाग, अन्य स्थानीय प्राधिकरण/विभागों और छळव्े के साथ समन्वय के लिए प्रक्रियाएँ और तरीके स्थापित करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महामारी के प्रकोप को रोकने और/या कम करने के लिए उचित रोकथाम और तैयारी उपाय किए गए हैं।
- उन क्षेत्रों की पहचान करना जो विशेष महामारी के प्रति संवेदनशील हैं और महामारी को नियंत्रित करने और अंततः समाप्त करने के लिए आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना।
- महामारी से निपटने के लिए साइट ऑपरेशन कैम्पों की पहचान करना और स्थापित करना।
- घायल जानवरों के परिवहन के लिए वाहनों की सूची बनाना और पहचानना।

- जानवरों का टीकाकरण करना और संभावित क्षेत्रों में कैम्प साइटों की पहचान करना।
- पशु बीमा को बढ़ावा देना।
- जानवरों को टैग करना।
- पशु चिकित्सा अस्पतालों के लिए स्टैंडबाय जनरेटर की व्यवस्था करना।
- प्रत्येक अस्पताल में एक साथ बड़ी संख्या में मवेशियों को प्राप्त करने की व्यवस्था करना।
- समुदाय के सदस्य को मृत पशुओं के निपटान में प्रशिक्षण देना।

पुलिस विभागः

रोकथाम गतिविधियाँः–

- पुलिस बल को सामान्य रूप से और विशेष रूप से RAF (रैपिड एक्शन फोर्स) को हर समय खोज, बचाव, निकासी और अन्य आपातकालीन कार्यों के लिए तत्पर रखने के लिए नियमित ड्रिल के माध्यम से तैयार रखना।
- आपदा प्रतिक्रिया के लिए आधुनिक आपातकालीन उपकरणों की खरीद और तैनाती, साथ ही मौजूदा बुनियादी ढांचे और उपकरणों का आधुनिकीकरण करना, और इन उपकरणों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए नियमित प्रशिक्षण और ड्रिल आयोजित करना।
- RAF के लिए सभी प्रकार की आपदाओं के लिए बेहतर प्रशिक्षण और उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करना।
- बल को हमेशा तत्पर रखने के लिए सदस्यों की रोटेशन सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी संचार उपकरण, जिनमें वायरलेस भी शामिल हैं, नियमित रूप से काम करते रहें, और कमजोर क्षेत्रों में अतिरिक्त वायरलेस यूनिट्स की तैनाती करना।
- पुलिस और USDMA द्वारा आपूर्ति किए गए VHF संचार सेट्स की आपसी बदलने की क्षमता सुनिश्चित करना, यदि आवश्यक हो तो।
- जिला प्रशासन और आपातकालीन अधिकारी के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना।
- पुलिस अधीक्षक को जिला प्राकृतिक आपदा समिति का उपाध्यक्ष बनाना।
- आपातकालीन योजनाओं के निर्माण के दौरान स्थानीय सेना इकाइयों की भागीदारी सुनिश्चित करना और आपातकालीन परिस्थितियों में सशस्त्र बलों को लॉजिस्टिक्स और अन्य सहायता प्रदान करना।

अग्निशमन सेवाएंः–

रोकथाम गतिविधियाँः–

- अग्नि सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त कानून और विनियम विकसित करना।
- अग्नि–नियंत्रण उपकरणों का आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना।
- उन क्षेत्रों, उद्योगों, आदि की पहचान करना जो अग्नि दुर्घटनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं या वे स्थान, घटनाएँ जो आग, इमारतों का गिरना, आदि का कारण बन सकती हैं, और लोगों को सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए शिक्षित करना।
- उच्च स्तर की रोकथाम और तैयारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और ड्रिल आयोजित

करना।

- विभिन्न अग्नि सुरक्षा और रोकथाम प्रणालियों के उपयोग में जागरूकता फैलाना।
- समुदायों को अग्नि आपातकालीन स्थितियों को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने के लिए प्रशिक्षण देना।
- अग्निशमन सेवाओं के लिए टभ्थ् नेटवर्क को राजस्व और पुलिस नेटवर्क से जोड़ना।
- मिस्त्रियों और इंजीनियरों को अग्नि–प्रूफ तकनीकों में प्रशिक्षण देना।
- अग्निशमन सेवाओं द्वारा भवन योजनाओं की स्वीकृति अनिवार्य बनाना।

लोक निर्माण/ग्रामीण विकास विभाग

रोकथाम गतिविधियाँः–

- भूमि हलचल और सफाई करने वाले वाहनों/उपकरणों (जो सरकारी विभागों, निजी ठेकेदारों, आदि के पास उपलब्ध हैं) की सूची तैयार करना और इन्हें शीघ्रता से जुटाने के लिए योजना बनाना।
- सड़कों/पुलों, सार्वजनिक उपयोगिताओं और भवनों का निरीक्षण और आपातकालीन मरम्मत करना।

मछली पालन विभाग

रोकथाम गतिविधियाँः–

- नौकाओं और मछुआरों का पंजीकरण करना।
- मौसम से संबंधित घटनाओं और चेतावनी प्रणाली के बारे में समुदाय में जागरूकता बढ़ाना, विशेष रूप से मौसम संबंधित चेतावनियों के प्राप्त होने पर 'क्या करें' और 'क्या न करें' के बारे में।
- जीवन–रक्षक वस्त्र जैसे जीवन जैकेट, हैंड रेडियो आदि प्रदान करने में सहायता करना।
- सभी नौकाओं की उपयोगिता को प्रमाणित करना और उनकी क्षमता की सूचना देना।
- पारंपरिक मछुआरों की क्षमता निर्माण और आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोग के लिए पारंपरिक नौकाओं का सुधार करना।
- युवा मछुआरों को खोज और बचाव संचालन में प्रशिक्षण देना और आपातकालीन स्थितियों में उनकी सेवाएँ प्राप्त करना।

वन विभाग

रोकथाम गतिविधियाँः–

- शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक ज्ञान के लिए वन आवरण, वन विभाग द्वारा उपयोग की जा रही भूमि, इसके कमी दर और इसके कारणों के विवरण को प्रकाशित करना।
- आरा मशीनों (पॉवर और मैन्युअल दोनों) को कार्यशील स्थिति में रखना।
- समुदाय को पौधे देने की व्यवस्था करना और वृक्षारोपण गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पेड़ों के नष्ट होने की स्थिति में पौधों की आपूर्ति के लिए नर्सरी को बढ़ावा देना।

परिवहन विभाग

रोकथाम गतिविधियाँः–

- आपातकालीन संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों की सूची तैयार करना।
- सुरक्षा प्रमाणन, प्रवर्तन और अनुपालन सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि वाहन स्वीकृत सुरक्षा मानकों का पालन करें।
- सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में जागरूकता अभियान के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना, विभिन्न IEC रणनीतियों और स्कूल बच्चों को प्रशिक्षण देने के द्वारा।
- सुरक्षा नियमों के उचित प्रवर्तन को सुनिश्चित करना।

उत्तरदायित्व गतिविधियाँः–

- आपातकालीन संचालन में मदद के लिए वाहनों, ट्रकों और अन्य परिवहन साधनों की मांग करना।
- आपातकालीन स्थिति के बाद प्रभाव मूल्यांकन में भाग लेना।
- खोज, बचाव और प्राथमिक चिकित्सा में सहायता करना।
- राहत सामग्री के वितरण में सहयोग और आवंटन करना।

पंचायती राज संस्थाएँ

रोकथाम गतिविधियाँः–

- समुदाय स्तर पर जोखिम घटाने के लिए रोकथाम/मिटिगेशन रणनीतियाँ विकसित करना।
- आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण।
- आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर जन जागरूकता अभियान चलाना।
- मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन योजनाओं को बढ़ावा देना और समर्थन करना।
- ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने में सहायता करना (जैसे, बेहतर संचार, स्थानीय भंडारण, खोज और बचाव उपकरण, आदि)।
- चक्रवात सीजन से पहले नालियों की सफाई करना, शाखाओं की छंटाई करना।
- राहत सामग्री और कर्मियों के लिए वैकल्पिक मार्गोंध्संचार के साधनों को सुनिश्चित करना ताकि जलमग्न क्षेत्रों या जलमग्न होने की संभावना वाले क्षेत्रों तक पहुंच सके।
- सभी सरकारी विभागों को योजना बनाने और प्राथमिकता देने में सहायता करना, ताकि रोकथाम और तैयारी गतिविधियाँ सुनिश्चित की जा सकें, और साथ ही सक्रिय समुदाय भागीदारी सुनिश्चित हो।

सूचना और जनसंपर्क विभाग

रोकथाम गतिविधियाँः

- मीडिया अभियानों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में सार्वजनिक जागरूकता का निर्माण करना।

- विभिन्न आपदाओं के दौरान 'क्या करें' और 'क्या न करें' के बारे में जनता और संबंधित अन्य लोगों को जानकारी प्रदान करना।
- मीडिया के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF)

रोकथाम गतिविधियाँ :– आपदा प्रतिक्रिया तैयारीः

- SDRF को नियमित प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से तैयार रखना ताकि वे किसी भी आपदा के दौरान त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया दे सकें।
- विशेष रूप से यू.एस. नगर जिले में संभावित आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रहना।

संसाधन और उपकरणों का प्रबंधनः

- आपदा प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण और उपकरणों की सूची तैयार करना, जैसे कि जीवन रक्षक उपकरण, बचाव सामग्री, वॉटर पंप, रेस्क्यू किट, आदि।
- इन उपकरणों का समय–समय पर निरीक्षण और रख–रखाव करना ताकि आपदा के समय इनका सही उपयोग हो सके।

स्थानीय समुदाय के साथ समन्वयः

- SDRF स्थानीय प्रशासन, पुलिस, और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम करता है ताकि आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया की जा सके।
- स्थानीय समुदायों को आपदा जोखिमों के बारे में जागरूक करना और उन्हें आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित करना।

मॉक ड्रिल्स और अभ्यासः

- SDRF द्वारा यू.एस. नगर जिले में मॉक ड्रिल्स और अभ्यास किए जाते हैं, ताकि आपदा के समय टीम की प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत किया जा सके।
- इन ड्रिल्स में स्थानीय समुदाय, अन्य सरकारी विभाग और एनजीओ को भी शामिल किया जाता है ताकि एक बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके।

आपदा जागरूकता कार्यक्रमः

- SDRF स्थानीय लोगों को आपदाओं के बारे में जागरूक करने के लिए सूचना और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।
- इन कार्यक्रमों में आपदाओं से बचाव के उपाय, प्राथमिक चिकित्सा, खोज–बचाव संचालन और जीवन रक्षक उपकरणों का उपयोग करने के तरीके सिखाए जाते हैं।

आपदा प्रतिक्रिया किट की तैयारीः

- SDRF द्वारा आपदा की स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन किट तैयार की जाती है, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा, पानी, खाद्य सामग्री, और संचार उपकरण शामिल होते हैं।

स्थानीय आपातकालीन योजनाओं का समर्थनः

- SDRF जिला प्रशासन के साथ मिलकर यू.एस. नगर जिले में आपदा प्रतिक्रिया योजनाओं को

तैयार करने और उनका परीक्षण करने में सहायता करता है।

- यह सुनिश्चित करता है कि आपातकालीन सेवाएं, जैसे चिकित्सा, परिवहन और बचाव कार्य, तत्काल उपलब्ध हों।

सिंचाई विभाग

रोकथाम गतिविधियाँ :–

- नदी, नहरों और जलाशयों का नियमित निरीक्षणः
- सिंचाई विभाग नदी, नहरों, जलाशयों और अन्य जल निकासी संरचनाओं का नियमित रूप से निरीक्षण करता है, ताकि बाढ़ जैसी आपदाओं के जोखिम को कम किया जा सके।
- जलाशयों और नहरों की सफाई और मरम्मत की जाती है ताकि वर्षा के मौसम में पानी का उचित प्रवाह हो और बाढ़ का खतरा न बढ़े।
- जल स्तर की निगरानी और प्रबंधनः
- सिंचाई विभाग जल स्तर की निगरानी करता है और यदि जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है तो उसे नियंत्रित करने के उपायों की योजना बनाता है।
- विशेष रूप से बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में जलाशयों और नहरों के जल स्तर पर निगरानी रखने के लिए सिस्टम स्थापित किया जाता है।

सिंचाई संरचनाओं का मजबूतीकरणः

- विभाग उन सिंचाई संरचनाओं जैसे बांध, नहरें, जलाशय आदि का मजबूतीकरण करता है ताकि आपदा के दौरान इनका क्षय न हो और इनसे उत्पन्न होने वाली आपदाओं से बचाव किया जा सके।
- इन संरचनाओं का समय–समय पर निरीक्षण और मरम्मत की जाती है।

बाढ़ नियंत्रण उपायः

- सिंचाई विभाग बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करता है और बाढ़ नियंत्रण के लिए आवश्यक उपायों को लागू करता है।
- नदियों और नहरों की सफाई सुनिश्चित की जाती है ताकि बारिश के समय जल निकासी आसानी से हो सके और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन और समाधानः

- सिंचाई विभाग जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करता है और सूखा, बाढ़ आदि जैसे आपदाओं से निपटने के लिए योजनाएँ तैयार करता है।
- सूखा प्रवण क्षेत्रों में जल संरक्षण उपायों को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे जल पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन।

सिंचाई नीतियों और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयनः

- विभाग आपदा जोखिम को कम करने के लिए स्थिर और दीर्घकालिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण करता है, ताकि पानी की कमी या अत्यधिक जलभराव जैसी समस्याओं से बचा।
- सिंचाई विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपयोग के सुधार के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं

पर ध्यान केंद्रित करता है।

आपदा के बाद त्वरित प्रतिक्रियाः

- बाढ़ या अन्य आपदाओं के बाद सिंचाई विभाग त्वरित प्रतिक्रिया करता है, जैसे जल निकासी और आपातकालीन जल आपूर्ति की व्यवस्था।

जिला ऊधम सिंह नगर (U.S Nagar) में चल रही आपदा निवारण एवं न्यूनीकरण (Disaster Prevention and Mitigation) से संबंधित विकास परियोजनाओं का संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण।

क्र.सं.	कार्य का नाम	विवरण
1	Preparation of GIS based Drainage Master Plan and DPR for Rudrapur, Khatima, Sitarganj & Kashipur City.	रुद्रपुर, खटीमा, सितारगंज एवं काशीपुर नगरों के लिए GIS आधारित ड्रेनेज मास्टर प्लान एवं DPR तैयार की जा रही है, जिससे वर्षा जल निकासी प्रणाली को वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ किया जा सके। इससे जलभराव एवं बाढ़ की समस्याओं में कमी आएगी तथा शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। यह योजना भविष्य में आपदा प्रबंधन एवं शहरी विकास के लिए एक दीर्घकालिक समाधान प्रदान करेगी।
2	ऊधम सिंह नगर जनपद में विभिन्न नदियों जैसे कैलाश, गौला नदी में नदी प्रशिक्षण कार्य	मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोकथाम एवं कृषि भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत तटबंधों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण, नदी मार्ग का चौनलाइजेशन, और नदी तटों पर सुरक्षात्मक संरचनाएँ बनाई जा रही हैं। इन प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना में कमी आएगी, मूलभूत ढाँचों की सुरक्षा बढ़ेगी और स्थानीय जनजीवन अधिक सुरक्षित होगा।

अध्याय–5
तैयारी के उपाय

5.1 विभागीय कार्य और जिम्मेदारियॉ–

तैयारी कार्यक्रमों का उद्देश्य किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तत्परता की एक स्तर प्राप्त करना है, जो सरकारों, संगठनों और समुदायों की तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमता को सुदृढ़ करने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। तैयारी का एक रूप यह भी हो सकता है कि खाद्य, उपकरण, पानी, दवाइयां और अन्य आवश्यकताओं का रणनीतिक भंडारण सुनिश्चित किया जाए। आपदा की तैयारी गतिविधियाँ पूर्वानुमान और संभावित खतरे के बारे में अग्रिम चेतावनियाँ मिलने पर सावधानी बरतने के उपायों को शामिल करती हैं। तैयारी के चरण में, सरकारें, संगठन और व्यक्ति जीवन बचाने, आपदा के नुकसान को कम करने और आपदा प्रतिक्रिया संचालन को बढ़ाने के लिए योजनाएँ तैयार करते हैं। इसमें आपातकालीन अभ्यास–प्रशिक्षण, चेतावनी प्रणालियाँ, आपातकालीन संचार प्रणाली, निकासी योजनाएँ और प्रशिक्षण, संसाधन सूची, आपातकालीन कर्मचारी, संपर्क सूची, आपसी सहायता समझौते और जन सूचना,शिक्षा शामिल हैं। तैयारी की योजना आपदा के समय प्रतिक्रिया में समय पर और प्रभावी बचाव और राहत संचालन के रूप में सुधार करती है। प्रत्येक विभागीय शाखा ने समुदाय और संवेदनशील समूहों की कमजोरियों, खतरों और क्षमताओं का मानचित्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आपातकालीन स्थिति के दौरान तैयारी गतिविधियों को प्राथमिकता दी है। उधम सिंह नगर जिले का आपदा प्रबंधन योजना समुदायों और विभिन्न भागीदारों की मदद से तैयार की गई है।

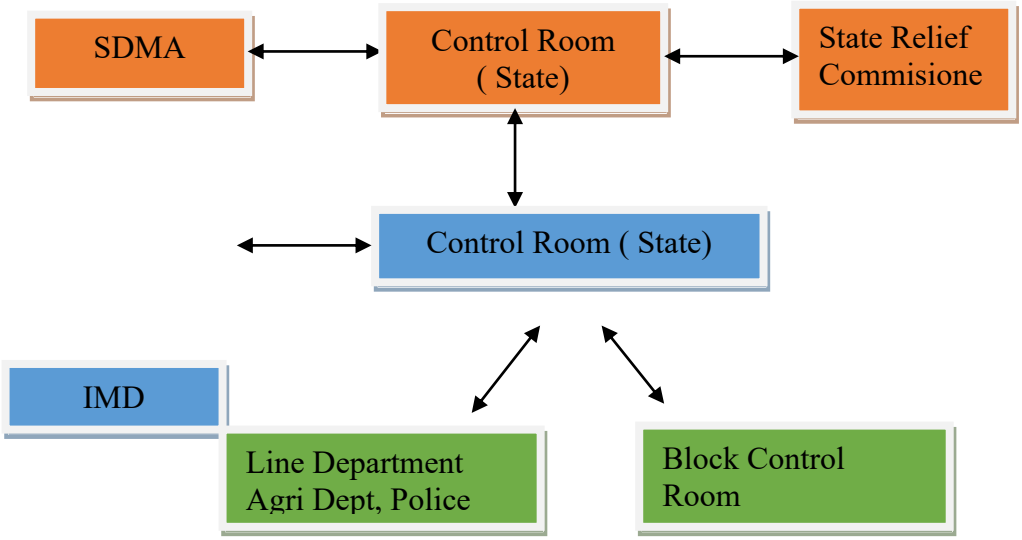

जनपद अन्तर्गत किसी भी आपदा की स्थिति में विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभागीय कार्य और जिम्मेदारियॉ
1.	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)	• DDMP (जिला आपदा प्रबंधन योजना) का क्रियान्वयन, अद्यतन और संशोधन करना। • स्थानीय/सरकारी निकायों के साथ समन्वय स्थापित करना, ताकि जिले में आपदा पूर्व और आपदा पश्चात प्रबंधन गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा सके। • सामुदायिक प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और आपातकालीन सुविधाओं की स्थापना के लिए स्थानीय प्रशासन, गैर–सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के सहयोग से सहायता प्रदान करना। • समस्त विभागों के साथ पूर्व तैयारियों का मूल्याकंन एवं विष्लेशण करना। • आपदा सम्बन्धित रिपोर्ट को तैयार करना।
2.	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC)	• जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र अन्तर्गत तैनात कर्मचारियों द्वारा 24×7 की तर्ज पर तैनात रहते हुए कार्य करना। • जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में तैनात किये गये कर्मचारियों द्वारा आपदा कंट्रोल में प्राप्त होने वाली समस्त सूचनाओं का संकलन कर सम्बन्धितों को प्रेषित किया जाना, तथा शिकायत की प्रकृति के अनुसार सम्बन्धित शिकायतों को कंट्रोल रूम में अवस्थित पंजिका में भी दर्ज किया जाना। • कर्मचारियों द्वारा आपदा नियन्त्रण कक्ष में स्थापित बैसिक फोन, वॉकी–टॉकी सैट तथा सैटेलाईट सैट आदि का संचालन। • सभी चेतावनी यन्त्रों तथा खोज–बचाव उपकरण का सुचारूीकरण कार्य हेतु निगरानी। • जिले के सभी विभागों से नियन्त्रित रूप से तहसीलों तथा विकासखण्डों की घातकता सम्बन्धी सूचना एकत्र करना। • पूर्व तैयारी सम्बन्धी विभिन्न विभागों से मांगी गयी रिपोर्ट का विश्लेषण कर उन्हें आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC), आयुक्त आपदा प्रबन्ध (Commissioner, Disaster Management), आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध केन्द्र (DMMC) एवं मण्डलायुक्त (Commissioner) को भेजना। • जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (DDMAP), को बदलते परिवेश में बदलना तथा विभिन्न श्रोतों का मूल्यांकन करना तथा आपदा दलों का

		गठन करना। • जिला आपदा प्रबन्ध कार्ययोजना को जिले के विभिन्न स्तरों पर लागू करना। • विभिन्न स्वंयसेवी संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं को सामुदायिक पूर्व तैंयारी के लिये तैंयार करना।
3.	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)	• क्क्डच को अनुमोदित करना, योजना की निगरानी और क्रियान्वयन। • इस योजना के विभिन्न पहलुओं के लिए क्क्डच को मार्गदर्शन प्रदान करना। • आपदा की स्थिति में जिले को आवश्यक सहायता प्रदान करना। • शमन और तैयारी उपायों के लिए धन की अनुशंसा करना।
4.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)	• आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजनाओं के प्रवर्तन और क्रियान्वयन का समन्वय करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाती है।
5.	सशस्त्र बल	• एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और संबंधित विभागों के साथ समन्वय में आपातकालीन राहत और प्रतिक्रिया गतिविधियों को अंजाम देना।
6.	पुलिस, होमगार्ड	• आपदा स्थितियों और उनसे संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण देना। • कानून और व्यवस्था बनाए रखना। • लूटपाट और दंगों के खिलाफ कदम उठाना। • खोज और बचाव अभियान चलाना।
7.	सिंचाई विभाग	• प्रभावित क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बहाल करना। • बाढ़ की स्थिति में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। • सिंचाई बुनियादी ढांचे की निगरानी और सुरक्षा करना। • मौसम चेतावनी के दृश्टिगत वर्शा/नदी के जल स्तर पर निगरानी रखने के साथ–साथ ऑकड़े उपलब्ध कराना।
8.	उत्तराखंड पॉवर कॉरपोरेषन लि0 (यू0पी0सी0एल0)/ उरेडा विभाग	• किसी भी आपदा प्रभावित क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को सुचारू कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना। • प्रभावित क्षेत्र में वैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था कराना इत्यादि। • अतिरिक्त उपकरणों/संसाधनो को रिर्जव में रखना। • क्षेत्र में हुए नुकसान का आंकलन करते हुए पुर्नस्थापना को कार्य करना।
9.	दूरसंचार विभाग (बी0एस0एन0	• किसी भी आपदा प्रभावित क्षेत्र में संचार व्यवस्था सुचारू रूप से करना।

	एल0)	• प्रभावित क्षेत्र के बारे में सूचनायें प्रसारित करना। • ऑकडों को एकत्रित करना, आवश्यकतानुसार संन्देशों का आदान प्रदान करना। • आवश्यक सूचनाये जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराना। • जिले में दूरसंचार समर्थन सुनिश्चित करने के लिए कार्यों का समन्वय करना। • प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी दूरसंचार आवश्यकताओं का समन्वय करना।
10.	सूचना विभाग	• आपदा और पीड़ितों की स्थिति पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना और एकत्र करना ताकि राज्य स्तर पर राहत कार्यों का प्रभावी समन्वय हो सके। • सभी टीवी और रेडियो नेटवर्क के साथ समन्वय कर विशेष जरूरतों की खबरें प्रसारित करना।
11.	परिवहन विभाग	• परिवहन आवश्यकताओं का समग्र समन्वय। • विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपलब्ध वाहनों की सूची तैयार करना। • आपातकालीन प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति कार्यों, खोज और बचाव तथा नुकसान के आकलन को समन्वित और कार्यान्वित करना।
12.	कृषि/उद्यान विभाग	• सूखे से संबंधित आपदाओं के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करना। • सभी प्रकार की फसलों के संबंध में आवश्यकताओं और नुकसान का आकलन करना। • कृशि क्षेत्र से संबंधित सभी अवसंरचना के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करना।
13.	पशुपालन विभाग	• आपदाओं के मद्देनजर पशुओं से संबंधित मुद्दों के लिए रणनीति और योजना विकसित करना। • किसी भी महामारी के प्रकोप को नियंत्रित और जांचना। • सभी पशुचिकित्सा केंद्रों की सूची तैयार करना और आपदा स्थिति से निपटने की उनकी क्षमता का आकलन करना। • मृत पशुओं के शवों के निपटान के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना।
15.	चिकित्सा विभाग	• जनपद अन्तर्गत समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्साकों/स्टाफ को अलर्ट स्थिति में रखना। • जनपद अन्तर्गत 108 एवं एम्बुलेंस कियाशील अवस्था में रखना। • जनपद में निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध करना। • जनपद अन्तर्गत अन्तर्गत अवस्थित ब्लड बैंक में रक्तदाताओं की सूची

		को अद्यतन रखना। • जनपद अन्तर्गत आपदा के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में कैम्पों का आयोजन करना। • जनपद अन्तर्गत जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
14.	लोक निर्माण विभाग / पी.एम.जी.एस.वाई. / ब्रिडकुल / वैप्कॉस / बी.आर.ओ. / राश्ट्रीय राजमार्ग / ग्रामीण निर्माण	• संवेदनशील मोटर मार्गो में भूस्खलन सम्भावित स्थलों का चिन्हीकरण करते हुए चेतावनी बोर्ड लगना। कैरेस् बैरियर लगाना। • वैकल्पिक मार्गों को सूचीबद्ध करते हुए आवश्यकता की स्थिति में उपयोग में लाना। • लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद में अवस्थित स्थायी / अस्थायी हैलीपैडों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना। • जे.सी.बी. मशीनों की तैनाती करना। • विभाग के अधीन पुल आदि के अनुरक्षण का कार्य करते हुए निगरानी रखना। • मोटर मार्गो को गड्डामुक्त करना।
15.	राजस्व विभाग	• वास्तविक यथासम्भावित आपदा स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना, प्रक्रिया करना और प्रसारित करना ताकि प्रभावित क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए सभी प्रतिक्रिया कर्ताओं की समग्र गतिविधियों को सुगम बनाया जा सके। • आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करना।
16.	वन विभाग	• जंगलों में वनाग्नि घटनाओं के घटित होने पर त्वरित गति से कार्य कर आग को नियंत्रित करना। • ग्लेशियर क्षेत्र में पर्यकों / ट्रैकरों की आवाजाही पर विशेष निगरानी रखना।
17.	पेयजल / जल संस्थान	• किसी भी आपदा प्रभावित क्षेत्र में स्वच्छ जलापूर्ति करना। • आवश्यकता के अनुरूप जल संस्थान के वाटर टेंकरों के माध्यम से भी स्वच्छ जल की आपूर्ति प्रभावितों तक पहुंचाना। • कैम्प शिविरों में भी स्वच्छ जल की आपूर्ति करना।
18.	पूर्ति विभाग	• किसी भी आपदा प्रभावित क्षेत्र मे खाद्य सामग्री जैसे ब्रेड, डबल रोटी, बेकरी, बिस्कुट, प्रकाश व्यवस्था हेतु मोमबत्ती इत्यादि प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराना। • राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर जन जीवन सामान्य होने तक कैम्प शिविरों में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना।
19.	फायर सर्विस	• जनपद बागेश्वर अन्तर्गत फायर स्टेशन बागेश्वर, फायर यूनिट कपकोट, फायर यूनिट गरूड़ कुल–03 सेन्टर स्थापित किये गये हैं।

		• जनपद में अग्निकाण्ड/जीव रक्षा कार्यों के साथ राहत एवं बचाव कार्य जैसे दैवीय आपदा, भूकम्प, भूस्खलन, सड़क दुर्घटना, संवेदनशील मार्गों में पेड़ के क्षतिग्रस्त इत्यादि घटनाऐं घटित होने पर तत्परता के साथ राहत एवं बचाव कार्य किया जाता है। • किसी भी बड़ी दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर अग्निशमन यूटिन मय साज–सज्जा व आवश्यक उपकरणों के सहित अविलम्ब घटना स्आल को प्रस्थान करती है।
20.	शिक्षा विभाग	• नगर/ग्राम पंचायत में अवस्थित विद्यालयों को आश्रय स्थल के रूप में चिन्हित कराना,ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में उसमें प्रभावितों को आश्रय दिया जा सकें। • विद्यालय स्तर पर समय–समय पर मॉक अभ्यास का आयोजन करते हुए छात्र–छात्राओं को जनजागरूक किया जाना आवश्यक है। • प्रत्येक विद्यालय आवश्यक संसाधनों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करवाना।
21.	पंचायतीराज विभाग	• ग्राम पंचायतों में अवस्थित पंचायत भवनों को आश्रय स्थल के रूप में चिन्हित कराना, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में उसमें प्रभावितों को आश्रय दिया जा सकें। • ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति को सक्रिय रखना। ताकि किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने हेतु ग्रामवासियों को जनजागरूक रखा जा सकें। साथ ही आपदा की स्थिति में फर्स्ट रिस्पान्डर के रूप से धरातल में कार्य करते हुए प्रशासन को अपना सहयोग प्रदान कर सकें।

समुदाय की तैयारी–किसी भी आपदा की स्थिति में समुदाय की तैयारी निम्नवत् तत्वों पर निर्भर करती है, जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. जनसंख्या की विशेषतायें। (महिला,पुरूश,बच्चों की संख्या,आवास आदि)
2. भवन अवसंरचना जैसे–मोटर मार्ग,पानी,बिजली,संचार व्यवस्था,स्वास्थ्य,साफ–सफाई आदि।
3. भौतिक पर्यावरण।
4. सामाजिक पर्यावरण। (सामाजिक समूह)

जनपद अन्तर्गत आई0आर0एस0 ढाचा–

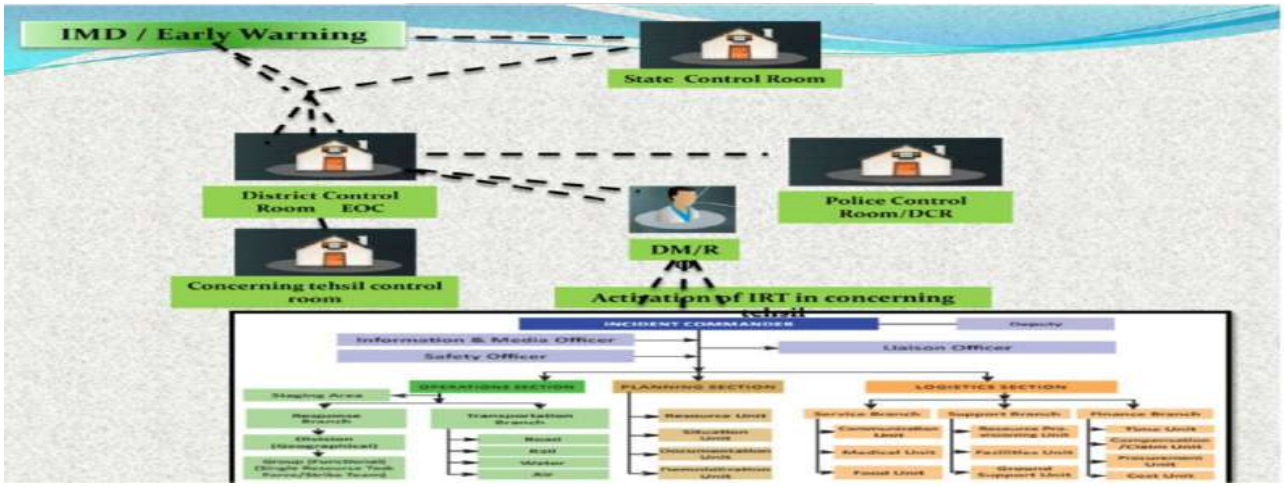

5.2 जनपद अन्तर्गत विभागवार तैयारियों से सम्बन्धित कार्ययोजनाओं का विस्तृत विवरण–

सिचाई विभाग के अन्तर्गत निर्मित बाढ सुरक्षा कार्य की तैयारियॉ– सिचाई विभाग के अन्तर्गत 03 खण्ड रूद्रपुर, काशीपुर एवं सितारगंज स्थापित हैं। इन खण्ड के अन्तर्गत नहरों के निर्माण के अतिरिक्त बाढ़ सुरक्षा कार्यो का निर्माण रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य सम्पादित कराया जाता हैं। वर्तमान में इस खण्ड के अन्तर्गत बाढ़ सुरक्षा एवं कटाव निरोधक कार्य निर्मित किये गये है, जिनका समय समय पर अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य सम्पादित किये जाते हैं। वर्तमान में मरम्मत के उपरान्त अधिकाश योजनाये सुरक्षित हैं। मानसून के दौरान सिचाई विभाग के तीन खण्ड अन्तर्गत 01–01 बाढ़ नियन्त्रण कक्ष स्थापित हैं।

(तालिका–01)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत योजना का नाम	किये गये कार्य
01	2021–22	नहर का पुननिर्माण तथा बाढ़ निवारण कार्य	136
02	2022–23		118
03	2023–24		389
04	2024–25		551
05	2025–26		170

क्र.सं.	खण्ड का नाम	नहरो की संख्या	कुल लम्बाई (कि0मी0)
01	सिचाई खण्ड रूद्रपुर	मुख्य नहर–06	50 (कि0मी0)
		शाखा नहर–06	100 (कि0मी0)
		लघु नहर–50	275 (कि0मी0)
02	सिचाई खण्ड काशीपुर	मुख्य नहर–02	40 (कि0मी0)
		शाखा नहर–05	80 (कि0मी0)
		लघु नहर–40	225 (कि0मी0)
03	सिचाई खण्ड सितारगंज	मुख्य नहर–03	75 (कि0मी0)
		शाखा नहर–08	150 (कि0मी0)
		लघु नहर–60	400 (कि0मी0)

विगत 05 वर्षो में वर्षा के औसत आकड़ो का विवरण–

Details of Average rainfall (Year-2021-25)					
Name of Month	2021	2022	2023	2024	2025
Total Average Rain Fall	1052.65	1193.31	1294.09	1083.89	1038.50

चिकित्सा विभाग

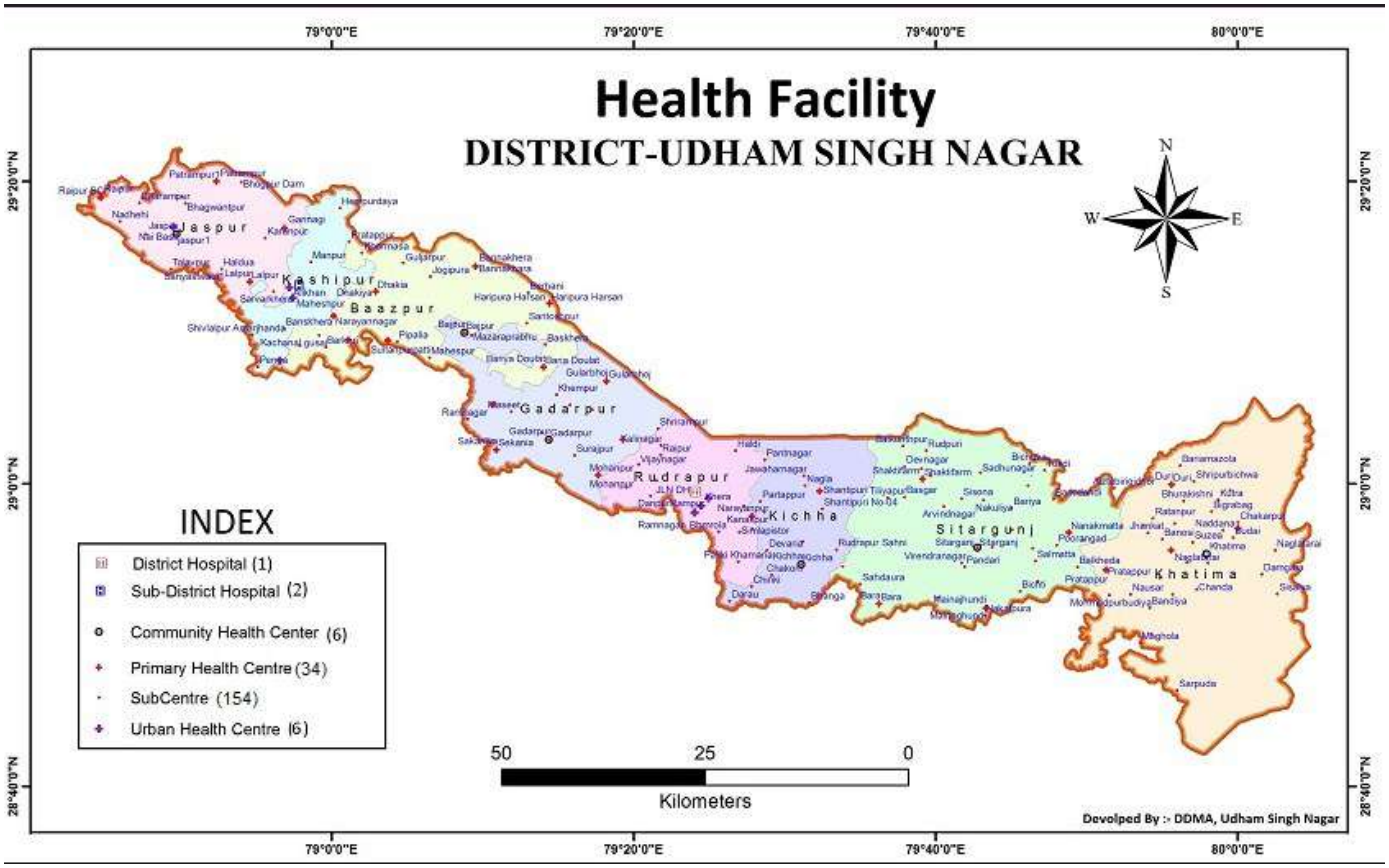

जनपद अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थान

क्र0	स्वास्थ्य संस्थान	संख्या
1	▪ जवाहर लाल नेहरू जिला अस्पताल, रूद्रपुर ▪ एल0 डी0 भट्ट चिकित्सालय काशीपुर ▪ सामु0स्वा0 केन्द्र, जसपुर ▪ सामु0स्वा0 केन्द्र, गदरपुर ▪ सामु0स्वा0 केन्द्र, किच्छा ▪ सामु0स्वा0 केन्द्र, सितारगंज ▪ सामु0स्वा0 केन्द्र, नानकमत्ता ▪ सामु0स्वा0 केन्द्र, खटीमा ▪ सामु0स्वा0 केन्द्र, बाजपुर ▪ प्रा0स्वा0 केन्द्र केलाखेड़ा (ब्लॉक–बाजपुर) ▪ प्रा0स्वा0 केन्द्र, नरायण नगर (ब्लॉक–काशीपुर)	11

जनपद आपदा प्रबन्धन दल के सदस्यों का विवरण

बीमारी एवं महामारी फैलने से बचाव हेतु आर0आर0टी0 टीम का गठन किया गया है।

Rapid Response Team (RRT) U.S.Nagar

S.No	Member Name	Post	Mobil No.
1	Dr. Rajesh Arya	D.S.O/ A.C.M.O.	9410364519
2	Dr. M.K.Tiwari	Physician	7319895786
3	Dr. Santosh Pandey	Epidemiologist	7668561064
4	Dr. Sanjeev Kr. Goshwami	Pediatrician	9897652404
5	Dr. S.S. Pandey	Veterinary officer	9412108130
6	Dr. Parkash Ch. Folara	Dictrict Food Safety Officer	8171686533
7	Ms. Rajani Bhatt	Microbiologist	9639822540

विकास खण्ड वार चिकित्सा इकाइयों का विवरण एवं दूरभाष संख्या।

विकास खण्ड का नाम	प्रभारी का नाम	प्राथ0स्वा0केन्द्र	पद नाम	प्रभारी का मोबाईल नं0
जसपुर	श्रीमनोजकुमार शर्मा	गढ़ीनेगी	फार्मासिस्ट	7351487840
	श्री योगेन्द्र सिंह	पतरामपुर	फार्मासिस्ट	8057241653
	श्रीदिनेशकुमारटम्टा	लालपुर	चिकित्साअधिकारी	9719120183
	श्रीनसीम अख्तर	रायपुर	फार्मासिस्ट	7838493632
काशीपुर	श्रीअनुपरावत	ढकिया	फार्मासिस्ट	9634311727
	डा0 पूर्वीप्रजापति	परमानन्दपुर	चिकित्साअधिकारी	8851196707
	डा0 सुरभि	महुवाखेड़ागंज	चिकित्साअधिकारी	8851196707
बाजपुर	डा0 अमरजीतसाहनी	नारायणनगर	चिकित्साअधिकारी	9927807726
	श्री0 एम0वी0 जोशी	बन्नाखेड़ा	फार्मासिस्ट	9837764578
	श्रीप्रेम शंकर सिंह	हरिपुराहरसान	फार्मासिस्ट	9837287105
	श्रीविकासगवाड़ी	बेरियादौलत	फार्मासिस्ट	9756180009
गदरपुर	कु0 आरतीपाल	सुल्तानपुरपट्टी	फार्मासिस्ट	9410339500
	श्री एम0एन0 गोस्वामी	सकैनिया	फार्मासिस्ट	8958567144
	श्रीदीपक कश्यप	गूलरभोज	फार्मासिस्ट	8191002535
	श्रीहरीप्रसाद	मोहनपुर	फार्मासिस्ट	9720544521
रूद्रपुर	डा0 प्रदीपकुमारपाण्डे	दिनेशपुर	चिकित्सक	9812436964
	श्रीमती चंपागोस्वामी	बरा	फार्मासिस्ट	9837007941
	श्रीसुरेशवर्मा	हल्दी	फार्मासिस्ट	9411540878
	श्रीमती ममताभटनागर	शान्तिपुरी	फार्मासिस्ट	7055093820
सितारगंज	श्री जे0एस0 राणा	नारायणपुर	फार्मासिस्ट	8171422950
	श्रीजीत सिंह राणा	शक्तिफार्म	फार्मासिस्ट	7500443042
	श्रीशिवाअनवर	मैनाझुण्डी	फार्मासिस्ट	8171891430
खटीमा	श्री एस0बी0 पाठक	नानकमत्ता	फार्मासिस्ट	9639672319
	श्रीजगदीशकुमारपंत	चकरपुर	फार्मासिस्ट	9412906187
	श्रीराजीववर्मा	प्रतापपुर	फार्मासिस्ट	9719503293
	श्री पी0एस0 धामी	नगलातराई	फार्मासिस्ट	9410524842
	श्रीराजीववर्मा	दयूरी	फार्मासिस्ट	9719503293

विकास खण्डवार आपदा प्रबन्धन हेतु चिन्हित दल के सदस्यों का विवरण।

क्रं0 स0	चिकित्साइकाई का नाम	विकास खण्ड वार नोडलअधिकारी एवंमोबाईल न0	तैनात किये गये सरकारी सेवक का नाम	पद नाम	दूरभाषनम्बर
01.	जवाहरलालनेहरू जिलाचिकित्सालय, रूद्रपुर	डा0 राजेशसिंहा (9412907903)	श्री0 बी0एन0 बेलवाल	फार्मासिस्ट	9412377315
			कु0 ज्योतिवाल्मीकी	स्टाफनर्स	9012884577
			श्री0 महेन्द्रचौधरी	एल0टी0	9412125170
			श्रीअशोककुमार	कक्ष सेवक	9410172519
			श्री0 कुवर सिंह नेगी	वाहनचालक	9410373744
02.	एल0डी0 भट्टचिकित्सालय, काशीपुर	डा0 राजीवचौहान (7351698761)	डा0 अमरजीत सिंह	चिकि0 अधिकारी	9927807726
			श्री एच0सी0 जोशी	फार्मासिस्ट	9410120550
			श्रीमति शोभारानी	स्टाफनर्स	8534900479
			श्रीमती अनुपमा त्रिपाठी	एल0टी0	8057999989
			श्रीदीपकआर्या	वार्ड ब्वाय	8476022234
03.	सामु0स्वा0केन्द्र, जसपुर	डा0 धिरेन्द्रमोहनगहलोत (8791264636)	डा0 टी0पूजा	चिकि0 अधिकारी	8218966537
			ए0 बी0 भट्ट	फार्मासिस्ट	7351663038
			नेहाअग्रवाल	स्टाफनर्स	8077530793
			अनिताचौहान	एल0टी0	8273591816
			मनोज	वार्ड ब्वाय	9719993160
			राजेश्वर	वहनचालक	9927138860
04.	सामु0स्वा0केन्द्र, गदरपुर	डा0 संजीवसरना (9927127777)	एस0सी0 पंत	फार्मासिस्ट	
			प्रभाकर सिंह	एल0 टी0	9456143241
			कुंतादेवी	स्टाफनर्स	7500688940
			जनरल सिंह	वार्ड ब्वाय	9837403954
			बलवीर सिंह	वाहनचालक	9837434147
05.	सामु0स्वा0केन्द्र, किच्छा	डा0 कुलदीप सिंह यादव (941055365)	श्री ए0पी0आर्या	फार्मासिस्ट	9758091189
			श्री0 के0पी0 श्रीवास्तव	एल0टी0	9719263368
			श्रीमती सुखदीपकौर	स्टाफनर्स	7088224545
			श्रीदिवान सिंह कोरंगा	वार्ड ब्वाय	9410780957
			श्रीकिशन सिंह	वाहनचालक	8650352115
06.	सामु0स्वा0केन्द्र, सितारगंज	डा0 कुलदीप सिंह यादव (941055365)	डा0 संदीपकौर	चिकि0 अधिकारी	8745072629
			श्री के0एन0 गोस्वामी	फार्मासिस्ट	7088338867
			श्रीब्रजेशजोशी	एल0टी0	9456345715
			श्रीसर्वेष सिंह	स्टाफनर्स	8445967430
			श्री के0सी0 काण्डपाल	वार्ड ब्वाय	9927375907
07.	सामु0स्वा0केन्द्र,		डा0 वी0पी0 सिंह	चिकि0 अधिकारी	9758284391

क्रं0 स0	चिकित्साइकाई का नाम	विकास खण्ड वार नोडलअधिकारी एवंमोबाईल न0	तैनात किये गये सरकारी सेवक का नाम	पद नाम	दूरभाषनम्बर
	खटीमा	डा0 के0सी0 पंत (9412106902)	श्री के0एस0 वलदिया	फार्मासिस्ट	9012053057
			कु0 पुष्पा	स्टाफनर्स	7830130061
			श्री बी0पी0 रस्तोगी	एल0 टी0	8958198747
			श्री अखलेश	वार्ड ब्वाय	9759164894
			श्रीजगदीशचन्द्र शर्मा	वाहनचालक	9897539677
08	सामु0स्वा0केन्द्र, नानकमत्ता, सितारगंज	डा0 सचिनप्रकाश (9536153113)	डा0 इबाहिमबेग	चिकि0 अधिकारी	8077216227
			श्री एस0बी0 पाठक	फार्मासिस्ट	9639672319
			श्रीमती रिंकीचौहाना	ए0एन0एम0	7068999701
			श्रीगुरदास	वार्ड ब्वाय	9719120652
09.	सामु0स्वा0केन्द्र बाजपुर	डा0 पी0डी0 गुप्ता (9412943504)	डा0 पी0डी0 गुप्ता	चिकि0अधि0	9456324324
			श्रीमुकेश	फार्मासिस्ट	8954662697
			श्रीसुभाषपाठक	वार्ड ब्वाय	9411611648
			श्रीरमेश	वाहनचालक	9927414828
10.	प्राथ0स्वा0 केन्द्र, नरायण नगर	डा0 अमरजीतसाहनी (9927807726)	डा0 अमरजीतसाहनी	चिकि0अधि0	9927807726
			श्रीनीरजजोशी	फार्मासिस्ट	7500964578
			श्रीमतिसुनैना	स्टाफनर्स	9411543540
11.	प्राथ0स्वा0केन्द्र, केलाखेड़ा	डा0 रवि शंकरश्रीवास्तव (7523951140)	डा0 ऋषिगुप्ता	चिकि0 अधिकारी	9452161161
			श्रीप्रेम शंकर	फार्मासिस्ट	9837287106
			श्रीमतिज्योतिकापोल	स्टाफनर्स	7830334547
			श्रीअनुरागमेहरा	एल0टी0	9837506878

जनपद–ऊधम सिंह नगर में खण्डवार 108 एम्बुलैंस का विवरण

S.No	Location	Reg. No.	CONTACT NO	DEPLOY LOCATION
1	CHAKARPUR	UK07GA2310	9520895386	PHC CHAKARPUR
2	JASPUR	UK07GA2531	9520895380	CHC JASPUR
3	GADARPUR	UK07GA2335	9520895379	CHC GADARPUR
4	DHAKIYA	UK07GA2336	9520895387	PHC DHAKIYA
5	SITARGANJ	UK07GA2342	9520895385	CHC SITARGANJ
6	KICHHA	UK07GA2537	9520895383	CHC KICHHA
7	RUDRAPUR	UK07GA2614	9520895415	KOTWALI RUDARPUR
8	BAJPUR	UK07GA3119	9520895378	CHC BAJPUR
9	KHATIMA	UK07GA3129	9520895382	KOTWALI KHATIMA
10	KASHIPUR	UK07GA3137	9520895381	LD BHATT HOSPITAL

S.No	Location	Reg. No.	CONTACT NO	DEPLOY LOCATION
11	KUNDA	UK07GA3142	9520895388	KUNDA POLICE CHOKI
12	MAHUVAKHEDA	UK07GA3143	9520895389	NEAR PHC MAHUAKHEDA
13	NARAYAN NAGAR	UK07GA3144	9520895390	NEAR PHC NARAYAN AGA
14	SULTANPUR PATT	UK07GA3145	9520895391	PHC SULTANPUR PATTI
15	KELA KHERA	UK07GA3146	9520895392	PHC KELAKHEDA
16	DINESHPUR	UK07GA3147	9520895393	PHC DINESHPUR
17	DANPUR	UK07GA3149	9520895394	ON ROAD DANPUR
18	RUDRAPUR- IFT	UK07GA3150	9520895395	DISTRICT HOSPITAL
19	SHANTIPURI	UK07GA3151	9520895396	PHC SHANTIPURI
20	BARA	UK07GA3152	9520895397	PHC BARA
21	SHAKTI FARM	UK07GA3154	9520895398	PHC SHAKTIFARM
22	NAKULIYA- SIDCU	UK07GA3157	9520895399	CHC SITARGANJ
23	NANAKMATTA	UK07GA3159	9520895416	CHC NANAKMTA
24	DURI	UK07GA3160	9520895401	CHC KHATIMA
25	KANCHANPURI	UK07GA3162	9520895402	ANM CENTAR TERAGHAT

सरकारी एंव निजी ब्लड बैकों की सूची

सरकारी ब्लड बैंक का विवरण		
क्र.सं.	ब्लड बैंक का नाम	दूरभाष न0
01	जवाहरलालनेहरू जिलाचिकित्सालय रूद्रपुर	9412088195
02	ए0डी0 भट्टचिकित्सालय, काशीपुर	05947–277988,9837855132
निजी ब्लड बैंक का विवरण।		
01	जीवन रेखा अस्पताल, काशीपुर	9756797291 और 9639004381
02	श्रीकृष्णाअस्पताल, काशीपुर	8192005702
03	सेवाचैरिटेबलअस्पताल, काशीपुर	05949–281511,9456040012
04	काशीपुरचैरीटेबल ब्लड बैंकबाजपुर	9917092888, 9837485523
05	काशीचैरिटेबल, काशीपुर	9837485523
06	न्यूलाईफलाईनचैरिटेबल ब्लड बैंक खटीमा	9917065960
07	के0वी0आर0हॉस्पिटल, काशीपुर	7505822320
08	जसपुर ब्लड सेंरजसपुर	9756264220
09	एस0एच0 हॉस्पिटलसितारगंज	9319392000
ब्लड स्टोरेज यूनिट का विवरण।		
01	सामु0 स्वा0केन्द्र, जसपुर	8057897556
02	सामु0 स्वाकेन्द्र, किच्छा	9412034500
03	नागरिकचिकित्सालय, खटीमा	7251094008
04	सामु0 स्वा0केन्द्र बाजपुर	9456324324
05	सामु0 स्वा0केनद्र, गदरपुर(अक्रियाशील)	9927655900
06	सामु0स्वा0केन्द्र, सितारगंज (अक्रियाशील	9368328920

पशु पालन विभाग जनपद ऊधम सिंह नगर।

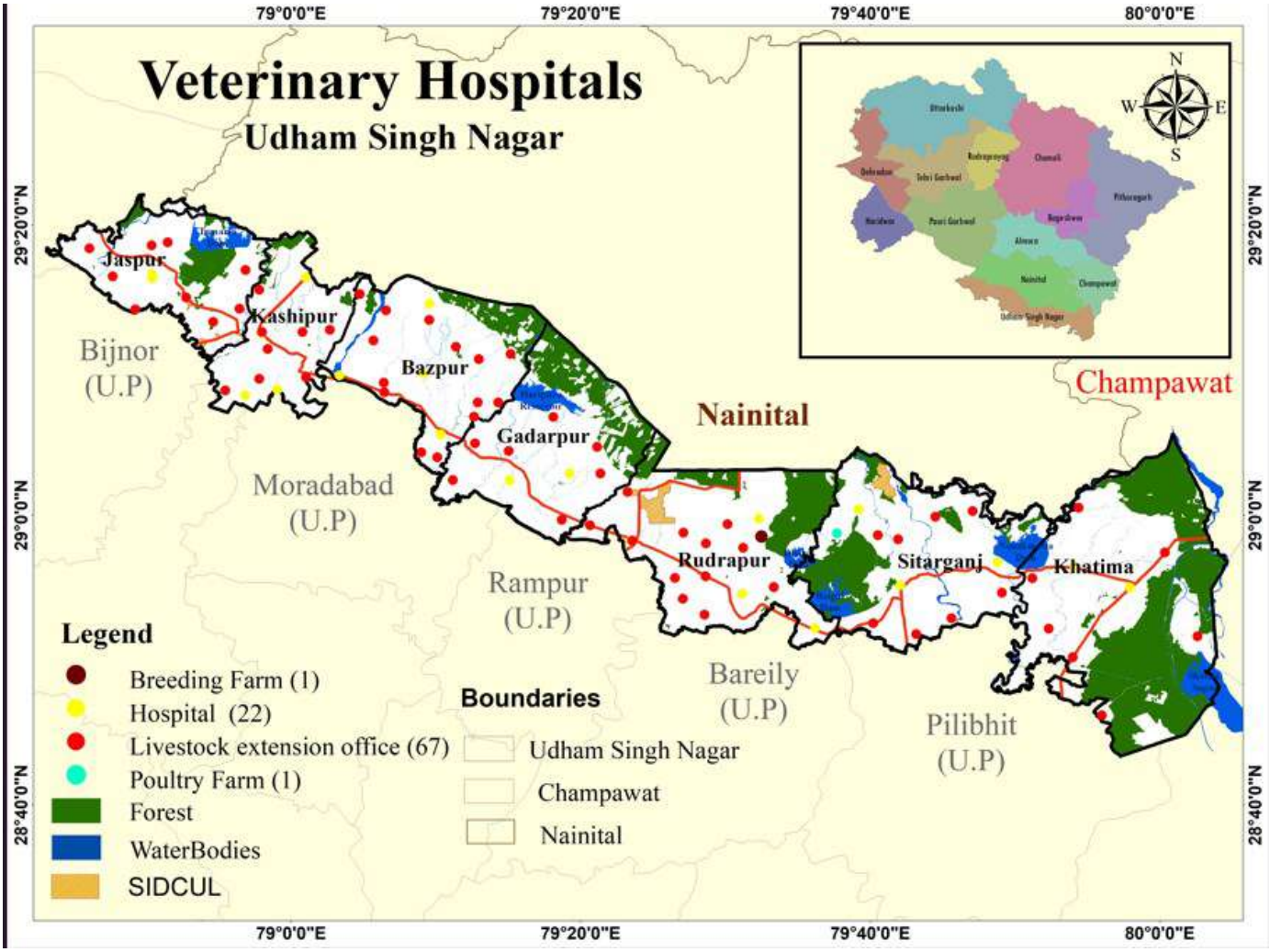

S.No.	Name of the block	Total animals	Total poultry
1.	Jaspur	44018	24618
2.	Bajpur	59136	342071
3.	Kashipur	44473	1820974
4.	Gadarpur	40085	232418
5.	Sitarganj	61113	52950
6.	Kiccha	49325	310230
7.	Khatima	84078	279740
	Total	**382228**	**3063001**

विभागीय अधिकारियों का विवरण

क्र.स.	पशुचिकित्साधिकारी का नाम	पद	पदस्थापना	मोबाइल नं0
01	डॉ0 सुधांषूमिश्रा,	वरिष्ठ पशुचिकित्साधिकारी	रा0 पशु चि0, जसपुर	9897594082
02	डॉ0 योगेशकुमार शर्मा	पशु चिकित्साधिकारी	रा0 पशु चि0, करनपुर	7417470272
03	डॉ0 मुकेशकुमारदुम्का	वरिष्ठ पशुचिकित्साधिकारी	रा0 पशु चि0, काशीपुर	9412965635
04	डॉ0 मणिमेहरा	पशु चिकित्साधिकारी	रा0 पशु चि0, प्रतापपुर	9761460384
05	डॉ0 प्रकाशचन्द्रबैष्णव	पशु चिकित्साधिकारी	रा0 पशु चि0, महुआखेड़ागंज	8191027186
06	डॉ0 कोमल सिंह	वरिष्ठ पशुचिकित्साधिकारी	रा0 पशु चि0, बाजपुर	7351688897
07	डॉ0 विकासवत्स	पशु चिकित्साधिकारी	रा0 पशु चि0, सुल्तानपुरपटटी	9837370079
08	डॉ0 रोहितनौगाई	पशु चिकित्साधिकारी	रा0पशु चि0 बन्नाखेड़ा	9458064206
09	डॉ0 सुमाईलामलिक	पशुचिकितसालय	रा0पशु चि0 केलाखेड़ा	8439479509
10	डॉ0 आर0एस0झा	वरिष्ठ पशुचिकित्साधिकारी	रा0पशु चि0 गदरपुर	9412963979
11	डॉ0 रवि खुल्बें	पशु चिकित्साधिकारी	रा0पशु चि0 आदर्शनगर	9917635584
12	डॉ0 पूजाबाठला	पशु चिकित्साधिकारी	रा0पशु चि0 दिनेशपुर	9458359488
13	डॉ0 हिमांशुपाठक	पशु चिकित्साधिकारी	रा0पशु चि0, रूद्रपुर	9917853887
14	डॉ0 सुमितकौर	पशु चिकित्साधिकारी	रा0पशु चि0 रामेश्वरपुर	9756204592
15	डॉ0 मृगेशचौधरी	पशु चिकित्साधिकारी	रा0पशु चि0, किच्छा	8938805001
16	डॉ0 आलोकजोशी	पशु चिकित्साधिकारी	रा0पशु चि0, शांन्तिपुरी	9456193419
17	डॉ0 मृंगाक्षी यादव	पशु चिकित्साधिकारी	रा0पशु चि0 बरा,	9411791765
18	डॉ0 जीतेन्द्रकुमार	वरिष्ठ पशुचिकित्साधिकारी	रा0पशु चि0, सितारगंज	9917665920
19	डॉ0 विजय कुमार	पशु चिकित्साधिकारी	रा0पशु चि0, शक्तिफार्म	8958099520
20	डॉ0 लक्षिताआजाद	पशु चिकित्साधिकारी	रा0पशु चि0, नानकमत्ता	9690115746
21	डॉ0 राजेन्द्ररामचंतोला	वरिष्ठ पशुचिकित्साधिकारी	रा0पशु चि0, खटीमा	9756841178
22	डॉ0 सरोजमलिक	वरिष्ठ पशुचिकित्साधिकारी	रा0पशु चि0, झनकट	9045326693

विभागमेंकार्यरतकार्यालय स्टॉफ का विवरण।

क्र.स.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	प्दनाम	पदस्थापना	मोबाइल नं0
01	डॉ0 आशुतोषजोशी	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	पशुचिकित्साधिकारी	7818824429
02	डॉ0 सपनामिश्रा	संयुक्त निदेशक	रोग अनुसंधान प्रयोगशाला रूद्रपुर	9457407240
03	डॉ0 हरजीत सिंह	उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	का0 मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	8474937789
04	डॉ0 ज्योतिपूना	पशु चिकित्साधिकारी	रा0 शल्य पशुचि0 रूद्रपुर	9756106129
05	डॉ0 हिमांशुपाठक	पशु चिकित्साधिकारी	रा0सचल पशुचि0 रूद्रपुर	9456776806
06	डॉ0 सुधा रानीकृपाल	पशु चिकित्साधिकारी	श्रोग अनुसंधान प्र0 रूद्रपुर	9410334255

आपदा राहत कार्यों हेतु गठित विकास खण्डवार
रैपिड रिस्पौन्स टीम का विवरण

जनपद ऊधम सिंह नगर में आपदा प्रबन्धन कार्यो के अनुश्रवण हेतु डॉ0 पूजा पाण्डे, उप मुख्य पशुचिकित्साध्किाारी ऊधम सिंह नगर को नोडल अधिकरी नामित किया गया है एवं जनपद के 07 विकास खण्डों मे आपदा राहत कार्यो हेतु निम्नानुसार रैपिड रिस्पॉन्स टीम (RRT) का गठन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र. स.	विकास खण्ड	दल के सदस्यों का नाम	पदनाम	नियुक्तिस्थल	मोबाईल / दूरभाष नं0
1	जसपुर	डा0 सुधान्शु मिश्रा	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय जसपुर	9897594082
		श्री अमित कुमार	पशु धन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र रामनगरवन	9917421970
		श्री भुवन चन्द्र उप्रेती	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र महुवाडाबरा	7088228900
		श्रीदिनेशकुमार	पशु धन सहायक	पशु चिकित्सालय जसपुर	9759632858
		श्री ओम प्रकाश आर्या	पशुधन सहायक	पशु चिकित्सालय जसपुरकरनपुर जसपुर	9837411579
2	काशीपुर	डा0 मुकेशकुमारदुम्का	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय काशीपुर	9412965635
		डॉ0 प्रदीपकुमार	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र खड़कपुरदेवीपुरा	9758491670
		श्रीशिव सिंह फर्त्याल	पशु धन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र गुलजारपुर	9837882892
		श्रीसुरेन्द्र सिंह भण्डारी	पशुधन सहायक	पशु धन सहायक काशीपुर	9410028744
		श्रीभीम सिंह डोलिया	पशुधन सहायक	पशुधनसहायककाशीपुर	9917869013
3	बाजपुर	डा0 कोमल सिंह	पशु चिकित्साधिकारी	पशुचिकित्सालय बाजपुर	7351688897
		श्री जोगेन्द्र प्रसाद	पशु धन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र सन्तोषपुर	8958343140
		श्री शंकर लाल	क्षेत्र प्रसारअधिकारी	पशु सेवा केन्द्र नमूनाबाजपुर	9412960848
		श्री उमेश कुमार	पशु धन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र नमूनासरकड़ी	9012724581
		श्री ईश्वर सिंह	पशुधन सहायक	पशु0चि0 केलाखेड़ाबाजपुर	9837646130
4	गदरपुर	डा0 आर0 एस0झा	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय गदरपुर	9412963979
		श्री राणा प्रताप सिंह	पशु धन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र धीमरीब्लाक	9690458571
		श्री तारिक अली	पशु धन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र धीमरीब्लॉक	9690458751
		श्री संजय कुमार	पशुधन सहायक	पशुचिकित्सालय गदरपुर	8445278319
		श्री दीपचन्द्र	पशुधन सहायक	पशुचिकत्साधिकारीदिनेशपुर	9410157401
5	रूद्रपुर	डॉ0 पी0के0 पाठक	वरिष्ठ पशुचि0अधि0	पशु चिकित्सालय रूद्रपुर	9412928281
		श्री रजनीश कुमार	पशु धन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र छत्तरपुर	8958455011
		श्री मनोज कुमार वर्मा	पशु धन प्रसार अधिकारी	भगवानपुर	8958455011
		श्री गौरव कुमार	वैक्सीनेटर	पशु चिकित्सालय रूद्रपुर	9759319927
		श्री राजवीर सिंह	पशुधन सहायक	पशु चिकित्सालय रूद्रपुर	9917249434
6	सितारगंज	डॉ0 राजेन्द्र राम चंतोला	वरि0 पशु अ0 / नोडलचिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय सितारगंज	9917665920
		श्री हरी सिंह पवार,	पशु धन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र सिसैय्या	9837025362
		श्री धर्मेन्द्र वर्मा	पशु धन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र बसगर	8650653601
		श्री राजेन्द्र कुमार	पशुधन सहायक	पशु चिकित्सालय सितारगंज	9837290148
		श्री बलवन्त सिंह असगोला,	पशुधन सहायक	पशु चिकित्सालय नानकमत्ता	9837236423
7	खटीमा	डॉ0 राजेन्द्र राम चंतोला	वरि0 पशु चिकि0अधि0	पशु चिकित्सालय खटीमा	9756841178
		श्री रमेशचन्द्र खर्कवाल	पशु धन प्रसार अधिकारी	पशुसेवाकेन्द्रबिठौरा	9639287268
		मो0 फैय्याज अली अनसारी	पशु धन सहायक	पशु चिकित्सालय खटीमा	7409425675
		श्री कृष्णा कुमार ओझा	वैक्सीनेटर	पशु चिकित्सालय खटीमा	9411168501
		श्री मदन लाल	पशु धन सहायक	पशु चिकित्सालय खटीमा	7409425675

पुलिस विभाग जनपद ऊधम सिंह नगर।

आपदाप्रबन्धन एवंपुलिस की तैयारी की

समीक्षा

1. जनपद में प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की संख्या–207
2. जनपद में प्रशिक्षित फायर के कार्मिको की संख्या–109
3. जनपद फायर स्टेशन–07
4. जनपद में फायर यूनिट–02
5. जनपद के थानों की संख्या जिन्हें आपदा उपकरण सामग्री उपलब्ध कराई गयी है–17 थाने।
6. जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर द्वारा आपदा से सम्बन्धित अन्य उपकरण उपलब्ध कराये गये है।
7. लो0नि0वि0 के अन्तर्गत जनपद में कुल 47 अस्थायी/स्थायी आपातकालीन हैलीपेडो को चिन्हित / सत्यापित किया गया है।
8. जनपद के तहसीलों, एन0डी0आर0एफ0 एवं जिला आपदा नियंत्रण कक्ष को जिलाधिकारी कार्यालय से 02 सैटेलाईटफोन एवं अन्य उपकरण दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में कुल उक्त के अतिरिक्त जनपद पुलिस विभाग के पासक्रेन 07 उपलब्ध एवं कुल 56 जेसीबी 40 पोकलेण्ड एवं 23 क्रेन उपलब्ध है।

जनपद ऊधम सिंह नगर अन्तर्गत थाना कोतवाली से सम्बन्धित मानचित्र

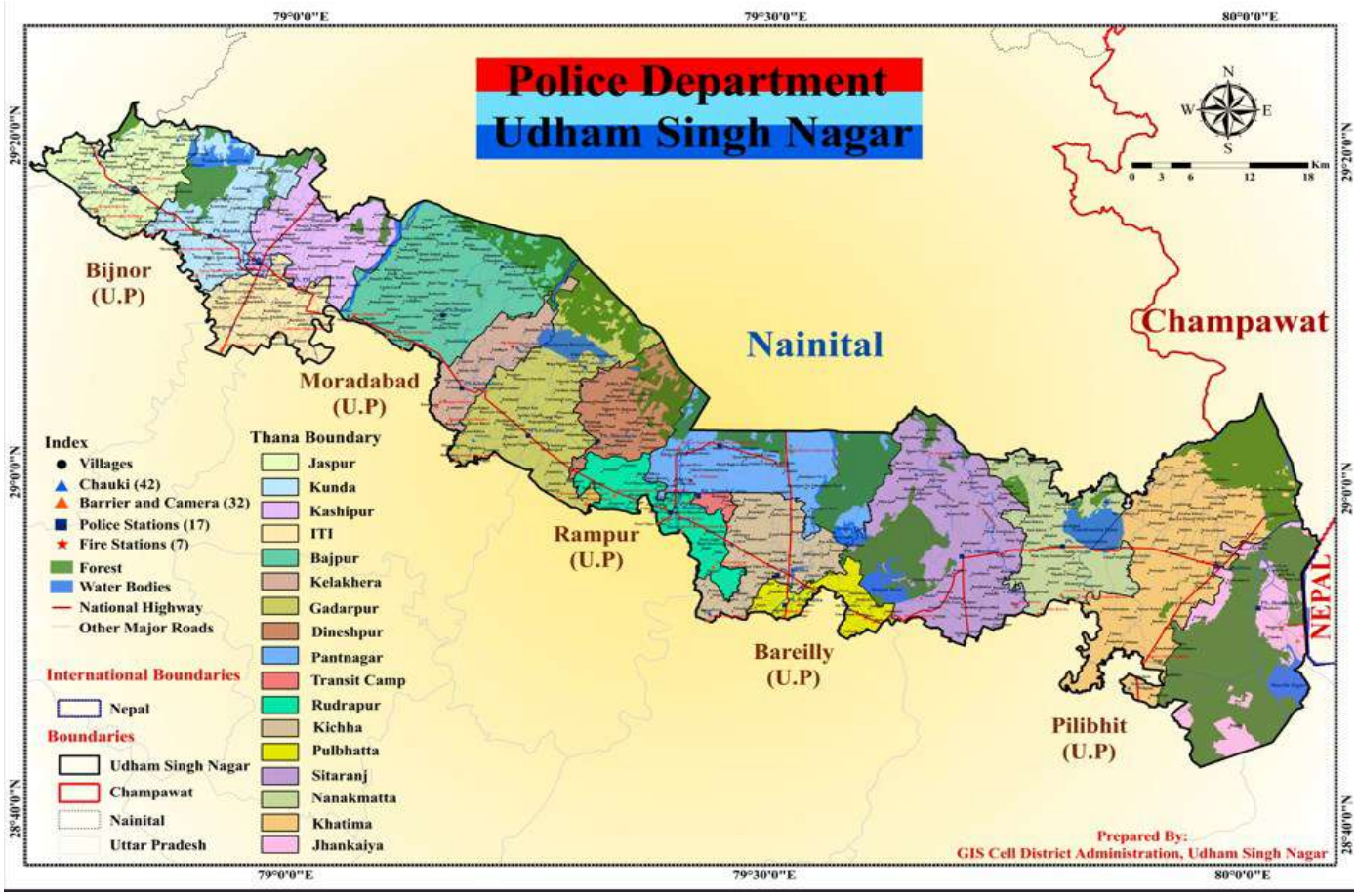

पुलिसविभाग के अधिकारियों के नाम/पदनाम

क्र.सं.	पद	अधिकारी का नाम	सी0यूजी0	व्यक्तिगत नं0
01	02	03	04	05
1.	वरिष्ठपुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंहनगर	श्री मणिकान्त मिश्रा, आई.पी.एस.	9411112711	9411113990
2.	पुलिस अधीक्षकअपराध/यातायात	सुश्री निहारिका तौमर, आई.पी.एस	9411112456	8377944594
3.	पुलिस अधीक्षक रूद्रपुर	श्री उत्तम सिंह नेगी	9411112742	7579006451
4.	पुलिस अधीक्षककाशीपुर	श्री अभय कुमार	9456592115	7060476647
5.	क्षेत्राधिकारीकाशीपुर	श्री दीपक सिंह	9411112095	9997410421
6.	क्षेत्राधिकारीबाजपुर/लाईन	श्री विभवसैनी	9411112789	7053473685
7.	क्षेत्राधिकारी रूद्रपुर	श्री प्रशान्तकुमार	9411111991	9760223035
8.	क्षेत्राधिकारीसितारगंज	श्री भूपेन्द्र सिंह धौनी	9411112998	8393835999
9.	क्षेत्राधिकारी खटीमा	श्री विमलरावत	9411112746	7452008411
10.	क्षेत्राधिकारीसाईबरआपरेशन/महिलासुरक्षा	श्री प्रशान्त कुंमार	9411111991	9760223035
11.	क्षेत्राधिकारीपंतनगर/यातायात	श्रीदौलतराम वर्मा	8218203435	9084039353
12.	मुख्य अग्निशमनअधिकारी	श्री संजीव कुमार	9456592170	9690136666
13.	अपरपुलिसअधीक्षकसंचार/कार्या0	श्री रेबाधर मठपाल	9410131223	9411112988
14.	निरीक्षक एल0आई0यू0	श्री विनोद टम्टा	9411112804	8433269599
15.	प्रतिसारनिरीक्षक	उप निरी. श्री धनपाल सिंह (प्रभार)	8630470896	8439683819
16.	निरीक्षकपुलिस,दूरसंचार	श्रीमती दीपा साही		7535989509
17.	प्रभारी एसओजी	श्री संजय पाठक	9411112966	9412394179
18.	प्रभारी सी0पी0यू0 रूद्रपुर	श्री राकेश बिष्ट	7351699982	8279922504
19.	प्रभारी सी0पी0यू0 काशीपुर	श्री जसवंत सिंह	7351493608	7351493608

जनपदअन्तर्गतथानाप्रभारी के दूरभाष न0 की सूची

क्र.सं.	कोतवाली / थाने का नाम	प्रभारीनिरीक्षक / थानाध्यक्ष	प्रभारीनिरीक्षक / थानाध्यक्ष का नाम	सीयूजीनम्बर	मोबाइलनम्बर
1	रूद्रपुर	प्रभारी निरीक्षक	श्री मनोज रतूड़ी	9411112901	9837006174
2	सितारगंज	प्रभारी निरीक्षक	श्री नरेश चौहान	9411112905	8057888888
3	काशीपुर	प्रभारी निरीक्षक	श्री अमरचन्द्र शर्मा	9411112904	8077436978
4	किच्छा	प्रभारी निरीक्षक	श्री धीरेन्द्र कुमार	9411112910	8449946555
5	बाजपुर	प्रभारी निरीक्षक	श्री प्रवीण सिंह कोश्यारी	9411112909	6399393555
6	जसपुर	उप निरीक्षक	श्रीजावेदमलिक (प्रभारी)	9411112908	9897629489
7	खटीमा	प्रभारी निरीक्षक	श्री मनोहर सिंह दसौनी	9411112906	9012960960
8	गदरपुर	थानाध्यक्ष	श्री जसवीर चौहान	9411112907	9412930055
9	कुण्डा	थानाध्यक्ष	श्री हरेन्द्र कुमार चौधरी	9456592016	9456720997
10	पन्तनगर	थानाध्यक्ष	श्री सुन्दरम शर्मा	9411112902	9897629489
11	नानकमता	थानाध्यक्ष	श्री उमेश कुमार	9411112911	7579006196
12	दिनेशपुर	थानाध्यक्ष	श्री नन्दन सिंह रावत	9411112903	9720650143
13	आई0टी0आई0	थानाध्यक्ष	श्री कुन्दन सिंह रौतेली	9412088607	7248090614
14	केलाखेड़ा	थानाध्यक्ष	श्री आशोक कुमार	9412088609	9411113545
15	ट्रांजिटकैंप	थानाध्यक्ष	श्री मोहन पाण्डेय	9412088605	9412394173
16	पुलभट्टा	थानाध्यक्ष	श्री प्रदीप कुमार मिश्रा	9412088603	7983300232
17	झनकईया	थानाध्यक्ष	श्री देवेन्द्र गौरव	9412088606	9410964064

पुलिस लाईन से आवंटित आपदा राहत बचाव कार्य के उपकरणों का विवरण।

क्र.सं.	उपकरणों के नाम	कुल संख्या	सितारगंज	नानकमत्ता	खटीमा	गदरपुर	बाजपुर	आईटीआई	केलाखेड़ा	काशीपुर	जसपुर	एसडीआरएफ	यातायातपुलिस	क्षेत्राधिकारी कार्या0 सितारगंज	किच्छा	एटीएस0	झनकईया	कुण्डा	आपदाकार्यालय	स्टोर
1	गैंती	**56**	07	04	03	07	07	02	05	05		-	-	-	02	-	-	03		11
2	बैल्चा	**56**	09	06	06	07	07	02	02	02		-	-	-	04	-	02	03		06
3	फावड़ा	**56**	07	04	03	07	07	-	-	-		-	-	-	02	-	-	-		18/08
4	सब्बल	**56**	12	09	04	13	16	-	-	-		-	-	-	-	-	02	-		-
5	कुल्हाड़ी	**56**	06	06	06	07	07	-	-	-		-	-	-	04	-	02	03		15
6	तसला	**56**	07	04	03	07	07	-	-	-		-	-	-	02	-	-	-		16/10
7	नाईलोनतार	**28**	07	07	-	07	07	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-

क्र.सं.	उपकरणों के नाम	कुल संख्या	सितारगंज	नानकमत्ता	खटीमा	गदरपुर	बाजपुर	आईटीआई	केलाखेड़ा	काशीपुर	जसपुर	एसडीआरएफ	यातायातपुलिस	क्षेत्राधिकारी कार्या0 सितारगंज	किच्छा	एटीएस0	झनकईया	कुण्डा	आपदाकार्यालय	स्टोर
8	पैट्रोमेक्स	**14**	03	02	02	03	04	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-
9	टार्च (चार सैल)	**84**	12	12	10	12	21	-	-	-		-	-	-	02	08	02	-		1/4
10	रेनसूट	**113**	13	11	10	17	20	-	-	-		-	15	-	06	-	06	-		15
11	मिटन्स	**86 जोड़े**	17	16	03	27	08	-	-	-		-	-	-	03	04	03	-		05
12	कैरीमैट	**84**	21	15	08	16	16	-	-	-		-	-	-	02	-	02	-		04
13	टीनबॉक्स	**14**	02	02	-	02	03	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		05
14	रोपनाईलोन (कलाईविंग)	**28**	01	01	01	-	01	-	-	-		-	-	01	-	01	-	-		22
15	लाईफजैकेट	**105**	16	14	12	18	18	-	-	-			-	-	05	-	06	03		13
16	हैल्मेटविदटार्च	**94**	18	19	02	19	16	-	-	-		-	-	02	01	-	02	03		12
17	रोपलेडर	**14**	04	03	-	02	-	-	-	-		-	-	-	-	03	-	-		02
18	टेपसिलिंग	**86**	15	15	-	16	16	-	-	-		10	-	-	-	12	-	-		02
19	सीटहार्नेस	**52**	10	09	01	09	09	-	-	-		-	-	-	01	08	03	-		02
20	डिसेण्डर	**70**	10	12	03	13	11	-	-	-			-	-	03	-	03	-		15
21	रॉकपीटन	**56**	10	10	-	09	10	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		17
22	जूमार	**76**	10	10	02	10	14	-	-	-		-	-	-	02	06	06	-		16
23	मनीलारोपन ईलोन	**2800 मी0**	250	250	206	250	250	-	-	-		200	-	-	-	-	-	-		644
24	पुली	**24**	03	02	02	02	03	-	-	-		-	-	-	02	02	03	-		05
25	इनफ्लेटेबल टावरलाईट	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		01
26	फ्लडलाईट	**07**	-	01	01	-	-	-	-	-		-	-	-	01	-	01	-		02/01
27	जनरेटरसैट मय लाईट	**05**	01	01	01	-	01	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		01
28	नाईटविजन	**02**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	01	-	-		01
29	सोलरलाईट मय पैनल	**04**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		02/02
30	डाइविंगगॉगल्स	**08**	-	08	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-
31	मल्टीपरपस टूलकिट	**08**	01	01	-	01	01	-	-	-		-	-	-	-	-	01	01		02
32	स्ट्रैचर	**26**	03	01	03	04	03	-	-	-		-	-	-	02	-	03	-		07
33	स्लीपिंगबैग	**10**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		10
34	कैराविनर्स	**28**	05	05	-	02	02	-	-	-		-	-	-	-	10	-	-		04
35	फर्स्ट एड बॉक्स	**14**	03	03	02	03	03	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-
36	एक्सटेंशन लेडर एलुमीनियम	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		01

क्र.सं.	उपकरणों के नाम	कुल संख्या	सितारगंज	नानकमत्ता	खटीमा	गदरपुर	बाजपुर	आईटीआई	केलाखेड़ा	काशीपुर	जसपुर	एसडीआरएफ	यातायातपुलिस	क्षेत्राधिकारी कार्या0 सितारगंज	किच्छा	ए0टी0एस0	झनकईया	कुण्डा	आपदाकार्यालय	स्टोर
37	इन्फ्लेटिबल बोट	**01**	-	01	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-
38	लाइफबाय	**11**	02	02	01	-	-	-	-	-		-	-	-	01	-	02	02		01
39	रेपलिंगरोप	**02**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		02
40	रोपरस्सी	**29**	-	-	-	03	02	01	01	01		-	-	-	-	-	-	-		21
41	आरी	**07**	-	01	-	-	-	-	-	-		-	-	-	01	-	01	-		04
42	स्ट्रेचरटेलीस-कोपिक	**09**	01	01	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	01	01		03
43	पोन्च्यू	**07**	01	01	-	01	01	-	-	-		-	-	-	-	-	01	01		01
44	वाटरबोतल	**07**	01	01	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	01	01		03
45	छाता	**07**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		07
46	वुडकटर मय उपकरण	**17**	02	01	01	01	01	01	01	02	01	-	-	-	01	-	01	01	01	02
47	टार्चहाईबीम बैटरी	**15**	02	02	02	-	-	-	-	-		-	-	-	01	-	02	01		01
48	कैराविनरप्ले न	**10**	01	01	01	02	01	-	-	-		-	-	-	01	-	01	-		02
49	कैराविनरस-कू	**10**	01	01	01	02	03	-	-	-		-	-	-	01	-	01	-		-
50	रोपमल्टीपर पज	**2400 Mtr.**	300	300	100	400	400	-	-	-		-	-	-	100	-	300	200		300
51	रोट्ररी सा	**02**								01										01
52	बुलट चैना सा	**02**								01										01
53	चिपिंगहैमर	**02**					01													01
54	ड्रैगन लाईट	**04**																		2/2
55	सीआरपीमा स्क	**08**	01		01	01	01			01	01				01					01
56	फाइबर स्पाइन बोर्ड	**02**																		02
57	स्पिलिंटसैट	**06**		01	01			01		01										02
58	बॉडीबैग	**65**	05	05	05	05	05	05	05	05	05				05		05	05		05

संचार/वायरलैस का विवरण

क्र.सं.	फायरस्टेशन का नाम	उपलब्धता		
		स्टे0	मो0	है0से0
1	फायर स्टेशन रूद्रपुर	01	02	02
2	फायर स्टेशनकाशीपुर	01	02	01
3	फायर स्टेशनजसपुर	01	01	—
4	फायर स्टेशन खटीमा	—	02	01
5	फायर स्टेशन सितारगंज	01		04
6	फायर स्टेशन पन्तनगर	01	—	02
7	फायर यूनिट बाजपुर	01	—	—
कुल योग		06	07	10

पुलिस संचार विभाग में उपलब्ध संचार उपकरणों के नाम एवं संख्या–

क्र.सं.	उपकरण का नाम	उपलब्ध उपकरणों की संख्या
1-	Tx/Rx GM-338	02
2-	MIC	02
3-	BATTS LEAD	02
4-	Tx/Rx HYT SET	02
5-	MIC OF HYT	02
6-	BATTS LEAD HYT	02
7-	SMPS	01
8-	Tx/Rx GP-338	10
9-	NI-MH BATTS CHARGER	02
10-	NI-MH BATTS	20
11-	BNC	03
12-	PL-259	01
13-	LEGS	04
14-	ROPE	05
15-	H/D BATTS	02
16-	PLIER	01
17-	SCREW DRIVER	01
18-	GP ĀĒ	02
19-	COXIAL FEEDER	03

क्र.सं.	उपकरण का नाम	उपलब्ध उपकरणों की संख्या
20-	TWO WAY CONNECTOR	03
21-	TAP	01
22-	L.T WIRE	03 mtr.
23-	TELECOPIC MAST 32”	01
24-	ALUMINIUM MAST 36”	01
25-	GI WIRE	05 kg.
26-	TWIN WIRE	10 mtr.
27-	TOOL KIT	01
28-	SOLAR PLATE	01
29-	SOLAR PLATE LEAD	20 mtr.
30-	TFC BOX	01
31-	BULB HOLDER/ BULB	02
32-	STATIONARY (Log/Msg Pad/Carbon/Register)	-
33-	CROCODILE CLIP	08
34-	WHIP AE	02
35-	EXTENSION BOARD	01

जल पुलिस चौकी की स्थापना–

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	मोबाइल नं0
01	कम्पनी कमाण्डर श्री जहीर अहमद नानकमत्ता	9528379104
02	कॉ0 श्री अर्जुन नानकमत्ता	8218879914

थाना स्तर पर तैनाती ग्राम प्रहरियों का विवरण–

क्र.सं.	ग्राम प्रहरियो की संख्या	थाना का नाम						
		कोतवाली रूद्रपुर	कोतवाली किच्छा	कोतवाली सितारगंज	कोतवाली खटीमा	कोतवाली बाजपुर	कोतवाली काशीपुर	झनकईया
		21	28	16	60	52	33	16

थाना का नाम									
ट्रांजिट कैम्प	पन्तनगर	कोतवाली जसपुर	कुण्डा	आई0टी0आई0	केलाखेडा	गदरपुर	दिनेशपुर	पुलभट्टा	नानकमत्ता
05	04	58	38	33	21	46	18	13	50

फायर विभाग ऊधम सिंह नगर।

विभागीय आपदा प्रबन्धन योजनाओं की समीक्षा व उच्चीकरण हेतु व्यवस्था

विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना की समीक्षा हेतु निर्धारित समय पर बैठकों का आयोजन किया जाता है जिसमें जनपद के सभी अग्निशमन अधिकारी प्रतिभाग करते हैं, तथा इस दौरान घटित घटनाओं तथा उनसे प्राप्त अनुभवों के आधार पर आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना हेतु जोभी सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं उन पर सम्यक विचारोपरान्त उन्हे आपदा प्रबन्धन योजना मे सम्मिलित किया जाता है, साथ ही सभी अधीनस्थ अधिकारियों को तद्नुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित भीकर दिया जाता है।

प्रमुख विभागीय अधिकारियों का विवरण

क्र.सं.	नम	पदनाम	पता	मोबाइल नं0	ईमेल
1	श्री संजीवाकुमार	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	फायरस्टेशन रुद्रपुर	9456592170	cfoudn.ukfs@gmail.com
2	श्री गिरीश सिंह बिष्ट	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	फायरस्टेशन रुद्रपुर	9456592171, 9412045050	fsordr.ukfs@gmail.com
3	श्री चन्दन राम	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	फायरस्टेशनपन्तनगर	9456592172,	fsopnr.ukfs@gmail.com
4	श्री राम कुमार	प्रभारी अग्निशमन केन्द्र	फायरस्टेशनकाशीपुर	9456592173,	fsokpr.ukfs@gmail.com
5	श्री श्याम बहादुर थापा	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	फायरस्टेशनजसपुर	9456592174 9412983340	fsojsr.ukfs@gmail.com
6	श्री दुर्गा सिंह भण्डारी	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	फायरस्टेशनसिडकुलसितारगंज	9456592175 9410377495	fsostg.ukfs@gmail.com
7	श्री सुभाष जोशी	प्रभारी अग्निशमन केन्द्र	फायरस्टेशन खटीमा	9456592179, 7409350549	fsokta.ukfs@gmail.com
8	श्री चन्दन सिंह	प्रभारी यूनिट	फायर यूनिटबाजपुर	9458346482,	-
9	श्री मदन सिंह	प्रभारी यूनिट	फायर यूनिटकिच्छा	9058487477	-

विभाग के पास उपलब्ध भौतिक संसाधन

क्र.सं.	उपकरण का नाम	स्टेशन/यूनिट								
		रूद्रपुर	काशीपुर	जसपुर	खटीमा	सितारगंज	पन्तनगर	बाजपुर	किच्छा	योग
01	वाटरटैण्डर	01	—	01	02	02	02	01	01	10
02	फोमटैण्डर	01	02	—	—	01	02	—	—	06
03	मल्टीपरपजफायरटैण्डर	01	—	—	—	—	—	—	—	01
04	वाटरबाउजर	—	—	—	01	—	—	—	—	01
05	डी0सी0पी0 टेण्डर	—	—	—	—	—	01	—	—	01
06	मिनीवाटरटेण्डर	02	01	01	01	01	—	—	—	06
07	वाटरमिस्टहाईप्रेशर	—	01	01	01	—	—	—	—	03
08	टोईगव्हीलकसटाटा योद्धा मय एलाइडपम्प 1300 एलपीएम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	रेस्क्यूटेण्डर	—	—	—	—	—	01	—	—	01
09	एम्बुलैन्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	बोलेरो/पी0पी0सी0वी0	02	—	—	—	01	01	—	—	04
11	टोइंगव्हीकल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	बैंकपैकसैट	01	01	01	01	01	01	—	—	06
13	जनरेटर	02	01	02	01	—	01	—	—	07
14	टावरलाईट	02	02	02	02	02	02	—	—	12
15	आयरनकटर	01	—	—	—	01	01	—	—	03
16	वुडकटर	01	01	01	02	01	01	—	—	07
17	कंकरीटकटर	01	01	01	01	—	01	—	—	05

क्र.सं.	उपकरण का नाम	स्टेशन/यूनिट								
		रूद्रपुर	काशीपुर	जसपुर	खटीमा	सितारगंज	पन्तनगर	बाजपुर	किच्छा	योग
18	डायमण्डचेन शॉ	01	–	–	–	–	–	–	–	01
19	पोर्टेबल फ्लोटिंगपम्प	01	01	–	–	–	01	–	–	03
20	मिस्टब्लोवर	01	01	–	–	–	01	–	–	03
21	हाईड्रलिकजनेरटरकटर	01	–	–	–	–	–	–	–	01
22	हाईड्रलिकजनेरटरस्प्रेडर	01	–	–	–	–	–	–	–	01

लोक निर्माण विभाग

जनपद उधम सिंह नगर में मुख्यतः लो0 नि0 वि0 के अन्तर्गत प्रान्तीय खण्ड, रूद्रपुर, निर्माण खण्ड काशीपुर तथा निर्माण खण्ड खटीमा कार्यरत हैं ।

31–03–2025 को जनपद में श्रेणीवार लेपित मार्गों की लम्बाई 2626.409 किमी0 है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

1. राष्ट्रीय मार्ग = 22.440 किमी0
2. राज्य मार्ग = 237.321 किमी0
3. मुख्य जिला मार्ग = 194.645 किमी0
4. अन्य जिला मार्ग = 157.521 किमी0

वैकल्पिक मार्गो का विवरण

क्र.सं.	मुख्य मार्ग का नाम एवं श्रेणी	मार्ग अवरुद्व होने की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग
1–	गदरपुर–दिनेशपुर–मटकोटा–हल्द्वानी मार्ग– राज्य मार्ग संख्या–05(किमी 0.00–23.00)	एन0एच0–74 तथा एन0एच0–87
2–	नगला–किच्छा राज्य मार्ग (राज्य मार्ग–44) (किमी0 0.00–19.50)	किच्छा–दरऊ मार्ग
3–	किच्छा दरऊ मुख्य जिला मार्ग (किमी 0.00–8.885)	एन0एच0–74 मार्ग
4–	मानुनगर मुख्य जिला मार्ग (किमी0 0.00–3.90)	एन0एच0–74 तथा एन0एच0–87
5–	डी0डी0 चौक किच्छा बाईपास मार्ग	एन0एच0–74 तथा एन0एच0–87

हैलीपैड़ को आर्ड़िनेट्स

क्र.सं.	स्थल का नाम	अंक्षाश	देशान्तर
1	पुलिस लाईन, रूद्रपुर	28° 59′ 34′′ N	79° 24′ 13′′ E
2	पी0ए0सी0, रूद्रपुर	28° 59′ 9.3′′ N	79° 23′ 56.3′′ E
3	झॉ इण्टर कालेज , रूद्रपुर	28° 57′ 48.1′′ N	79° 23′ 24.1′′ E
4	स्टेडियम , रूद्रपुर	28° 59′ 42.67′′ N	79° 24′ 26.38′′ E
5	राधा स्वामी सत्संग मैदान किच्छा रोड़ रूद्रपुर	28° 57′ 32.9′′ N	79° 26′ 40.10′′ E
6	डी0डी0 चौक से किच्छा बाईपास में एफ0सी0आई0 गोदाम के सम्मुख एवं खेडा–गंगापुर के दायी ओर नगर निगम की भूमि/मैदान	28° 58′ 25.7′′ N	79° 24′ 44.3′′ E
7	स्टेडियम पन्तनगर	29° 01′ 12′′ N	79° 29′ 50.2′′ E
8	थाना पन्तनगर	29° 02′ 11.6′′ N	79° 26′ 49.10′′ E
9	चीनी मिल किच्छा	28° 55′ 20′′ N	79° 31′ 01′′ E
10	इन्द्रा गॉधी खेल मैदान किच्छा	28° 54′ 42.7′′ N	79° 31′ 5.8′′ E
11	राजकीय इण्टर कालेज खमिया नं0 2	28° 59′ 49.68′′ N	79° 32′ 11.34′′ E
12	राजकीय प्राथमिक विद्यालय वीरू नगला	28 0 52 ` 18.42 N	79 0 27 ` 51.72 E
13	स्व0 चितरंजन राहा राजकीय इण्टर कालेज दिनेशपुर	29° 02′ 41′′ N	79° 19′ 06′′ E
14	अशोका लेलैण्ड ग्राउण्ड छत्तरपुर–मटकोटा	29° 01′ 23′′ N	79° 23′ 33′′ E
15	गदरपुर के रतनपुरा में मीरी पीरी खालसा एकेडमी कबड्डी ग्राउण्ड	28° 58′ 56′′ N	79° 16′ 55.1′′ E
16	राजकीय इण्टर कालेज गदरपुर के कोर्डिनेटस	29° 02′ 45.2′′ N	79° 14′ 29.7′′ E

खण्डों में उपलब्ध यंत्र/संयत्र का संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	खण्ड का नाम	उपलब्ध JCB, Dozer, Pocklane, Robot		ट्रक / टिप्पर	कम्प्रेसर	Wood Cutter	मैनपावर	
		विभागीय	प्राईवेट				गठित दल	कुल उपलब्ध श्रमिक
01	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रपुर	–	03	–	–	01	–	20

खण्ड में उपलब्ध यंत्र/संयत्र के सबंध में सूचना।

क्र.सं.	उपकरण का नाम एवं नम्बर	उपकरण का प्रकार		चालक का नाम	मोबाइल नं0	मार्ग / क्षेत्र जहॉ पर मशीन रखी गयी है	उपकरण से सम्बन्धित जिम्मेदार विभागीय अधिकारी / कर्मचारी का नाम, पदनाम, मो0 नं0
		राजकीय	प्राईवेट				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ट्रक सं0 यूए07सी8497	राजकीय	–	श्री दीपक कुमार	9490080071	काशीपुर	श्री रोहित कुमार कनि0अभि0– मो0नं0 9997799667
2	टिपर सं0 यूएचजी 9438	राजकीय	–	श्री श्रीपाल	9568193634	काशीपुर	–तदैव–
3	ट्रेक्टर यू0टी0एल0 3986	राजकीय	–	श्री ओम प्रकाश	9837451817	काशीपुर	–तदैव–
4	ट्रेक्टर यू0एस0आर0 8392	राजकीय	–	श्री तेजपाल सिंह	8937809065	काशीपुर	–तदैव–

मुख्य मार्गों के वैकल्पिक मार्गों की सूची

क्र.सं.	मुख्य मार्ग का नाम एवं श्रेणी	मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग
1	काशीपुर ठाकुरद्वारा मार्ग राज्य मार्ग सं0 45	रा0मा0 सं0 74 काशीपुर जसपुर धामपुर मार्ग किमी0 92 से ठाकुरद्वारा 30.00 किमी0
2	नैनीताल–कालाढूंगी–बाजपुर– दोराहा मार्ग राज्य मार्ग सं0 13	बन्नाखेडा बैलपडाव मार्ग 17.00 किमी0 ग्रामीण मार्ग
3	काशीपुर मेन मार्ग (यू0एन0–1) मुख्य जिला मार्ग	1. श्यामनगर बाबरखेडा मार्ग 2. काशीपुर रामनगर रा0मार्ग 3. गढीनेगी बैलजुडी मार्ग 30.00 किमी0
4	जसपुर धामपुर मार्ग (यू0एन0–2) मुख्य जिला मार्ग	जसपुर से रा0मा0 होकर कैनाल लिंक मार्ग 10.50 किमी0
5	जसपुर ठाकुरद्वारा मार्ग (यू0एन0–3) मुख्य जिला मार्ग	श्यामनगर बाबरखेडा मार्ग से काशीपुर मेन मार्ग हरियावाला होकर ठाकुरद्वारा मार्ग 8.00 किमी0
6	काशीपुर अलीगंज मार्ग (यू0एन0–7) मुख्य जिला मार्ग	मुकन्दपुर पैगा ढकिया गुलाबो मार्ग 25.00 किमी0 मुख्य जिला मार्ग
7	ढकिया–गुलाबो–पैगा–मुकन्दपुर मार्ग (यू0एन0–5) मुख्य जिला मार्ग	काशीपुर दढियाल मार्ग 9.49 किमी0 मुख्य जिला मार्ग/ काशीपुर अलीगंज मार्ग 8.00 किमी0 मुख्य जिला मार्ग
8	सरदारनगर– बाजपुर– केशोंवाला– बन्नाखेडा– बैलपडाव– कोटाबाग– कालाढूंगी मोटर मार्ग राज्य मार्ग सं0 61	नैनीताल–कालाढूंगी–बाजपुर–दोराहा मार्ग से बाजपुर जंगीनाला मार्ग 22.00 किमी0 राज्य मार्ग
9	जसपुर अमानगढ पतरामपुर मार्ग अन्य जिला मार्ग	जसपुर पतरामपुर होकर तथा मेघावाला मार्ग 11.00 किमी0
10	जसपुर धामपुर तथा जसपुर अफजलगढ मार्ग को मिलाने वाला लिंक मार्गअन्य जिला मार्ग	जसपुर धामपुर मार्ग 6.00 किमी0
11	जसपुर पतरामपुर मार्गअन्य जिला मार्ग	जसपुर अमानगढ मार्ग 11.00 किमी0
12	काशीपुर ढकिया खरमाशा मार्ग अन्य जिला मार्ग	गांधीआश्रम पच्चावाला मार्ग से जैतपुर धनौरी मार्ग 17.00 किमी0
13	रेहटा सिंहाली मार्ग अन्य जिला मार्ग	सरदारनगर बन्नाखेडा मार्ग 8.00 किमी0 मुख्य जिला मार्ग
14	गणेशपुर रामनगर मार्ग	रा0मा0 रूद्रपुर काशीपुर रामनगर मार्ग

क्र.सं.	मुख्य मार्ग का नाम एवं श्रेणी	मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग
	अन्य जिला मार्ग	6.00 किमी0
15	बाजपुर खमरिया नरखेडा मार्ग अन्य जिला मार्ग	रा0मा0 रूद्रपुर काशीपुर बाजपुर दोराहा से बाजपुर मार्ग 5.00 किमी0
16	जैतपुर धनौरी मार्ग	रा0मा0 रूद्रपुर काशीपुर रामनगर मार्ग
17	बाजपुर बंध मार्ग ग्रामीण मार्ग	रा0मा0 रूद्रपुर काशीपुर रामनगर मार्ग
18	जगन्नाथपुर कोसीफार्म मार्ग	बाजपुर बंध मार्ग
19	जंगीनाला मार्ग (रामराज मार्ग) के किमी0 4 से कोसीकांटा मार्ग मुख्य जिला मार्ग	केशोंवाला बाजपुर बन्नाखेडा मार्ग
20	बन्नाखेडा कोसी फार्म मार्ग	जंगीनाला मार्ग

उपकरणो का विवरण।

क्र0	खण्ड का नाम	उपलब्ध जे0सी0बी0	ट्रक/टिप्पर	ट्रक/टिप्पर	कम्प्रेसर	बूड कटर	मैनपावर	
		विभागीय	प्राइवेट				गठित दल	कुल उपलब्ध श्रमिक
01	लो0नि0वि0 काशीपुर	–	3	2	&	01	10	21

हैलीपैड़ को आर्ड़िनेट्स लो0नि0वि0 काशीपुर

क्र.सं.	स्थल का नाम	अंक्षाश	देशान्तर	ऊंचाई (मी.)
1	बी0एस0वी0 इण्टर कालेज जसपुर	29° 16′ 21′′ N	78° 50′ 22′′ E	238
2	सूत मिल, जसपुर	29° 17′ 09′′ N	78° 48′ 29′′ E	238
3	नादेही शुगर मिल ग्राउण्ड जसुपर	29° 17′ 05′′ N	78° 46′ 29′′ E	238
4	सहोता पेपर मिल, जसपुर	29° 16′ 23′′ N	78° 51′ 10′′ E	238
5	काशीपुर स्टेडियम	29° 13′ 33′′ N	78° 58′ 6′′ E	235
6	केन्द्रीय विद्यालय काशीपुर	29° 11′ .7′′ N	79° 0′ 32′′ E	235
7	राजकीय पालिटेक्निक काशीपुर	29° 13′ 16′′ N	78° 57′ 32′′ E	235
8	उदयराज हिन्दु इण्टर कालेज काशीपुर	29° 13′ 13′′ N	78° 57′ 32′′ E	235
9	चैती मेला मैदान काशीपुर	29° 13′ 13′′ N	78° 57′ 32′′ E	235
10	आई0जी0एल0 क्रिकेट ग्राउण्ड	29° 10′ 42′′ N	79° 0′ 30′′ E	235
11	राधेहरि स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर	29° 11′ 21′′ N	78° 59′ 25′′ E	235
12	किसान इण्टर कालेज कुण्डेश्वरी काशीपुर	28 0 12 ′ 23 N	79 0 01 05 E	235
13	दशमेश स्कूल बाजपुर	29° 11′ 18′′ N	79° 07′ 38′′ E	227-50
14	कहलो होटल के पीछे बाजपुर	29° 08′ 18′′ N	79° 07′ 38′′ E	227-50
15	रिवरडेल स्कूल बाजपुर	29° 10′ 04′′ N	79° 09′ 02′′ E	227-50
16	बाजपुर शुगर मिल	29° 09′ 45′′ N	79° 08′ 37′′ E	227-50

जनपद ऊधम सिंह नगरमेंहैलीपैडों का विवरण।

क्र. सं.	स्थल का नाम	हैलीपैड का आकारलम्बाई×चौडाई (मीटर में) क्षेत्रफल–वर्ग मी0 में)	समुद्रतल से ऊँचाई (मीटर में)	अंक्षाश Latitude	देशान्तर Longitude
1	पन्तनगर			29º 01'55.725" N	79º 28' 20.88" E

लोकनिर्माण खण्ड रूद्रपुर।

क्र. सं.	स्थल का नाम	हैलीपैड का आकारलम्बाई×चौडाई (मीटर में) क्षेत्रफल–वर्ग मी0 में)	समुद्रतल से ऊँचाई (मीटर में)	अंक्षाश	देशान्तर
1	पुलिसलाईन, रूद्रपुर**(अस्थाई)**	175x95	247	28º 59' 34" N	79º 24' 13" E
2	पी0ए0सी0, रूद्रपुर**(अस्थाई)**	110x70	248	28º 59' 9.3" N	79º 23' 56.3" E
3	झॉ इण्टर कालेज , रूद्रपुर **(अस्थाई)**	80x60	249.5	28º 57' 48.1" N	79º 23' 24.1" E
4	स्टेडियम, रूद्रपुर**(अस्थाई)**	255x150	240	28º 59' 42.67" N	79º 24' 26.38" E
5	राधा स्वामी सत्संग मैदान किच्छा रोड़ रूद्रपुर**(अस्थाई)**	90x40	243	28º 57' 32.9" N	79º 26' 40.10" E
6	डी0डी0 चौक से किच्छाबाईपासमें एफ0सी0आई0 गोदाम के सम्मुख एवं खेडा–गंगापुर के दायीओरनगरनिगम की भूमि/मैदान**(अस्थाई)**	190x130	242	28º 58' 25.7" N	79º 24' 44.3" E
7	स्टेडियम पन्तनगर **(अस्थाई)**	175x95	260	29º 01' 12" N	79º 29' 50.2" E
8	थाना पन्तनगर**(अस्थाई)**	18X12	265	29º 02' 11.6" N	79º 26' 49.10" E
9	चीनी मिल किच्छा**(अस्थाई)**	100x75	242	28º 55' 20" N	79º 31' 01" E
10	इन्द्रा गॉधी खेल मैदान किच्छा**(अस्थाई)**	75x70	237	28º 54' 42.7" N	79º 31' 5.8" E
11	राजकीय इण्टर कालेज खमिया नं0 2 **(अस्थाई)**	95x70	254	28º 59' 50.37" N	79º 32' 1.50" E
12	राजकीय प्राथमिक विद्यालय वीरू नगला**(अस्थाई)**	35x30	228	28º 52' 18.42" N	79º 27' 51.72" E
13	स्व0 चितरंजन राहा राजकीय इण्टर कालेज दिनेशपुर**(अस्थाई)**	90x50	250	29º 02' 41" N	79º 19' 06" E
14	अशोका लेलैण्ड ग्राउण्ड छत्तरपुर–मटकोटा **(अस्थाई)**	100x70	257	29º 01' 22.60" N	79º 23' 37.10" E
15	गदरपुर के रतन पुरा मेंमीरी पीरी खालसा एकेडमी कबड्डी ग्राउण्ड**(अस्थाई)**	80x60	236	28º 58' 56" N	79º 16' 55.1" E
16	राजकीय इण्टर कालेज गदरपुर के कोर्डिनेटस**(अस्थाई)**	70x70	247	29º 02' 46.89" N	79º 14' 29.76" E

लोक निर्माण खण्ड काशीपुर

1	बी0एस0वी0 इण्टर कालेज, जसपुर**(अस्थाई)**	90×70	238	29º 16'21" N	78º 50' 22" E
2	सूत मिल, जसपुर**(अस्थाई)**	80×75	238	29º 17' 09" N	78º 48' 29" E
3	नादेही शुगर मिल ग्राउण्ड, जसुपर**(अस्थाई)**	90×75	238	29º 17' 05" N	78º 46' 29" E
4	सहोता पेपर मिल, जसपुर**(अस्थाई)**	80×70	238	29º 16' 23" N	78º 51' 10" E
5	काशीपुर स्टेडियम**(अस्थाई)**	100×100	235	29º 13' 33" N	78º 58' 6" E
6	केन्द्रीय विद्यालय, काशीपुर**(अस्थाई)**	100×100	235	29º 11'7" N	79º 0' 34" E

7	राजकीय पालिटेक्निक, काशीपुर**(अस्थाई)**	110×100	235	29º 13'16" N	78º 57' 38" E
8	उदयराज हिन्दू इण्टर कालेज, काशीपुर **(अस्थाई)**	110×90	235	29º 13' 13" N	78º 57' 32" E
9	चैती मेला मैदान, काशीपुर**(अस्थाई)**	90×90	235	29º 12' 8" N	78º 58' 33" E
10	आई0जी0एल0 क्रिकेट ग्राउण्ड, काशीपुर**(अस्थाई)**	110×100	235	29º 10' 42" N	79º 0' 30"E
11	राधे हरि स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर**(अस्थाई)**	80×75	235	29º 11' 21"N	78º 59'25" E
12	किसान इण्टर कालेज कुण्डेश्वरी काशीपुर**(अस्थाई)**	100×95	235	29 0 12' 23" N	79 0 01' 05" E
13	दशमेश स्कूल बाजपुर**(अस्थाई)**	100×100	228	29º 11' 18" N	79º 07' 38" E
14	कहलो होटल के पीछे बाजपुर**(अस्थाई)**	वर्तमान में कॉलोनी निर्मित हो चुक ीहै।	228	29º 08' 34" N	79º 07' 35" E
15	रिवर डेल स्कूल, बाजपुर**(अस्थाई)**	100×80	228	29º 10' 04" N	79º 09' 02" E
16	बाजपुर शुगर मिल **(अस्थाई)**	120×100	228	29º 09' 45" N	79º 08' 37" E
लोक निर्माण खण्ड खटीमा					
1	टैगोर नगर शक्तिफार्म के पास सितारगंज**(अस्थाई)**	70×100	691	29° 00' 54.36"(N)	79° 38' 59" (E)
2	राजकीय इन्टर कालेज सितारगंज**(अस्थाई)**	50×100	634	280 55' 56" (N)	790 42' 06" (E)
3	राजकीय इन्टरकालेज शक्तिफार्म, सितारगंज**(अस्थाई)**	90×80	659	29° 00' 15"(N)	79° 39' 10" (E)
4	मीराबाराहराणासितारगंजमन्दिर के सामन, सितारगंज**(अस्थाई)**	20×30	711	290 03' 07" (N)	790 41' 00" (E)
5	राजकीय माध्यमिक विद्यालय रुदपुर शक्तिफार्म सितारगंज**(अस्थाई)**	60×80	672	29° 01' 49.5" (N)	79° 30' 40.5" (E)
6	सिसौना डिग्री कालेज, सितारगंज**(अस्थाई)**	60×90	627	28° 58' 41.24"(N)	79° 41' 51.028" (E)
7	सिडकुलफेज–। हैलीपैड, सितारगंज**(अस्थाई)**	30×60	717	290 03' 01" (N)	790 41' 20" (E)
8	गुरुनानकम एकेडमी नानकमत्ता, . **(अस्थाई)**	115×110	696	28° 56' 50.10"(N)	79° 48' 29.60" (E)
9	थारु राजकीय इन्टरकालेज खटीमा**(अस्थाई)**	60×60	706	28° 55' 21.38"(N)	79° 58' 8.57" (E)
10	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा**(अस्थाई)**	70×150	632	28° 55' 15.59"(N)	79° 57' 48.83" (E)
11	आई0टी0आई0 के पास एल0बी0 रोड खटीमा**(अस्थाई)**	120×70	701	28° 56' 26.98"(N)	79° 48' 43.43" (E)
12	शहीद हरिकशन शिक्षण संस्थान, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अशोक फार्म नं0 8 खटीमा**(अस्थाई)**	50×90	575	28° 52' 27.99"(N)	80° 01' 47.69" (E)
13	नानकमत्ता वााग चौकी के पीछे/खटीमा**(अस्थाई)**	100×100	613	280 56' 12.5" (N)	790 51' 4.70" (E)

विद्युत विभाग

- **विभागीय अवसंरचनाओं का मजबूतीकरण**–विभाग द्वाराकार्योकोमानकों के अनुरूपमजबूत एवं टिकाउ रूप से किया जाता है ताकि आपदा की स्थिति में कम से कम क्षति हो तथा उनके पुनर्स्थापना के कार्य शीघ्रता से किये जा सकें।

- **विभागीय कार्य विशेष के सन्दर्भ में आपदा न्यूनीकरण व रोकथाम हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम की रूप रेखा–**
इन कार्यो के सम्पादन हेतु प्रशासनिक व वित्तीय व्यवस्थायें – आपदा के कारण क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों, खम्भों एवं परविर्तकों की पुनर्स्थापना हेतु रू0–2.00 लाख तक की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, सम्बन्धित मण्डल एवं रू0 5.00 लाख तक की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता द्वाराप्रदान की जातीहै।तथा 5.00 लाख से अधिक की स्वीकृति मुख्यालय देहरादून से प्रदान की जातीहै।

विद्युत वितरण मण्डल रूद्रपुर के अन्तर्गत विभागीय अधिकारियों का विवरण

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पता	मोबाईल नं0
1	श्री एन0 सी0 टोलिया	मुख्य अभियन्ता	विद्युत वितरण, रूद्रपुर	9412093250
2	श्री शेखर चन्द्र त्रिपाठी	अधीक्षण अभियन्ता	विद्युत वितरणमण्डल, रूद्रपुर	9917437999
3	श्री अर्जुन प्रताप सिंह	अधीक्षण अभियन्ता	विद्युत वितरणमण्डल, काशीपुर	9411108210
4	श्री राकेश कुमार	अधिशासी अभियन्ता	विद्युत वि0 खण्ड रूद्रपुर प्रथम	9412091260
5	श्री चन्दन सिंह बसनेत	अधिशासी अभियन्ता	विद्युतवितरण, खण्ड खटीमा	9411108016
6	श्री संजय कुमार तिवारी	अधिशासी अभियन्ता	विद्युतवितरण, खण्ड, किच्छा	9412917688
7	श्री उमाकान्त चतुर्वेदी	अधिशासी अभियन्ता	विद्युत वि0 खण्ड, रुद्रपुर द्वितीय	9917474748
8	श्री चन्दन सिंह बसनेत	अधिशासी अभियन्ता	विद्युतवितरण खण्ड सितारगंज	9411108016
9	श्री विवेक काण्डपाल	अधिशासी अभियन्ता	विद्युतवितरण खण्ड काशीपुर।	9412091286
10	श्री विवेक काण्डपाल	अधिशासी अभियन्ता	विद्युतवितरण खण्ड बाजपुर	9412091286
11	श्री गोविन्द सिंह कार्की	अधिशासी अभियन्ता	विद्युतवितरण खण्ड जसपुर	9412091295

जल संस्थान–

प्रमुख विभागीय अधिकारियों का विवरणः–

क्र.सं.	विभागीय अधिकारियों का नाम	पदनाम	पता	दूरभाष /मोबाइल सं0
1	श्रीडी.के. सिंह	मुख्य महाप्रबन्धक (विभागाध्यक्ष)	कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, 'जल भवन', बी–ब्लॉक, नेहरु कॉलौनी, देहरादून।	Off- 0135-2676260 Fax-0135-2676177 Mob- 9411113816 cgm-js-ua@nic.in
2	श्रीडी.के. सिंह	महाप्रबन्धक	कार्यालय महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, विकास भवन परिसर (निकट शिक्षा भवन) भीमताल, नैनीताल।	Off- 05942-247364 Fax-05942-247680 Mob- 9927027172 gmkumn@gmail.com/
3	श्री विशाल कुमार	अधीक्षणअभियन्ता	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, वृत्त–हल्द्वानी	Off- 05946-266044 Fax-05946-266044 Mob- 9412907836 sehal-js-ua@nic.in
4	श्री तरुण शर्मा	अधिशासीअभियन्ता (शाखाधिकारी /नोडल अधिकारी)	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, कलैक्ट्रेट परिसर, ऊधमसिंहनगर।	Off- 05944-250631 Fax-05944-250631 Mob- 9412088189 eeudmujs@gmail.com
5	श्री मनोज कुमार गंगवार	प्रभारीअधिशासीअभियन्ता (रामनगर)	कार्यालय अधिशासीअभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, रामनगर।	Off- 05947-255876 Fax-05944-255876 Mob- 9756599176 eeram.ujs.uk@gmail.com
6	श्रीअजय कुमार	अधिशासीअभियन्ता, (खटीमा)	कार्यालय, अधिशासीअभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, कोतवाली के पास, खटीमा।	Off- 05943-250208 Mob- +7500831727 eeujskht@gmail.com
7	श्री एल0एम0 पाण्डे	सहायकअभियन्ता, रूद्रपुर/किच्छा।	कार्यालय अधिशासीअभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, कलैक्ट्रेटपरिसर, ऊधमसिंहनगर।	Off- 05944-250631 Mob- 7455021779/ 9412161877 eeudmujs@gmail.com
8	श्रीमुकेशकुमार	सहायकअभियन्ताा (बाजपुर)	कार्यालय सहायक अभियन्ता तराईविकास भवन के पास, हल्द्वानीरोड़ बाजपुर, ऊधमसिंहनगर।	Mob- 9411305935/ 7455021752 bazpurujs262401@gmail.com
9	श्री चेतन चौहान	सहायकअभियन्ताा (गदरपुर)	कार्यालय सहायकअभियन्ता, निकटशिशुमन्दिरस्कूलगदरपुर, ऊधमसिंहनगर।	Mob- 7055731155 ujsgadarpur@gmail.com
10	श्री आनन्द बल्लभजोशी	सहायकअभियंता (खटीमा/सितारगंज)	कार्यालय सहायकअभियन्ता, कनिष्ठअभियन्ताकार्यालय परिसर, कोतवाली के पास, टनकपुररोड़ खटीमा, ऊधमसिंहनगर।	Mob- 9410377187 Off- 05943-250208
11	श्री आयुष ग्वाल	सहायकअभियंता (खटीमा आंशिक)	कार्यालय सहायकअभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय परिसर, कोतवाली के पास, टनकपुर रोड़ खटीमा, ऊधमसिंहनगर।	Mob- 8126818197 Off- 05943-250208
12	श्री नरेन्द्र कुमार रैखाड़ी	सहायकअभियन्ता (काशीपुर/जसपुर)	कार्यालय सहायक अभियन्ता, निकट नगर निगम कार्यालय,काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।	Mob- 9456143484 @8218058737
13	श्री संजीव नाथ	कनिष्ठ अभियंता नानकमत्ता	कार्यालय सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ	

क्र.सं.	विभागीय अधिकारियों का नाम	पदनाम	पता	दूरभाष /मोबाइल सं0
	गोस्वामी		अभियन्ता कार्यालय परिसर, कोतवाली के पास, टनकपुररोड़ खटीमा, ऊधमसिंहनगर।	Mob- 9548239675
14	श्री सौरभ भट्ट	कनिष्ठअभियन्ता (रुद्रपुर)	कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता नैनीताल रोड़, सिंचाई विभाग निरीक्षण भवन के सामने, रुद्रपुर ऊधमसिंहनगर।	Mob- 7535801608
15	श्री हरेन्द्र कुमार सिंह	कनिष्ठअभियन्ता (बाजपुर)	कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता तराई विकास भवन के पास, हल्द्वानीरोड़ बाजपुर, ऊधमसिंहनगर।	Mob- 9917470433
16	श्री राजेश श्रीवास्तव	कनिष्ठअभियन्ता (गदरपुर)	कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता गूलरभोज रोड़ गदरपुर, ऊधमसिंहनगर।	Mob- 9837840393
17	मो. आसिम	कनिष्ठअभियन्ता (किच्छा)	कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता आवास विकास किच्छा ऊधमसिंहनगर।	Mob- 9917411271
18	श्री उज्जवल कुमार	अपरसहायकअभियंता (सितारगंज)	कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता कोतवाली के पास, चारेगलियारोड़ सितारगंज, ऊधमसिंहनगर।	Mob- 8279464996
19	श्री कमल किशोर जोशी	कनिष्ठअभियन्ता (खटीमा)	कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता कोतवाली के पास, टनकपुररोड़ खटीमा, ऊधमसिंहनगर।	Mob- 9720985543
20	श्रीगजेन्द्र सिंह (उपनल)	कनिष्ठअभियन्ता (खटीमा नगर)		Mob- 7351703933
21	श्री प्रदीप चौहान	कनिष्ठअभियन्ता (काशीपुर सीवर / काशीपुरनगर / काशीपुर ग्रामीण)	कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता निकट, नगर निगम कार्यालय काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।	Mob-7500052189
22	श्री कमल किशोर टम्टा	अपरसहायकअभियन्ता (जसपुर नगर / ग्रामीण)	कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता निकट लकड़ी मण्डी, हरिद्वार रोड़ जसपुर, ऊधमसिंहनगर।	Mob- +919410534028/ 7668177017

विभागीय अधिकारियों का विवरण

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान ऊधमसिंहनगर।

किसी भी आपातकाल की स्थिति में विभाग द्वारा	जिम्मेदार अधिकारी का नाम/मोबाईल नं0
1. आपदाग्रस्त क्षेत्रों में टेंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति	**अधिशासी अभियन्ता शाखा ऊधम सिंह नगर मो0नं0**–9412088189, सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक अभियन्ता रुद्रपुर–7455021779, स0अ0गदरपुर–7055731155, स0अ0बाजपुर–745021752, स0अ0किच्छा–7455021779,सम्बन्धित क्षेत्र के कनिष्ठअभियन्ता, रुद्रपुर–7535801608, गदरपुर–9837840393, बाजपुर–9917470433, किच्छा–9917411271, **अधिशासी अभियन्ता शाखा खटीमामो0 नं0**–7500831727, सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक अभियन्ता खटीमा / सितारगंज–9410377187, सम्बन्धित क्षेत्र के कनिष्ठअभियन्ताखटीमा–9720985543 / 7351703933,कनिष्ठअभियन्ता सितारगंज–8279464996, / 9548239675 **अधिशासी अभियन्ता, शाखा रामनगर मो0नं0–9756599176**सम्बन्धित क्षेत्र के सहायकअभियन्ता, काशीपुर / जसपुर–9456143484 / 8218058737, सम्बन्धित क्षेत्र कनिष्ठ अभियन्ता–(काशीपुर सीवर / काशीपुरग्रामीण / काशीपुर नगर)–7500052189,अपरसहायकअभियन्ता, जसपुर–9410534028 / 7668177017
2. उपलब्ध पेयजल श्रोतों के पेयजल की जांच	लैब एनालिस्ट 7906521359, 6396316553 एवंलैबइन्चार्ज7455021752
घटना की समाप्ति तक किये जाने वाले कार्य	**जिम्मेदारअधिकारी का नाम/मोबाईल नं0**

किसी भी आपातकाल की स्थिति में विभाग द्वारा	जिम्मेदार अधिकारी का नाम/मोबाईल नं0
1. आपदाग्रस्त क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति	**अधिशासी अभियन्ता शाखा ऊधमसिंहनगर मो0नं0**–9412088189, सम्बन्धित क्षेत्र के सहायकअभियन्ता रुद्रपुर–7455021779, स0अ0गदरपुर–7055731155, स0अ0बाजपुर–745021752, स0अ0किच्छा–7455021779,सम्बन्धित क्षेत्र के कनिष्ठअभियन्ता, रुद्रपुर–7535801608, गदरपुर–9837840393, बाजपुर–9917470433, किच्छा–9917411271, **अधिशासी अभियन्ता शाखा खटीमामो0 नं0**–7500831727, सम्बन्धित क्षेत्र के सहायकअभियन्ता खटीमा/सितारगंज–9410377187, सम्बन्धित क्षेत्र के कनिष्ठअभियन्ताखटीमा–9720985543/7351703933,कनिष्ठअभियन्ता सितारगंज–8279464996,/9548239675 **अधिशासी अभियन्ता, शाखा रामनगर मो0नं0–9756599176**सम्बन्धित क्षेत्र के सहायकअभियन्ता, काशीपुर/जसपुर–9456143484/8218058737, सम्बन्धित क्षेत्र कनिष्ठ अभियन्ता–(काशीपुर सीवर/काशीपुर ग्रामीण/काशीपुर नगर)–7500052189,अपरसहायकअभियन्ता, जसपुर–9410534028/7668177017
2. मामूली रुप से क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों की मरम्मत का कार्य	**सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक अभियन्ता रुद्रपुर**–7455021779, स0अ0गदरपुर–7055731155, स0अ0बाजपुर–745021752, स0अ0किच्छा–7455021779, सम्बन्धित क्षेत्र के कनिष्ठअभियन्ता, रुद्रपुर–7535801608, गदरपुर–9837840393, बाजपुर–9917470433, किच्छा–9917411271, **सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक अभियन्ता खटीमा/सितारगंज**–9410377187, सम्बन्धित क्षेत्र के कनिष्ठअभियन्ताखटीमा–9720985543/7351703933,कनिष्ठअभियन्ता सितारगंज–8279464996,/9548239675 **सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक अभियन्ता, काशीपुर/जसपुर**–9456143484/8218058737, सम्बन्धित क्षेत्र कनिष्ठ अभियन्ता–(काशीपुर सीवर/काशीपुरग्रामीण/काशीपुर नगर)–7500052189,अपरसहायकअभियन्ता, जसपुर–9410534028/7668177017

पूर्ति विभाग–

विभागीय अधिकारियों का विवरण

जनपद में कार्यरत जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षकों के केन्द्रवार नाम एवं दूरभाष नम्बर

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	कर्मचारी का नाम एवंपदनाम	दूरभाषनम्बर
1	ऊधम सिंह नगर	श्री विनोद चन्द्र तिवारी उपायुक्त/जिलापूर्तिअधिकारी	9756267579
2	जसपुर	सुश्री मीनाक्षी रावत, पूर्ति निरीक्षक	8533870881
		श्री मुकुल कुमार गर्जोला, पूर्तिनिरीक्षक	8958717687
3	काशीपुर	श्री आशुतोष भट्ट क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी	9917076999
4	बाजपुर	श्री विपिन चन्द्र पाठक, पूर्तिनिरीक्षक	8954944254
5	गदरपुर	श्री चन्द्रशेखर काण्डपाल, पूर्तिनिरीक्षक	8077732415
6	रूद्रपुर	श्री मकलकीत सिंह क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी	9759990007
7	किच्छा	श्री भरत सिंह राणा, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी	9758768758
8	सितारगंज	श्री धर्मेन्द्र सिंह धामी , क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी	9458355905
		श्री कृष्ण कुमार बिष्ट, पूर्तिनिरीक्षक	9719596351
		श्रीमती रेहाना कुरैशी, पूर्तिनिरीक्षक	8979126255
9	खटीमा	श्री धर्मेन्द्र सिंह धामी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी	9458355905
		श्री हयात सिंह पूर्तिनिरीक्षक	9897616150

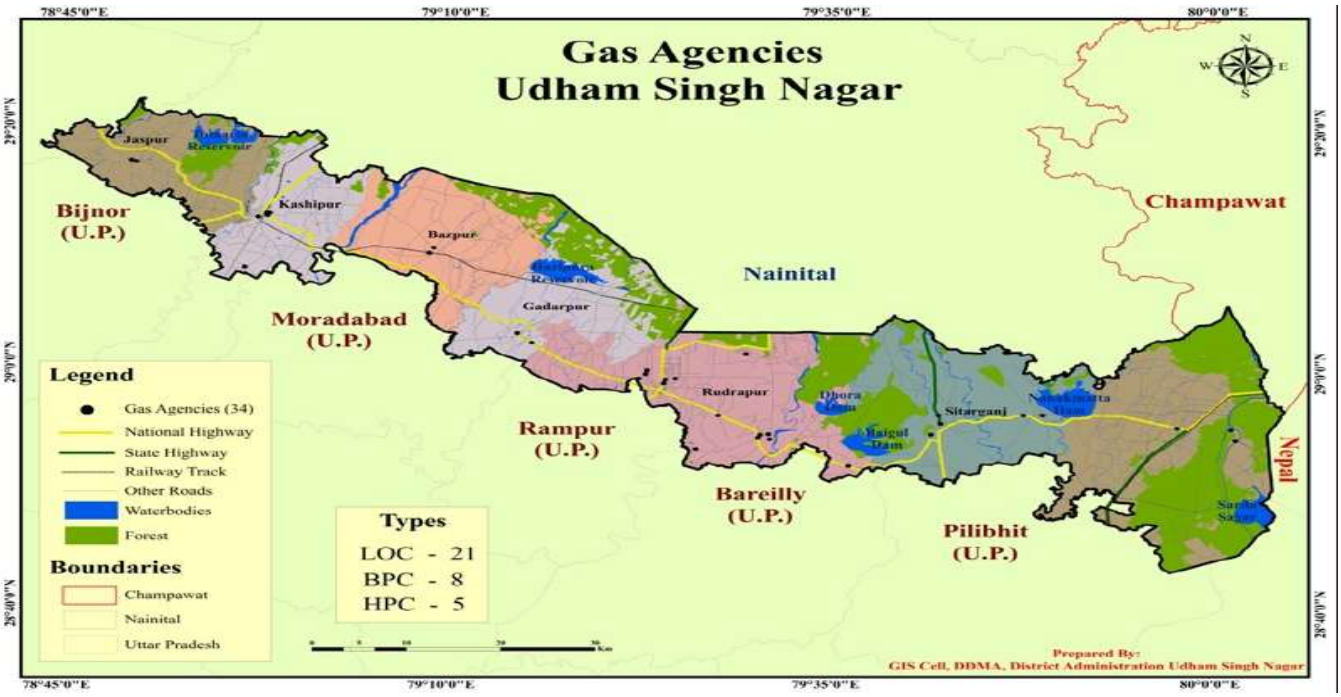

अन्न भण्डारों (गोदाम) में विपणन निरीक्षकों के नाम तथा दूरभाष नम्बर

गोदाम	क्षमता (मी0टन	कर्मचारी का नाम एवं पदाम	दूरभाष नम्बर
1. जसपुर	1000 MT	श्री कौशल कुमार वरिष्ठ विपणनअधिकारी	9456386168
2. काशीपुर	1000 MT	श्री दिनेश आर्या वरिष्ठ अधिकारी	7500224792
3. गदरपुर	1500 MT	श्री दिनेश सिंह बिष्ट वरिष्ठ विपणन अधिकारी	8433004550
4. रूद्रपुर	6000 MT	श्री हेमन्त जोशी वरिष्ठ विपणनअधिकारी	7060787217
5. किच्छा	1000 MT	श्री कमल जोशी वरिष्ठ विपणन अधिकारी	9410167435
6. सितारगंज	720 MT	श्री ओम नारायण मिश्रा वरिष्ठ विपणन निरीक्षक	9927006644
		श्री दीपक सक्सेना, विपणन निरीक्षक	9412981014
7. खटीमा	796 MT	श्री मनीष नेगी विपणन निरीक्षक, खटीमा	8044002210

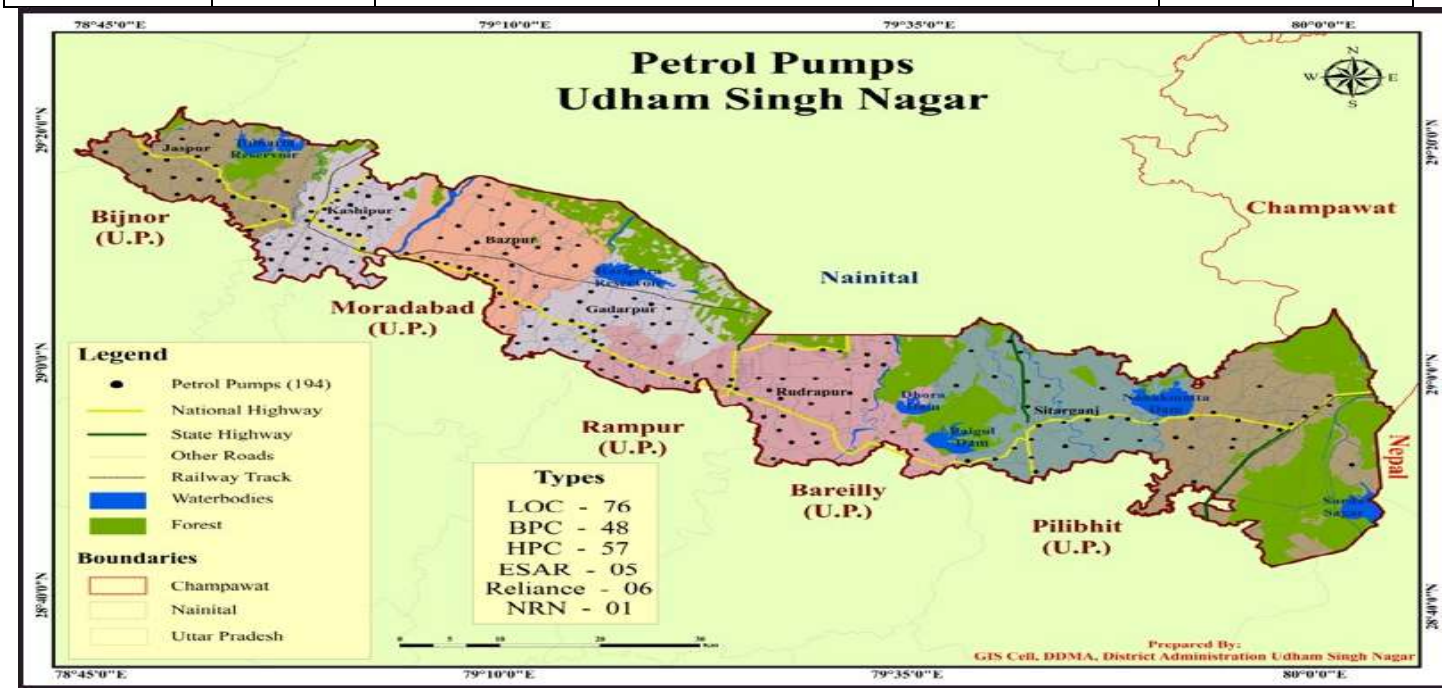

एस0डी0आर0एफ(State Disaster Response Force)

प्रस्तावना–जनपद ऊधम सिंह नगर में वर्तमान में 01 सब टीम व्यवस्थपित है जो आवश्यक तापड़ने पर डीप डाइविंग/फ्लड रेस्कयू/ड्राईरेस्कय ूसम्बन्धित रेस्कयू ड्यूरियों का सम्पादन करती है, वर्तमान में टीम की जनशक्ति/रेस्कयू उपकरण निम्वत् हैः–

क्र.सं.	पद का नाम	अधिकारी /कर्मचारी का नाम	मोबाइल नं0
01	02	03	04
01	निरीक्षक	श्री अर्जुन सिंह	
02	उप निरीक्षक,	श्री सुरेन्द्र सिंह	7505578505
03	अपर उप निरीक्षक	श्री रवि रावत	8923421700
04	है0क0 731	श्री खीम सिह	9458184697
05	है0क0 3596	श्री जगदीश उप्रेती	9410516307
06	है0क0 2196	श्री कमल सिंह	9958947616
07	का0 3304	श्री अजीत सिंह	7500550248
08	का0 क्लीनर	श्री रोहित परिहार	8755812707
09	उप0 पैरा	श्री हर्ष कुमार	8449158289
10	का0 997	श्री कृष्ण सिंह	9761293603

उपलब्ध रेस्क्यू उपकरण दल मुख्यालय रूद्रपुर

क्र.सं.	विवरण	संख्या	क्र.सं.	उपकरण का नाम	संख्या
01	स्कूबासिलेण्डर	02	14	लाईफजैकेट	10
02	वेटबैल्ट मय वेट	01	15	ड्राईबैग (10ली0)	01
03	बुटीज (जोड़ा)	01	16	रेस्क्यू ट्यूब	03
04	डायविंगसूट्र	01	17	डायविंगनाईफ	01
05	हुड	01	18	पर्सनलथ्रोबैंग	10
06	डायविंग ग्लब्ज (जोड़ा)	01	19	बी0सी0डी0	01
07	हाफफे समास्क	01	20	रेस्क्यूकांटा	01
08	फर्स्ट स्टेजरेगुलेटर	01	21	सेफ्टीहैल्मेट	10
09	प्रेशरगेज	01	22	लैंड की सैट	01
10	सिलेण्डरहार्नेस	01	23	राफ्ट	01
11	डिमाण्डवाल (ऑक्टोपस)	01	24	राफ्टपम्प	01
12	लाईफबोया	04	25	पैडलगाइड	01
13	लाईफबोया	04	26	ओ0बी0एम0 बोट मय असेसिरीज	01

पोस्ट–रूद्रपुर
रोपरेस्क्यू उपकरण/सी0एस0एस0आर0उपकरण

क्र.सं.	नाम उपकरण	संख्या
01	रोप 100 मी0 (मल्टी परपच)	03
02	शॅर्टसिलिंग	10
03	लॉगसिलिंग	10
04	टेपसिलिंग	04
05	जुमारजोड़ा (2 अदद)	01
06	कैराबिनरस्कू	08
07	सिंगल पुली	03
08	डिसेन्डर	02

क्र.सं.	नाम उपकरण	संख्या
09	सीटहारनेस	05
10	सर्चलाइट	02
11	फोल्डिंगस्टेचर	02
12	नैनोटॉर्च	10
13	नी पैड (जोडे)	08
14	मिटनजोडे	08
15	रेस्क्यूछाता	01
16	हार्डबोर्डस्टेचर	02
17	एम0एफ0आर0 बैग	01
18	मनीलारोप	01
19	डायनामिकरोप 100मी0	01
20	स्टेटिकरोप 100 मी0	01
21	स्टेटिकरोप 50 मी0	02
22	फ्लोटेशनरोप 200 मी0	01

सी0बी0 आर0एन0 उपकरण

क्र.सं.	नाम उपकरण	संख्या
01	सी0बी0आर0एन0	15
02	पर्सनल डोसी मीटर	09
03	मल्टी गैस डिटैक्टर	01
04	पर्सनल डीकन्टामिनेसन किड	10
05	एन0बी0सी0 फर्स्ट एड किड	03
06	वाटर पोइजन डिटेक्सन किड	02
07	रिसीडयूटलवेवीटार डिटेक्शन किट	01
08	एन0बी0सी0 ओबरबूट	15
09	एन0बी0सी0 ग्लब्स	15
10	एन0बी0सी0 रेस्परेटर मास्क	15
11	एन0बी0सी0 कनेस्टी	30
12	कैमिकल न्यूटीलाइजर मशीन	01
13	एन0बी0सी0 हुडमास्क	15
14	मनीला रोप	01

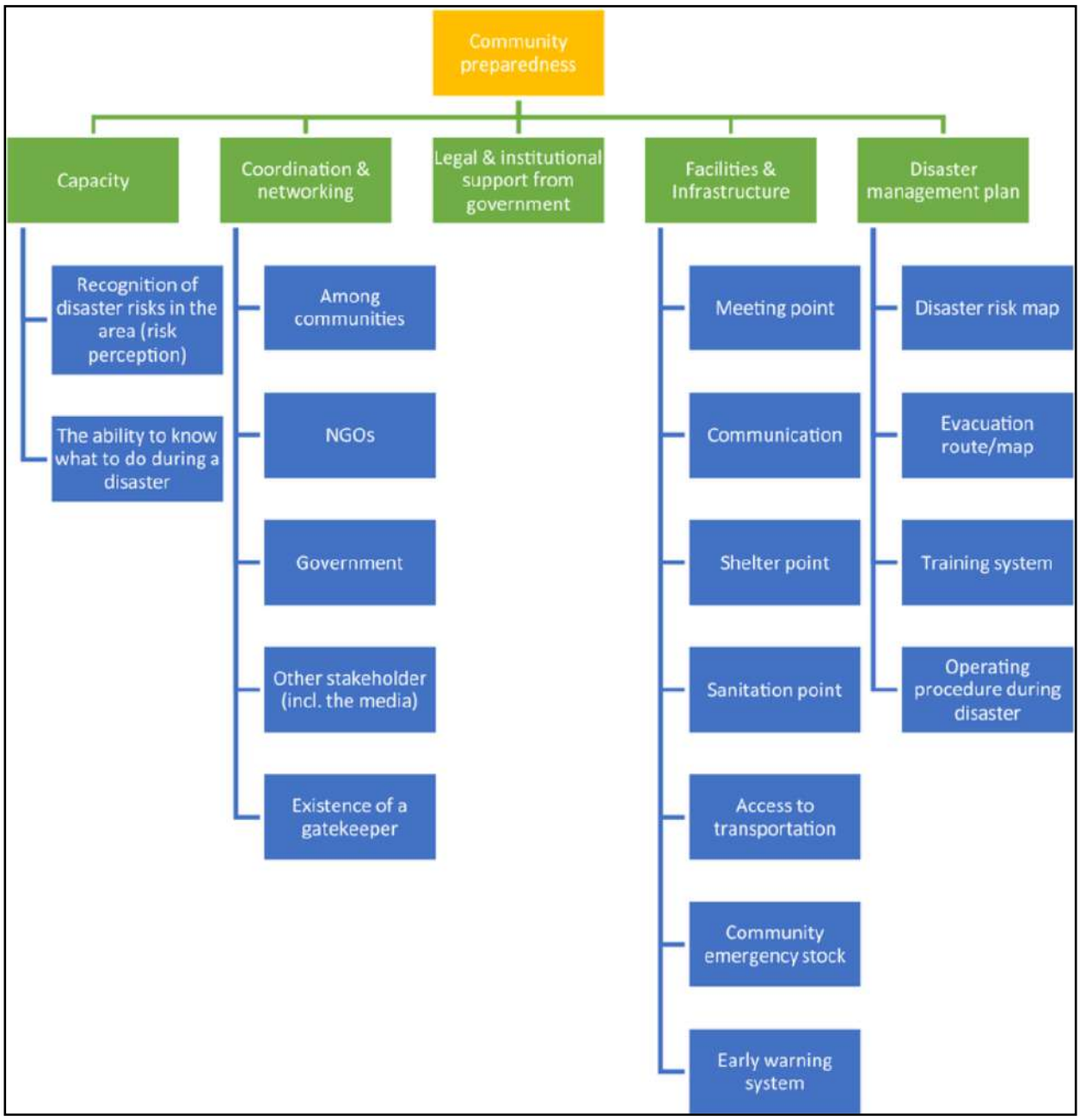

भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (Uploding of infromation on resources on India Disaster Resource Network) पर संसाधनों की जानकारी अपलोड करनाः–

आई0डी0आर0एन (IDRN) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्र, राज्य, एंव जनपद स्तर पर विभिन्न उपकरणों का कम्यूटीकृत डाटा वेस है जिसका उपयोग आपदा, दुर्घटना एवं संकटकालीन स्थितियों में किया जाना उपयोगी होता है।

उक्त उपकरणों को बैवसाईट www.idrn.gov.nidm.in में आपदा प्रबन्धन कार्यालय द्वारा जनपद की आई0डी0 udhamsinghnagar पर सरकारी/गैर सरकारी स्थानों, औद्योगिकरण विभागों एवं अन्य विभागों जैसें, पुलिस, चिकित्सा, तहसील राजस्व विभाग, नगर पालिका, अग्निशमन, एस0डी0आर0एफ0, जिला पंचायत, पशु चिकित्सा, वन विभाग, अन्य औद्योगिक संस्थानों/कम्पनियों से सूचना प्राप्त कर आई0डी0आर0एन0 में प्रविश्ष्ट की गयी जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

Resource Details	Quantity
Item Code 101 - Gas Cutters	3
Item Code 102 - Cold Cutters	0
Item Code 103 - Bolt cutters (Shears)	5
Item Code 104 - Electric Drill	12
Item Code 105 - Circular Saw with Diamond Blade(Electric)	4
Item Code 106 - Chipping Hammer	8
Item Code 107 - Chain Saw Diamond	6
Item Code 108 - Chain Saw Bullet	0
Item Code 109 - Pneumatic Chisel	0
Item Code 110 - Cutters Hydraulic	3
Item Code 111 - Cutters Battery	3
Item Code 112 - Spreaders Hydraulic	3
Item Code 113 - Spreaders Battery	2
Item Code 114 - Air Lifting bags (Different capacity)/Tools	5
Item Code 115 - Jack with 5 ton lift	4
tem Code 116 - Iron shod levers, 10 ft. Long	0
Item Code 117 - Sledge hammer	12
Item Code 118 - Heavy Axe	5
Item Code 119 - Two handled cross cut saw	0
Item Code 120 - Chain tackle	1
Item Code 121 - Single sheave snatch block	0
Item Code 122 - Smoke Blower and Exhauster	2
Item Code 123 - Set of rope tackle (3 sheave 2 sheave)	0
Item Code 124 - Gloves Rubber, Tested up to 25, 000 volt	9
Item Code 125 - Stretcher harness (set)	20
Item Code 126 - Scaffold poles for sheer legs	1
Item Code 127 - Jumping Cushions	0
Item Code 128 - Rescue Rams	0
Item Code 129 - Glass remover (Punch Mark)	2
Item Code 130 - Crescent/adjustable wrenches	3
Item Code 131 - Slotted Screwdrivers	2
Item Code 132 - Traps 4 X 4 meters	3
Item Code 133 - Blankets	600
Item Code 134 - Lifting tackle 3 ton	4
Item Code 135 - Chains 6 feet (3 ton lift)	2
Item Code 136 - Aspects Blanket	0
Item Code 137 - Soaking kit	1
Item Code 138 - Inflatable Light Tower	16
Item Code 139 - Light Mast	2
Item Code 140 - Search light	58
Item Code 141 - Electric Generator (10 kv)	8

Resource Details	Quantity
Item Code 142 - Trucks Aerial Lift	2
Item Code 143 - Bulldozers wheeled/chain	4
Item Code 144 - Dumper	10
Item Code 145 - Earth movers	7
tem Code 146 - Cranes Heavy Duty, Fork type	1
Item Code 147 - Tipper Heavy Duty	15
Item Code 148 - Recovery Vans Beam Type	1
Item Code 149 - Snow Beeters wheeled	0
Item Code 150 - Search and Rescue Teams for Collapsed Structures	122
Item Code 151 - Search and Rescue Teams with canines	0
Item Code 152 - Rescue back boards	0
Item Code 153 - Diving suit	2
Item Code 154 - Under water BA set	0
Item Code 155 - Lifebuoy	73
Item Code 156 - Life Jackets	111
Item Code 157 - Basket Stretcher	3
Item Code 158 - Pneumatic Rope Launcher	0
Item Code 159 - Inflatable boat (12 persons)	0
Item Code 160 - Fiber boat (12 persons)	4
Item Code 161 - Motor Boats	6
Item Code 162 - Motor Launch	0
Item Code 163 - Country Boats	3
Item Code 164 - Divers Teams	2
Item Code 165 - Search and Rescue Teams for Flood	50
Item Code 166 - Suit fire entry	10
Item Code 167 - Suit fire proximity	4
Item Code 168 - Suit fire approach	0
Item Code 169 - Suit NBC	0
Item Code 170 - Clothing Chemical protective (A, B, C)	4
Item Code 171 - Breathing apparatus self contained	10
Item Code 172 - Breathing Apparatus Compressor	4
Item Code 173 - Pump high pressure, portable	6
Item Code 174 - Pump floating	3
Item Code 175 - Extension Ladder	39
tem Code 176 - ABC Type	498
Item Code 177 - CO2 Type	240
Item Code 178 - Foam Type	97
Item Code 179 - DCP Type	359
Item Code 180 - Halons Type	73
Item Code 181 - Fire Tender	16
Item Code 182 - Foam Tender	7
Item Code 183 - Rescue Tender	0

Resource Details	Quantity
Item Code 184 - Control Van	0
Item Code 185 - Hydraulic Platform	0
Item Code 186 - Turn Table Ladder	0
Item Code 187 - DCP Tender	3
Item Code 188 - Hazmat Van	0
Item Code 189 - B.A. Van	0
Item Code 190 - Fire Fighting Foam	55
Item Code 191 - Dry Chemical Powder	0
Item Code 192 - Halons	0
Item Code 193 - Oil Installation fire fighting team	0
Item Code 194 - High Rise Buildings fire fighting team	29
Item Code 195 - Ports fire fighting team	0
Item Code 196 - Aviation fire fighting team	0
Item Code 197 - Mines fire fighting team	0
Item Code 198 - Thermal Power Plant fire fighting team	0
Item Code 199 - Nuclear Power Plant fire fighting team	0
Item Code 200 - Spine boards	14
Item Code 201 - Stretcher normal	41
Item Code 202 - Stretcher medical evacuation	25
Item Code 203 - Incubators for adults	1
Item Code 204 - Incubators for children	1
Item Code 205 - First aid kits	224
Item Code 206 - CT scan	2
Item Code 207 - MRI	0
Item Code 208 - Oxygen cylinders	482
Item Code 209 - Portable ventilators	33
Item Code 210 - Portable xrays	5
Item Code 211 - Portable ultrasound	2
Item Code 212 - Portable ECG	8
Item Code 213 - Portable suction unit	11
Item Code 214 - Mechanical ventilators	50
Item Code 215 - Defibrillator	10
Item Code 216 - Mobile OT unit	2
Item Code 217 - Mobile blood bank	1
Item Code 218 - Mobile lab service	1
Item Code 219 - Mobile hospital	1
Item Code 220 - Mobile medical van	2
Item Code 221 - Water filter	14
Item Code 222 - Water tank	74
Item Code 223 - Reservoirs treatment tank	1
Item Code 226 - Anti snake venom	96
Item Code 228 - Halogen tablets	1

Resource Details	Quantity
Item Code 224 - Bronchodilators	566
Item Code 225 - Vaccines	103
Item Code 227 - Chlorine tablets	1202
Item Code 229 - General physician	6
Item Code 230 - Trauma specialist	2
Item Code 231 - Surgeon	5
Item Code 232 - Anesthetist	7
Item Code 233 - Gynecologist	8
Item Code 234 - Radiologist	20
Item Code 235 - Paramedics	81
Item Code 236 - Lab technicians	23
Item Code 237 - OT assistants	2
Item Code 238 - Medical first responders	138
Item Code 239 - Tent 80 Kgs	0
Item Code 240 - Tent 40 Lbs	2
Item Code 241 - Tent MK III Private	0
Item Code 242 - Tent Store	1
Item Code 243 - Tent extendable 4 meters	0
Item Code 244 - Tent extendable 2meters	0
Item Code 245 - Tent Arctic	7
Item Code 246 - Tarpaulin	1
Item Code 247 - Plastic Sheet	36
Item Code 248 - Polythene Sheet	3
Item Code 249 - Corrugated Galvanized Iron sheet	1
Item Code 250 - Polypropylene Corrugated Unifold shelter	0
Item Code 251 - FRP Shutter	0
Item Code 252 - Four wheel drive vehicle	48
Item Code 253 - Matador	0
Item Code 254 - Truck	6
Item Code 255 - RTV	0
Item Code 256 - Mini Bus	1
Item Code 257 - Bus	4
Item Code 258 - Tractor	27
Item Code 259 - Trailer	0
Item Code 260 - Heavy Truck	2
Item Code 261 - Light Ambulance Van	10
Item Code 262 - Medium Ambulance Van	20
Item Code 263 - Equipment Toeing Tender	18
Item Code 264 - Mobilization Truck	0
Item Code 265 - Water Tanker Medium capacity	6
Item Code 266 - Water Tanker Large capacity	11
Item Code 267 - VHF Sets Static	31

Resource Details	Quantity
Item Code 268 - VHF Sets Mobile	17
Item Code 269 - UHF Sets Static	0
Item Code 270 - UHF Sets Mobile	0
Item Code 271 - Walkie Talkie Sets	13
Item Code 272 - HF Sets Static	17
Item Code 273 - Mini M3	0
Item Code 274 - V SAT	0
Item Code 275 - INMARSAT	0
Item Code 276 - Mobile Phone GSM	5
Item Code 277 - Mobile Phone CDMA	1
Item Code 278 - GPS Hand Sets	34
Item Code 279 - Video Phone Set	0
Item Code 280 - Video Camera Digital	8
Item Code 281 - Video Camera Beta	0
Item Code 282 - Camera Digital	22
Item Code 283 - Video Camera DVD	0
Item Code 284 - Ham Radio Operators	0
Item Code 285 - Air Sampler battery operated	1
Item Code 286 - NBC face mask	26
Item Code 287 - Body bags	40
Item Code 288 - C.D Kit danger make	0
Item Code 289 - Monitor for chemical agents	0
Item Code 290 - Capping kit for chlorine leak	0
Item Code 291 - Containers of AFFF	2
Item Code 292 - Containers of soda ash and hydroxide	2
Item Code 293 - Monitor for contamination	0
Item Code 294 - Decontamination gears	2
Item Code 295 - Direct reading dosimeter	0
Item Code 296 - Distress signal unit	1
Item Code 297 - Emergency response guide book	1
Item Code 298 - First aid kit as per MFR	17
Item Code 299 - First aid kit NBC type A	16
Item Code 300 - First aid kit NBC type B	0
Item Code 301 - Flame ionization detector	0
Item Code 302 - GM survey meter	0
Item Code 303 - High visibility vest	1
Item Code 304 - Leak storing device	0
Item Code 305 - Leak tester for B.A set	0
Item Code 306 - LEL Meter	2
Item Code 307 - Mini rad meter	0
Item Code 308 - Multi gas detector with cut gum bottle	0
Item Code 309 - Non sparking brush,brooms shovels	1

Resource Details	Quantity
Item Code 310 - Non sparking tool	2
Item Code 311 - PH meter	4
Item Code 312 - PH tester	1
Item Code 313 - Pipe squeezer	0
Item Code 314 - Plastic drums	19
Item Code 315 - Detector kit for poison in water	0
Item Code 316 - Portable alpha monitor	0
Item Code 317 - Portable decontamination apparatus	58
Item Code 318 - Safety line with chemical resistant	8
Item Code 319 - Safety touch	6
Item Code 320 - Teletector	0
Item Code 321 - TLD	13
Item Code 322 - Traffic cones	10
Item Code 323 - Ultra violet photo ionization detector	0
Item Code 324 - Decontamination solution	0
Item Code 325 - Iodate tablets	50
Item Code 326 - Search and Rescue Teams for NBC Disasters	101
Item Code 368 - Mask	8702
Item Code 328 - Rope ladder	5
Item Code 329 - Aluminum ladder	6
Item Code 330 - Shovel	33
Item Code 331 - Spade	188
Item Code 332 - Crow bar	82
Item Code 333 - Heavy Block of Fulcrum	0
Item Code 334 - Helmet	265
Item Code 335 - Basket	25
Item Code 336 - Pick axe	138
Item Code 337 - Axe	83
Item Code 338 - Door breaker	25
Item Code 339 - Hacksaw	7
Item Code 340 - Knife Salvage	2
Item Code 341 - Ceiling hook	2
Item Code 342 - Pump	12
Item Code 343 - Public Address System	12
Item Code 344 - Electric Torch	48
Item Code 345 - Lanterns	3
Item Code 346 - Telescopic Pneumatic Mast (Light)	0
Item Code 347 - Office building	33
Item Code 348 - Yuva Mandal Bhawan	0
Item Code 349 - Mahila Mandal Bhawan	0
Item Code 350 - Panchayat bhawan	346
Item Code 351 - School	50

Resource Details	Quantity
Item Code 370 - Sanitizer Spray	277
Item Code 353 - Jumper	0
Item Code 355 - Steel Cutter/Grinder	5
Item Code 361 - Fire Proof Sheet	36
Item Code 356 - B.A.Set	5
Item Code 357 - Rope MMTR	1504
Item Code 358 - Bucket	49
Item Code 359 - Matok	0
Item Code 360 - Hose/hose fitting	49
Item Code 362 - Motor Cycle	4
Item Code 363 - Loader	4
Item Code 364 - Road Roller	4
Item Code 365 - Air Compressor	1
Item Code 366 - Drainage Pumps	2
Item Code 367 - Scuba Divers	4
Item Code 369 - Hand Gloves	13850
Item Code 371 - Sprayer	401
Item Code 374 - Driver HMV	7
Item Code 375 - Labour	2
Item Code 376 - PPE Kit	2788
Item Code 377 - HOOD with garment	10
Item Code 378 - N95 Mask	2611
Item Code 379 - Surgical Masks	5913
Item Code 380 - Boot Cover	1211
Item Code 381 - Surgical Gloves	4300
Item Code 382 - Face Shield	372
Item Code 383 - Goggles	1115
Item Code 354 - Hand Tool Set	84
Item Code 372 - Health workers	24
Item Code 384 - Ventilator Adult	60
Item Code 385 - Ventilator Paediatric	10
Item Code 386 - Water Resistant Gown	7
Item Code 387 - Scrub	3
Item Code 388 - Apron	116
Item Code 389 - Gum Boots	33
Item Code 390 - Heavy Duty Gloves	38
Item Code 391 - Surgical Cap	3272
Item Code 392 - Aapda Mitra	0
Item Code 393 - Oxygen Cylinder Type B	253
Item Code 394 - Oxygen Cylinder Type D	508
Item Code 395 - Body bag	41
Item Code 396 - Hospital capacity	862

Resource Details	Quantity
Item Code 397 - Bed with oxygen support	835
Item Code 398 - Bed with ventilators	120
Item Code 399 - Oxygen generator plants	9
Item Code 400 - Remdesivir	110
Item Code 401 - Oxygen cans	2
Item Code 402 - Oxymeter	179
Item Code 403 - Oxygen Concentrator	290
Item Code 404 - Nebulizer	59
Item Code 405 - Plasma Therapy	1
Item Code 406 - Gloves	1251
Item Code 407 - Shoe covers	961
Item Code 408 - Hand Sanitizer	727
Item Code 409 - Temperature gun	149
Item Code 410 - Thermometer	150
Item Code 411 - Pulse Oximeter	243
Item Code 412 - Disinfectant Spray	8
Item Code 413 - surgical equipments	5
Item Code 414 - RT PCR device	103
Item Code 415 - Oxygen supplier	8
Item Code 416 - Infrared thermometer	56
Item Code 417 - Digital thermometer	58
Item Code 418 - Ultrasound scan	5
Item Code 419 - Blood gas analyse	3
Item Code 420 - Freezer	35
Item Code 421 - Medical gas cylinder	216
Item Code 422 - Infusion pump	20
Item Code 423 - Radiographic mobile digital equipment	2
Item Code 424 - Bubble humidifier	1
Item Code 425 - Tubing	6
Item Code 426 - Flow splitter	1
Item Code 427 - Flowmeter	410
Item Code 428 - Thorpe tube	1
Item Code 429 - Venturi mask	3
Item Code 430 - Laryngeal mask airway	11
Item Code 431 - Lubricating jelly	23
Item Code 432 - Non heated bubble humidifier	3
Item Code 433 - Colourimetric end tidal CO2 (EtCO2) detector	0
Item Code 434 - Non invasive ventilator	0
Item Code 435 - invasive ventilator	14
Item Code 436 - Laryngoscope	28
Item Code 437 - Video laryngoscope	6
Item Code 438 - Electro conductive gel	0

Resource Details	Quantity
Item Code 439 - Portable ultrasound scanner	0
Item Code 440 - Oxygen therapy	1
Item Code 441 - ICU beds	204
Item Code 442 - Patient monitor	101
Item Code 443 - Videolaryngoscope	0
Item Code 444 - Respirator	21
Item Code 445 - Surgical gowns	81
Item Code 446 - ORS	10501
Item Code 447 - CoVID test centres	5
Item Code 448 - vaccination centres	39
Item Code 449 - steamer	2
Item Code 450 - Ambulance with Oxygen support and other critical facilities	13
Item Code 451 - Ambulance Attendants and Drivers	19
Item Code 452 - Tocilizumab	0
Item Code 453 - COVID Vaccines	3962
Item Code 454 - COVID Specific Medicines	302
Item Code 455 - Oxygen Regulators and other support equipments to use oxygen Beds (with and without oxygen support)	617
Item Code 456 - Trained Doctors and Nursing Staff for COVID	98
Item Code 467 - Thermal Scanner	51
Item Code 457 - Isolation	8
Item Code 458 - Quarantine Wards	5
Item Code 459 - Mobile Isolation Units	1
Item Code 460 - Wheel Chairs with the Oxygen Support and IV support stand	7
Item Code 461 - Wheel Chairs	46
Item Code 462 - Aerosol Fumigators	1
Item Code 463 - HFO Cannula	2
Item Code 464 - Blood Fractionation Units	2
Item Code 465 - Computerized Tomography Scans	0
Item Code 466 - DG Sets	9
Item Code 468 - Ex Army Personnel	10
Item Code 469 - Ex CAPFs Personnel	0

अध्याय:–06

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय

6.1 दृष्टिकोण–

आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण का मतलब है, किसी संगठन, समुदाय या समूह की क्षमताओ और कौशल को मजबूत करना. इसका मकसद, आपदा जोखिम कम करने के प्रयासो ंको बेहतर बनाना होता है। क्षमता निर्माण विकास की एक सतत प्रक्रिया है। क्षमता निर्माण के लिए समुदाय की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करना जरूरी है।

6.2 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

उत्तराखण्ड राज्य के हिमालय क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टि से देखा जाये तो यहॉ ं भूकम्प, भूस्खलन, वनाग्नि, त्वरित बाढ़ आदि आपदाओं की बारम्बारता व्यापक है। यहॉ की सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियो मे विपदाओ का स्वरुप अधिक विनाशकारी हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि जनसामान्य के पास इन आकस्मिक विपदाओ ं से बचाव हेतु जानकारियॉ हो। आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तम एवं प्रभावी तंत्र आपदा राहत बचाव दलों का है, जिनका योगदान आपदा प्रबन्धन के विभिन्न चरणों में जैसे आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद की गतिविधियो मे लिया जाना आवश्यकीय है इसके लिए आपदा प्रबन्धन विषय मे जनसमुदाय को जागरुक करना एवं आपदा राहत प्रबन्धन कार्य में समुदाय की सहभागिता आवश्यक है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यून किया जा सके।

List of Mock Drills According to IRS lst 15 years

Sn.	Subject	Location of Staging Area	Location of Incident Area	Date of Mock Drill
01	1-Earthquake, 2-Fire and 3-Bomb blast (Multiple Disaster)	Police Line Rudrapur	1- Bhoot Bangla, Rudrapur 2- Metropolis mall, 3- Sanjay Nagar kheda, 4- Janta Inter Collage Rudrapur	21-23 Nov. 2016
02	Earthquake 21-02-2017 Video Conferencing-Table top Exercise and 22-02-2017Mock Drill	1- Ploice Line Rudrapur 2- Tehsil Campus Bazpur 3- Tehsil Campus Khatima	1- Rudrapur, Gaba chauk, Rampura, Britania company and District Hospital 2- Bazpur Sut Colony 3- Khatima Teachers Colony	21-22 Feb. 2017

Sn.	Subject	Location of Staging Area	Location of Incident Area	Date of Mock Drill
03	Forest Fire	1- Sanjay Van Rudrapur 2- Kashipur Sport Stadium 3- Khatima Range Office	1- Sanjay Van Rudrapur 2- Kashipur Gopipura Range 3- Khatima Surayi Van range	18-19 April, 2017
04	Monsoon Season	Flood Chauki Mock exercise at District Level	1- Jaspur, Kashipur,Bazpur, Gadarpur, Rudrapur, Kichha Sitaraganj Khatima	26 July, 2018
05	Flood, Bomb blast and fire	1- Rudrapur 2- Bazpur 3- Sitarganj	1- Vikas Bhawan Rudrapur, Pahadganj, Bus Station Rudrapur 2- Bazpur 3- CHC Sitarganj, GIC Sitarganj and Ward 6 keshavnagar	28-31 January, 2019
06	Heavy Storm and Dam Breach		1- Tehsil Kashipur 2- Tehsil Sitarganj	07 June, 2019
07	Heavy Rainfall and flood	Police Line Rudrapur and Tehsil Khatima	1- Bhoot Bangla Rudrapur 2- Tehsil Khatima	03-04 July, 2019
08	Earthquake and Chemical Disaster	Police Line Rudrapur	1- TATA Moters Sidcul Rudrapur, 2- Shamshera Chauk Sidcul Rudrapur 3- Juniour High School Haldi.	11-12 Feb. 2020
09	Forest Fire Mock Drill	Police Line Rudrapur	1- Sanjay Van, Rudrapur	17 April, 2021
10	Industrial Disaster Mock Drill	Police Line Rudrapur	1-Indian Oil Adani Gas Pvt ltd. Rudrapur	21 March, 2022
11	Chemical Industrial Disaster	Police Line Rudrapur	1- Tata Moter Pvt. Ltd Pantnagar, Rouette India Pvt. Ltd, Pantnagar, Ashoka Laylent Ltd, Pantnagar	03 January 2023
12	Chemical Industrial Disaster	Police line Rudrapur	1- India Glycole Ltd Kashipur. 2-Roquette INDIA Pvt Ltd Pantnagar.	09 February 2024
13	On site Bomb Trade Mock dril	Sitarganj Industrial Area	1- Hindustan Petroleum Ltd Sitarganj	08 January 2025
14	Earth quick Mock Drill	Police line Rudrapur	1- Manoj Sarkar Stadium Rudrapur. 2- Van chetna Stadium Khatima	18 January 2025

Sn.	Subject	Location of Staging Area	Location of Incident Area	Date of Mock Drill
15	Natural Gas leakeg from pipeline and subsequent Fire in nearby areas.	NH 109 Empty Plot Sidcul Chowki Rudrapur	1- Gail India Ltd Rudrapur / Kashipur	18 March 2025
16	Missile Attack and Forest Fire Mock Drill	01-Lohiya Head Khatima, 02-Forest area near Shahid Smarak Gate khatima	Disaster Management team and Tehsil IRT Team khatima	23 May 2025
17	Pantnagar Airpot FULL SCALE FIRE DRILL	Pantnagar Airport	Airports Authority Pantnagar	06 May 2025
18	Flood Mock Drill Prepaid by SEOC	Gularbhoj Dem Gaderpur/ Arvindnagar Sitarganj/ Hempur Ismile Kashipur/ Nanakmatta Dem	Flood And Man Animal Conflate	30 June 2025
19	Prepaid by SEOC	jaspur, kashipur, Rudrapur, Sitarganj , Khatima	Earthquake mock drill	15-11-2025
20	Prepaid by DDMA-DEOC USNagar	Kashipur IGL Company, Kichha Darau Pest Attack, Rudrapur IOAGas, Khatima Lohiya head khatima	Mock drill 2026	18-03-2026

6.3 राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण भारत सरकार की आपदा मित्र अद्यतनीकरण परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2019 में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की सूची।

तालिका–01

क्र.सं.	विवरण	प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की सूची
1	प्रथम बैंच	26
2	द्वितीय बैंच	26
3	तृतीय बैंच	27
4	चतुर्थ बैंच	22

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर द्वारा वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण।

क्र.सं.	माह	प्रशिक्षणों की संख्या	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
वर्ष 2021–22			
01	फरवरी 2021	**05**	**160**
	कुल प्रशिक्षण–	**05**	**160**
वर्ष 2022–23			
01	अप्रैल से मई 2022	**18**	**1500**
02	अप्रैल	**12**	**30 स्वंयसेवक**
03	अगस्त 2022	**02**	**75**
	कुल प्रशिक्षण–	**32**	**1605**
वर्ष 2023–24			
01	मई 2023	13	1000
02	मई से जुलाई तक 2023	12	1000
03	नवम्बर 2023	02	60
04	दिसम्बर 2023	14	1000
05	दिसम्बर 2023	02	995
	कुल प्रशिक्षण–	**43**	**4055**
वर्ष 2024–25			
01	फरवरी से मई 2024	09	900
02	मई 2024	14	1200
03	अक्टूबर 2024	01	60
04	अक्टूबर 2024	02	80
05	दिसम्बर 2024	10	1000
	कुल प्रशिक्षण–	**36**	3240
वर्ष 2025–26			
01	फरवरी से मई 2025	81	5000
02	मार्च 2025	03	80
03	मार्च से अप्रैल 2025	05	60
04	अप्रैल 2025	01	84
05	अप्रैल से मई 2025	10	1000
06	सितम्बर 2025	01	60
07	अक्टूबर से नवम्बर 2025	10	990
08	अक्टूबर 2025	01	80
09	नवम्बर 2025	01	60
10	नवम्बर 2025	01	110
	कुल प्रशिक्षण–	114	7524

नागरिक सुरक्षा/स्वंयसेवक

सिविल डिफेंस एक नागरिक सुरक्षा प्रणाली है जो आपातकालीन स्थितियों, जैसे युद्ध, प्राकृतिक
आपदाएँ, दुर्घटनाएँ या किसी अन्य प्रकार की आपदा के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई जाती है। इसका उद्देश्य नागरिकों को आपदा से बचाना, राहत कार्यों में सहायता करना और संकट की स्थिति में लोगों की मदद करना है। इसमें स्वयंसेवक (Volunteer) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

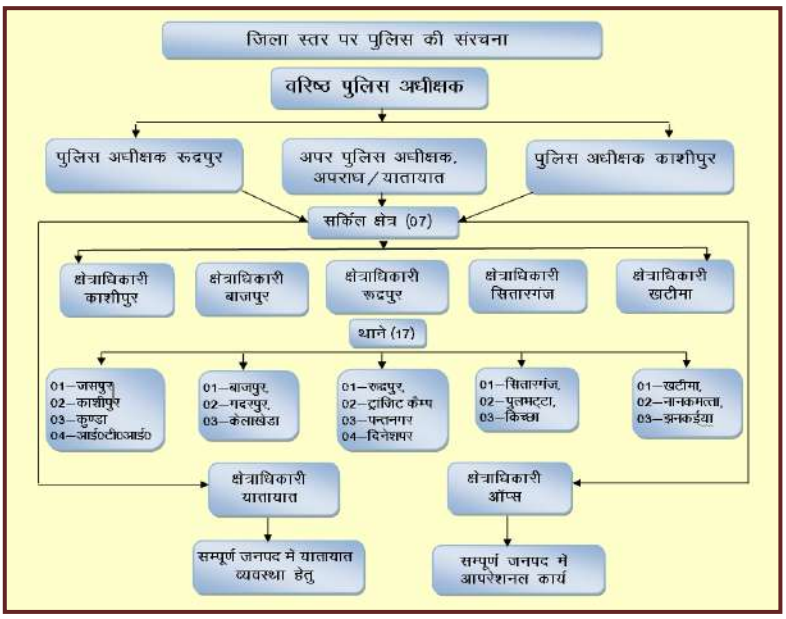

आपदा प्रबन्धन एवं पुलिस की तैयारी की समीक्षा:–

क्र.सं.	संसाधन का नाम	संख्या
01	जनपद में प्रशिक्षित पुलिस कर्मियो की संख्या	207
02	जनपद में प्रशिक्षित फायर के कर्मिको की संख्या	109
03	जनपद में फायर स्टेशन	07
04	जनपद में फायर यूनिट	02
05	जनपद में थाने की संख्या जिन्हे आपदा उपकरण सामग्री उपलब्ध करायी गयी	17

पुलिस लाईन से आवंटित आपदा राहत बचाव कार्य के उपकरणों का विवरण।

क्र.सं	उपकरणों के नाम	कुल संख्या	सितारगंज	नानकमत्ता	खटीमा	गदरपुर	बाजपुर	आईटीआई	केलाखेड़ा	काशीपुर	जसपुर	एसडीआरएफ	यातायात पुलिस	क्षेत्राधिकार	किच्छा	ए0टी0एस0	झनकईया	कुण्डा	आपदा कार्यालय	स्टोर
1	गैंती	**56**	07	04	03	07	07	02	05	05		-	-	-	02	-	-	03		11
2	बैल्चा	**56**	09	06	06	07	07	02	02	02		-	-	-	04	-	02	03		06
3	फावड़ा	**56**	07	04	03	07	07	-	-	-		-	-	-	02	-	-	-		18/08
4	सब्बल	**56**	12	09	04	13	16	-	-	-		-	-	-	-	-	02	-		-
5	कुल्हाड़ी	**56**	06	06	06	07	07	-	-	-		-	-	-	04	-	02	03		15
6	तसला	**56**	07	04	03	07	07	-	-	-		-	-	-	02	-	-	-		16/10
7	नाईलोन तार	**28**	07	07	-	07	07	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-
8	पैट्रोमेक्स	**14**	03	02	02	03	04	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-
9	टार्च (चार सैल)	**84**	12	12	10	12	21	-	-	-		-	-	-	02	08	02	-		1/4
10	रेन सूट	**113**	13	11	10	17	20	-	-	-		-	15	-	06	-	06	-		15
11	मिटन्स	**86**	17	16	03	27	08	-	-	-		-	-	-	03	04	03	-		05
12	कैरी मैट	**84**	21	15	08	16	16	-	-	-		-	-	-	02	-	02	-		04
13	टीन बॉक्स	**14**	02	02	-	02	03	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		05
14	रोप नाईलोन (कलाईविंग)	**28**	01	01	01	-	01	-	-	-		-	-	01	-	01	-	-		22
15	लाईफ जैकेट	**105**	16	14	12	18	18	-	-	-			-	-	05	-	06	03		13

क्र.सं	उपकरणों के नाम	कुल संख्या	सितारगंज	नानकमत्ता	खटीमा	गदरपुर	बाजपुर	आईटीआई	केलाखेड़ा	काशीपुर	जसपुर	एसडीआरएफ	यातायात पुलिस	क्षेत्राधिकार	किच्छा	ए0टी0एस0	झनकईया	कुण्डा	आपदा कार्यालय	स्टोर
16	हैल्मेट के साथ टार्च	94	18	19	02	19	16	-	-	-		-	-	02	01	-	02	03		12
17	रोप लेडर	14	04	03	-	02	-	-	-	-		-	-	-	-	03	-	-		02
18	टेप सिलिंग	86	15	15	-	16	16	-	-	-		10	-	-	-	12	-	-		02
19	सीट हार्नेस	52	10	09	01	09	09	-	-	-		-	-	-	01	08	03	-		02
20	डिसेण्डर	70	10	12	03	13	11	-	-	-			-	-	03	-	03	-		15
21	रॉक पीटन	56	10	10	-	09	10	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		17
22	जूमार	76	10	10	02	10	14	-	-	-		-	-	-	02	06	06	-		16
23	मनीला रोप नाईलोन	2800 मी0	250	250	206	250	250	-	-	-		200	-	-	-	-	-	-		644
24	पुली	24	03	02	02	02	03	-	-	-		-	-	-	02	02	03	-		05
25	इनफ्लिटेबल टावर लाईट	01	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		01
26	फलड लाईट	07	-	01	01	-	-	-	-	-		-	-	-	01	-	01	-		02/01
27	जनरेटर सैट मय लाईट	05	01	01	01	-	01	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		01
28	नाईट विजन	02	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	01	-	-		01
29	सोलर लाईट मय पैनल	04	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		02/02
30	डाइविंग गॉगल्स	08	-	08	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-
31	मल्टी परपस टूल किट	08	01	01	-	01	01	-	-	-		-	-	-	-	-	01	01		02
32	स्ट्रैचर	26	03	01	03	04	03	-	-	-		-	-	-	02	-	03	-		07
33	स्लीपिंग बैग	10	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		10
34	कैरा विनर्स	28	05	05	-	02	02	-	-	-		-	-	-	-	10	-	-		04
35	फर्स्ट एड बॉक्स	14	03	03	02	03	03	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-
36	एक्सटेंशन लेडर एलुमीनियम	01	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		01
37	इन्फ्लेटिबल बोट	01	-	01	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-
38	लाइफबाय	11	02	02	01	-	-	-	-	-		-	-	-	01	-	02	02		01
39	रेपलिंग रोप	02	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		02
40	रोप रस्सी	29	-	-	-	03	02	01	01	01		-	-	-	-	-	-	-		21
41	आरी	07	-	01	-	-	-	-	-	-		-	-	-	01	-	01	-		04
42	स्ट्रेचर टेलीस्कोपिक	09	01	01	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	01	01		03
43	पोन्च्यू	07	01	01	-	01	01	-	-	-		-	-	-	-	-	01	01		01
44	वाटर बोतल	07	01	01	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	01	01		03
45	छाता	07	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		07
46	वुड कटर मय उपकरण	17	02	01	01	01	01	01	01	02	01	-	-	-	01	-	01	01	01	02
47	टार्च हाई बीम बैटरी	15	02	02	02	-	-	-	-	-		-	-	-	01	-	02	01		01
48	कैरा विनर प्लेन	10	01	01	01	02	01	-	-	-		-	-	-	01	-	01	-		02
49	कैरा विनर स्क्रू	10	01	01	01	02	03	-	-	-		-	-	-	01	-	01	-		-
50	रोप मल्टी परपज	2400 M	300	300	100	400	400	-	-	-		-	-	-	100	-	300	200		300
51	रोट्ररी सा	02								01										01
52	बुलट चैना सा	02								01										01
53	चिपिंग हैमर	02					01													01
54	ड्रैगन लाईट	04																		2/2 s
55	सीआरपी मास्क	08	01		01	01	01			01	01				01					01
56	फाइबर स्पाइन बोर्ड	02																		02
57	स्पिलिंट सैट	06		01	01			01		01										02
58	बॉडी बैग	65	05	05	05	05	05	05	05	05	05				05		05	05		05

फायर स्टेशनो में उपलब्ध आपदा उपकरणो के नाम/संख्या/वर्तमान स्थिति।

फायर स्टेशन रूद्रपुर

क्र.सं.	नाम उपकरण	संख्या	वर्तमान स्थिति
01	रोप मल्टिपरपज 12 एमएम 50 मीटर	01	कार्यशील
02	बॉडी हार्नेस	04	कार्यशील
03	सिंगल पुली	02	कार्यशील
04	हैड–टार्च	04	कार्यशील
05	हैलमेट	06	कार्यशील
06	कैराविनर साधारण	20	कार्यशील
07	कैराविनर स्क्रूटाईप	20	कार्यशील
08	रूक्सक बैग	01	कार्यशील
09	स्लीपिंग बैग	06	कार्यशील
10	रॉक पिटन	01	कार्यशील
11	ट्यूबलर टेप 26 मीटर	01	कार्यशील
12	पॉन्चू	04	कार्यशील
13	जुमार	06	कार्यशील
14	सीट हार्नेस	06	कार्यशील
15	डिसेन्डर	06	कार्यशील
16	गिरि–गिरि	06	कार्यशील
17	शार्ट सीलिंग	06	कार्यशील
18	डबल पुली	02	कार्यशील
19	टैन्डम पुली	01	कार्यशील
20	मिटन	06	कार्यशील
21	बेल्चा	07	कार्यशील
22	गैती	09	कार्यशील
23	तसला	02	कार्यशील
24	फावड़ा	10	कार्यशील
25	कुल्हाड़ी	06	कार्यशील
26	वाटर बोतल	01	कार्यशील
27	ब्रिदिंग अप्रेटस	06	कार्यशील
28	एल0पी0जी0 डिवाईस	01	कार्यशील
29	फस्ट एड बॉक्स	11	कार्यशील
30	सर्च लाईट एल0ई0डी0	04	कार्यशील
31	नाईट विजन	01	कार्यशील
32	टार्च हाई बिम	06	कार्यशील
33	रॉक हैमर	08	कार्यशील
34	स्पाईन बोर्ड (स्टेचर)	02	कार्यशील
35	वुडन कटर	01	अकार्यशील
36	इन्फ्लेटेड टावर लाईट	02	कार्यशील
37	लाइफ ब्वॉय	02	कार्यशील
38	लाईफजैकेट	04	कार्यशील
39	स्ट्रैचर	06	कार्यशील
40	न्यूमैटिक एयर प्रेशर बैग	01	कार्यशील
41	ड्रैगन लाईट	02	कार्यशील
42	रोप लान्चर गन	01	कार्यशील
43	पोर्टेबल जनरेटर	01	कार्यशील
44	सर्च लाइट	03	कार्यशील
45	टार्च 05 सेल	04	कार्यशील
46	क्यूक रिलिफ नाइफ	02	कार्यशील
47	रेस्क्यू नाइफ	04	कार्यशील
48	सैफटी गोगल्स	09	कार्यशील
49	रिसिसटेशन ऑपरेटस	01	कार्यशील
50	हैन्ड गलैब्ज कैनवास	05	कार्यशील
51	रबर ग्लब्ज	08	कार्यशील
52	कॉम्बी टूल्स	01	कार्यशील
53	रोप लैडर	01	कार्यशील
54	कंकरीट कटर	01	कार्यशील

क्र.सं.	नाम उपकरण	संख्या	वर्तमान स्थिति
55	हाइड्रोलिक कटर स्प्रैडर	01	कार्यशील
56	एक्सटैशन लैडर 20 से 25 फुट	05	कार्यशील
57	सेफ्टी बूट	24	कार्यशील

फायर स्टेशन खटीमा

क्र.सं.	नाम उपकरण	संख्या	वर्तमान स्थिति
1	कंकरीट कटर	01	कार्यशील
2	टार्चहाई विम	05	कार्यशील
3	तसला	02	कार्यशील
4	मेगाफोन मय सैल	01	कार्यशील
5	लार्ज एक्स	02	कार्यशील
6	वुडनकटर	01	कार्यशील
7	रोपमल्टीपरपज 12 एमएम 50 मीटर	01	कार्यशील
8	गैती	04	कार्यशील
9	फावड़ा	02	कार्यशील
10	बेल्चा (सावेल)	06	कार्यशील
11	बाडीहारनेस	04	कार्यशील
12	सिगलपुली	02	कार्यशील
13	हैडटार्च	04	कार्यशील
14	रॉकहैमर	02	कार्यशील
15	हैलमेट	06	कार्यशील
16	कैराविनर (प्लेन)	20	कार्यशील
17	कैराविनरस्क्रूटाइप	20	कार्यशील
18	रूक सबबैग	01	कार्यशील
19	सिल्पिगबैग	04	कार्यशील
20	स्पाइबोर्डस्टेचर	02	कार्यशील
21	रॉकपिटन	01	कार्यशील
22	पोन्चू (बरसाती)	04	कार्यशील
23	जुमार	06	कार्यशील
24	सीटहार्नेस	06	कार्यशील
25	डिसेन्डर	06	कार्यशील
26	गिरी–गिरी	04	कार्यशील
27	शार्टसिलिग	06	कार्यशील
28	पुलीडबल	02	कार्यशील
29	टेन्डमपुली	01	कार्यशील
30	दस्तानेमिटन	06 जोडा	कार्यशील
31	फस्ट एड बाक्स	01	कार्यशील
32	सार्चलाइट एल0ई0डी0	04	अकार्यशील
33	रोपमल्टीपरपज 12 एमएम 100 मीटर	01	कार्यशील
34	एलपीजीडिटैक्टरडिवाइस	01	कार्यशील
35	आयरनकटर मय बैट्री व चार्जर	01	कार्यशील
36	वाटरबोतल	01	कार्यशील
37	कॉबिग टूल	06	कार्यशील

फायर स्टेशन पन्तनगर

क्र.सं.	नाम उपकरण	संख्या	वर्तमान स्थिति
01	रोप मल्टीपर्पज 50मी0	01	कार्यशील
02	बाडी हार्नेस	04	कार्यशील
03	सिंगल पुलि	02	कार्यशील
04	हेड टार्च	04	कार्यशील
05	रौक हैमर	02	कार्यशील
06	हेल्मेट	06	कार्यशील

क्र.सं.	नाम उपकरण	संख्या	वर्तमान स्थिति
07	कैराबिनर साधारण	20	कार्यशील
08	कैराबिनर स्क्रू टाइप	20	कार्यशील
09	रूक्सेक बैग	01	कार्यशील
10	स्पाइनर बोर्ड स्ट्रेचर	02	कार्यशील
11	स्लीपिंग बैग	06	कार्यशील
12	रौक पिटन	01	कार्यशील
13	रेन कोट पिंचू	04	कार्यशील
14	हाइड्रोलिक कटर स्प्रेडर	01	कार्यशील
15	जुमार	06	कार्यशील
16	सीट हार्नेस	06	कार्यशील
17	डिसेन्डर	06	कार्यशील
18	घिर्री	04	कार्यशील
19	शार्ट सिलिंग	06	कार्यशील
20	पुली डबल	02	कार्यशील
21	टेंडम पुली	01	कार्यशील
22	मिटन दस्ताने	06	कार्यशील
23	फर्स्ट एड बाक्स	01	कार्यशील
24	कुल्हाड़ी लार्ज एक्स	02	कार्यशील
25	बेल्चा सावेल	06	कार्यशील
26	गैती	06	कार्यशील
27	ब्रीदींग आपरेटस	01	कार्यशील
28	सर्च लाइट LED मय चार्जर	08	07 अकार्यशील, 01 कार्यशील
29	थर्मस वाटर बोटल	01	कार्यशील
30	फावड़ा	02	कार्यशील
31	तसला	06	कार्यशील
32	एमरजेंसी लाइट मय पार्टेबल जनरेटर	01	कार्यशील
33	कंक्रीट शॉ	01	कार्यशील
34	सर्कुलर शॉ कंक्रीट कटर	01	कार्यशील
35	एल0पी0जी0 डिटेक्टर	01	कार्यशील

फायर स्टेशन सितारगंज

क्र.सं.	उपकरण का नाम	संख्या	वर्तमान स्थिति
01	आयरन कटर/कंरीट कटर	01	कार्यशील
02	उड़न कटर	01	कार्यशील
03	रोप मल्टीपरपच 12 एम0एम0 100मीटर	01	कार्यशील
04	रोप मल्टीपरपच 12 एम0एम0 50मीटर	02	कार्यशील
05	बेल्चा (सावेल)	08	कार्यशील
06	फावड़ा (स्पेड)	04	कार्यशील
07	कुल्हाड़ी	04	कार्यशील
08	तसला	06	कार्यशील
09	मेगाफोन	02	कार्यशील
10	स्टेचर फोल्डिंग	03	कार्यशील
11	एक्सटेशन लेडर 7.5मीटर	01	कार्यशील
12	फस्ट एड बाक्स	02	कार्यशील
13	गैस अलार्म डिटेक्टर	01	कार्यशील
14	हाईड्रोलिक कटर स्पेडर	01	कार्यशील
15	टार्च हाईबिम	06	कार्यशील
16	बाडी हार्निस	04	कार्यशील

क्र.सं.	उपकरण का नाम	संख्या	वर्तमान स्थिति
17	सिंगल पुली	02	कार्यशील
18	हैड टार्च	04	कार्यशील
19	राक हैम्बर	02	कार्यशील
20	सेफ्टी हिलमेट	06	कार्यशील
21	कैराबिनर साधारण	20	कार्यशील
22	कैराबिनर स्क्रू टाइप	20	कार्यशील
23	स्पाइन बोर्ड	03	कार्यशील
24	जुमवार	06	कार्यशील
25	सीट हार्निस	06	कार्यशील
26	डिसेण्डर	06	कार्यशील
27	गिरी गिरी	04	कार्यशील
28	पुली डबल	02	कार्यशील
29	लाईफ ब्वाय	04	कार्यशील
30	लाईफ जेकेट	04	कार्यशील
31	बी0ए0 सैट	05	कार्यशील
32	इनफिलेटेड टावरिंग लाईट	02	कार्यशील
33	सिलिपिंग बैग	06	कार्यशील

फायर स्टेशन काशीपुर–

क्र.सं.	नाम उपकरण	संख्या	वर्तमान स्थिति
01	रोपमल्टिपरपज 12एमएम 50 मीटर	01	कार्यशील
02	बॉडी हार्नेस	04	कार्यशील
03	सिंगल पुली	02	कार्यशील
04	हैड–टार्च	04	कार्यशील
05	हैलमेट	06	कार्यशील
06	कैराविनर साधारण	20	कार्यशील
07	कैराविनर स्कूटाईप	20	कार्यशील
08	रूक्सक बैग	01	कार्यशील
09	स्लिीपिंग बैग	05	कार्यशील
10	रॉक पिटन	01	कार्यशील
11	ट्यूबलर टेप 26 मीटर	–	कार्यशील
12	पॉन्चू	04	कार्यशील
13	जुमार	06	कार्यशील
14	सीट हार्नेस	06	कार्यशील
15	डिसेन्डर	06	कार्यशील
16	गिरि–गिरि	04	कार्यशील
17	शार्ट सीलिंग	06	कार्यशील
18	डबल पुली	02	कार्यशील
19	टैन्डम पुली	01	कार्यशील
20	मिटन	06	कार्यशील
21	बेल्चा	06	कार्यशील
22	गैती	06	कार्यशील
23	तसला	06	कार्यशील
24	फावड़ा	01	कार्यशील

क्र.सं.	नाम उपकरण	संख्या	वर्तमान स्थिति
25	कुल्हाड़ी	02	कार्यशील
26	वाटर बोतल	01	कार्यशील
27	ब्रिदिंग अप्रेटस	02	कार्यशील
28	एल0पी0जी0 डिवाईस	01	कार्यशील
29	फस्ट एड बॉक्स	01	कार्यशील
30	सर्च लाईट एल0ई0डी0	02	कार्यशील
31	टार्च हाई बिम	05	कार्यशील
33	रॉक हैमर	02	कार्यशील
34	स्पाईन बोर्ड (स्टेचर)	02	कार्यशील
35	वुडन कटर	01	कार्यशील
36	इन्फ्लेटेड टावर लाईट	02	कार्यशील
37	लाइफ ब्वॉय	02	कार्यशील
38	लाईफजैकेट	02	कार्यशील
39	स्ट्रैचर	01	कार्यशील
40	न्यूमैटिक एयर प्रैषर बैग	1	कार्यशील
41	ड्रैगन लाईट	01	कार्यशील
42	पोर्टेबल जनरेटर	01	कार्यशील
43	फर्स्ट एड बॉक्स	02	कार्यशील
44	सर्च लाइट	01	कार्यशील
45	क्यूक रिलिफ नाइफ	02	कार्यशील
46	सैफटी गोगल्स	03	कार्यशील
47	हैन्ड गलैब्ज कैनवास	09	कार्यशील
48	कॉम्बी टूल्स	01	कार्यशील
49	रोप लैडर	01	कार्यशील
50	मेगा फोन मय सैल	01	कार्यशील
51	कंकरीट कटर	01	कार्यशील
52	इमरजैंसी लाईट मय पोर्टेबल जनरेटर	02	कार्यशील
53	हाइड्रोलिक कटर स्प्रैडर	01	कार्यशील
54	एक्सटेंशन लैडर 20 से 25 फुट	08	कार्यशील
55	रोप मल्टिपरपज 12 एमएम 100 मीटर	01	कार्यशील
56	सेफ्टी बूट	03	कार्यशील
57	जंगल शूज	01	कार्यशील

फायर स्टेशन जसपुर

क्र.सं.	नाम उपकरण	संख्या	वर्तमान स्थिति
01	रोप मल्टिपरपज 12 एमएम 50 मीटर	01	कार्यशील
02	बॉडी हार्नेस	04	कार्यशील
03	सिंगल पुली	02	कार्यशील
04	हैड–टार्च	04	कार्यशील
05	हैलमेट	13	कार्यशील
06	कैराविनर साधारण	20	कार्यशील
07	कैराविनर स्कूटाईप	20	कार्यशील
08	रूक्सक बैग	01	कार्यशील

क्र.सं.	नाम उपकरण	संख्या	वर्तमान स्थिति
09	स्लीपिंग बैग	05	कार्यशील
10	रॉक पिटन	01	कार्यशील
11	जुमार	04	कार्यशील
12	सीट हार्नेस	06	कार्यशील
13	डिसेन्डर	06	कार्यशील
14	गिरि–गिरि	06	कार्यशील
15	शार्ट सीलिंग	04	कार्यशील
16	डबल पुली	06	कार्यशील
17	टैन्डम पुली	02	कार्यशील
18	मिटन	01	कार्यशील
19	बेल्चा	06	कार्यशील
20	गैती	06	कार्यशील
21	त्सला	06	कार्यशील
22	फावड़ा	06	कार्यशील
23	कुल्हाड़ी	01	कार्यशील
24	वाटर बोतल	02	कार्यशील
25	ब्रिदिंग अप्रेटस	01	कार्यशील
26	एल0पी0जी0 डिवाईस	02	कार्यशील
27	फस्ट एड बॉक्स	01	कार्यशील
28	सर्च लाईट एल0ई0डी0	01	कार्यशील
29	टार्च हाई बिम	02	कार्यशील
30	रॉक हैमर	05	कार्यशील
31	स्पाईन बोर्ड (स्टेचर)	02	कार्यशील
32	वुडन कटर	01	कार्यशील
33	इन्फ्लेटेड टावर लाईट	02	कार्यशील
34	लाइफ ब्वॉय	03	कार्यशील
35	लाईफजैकेट	02	कार्यशील
36	स्ट्रैचर	04	कार्यशील
37	न्यूमैटिक एयर प्रेशर बैग	01	कार्यशील
38	ड्रैगन लाईट	07	कार्यशील–04, अकार्यशील–03
39	पोर्टेबल जनरेटर	01	कार्यशील
40	फर्स्ट एड बॉक्स	03	कार्यशील
41	सर्च लाइट	02	कार्यशील
42	क्यूक रिलिफ नाइफ	03	कार्यशील
43	सैफटी गोगल्स	01	कार्यशील
44	हैन्ड गलैब्ज कैनवास	04	कार्यशील
45	रबर ग्लब्ज	03	कार्यशील
46	ब्रीथिंग आपरेटस	03	कार्यशील
47	कंकरीट कटर	01	कार्यशील
48	हाइड्रोलिक कटर स्प्रैडर	01	कार्यशील
49	एक्सटैंशन लैडर 20 से 25 फुट	03	कार्यशील
50	सेफ्टी बूट	03	कार्यशील
51	जंगल शूज	01	कार्यशील

जनपद के फायर स्टेशनो में उपलब्ध एम्बुलेन्स तथा उसके सहवर्ती उपकरणों की सूची–

क्र.सं.	एम्बुलेन्स रजि0 नं0	उपकरण का नाम	संख्या
1	फायर स्टेशन रूद्रपुर में उपलब्ध एम्बुलेन्स यूए06ए–3474	फस्ट एड बॉक्स	02
2		ब्लैंकेट	04
3		स्टेचर	04
4		रिससिटेशन अपरेट्स	01
5		वाटर कैम्पर	01

संचार/वायरलैस का विवरण

क्र.सं.	फायर स्टेशन का नाम	उपलब्धता		
		स्टे0	मो0	है0से0
1	फायर स्टेशन रूद्रपुर	01	02	02
2	फायर स्टेशन काशीपुर	01	02	01
3	फायर स्टेशन जसपुर	01	01	–
4	फायर स्टेशन खटीमा	–	02	01
5	फायर स्टेशन सितारगंज	01		04
6	फायर स्टेशन पन्तनगर	01	–	02
7	फायर यूनिट बाजपुर	01	–	–
	कुल योग	**06**	**07**	**10**

पुलिस संचार विभाग में उपलब्ध संचार उपकरणों के नाम एवं संख्या–

क्र.सं.	उपकरण का नाम	उपलब्ध उपकरणों की संख्या
01	Tx/Rx GM-338	02
02	MIC	02
03	BATTS LEAD	02
04	Tx/Rx HYT SET	02
05	MIC OF HYT	02
06	BATTS LEAD HYT	02
07	SMPS	01
08	Tx/Rx GP-338	10
09	NI-MH BATTS CHARGER	02
10	NI-MH BATTS	20
11	BNC	03
12	PL-259	01
13	LEGS	04
14	ROPE	05
15	H/D BATTS	02
16	PLIER	01
17	SCREW DRIVER	01
18	GP ĀĒ	02

क्र.सं.	उपकरण का नाम	उपलब्ध उपकरणों की संख्या
19	COXIAL FEEDER	03
20	TWO WAY CONNECTOR	03
21	TAP	01
22	L.T WIRE	03 mtr.
23	TELECOPIC MAST 32”	01
24	ALUMINIUM MAST 36”	01
25	GI WIRE	05 kg.
26	TWIN WIRE	10 mtr.
27	TOOL KIT	01
28	SOLAR PLATE	01
29	SOLAR PLATE LEAD	20 mtr.
30	TFC BOX	01
31	BULB HOLDER/ BULB	02
32	STATIONARY (Log/Msg Pad/Carbon/Register)	-
33	CROCODILE CLIP	08
34	WHIP AE	02
35	EXTENSION BOARD	01

- **31 वी0 वाहिनी पी0ए0सी0 (बाढ आपदा सुरक्षा दल) रूद्रपुर मानव संसाधन एवं उपकरण –90**
- **आपदा राहत प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिको की संख्या–59**

सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दल भार पर
1	फायर सिलेण्डर	01
2	लाईफ बॉडी रिंग	01
3	लाईफ बॉय	53
4	नाईलोन रस्सी	03
5	टार्च फार हेड	28
6	हथोडी छोटी	01
7	इंजन बोट 25 एच०पी०	04
8	सुम्भी	03
9	रेती	06
10	वाइना कूलर दूरबीन	04
11	गाईड पैडल	01
12	लाउड हैलर	04
13	जैकेट ट्रेक सूट टाईप	09
14	ट्रार्च 3 सैल	01
15	बरमा ड्रिल	03

क्र.सं.	विवरण	दल भार पर
16	छैनी लोहा	02
17	कुल्हाडी	06
18	आरी लकडी छोटी	04
19	आरी लोहा	03
20	ग्रिस गन	01
21	नाईट विजन	02
22	हेल्मेट राफ्ट	30
23	बेल्चा लोहा	03
24	मोटर राइड बोट	01
25	Obm 40hp इंजन	01
26	गाईड पैडलस	05
27	लाईफ जैकेट	34
28	फावडा	06
29	सब्बल	05
30	टार्च फिटेड हेलमेट	06
31	रॉक विटन	06
32	रॉक विटन हैमर	06
33	कैरा विनर प्लैन	06
34	कैराविनर स्क्रू	06
35	असेन्डर (जूमार)	02
36	डिसेन्डर	02
37	पुली	02
38	क्लॉम्बिंग रोप 10mm 40mtr	02
39	रोप रेपलिंग 8mm 80mtr	02
40	सिलिंग	06
41	चैस्ट हारनेस	02
42	रोप लेडर	02
43	मिटन कैनवास	02
44	टैन्ट होम सेफर्ड	01
45	रुक सैक बैग	06
46	विन्ड प्रुफ जैकेट	06
47	विन्ड प्रुफ टाउजर	06
48	आईस एक्स	06
49	चैक नेट	03
50	डांगरी	03
51	फेन्डस	01
52	स्ट्रेचर मय बैग	01
53	एक्सटेन्सन बोल्ट	01
54	रैन कोर्ट मय बैग	06

क्र.सं.	विवरण	दल भार पर
55	वइना कूलर	01
56	मल्टी परपज नाईफ	01
57	सीट हारनैस	02
58	नायलन रस्सा 514 मी०	01
59	सर्च लाईट (द्वारा आपदा कंट्रोल रूम से प्राप्त)	04
60	हैल्मेट विद हैण्ड टार्च (द्वारा आपदा कंट्रोल रूम से प्राप्त)	10
61	स्टैचर spine board strachur (द्वारा आपदा कंट्रोल रूम से प्राप्त)	05
62	लाईफ जैकेट पीली (द्वारा आपदा कंट्रोल रूम से प्राप्त)	20
63	लाईफ बॉय (द्वारा आपदा कंट्रोल रूम से प्राप्त)	05

स्कूबा डाइविंग उपकरण की सूची

क्र.सं.	उपकरण का नाम	दल में उपलब्ध
01	स्कूबा सिलेण्डर	09
02	फुल फेस मास्क	01
03	प्रेशर गॉज कंसोल	01
04	डायविंग सूट विद बूट एण्ड हूड	05
05	वेट बैल्ट विद लीड	05
06	डायविंग ग्लब्ज	05
07	अण्डर वाटर टार्च	01
08	ब्योनेसी कम्पेन्सैटर डिवाइस	05
09	हाफ फैस मास्क	05
10	डायविंग नाइफ विद लैग स्टैप्स	05
11	अण्डर वाटर कम्युनिकेशन सैट	01
12	फिन्स	05
13	ऑक्टोपस कूजर डिमाण्ड वाल्व विद रेगुलेटर	01
14	हाई प्रेशर कमप्रेशर	01
15	रिमोट एरिया लाइटिंग सिस्टम	03
16	वैयना कूलर विद ऑल एसेसरीज	05
17	हैण्ड लैम्प	39
18	नैनो टार्च	71
19	थ्रो बैग	71
20	इन्फलेटेबल मोटर बोट मय 25 एच०पी० ओ०बी0एम०	02
21	लाईफ जैकेट लाल	16
22	लाईफ बॉय	13
23	फुट पम्प/हैण्ड पम्प	04
24	फ्लोर बोर्ड वाकिंग स्टेप	02
25	पैडलस जोडा	02
26	इलैक्ट्रिक पम्प	02
27	रिपेयर किट	02

क्र.सं.	उपकरण का नाम	दल में उपलब्ध
28	फर्स्टएड बॉक्स	02
29	पर्सनल थ्रो बैग	71
30	पैडल नॉर्मल	18
31	पैडल गाईड	03
32	हैल्मेट नॉर्मल	50
33	हैल्मेट गाइड	03
34	रेसटयूब ऑटोमेटिक	05
35	रेसटयूब नॉर्मल	05
36	सिलेण्डर फॉर रेसटयूब	25
37	रॉफ्ट 16 फिट मय एसेसरीज	01
38	रॉफ्ट 14 फिट मय एसेसरीज	02
39	बॉडी बैग (नाशवान)	08
40	वाडीवार्न कैमरा मॉडल न० CPDBPH20	05

State Disaster Responce Force का विवरण

जनपद ऊधम सिंह नगर में वर्तमान में 01 सब टीम व्यवस्थपित है जो आवश्यकता पड़ने पर डीप डाइविंग/फ्लड रेस्कयू/ड्राई रेस्कयू सम्बन्धित रेस्कयू ड्यूरियों का सम्पादन करती है, वर्तमान में टीम की जनशक्ति/रेस्कयू उपकरण निम्वत् हैः–

क्र.सं.	पद का नाम	अधिकारी /कर्मचारी का नाम	मोबाइल नं0
01	निरीक्षक	श्री बालम सिंह बजेली	7906972040
02	उप निरीक्षक,	श्री सुरेन्द्र सिंह	7505578505
03	अपर उप निरीक्षक	श्री जितेन्द्र गिरी	7983722887
04	है0क0 731	श्री जीत सिंह	9458184697
05	है0क0 3596	श्री जगदीश उप्रेती	9410516307
06	है0क0 2196	श्री कमल सिंह	9958947616
07	का0 3304	श्री अजीत सिंह	7500550248
08	का0 क्लीनर	श्री रोहित परिहार	8755812707
09	उप0 पैरा	श्री हर्ष कुमार	8449158289
10	उप0 कुक	श्री ललित प्रसाद	7060368012
11	का0 327	श्री चन्दन बिष्ट	6397043260
12	का0 223	श्री प्रकाश सिंह	8958184375

उपलब्ध रेस्क्यू उपकरण दल मुख्यालय रूद्रपुर

क्र.सं.	विवरण	संख्या	क्र0स0	उपकरण का नाम	संख्या
01	स्कूबा सिलेण्डर	02	14	लाईफ जैकेट	10
02	वेट बैल्ट मय वेट	01	15	ड्राई बैग (10ली0)	01
03	बुटीज (जोड़ा)	01	16	रेस्क्यू ट्यूब	03

04	डायविंग सूट	01	**17**	डायविंग नाईफ	01
05	हुड	01	**18**	पर्सनल थ्रो बैंग	10
06	डायविंग ग्लब्ज (जोड़ा)	01	**19**	बी0सी0डी0	01
07	हाफ फेस मास्क	01	**20**	रेस्क्यू कांटा	01
08	फर्स्ट स्टेज रेगुलेटर	01	**21**	सेफ्टी हैल्मेट	10
09	प्रेशर गेज	01	**22**	लैंड की सैट	01
10	सिलेण्डर हार्नेस	01	**23**	राफ्ट	01
11	डिमाण्ड वाल (ऑक्टोपस)	01	**24**	राफ्ट पम्प	01
12	लाईफ बोया	04	**25**	पैडल गाइड	01
13	लाईफ बोया	04	**26**	ओ0बी0एम0 बोट मय असेसिरीज	01

रोप रेस्क्यू उपकरण/सी0एस0एस0आर0 उपकरण

क्र.सं.	नाम उपकरण	संख्या
01	रोप 100 मी0 (मल्टी परपच)	03
02	शॅर्ट सिलिंग	10
03	लॉग सिलिंग	10
04	टेप सिलिंग	04
05	जुमार जोड़ा (2 अदद)	01
06	कैराबिनर स्क्रू	08
07	सिंगल पुली	03
08	डिसेन्डर	02
09	सीट हारनेस	05
10	सर्च लाइट	02
11	फोल्डिंग स्टेचर	02
12	नैनो टॉर्च	10
13	नी पैड (जोडे)	08
14	मिटन जोडे	08
15	रेस्क्यू छाता	01
16	हार्ड बोर्ड स्टेचर	02
17	एम0एफ0आर0 बैग	01
18	मनीला रोप	01
19	डायनामिक रोप 100मी0	01
20	स्टेटिक रोप 100 मी0	01
21	स्टेटिक रोप 50 मी0	02
22	फ्लोटेशन रोप 200 मी0	01

सी0बी0 आर0एन0 उपकरण

क्र.सं.	नाम उपकरण	संख्या
01	सी0बी0आर0एन0	15
02	पर्सनल डोसी मीटर	09
03	मल्टी गैस डिटैक्टर	01
04	पर्सनल डी कन्टामिनेसन किड	10
05	एन0बी0सी0 फर्स्ट एड किड	03
06	वाटर पोइजन डिटेक्सन किड	02
07	रिसीडयूटल वेवीटार डिटेक्शन किट	01
08	एन0बी0सी0 ओबर बूट	15
09	एन0बी0सी0 ग्लब्स	15
10	एन0बी0सी0रेस्परेटर मास्क	15
11	एन0बी0सी0 कनेस्टी	30
12	कैमिकल न्यूटीलाइजर मशीन	01
13	एन0बी0स0ी हुड मास्क	15
14	मनीला रोप	01

46वीं वाहिनी पी0ए0सी0 रूद्रपुर वाहिनी में उपलब्ध जनशक्ति आपदा से समय वाहिनी में वाहिनी सुरक्षा रिजर्व दल के 01 प्लाटून में निम्न जनशक्ति उपलब्ध करायी जा सकती हैं।

विवरण	पीसी	मुख्य आरक्षी	आरक्षी	योग
वाहिनी सुरक्षा रिजर्व कम्पनी का 01 प्लाटून	3	9	24	37
खोज एवं बचाव प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी	82			

वाहिनी में उपलब्ध जनशक्ति आपदा के समय वाहिनी में वाहिनी सुरक्षा रिजर्व दल के 01 प्लाटून में निम्न जनशक्ति उपलब्ध करायी जा सकती हैः–

विवरण	प्लाटून कमाण्डर	एपीसी	मुख्य आरक्षी	आरक्षी	योग
वाहिनी सुरक्षा रिजर्व कम्पनी का 01 प्लाटून	01	03	09	24	37

युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0 विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत युवक/महिला मंगल दलों के अध्यक्षों का विवरण।

क्र.सं.	विकास खण्ड की संख्या	कुल ग्राम सभा	युवक मंगल दल	महिला मंगल दल
			188	**187**
01	**07**	**375**		

6.3 आपदा प्रबन्धन शिक्षा–

आपदा प्रबंधन शिक्षा का उद्देश्य छात्रों, पेशेवरों, और समुदायों को आपदा की तैयारियों, प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्निर्माण, और पुनर्प्राप्ति के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करना है। यह शिक्षा नागरिकों और विभिन्न सेवाओं को यह सिखाती है कि किसी भी प्रकार की आपदा (प्राकृतिक या मानवजनित) के दौरान किस प्रकार से प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया की जाए, राहत कार्य किए जाएं और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के लिए योजनाएँ बनाई जाए।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम (2005)

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में आपदा प्रबन्धन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तरों पर आपदा सांस्थानिक, कानूनी, वित्तीय तथा समन्वय प्रक्रमों को निर्दिष्ट करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान के माध्यम से, यह अधिनियम अध्यापक तथा छात्रों समेत हितधारकों के बीच सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने पर विचार करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन नीति 2009: राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन 2009, में स्कूलों तथा शिक्षण संस्थानो मे संरचनात्मक और असंरचनात्मक सुरक्षा की जरूरत पर प्रकाश डालती है।

6.3.1 (क) विद्यालयो का विवरणः– प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा

क्र.सं.	स्कूल/कॉलेज की संख्या–2379	कुल विद्यार्थियों की संख्या– 188818	कुल अध्यापकों की संख्या– 4250
01	प्राथमिक विघालय–1215	प्राथमिक शिक्षा–70507	प्राथमिक शिक्षा–2169
02	जूनियर हाई स्कूल–672	जूनियर हाई स्कूल–49791	जूनियर हाईस्कूल–640
03	उच्चतर माध्यमिक एवं इण्टरमीडिण्ट–492	उच्च्तर माध्यमिक एवं इण्टरमीडिण्ट–68520	उच्चतर माध्यमिक एवं इण्टरमीडिण्ट–1441

6.3.2 (ख) उच्च शिक्षा

कुल संस्थाओ की संख्या	स्नातक/स्नाकोत्तर महाविद्यालय	विश्वविद्यालय	डीम्ड विश्वविद्यालय	भारतीय तकनीकी संस्थान	विघार्थियो की संख्या	कुल अध्यापको की संख्या	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	राजकीय प्राविधिक शिक्षण संस्थान	निजी प्राविधिक शिक्षण संस्थान	जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान (डी.एल.एड)	आर.टी.ई. के अन्तर्गत लाभान्वित बच्चे 01 से 08 तक के बच्चे
14	13	1	00	00	22519	209	11	06	5	11	1	28469

6.4 कौशल उन्नयन एवं अनुवर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम

कौशल उन्नयन और फॉलो–अप प्रशिक्षण कार्यक्रम किसी भी क्षेत्र में कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और पेशेवर विकास को बनाए रखने और सुधारने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम व्यक्तियों को अपने मौजूदा कौशल में सुधार करने, नए कौशल सीखने और विकसित होने में मदद करते हैं, ताकि वे तेजी से बदलते कार्य वातावरण में प्रभावी और सक्षम बने रहें।

जनपद उधम सिंह नगर अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2024–25 में कौशल विकास हेतु कराये गये प्रशिक्षणो का विवरण–List of training Year 2024-25

Sn.	Subject	Location area	Source of training	Date of Training
01	CBRN Training	MAH Industries	District administration conducted an inspection visit of the SDRF Team to check the Chemical substances used by 21 industries in the Udham Singh Nagar district	26 feb to 06 march 2024
02	Familiarization Exercise (FAMEX)	Familiarization Exercise (FAMEX)	At the Village leval, SCHOOL & MAH INDUSTRIES Community Awareness Program & School Safety Program Programme U.S.Nagar NDRF	01-05-2024 to 16-05-2024
03	Disaster Management	Training of PLVs & Other Volunteers District Court Udham singh nagar. SDRF	about rescue/disaster management during disaster response duties	09 October 2024
04	Disaster Management and First Aid Training	Disaster management meeting hall	First day: District level officer Second day: Registrar Kanungo /Lekhpal of all tehsils NDRF	21 Oct to 22Oct 2024
05	CBRN Training	MAH Industries U.S.N Vulnerable School	11 major hazardous industries and 2 schools in District Udham Singh Nagar NDRF	09 Dec to 24 Dec 2024
06	Familiarization Exercise (FAMEX)	Familiarization Exercise (FAMEX) 06 month sidule	At the Village leval, SCHOOL & MAH INDUSTRIES Community Awareness Program & School Safety Program Programme U.S.Nagar NDRF	1 Feb to 30 June 2025

Sn.	Subject	Location area	Source of training	Date of Training
07	Disaster Management and First Aid Training	Home Guard Training Ground Rudrapur	rescue/ disaster management First aid Training SDRF	20 March 2025

6.5 प्रशिक्षित पेशेवरों, इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स, मेसन्स, चिकित्सा पेशेवरों, बचाव विशेषज्ञों आदि की सूची

लोक निर्माण विभाग उधम सिंह नगर

अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त लो0नि0वि0 उधम सिंह नगर। श्री अनिल पांगती 9756930039		
01	02	03
अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 रूद्रपुर श्री गजेन्द्र सिंह 9568334620	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 काशीपुर श्री विवेक सक्सेना 9411809174	अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 खटीमा श्री एन0 अग्रवाल 9412139795

सिचाई विभाग उधम सिंह नगर।

अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई खण्ड रूद्रपुर श्री पी0के0 दीक्षित 9412394672		
01	02	03
अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड रूद्रपुर श्री भरत सिंह डांगी 9719637873	अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड काशीपुर श्री अमित गुप्ता 9058816222	अधिशासी अभियन्ता सिचाई खण्ड सितारगंज श्री एन0एस0नेगी 9410145600

विघुत विभाग उधम सिंह नगर।

अधीक्षण अभियन्ता, विघुत वितरण मण्डल रूद्रपुर श्री डी0के0जोशी 9411110509	अधीक्षण अभियन्ता विघुत वितरण मण्डल काशीपुर श्री अर्जुन प्रताप सिंह 9411108210	
01	02	03
अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0 रूद्रपुर श्री राजीव चक्रवर्ती 9412091260	अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0 काशीपुर श्री अजीत यादव 9412091291	अधिशासी अभियन्ता वि0वि सितारगंज चन्दन सिंह बसनेत 9411108016

ग्रामीण निर्माण विभाग उधम सिंह नगर।

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग रूद्रपुर श्री अमित भारतीय 7351999329

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उधम सिंह नगर।

उप प्रबन्धक (तकनीक) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 74 एवं 87 रूद्रपुर 125

श्रीमती मीनू 8175824796

लघु सिचाई विभाग उधम सिंह नगर।

अधिशासी अभियन्ता, लघु सिचाई रूद्रपुर श्री सुशील कुमार 9411755121

श्रीमती मीनू 8175824796

नलकूप विभाग उधम सिंह नगर।

अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड बाजपुर श्री राजेश कुमार 8194008775

जल संस्थान उधम सिंह नगर।

अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान रूद्रपुर श्री तरूण शर्मा 9412088189

पेयजल उधम सिंह नगर।

अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उधम सिंह नगर

श्रीमती मृदुला सिंह 9411107868

जिला विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर।

सहायक अभियन्ता, जिला विकास प्राधिकरण श्री कैलाश डंगवाल 9411703398

चिकित्सा विभाग उधम सिंह नगर।

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 के0के0 अग्रवाल 9997973377	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 राजेश आर्या 9410364519	पी0एम0एस0 जिला चिकित्सालय रूद्रपुर डॉ0 राजेश सिन्हा 9412907903	सी0एम0एस0,एल0डी0भट्ट चिकित्सालय काशीपुर डॉ0 डी0पी0सिंह 8218125760

6.6 विभिन्न संवेदनशील समूहो के लिए क्षेत्रीय महत्व के साथ डेटा दस्तावेजीकरण

उधम सिंह नगर, उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण जिला है, जहां विभिन्न संवेदनशील समूह रहते हैं, जो आपदाओं, स्वास्थ्य संकटों, और आर्थिक कठिनाइयों के दौरान अधिक जोखिम में होते हैं। इन समूहों के बारे में डाटा डॉक्यूमेंटेशन, क्षेत्रीय दृष्टिकोण से, त्वरित और प्रभावी आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है। नीचे उधम सिंह नगर के विभिन्न संवेदनशील समूहों के डाटा डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक संरचित विवरण दिया गया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

दिव्यांगता		जन्मदर, मृत्यु दर, नवजात मृत्युदर (SRS DATA)			बच्चो की माध्य संख्या MNB प्रति महिला 1.90	
दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या	दिव्यांगता का प्रतिशत	औसम जन्म दर	औसत मृत्यु दर	नवजात मृत्यु दर	ग्रामीण प्रति महिला 1.90	नगरीय प्रति महिला 1.90
	1.69	15.23	5.90	32.40		

जनपद उधम सिंह नगर अन्तर्गत संचालित चिकित्सीय इकाईया					
क्र.सं.	जिला चिकित्सालय की संख्या	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	राजकीय ऐलोपैथिक संख्या	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय संख्या
01	02	07	27	08	23

STATUS OF ALL REFERRAL TRANSPORT FACILITIES			
S.No	Name of Facility	Government	108
01	JLN DH RUDRAPUR	04	03
02	CIVIL HOSPITAL KHATIMA	04	04
03	LDB SDH KASHIPUR	03	03
04	CHC BAJPUR	04	03
05	CHC GADARPUR	02	02
06	CHC JASPUR	02	03
07	CHC KICHHA	02	03
08	CHC SITARGANJ	02	02
09	CHC NANKMATTA	01	01
10	DHQ	03	01
TOTAL TRANSPORT		27	25

जनसंख्या लिंगानुसार विवरण			लिंग अनुपात प्रतिशत में	शिशु लिंग अनुपाल 0–06 आयु समूह की जनसंख्या		जनसंख्या घनत्व प्रतिवर्ग कि0मी0	ग्रामीण जनसंख्या	
पुरूष	स्त्री	दशक में जनसंख्या वृद्वि					पुरूष	स्त्री
1648902	858783	790119	33.45	920 प्रति हजार पुरूषो पर महिलाये	899 प्रति हजार बालाको पर बालिकायें	649	911614	471487

अध्याय–7
प्रतिक्रिया एवं राहत उपायः

7.1 प्रतिक्रिया योजना (बहु–आपदा प्रबन्धन) तैयारी और मूल्यांकनः–

1. **प्रतिक्रिया योजना (Response Planning & Multi&Hazard):**

   प्रतिक्रिया योजना का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में तेजी से और प्रभावी तरीके से कार्य करना है। बहु–खतरों के लिए प्रतिक्रिया योजना में निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हैं:

   - **खतरे की पहचानः** संभावित खतरों जैसे बाढ़, भूकंप, आग, महामारी आदि की पहचान करना।
   - **जोखिम मूल्यांकनः** खतरों के प्रभाव और संभावना का आकलन करना।
   - **प्रतिक्रिया रणनीतिः** आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए रणनीतियाँ बनाना जैसे निकासी योजना, आपातकालीन सेवाएँ, संचार प्रणाली आदि।
   - **संसाधन प्रबंधनः** आवश्यक मानव संसाधन, उपकरण और सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
   - **सामुदायिक भागीदारीः** स्थानीय समुदाय को प्रतिक्रिया योजना में शामिल करना।

2. **तैयारी (Preparedness):** तैयारी का उद्देश्य खतरों से निपटने के लिए लोगों और संस्थानों को सक्षम बनाना है।
   - **प्रशिक्षण और अभ्यासः** आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए नियमित प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल आयोजित करना।
   - **पूर्व–निर्धारित योजनाएँः** निकासी मार्ग, आपातकालीन संपर्क सूची, आपूर्ति श्रृंखला आदि तैयार रखना।
   - **सार्वजनिक जागरूकताः** जनता को आपातकालीन स्थितियों के लिए जागरूक करना और उन्हें आवश्यक जानकारी देना।
   - **आधारभूत ढांचे की मजबूतीः** अस्पताल, सड़कें, संचार नेटवर्क आदि को खतरों के प्रति मजबूत बनाना।

3. **आकलन (Assessment):** आकलन का उद्देश्य खतरों के प्रभाव का मूल्यांकन करना और प्रतिक्रिया उपायों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना है।
   - **जोखिम आकलनः** विभिन्न खतरों की संभावना और प्रभाव का विश्लेषण करना।
   - **प्रभाव मूल्यांकनः** आपातकालीन स्थिति के बाद क्षति का आकलन करना, जैसे मानव जीवन हानि, संपत्ति क्षति आदि।
   - **प्रदर्शन मूल्यांकनः** प्रतिक्रिया योजनाओं और तैयारियों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना।

- **निरंतर सुधार:** आकलन के परिणामों के आधार पर योजनाओं और प्रक्रियाओं में सुधार करना।

7.1.1. क्षति और आवश्यकताओं का त्वरित मूल्यांकन (Quick Assessment of Damages and Needs).

नुकसान और आवश्यकताओं का त्वरित आकलन आपातकालीन प्रतिक्रिया के बाद प्रभावित क्षेत्रों में क्षति और संसाधनों की आवश्यकताओं का शीघ्र मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य राहत और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता देना और प्रभावी ढंग से संसाधनों का प्रबंधन करना है।

मुख्य घटक:

नुकसान का आकलन (Damage Assessment):

- **इंफ्रास्ट्रक्चर क्षति:** सड़कों, पुलों, स्कूलों, अस्पतालों आदि की स्थिति की जांच।
- **संपत्ति क्षति:** घरों, व्यवसायों, कृषि उत्पादन, मशीनरी आदि का मूल्यांकन।
- **पर्यावरणीय क्षति:** जल स्रोत, वनस्पति, वन्यजीव आदि पर प्रभाव।
- **मानव प्रभाव:** मृत्यु दर, घायल लोगों की संख्या, मानसिक स्वास्थ्य पर असर।

आवश्यकताओं का आकलन (Needs Assessment):

- **मूलभूत आवश्यकताएं:** भोजन, पानी, आश्रय, चिकित्सा सेवाएं, स्वच्छता।
- **स्वास्थ्य सेवाएं:** आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता।
- **आर्थिक सहायता:** प्रभावित लोगों के लिए वित्तीय सहायता या रोजगार के अवसर।
- **सामाजिक आवश्यकताएं:** शिक्षा, मनोवैज्ञानिक समर्थन, सामाजिक पुनर्वास।

प्रक्रिया:

- **प्रारंभिक जानकारी जुटाना:** उपग्रह चित्र, रिपोर्ट्स, और स्थानीय जानकारी का उपयोग।
- **फील्ड सर्वेक्षण:** टीमों द्वारा सीधे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर डेटा संग्रह।
- **डेटा विश्लेषण:** एकत्रित डेटा का विश्लेषण कर प्राथमिकताओं की पहचान।
- **रिपोर्ट तैयार करना:** आकलन के आधार पर रिपोर्ट तैयार करना और आवश्यक कार्रवाई के सुझाव देना।

7.1.2. प्रतिक्रिया प्रवाह चार्ट (Response Flow Chart)

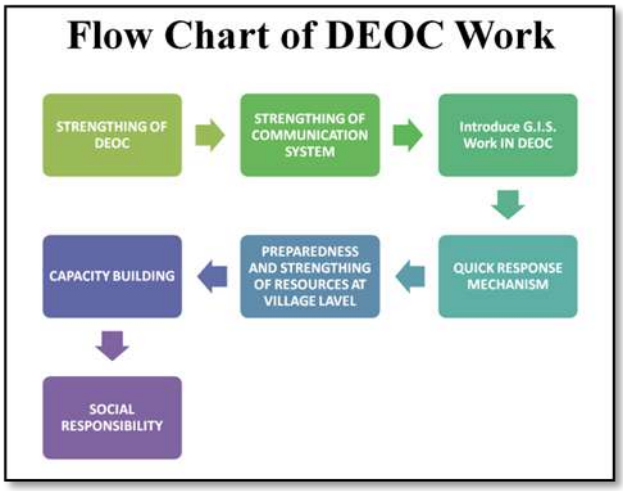

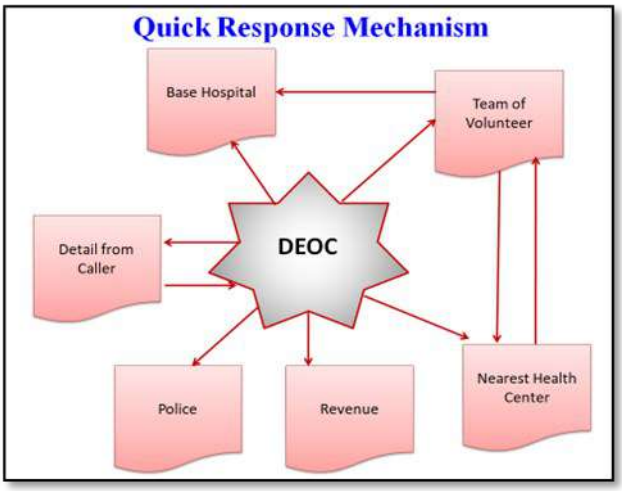

चरण (Stage)	कार्य (Activities)	जिम्मेदार संस्था/टीम (Responsible Agency/Team)	इनपुट/आवश्यकता (Inputs/Needs)	आउटपुट/ परिणाम (Outputs/ Outcomes)
1तैयारी (Preparedness)	जोखिम मूल्यांकन योजना बनाना प्रशिक्षण और अभ्यास	आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण, स्थानीय प्रशासन	डेटा, संसाधन, मानव शक्ति	तैयार योजनाएं और प्रशिक्षित टीमें
2. चेतावनी और सूचना (Warning & Communication)	खतरे की पहचान चेतावनी प्रणाली सक्रिय करना सूचना प्रसार	मौसम विभाग, मीडिया, स्थानीय अधिकारी	खतरे की जानकारी, संचार उपकरण	समुदाय को समय पर चेतावनी और जानकारी
3. प्रतिक्रिया (Response)	आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना बचाव और निकासी चिकित्सा सहायता	आपातकालीन सेवाएं, पुलिस, सेना, स्वयंसेवक	आपातकालीन उपकरण, राहत सामग्री, संचार साधन	तत्काल राहत और बचाव कार्य सफलतापूर्वक संपन्न
4. पुनर्वास और पुनर्निर्माण (Recovery & Reconstruction)	क्षति का आकलन पुनर्निर्माण योजना आर्थिक सहायता	सरकार, एनजीओ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन	धनराशि, संसाधन, तकनीकी सहायता	समुदाय का पुनर्वास, इंफ्रास्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण
5. मूल्यांकन और सीख (Evaluation & Learning)	प्रतिक्रिया का विश्लेषण सुधार के क्षेत्र पहचानना रिपोर्ट तैयार करना।	आपातकालीन प्रबंधन टीम, मूल्यांकन समिति	प्रतिक्रिया डेटा, फीडबैक रिपोर्ट	सुधारित प्रतिक्रिया योजनाएं और नीतियां

7.1.3. चेतावनी और सतर्कता (Warning and Alert)

अनुप्रयोग और विशेषतायेः– राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (N.D.M.A),राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (U.S.D.M.A) एवं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग देहरादून (I.M.D.) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा सामान्य व्यक्तियों हेतु मोबाईल ऐप के माध्यम से मौसम सम्बिन्धित सूचनाओं का प्रेक्षण किया जा रह है जिसे किसी भी एन्डरायड फोन पर गूगल प्ले स्टोर से डाउन लोड किया जा सकता है।

(i). Mausam App

मौसम (Weather) ऐप एक डिजिटल एप्लिकेशन है जो किसी विशेष क्षेत्र के मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह ऐप मौसम पूर्वानुमान, तापमान, आर्द्रता, वायु गति, वर्षा, और अन्य मौसम संबंधी डेटा को रियल–टाइम में अपडेट करता है।

(ii).मेघदूत

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) इंडियन इंस्टीटयूट आफ ट्रॉपिकल मौसम विज्ञान (IITM) और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिर्सच (ICR) की सयुक्त पहल का उद्देश्य मोबाईल एप्लिकेशन का उपयोग करने के लिये एक सरल और आसान के माध्यम से किसानों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुचाना है। IITM , पुणे और IMD, दिल्ली के सहयोग से हैदराबाद में सेमी–ऐरीडट्रॉपिक्स (ICRISAT) के लिये अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान में डिजिटल कृषि अनुसंधान विषय द्वारा मोबाईल एप्लिकेशन विकसित किया गया था यह ऐप मूल रूप से हर मंगलवार और शुक्रवार को किसानों की उगलियों के पुर्नानुमान और ऐतिहासिक मौसम की जानकारी के साथ एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स (एएम एफ यू) द्वारा जारी जिला और फसल वार सलाह को समेकित करता है। जहॉ भी उपलब्ध है, वहां सलाह भी जारी की जाती है।

(iii)-दमिनी ऐप (Damini App)

दमिनी ऐप (Damini App) एक मोबाइल एप्लिकेशन है जिसे भारत सरकार के भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप विशेष रूप से बिजली (लाइटनिंग) की निगरानी और खतरे की चेतावनी देने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि लोगों को मौसम से जुड़े खतरों के बारे में समय पर जानकारी मिल सके।

- **दमिनी ऐप की मुख्य विशेषताएं:** बिजली के हमलों की चेतावनी:ऐप वास्तविक समय में बिजली गिरने की घटनाओं का ट्रैक करता है और अलर्ट भेजता है। उपयोगकर्ताओं को संभावित खतरे के बारे में पहले से सूचित करता है।
- **रियल–टाइम अलर्ट:**–बिजली गिरने की दिशा और दूरी के बारे में सटीक जानकारी देता है। आपातकालीन स्थितियों के लिए तात्कालिक सूचना प्रणाली (Real & time Notifications) प्रदान करता है।
- **मौसम अपडेट**: मौसम की स्थिति जैसे तापमान, आर्द्रता, और बादल की स्थिति की जानकारी देता है।मौसम पूर्वानुमान और तूफान चेतावनी भी शामिल है।
- **स्थान आधारित सेवाएं** (Location&Based Services): आपके वर्तमान स्थान के आधार पर खतरे की सूचना देता है। सुरक्षा के लिए सुरक्षित क्षेत्रों की जानकारी प्रदान करता है।
- **इंटरैक्टिव डैशबोर्ड:** बिजली गिरने की घटनाओं के मानचित्र पर दृश्यात्मक प्रदर्शन करता है। ट्रेंड एनालिसिस और ऐतिहासिक डेटा का अवलोकन संभव है।

(iv)-सचेत ऐप

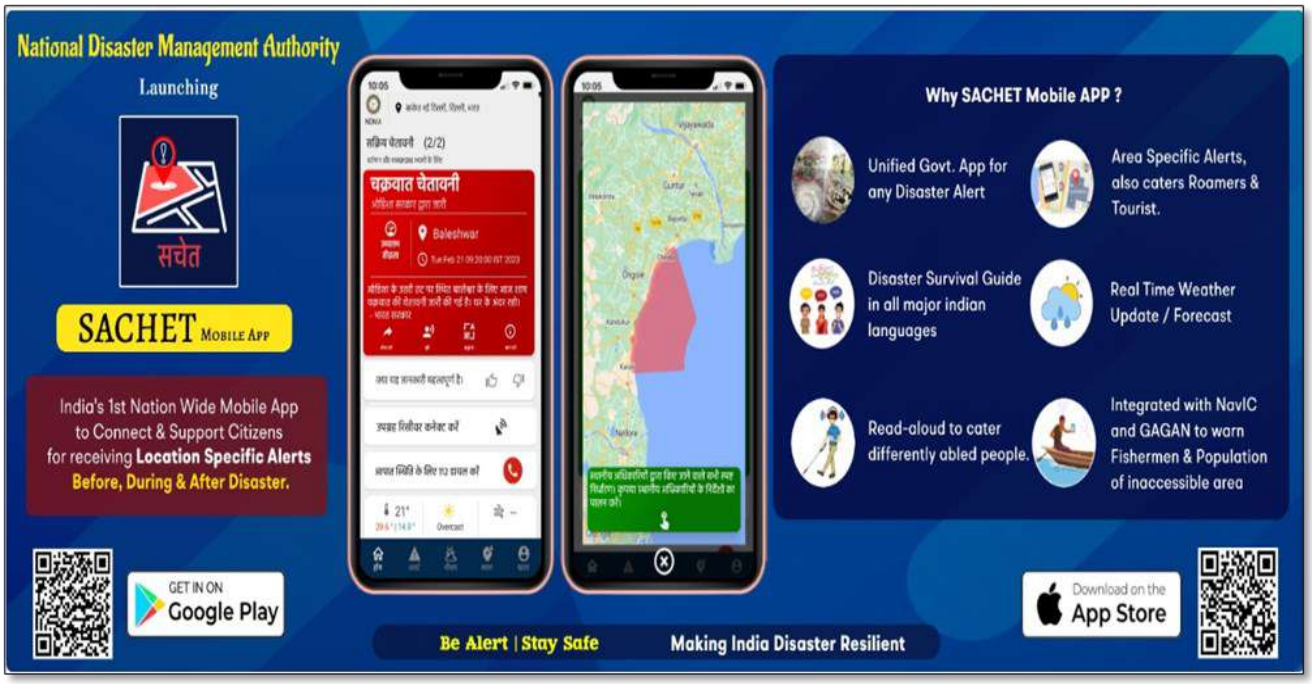

(v).भारतीय मौसम विज्ञान विभाग देहरादून। IMD

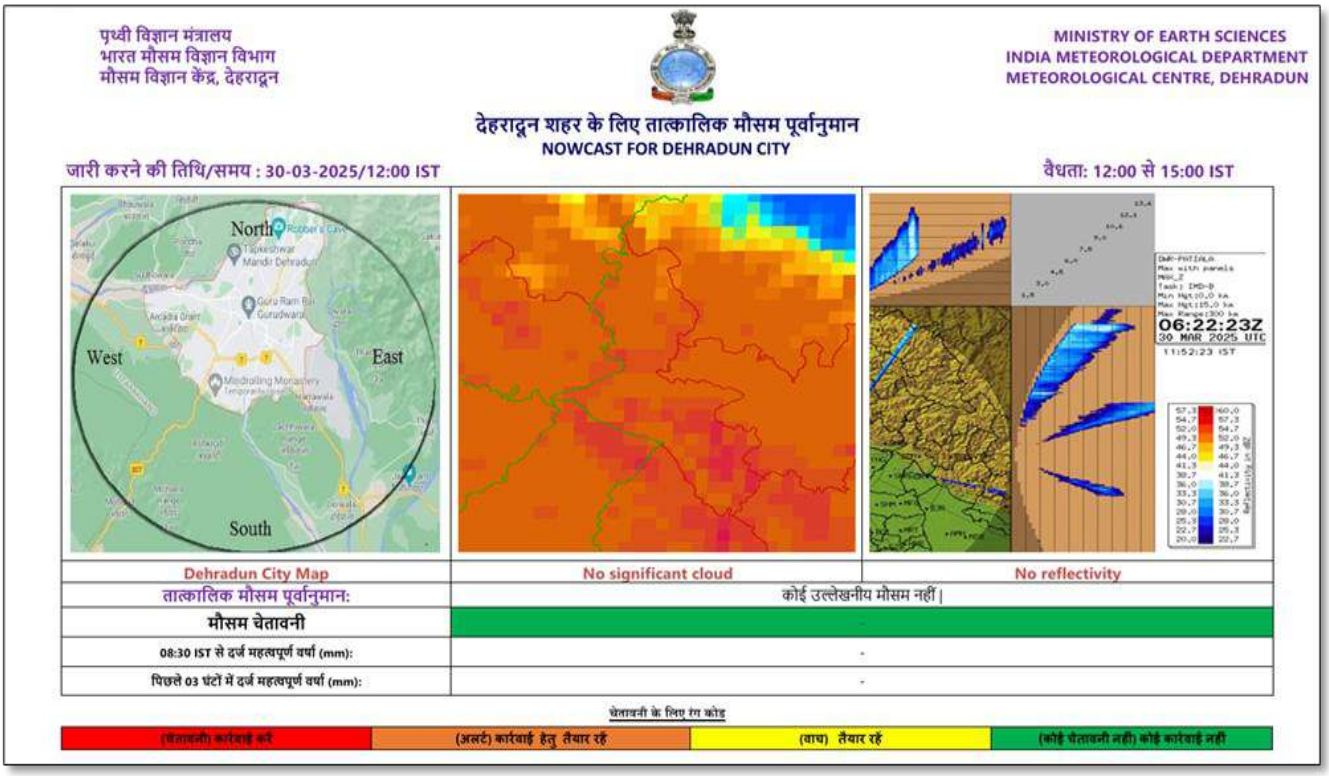

(vi)-भूकम्प ऐप

भूकंप ऐप (Earthquake App) एक मोबाइल एप्लिकेशन है जो भूकंप की घटनाओं की रियल–टाइम जानकारी प्रदान करता है। यह ऐप भूकंप के स्थान, तीव्रता (Magnitude), गहराई, समय, और अन्य संबंधित जानकारियों को ट्रैक करता है, जिससे लोग आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रह सकते हैं।

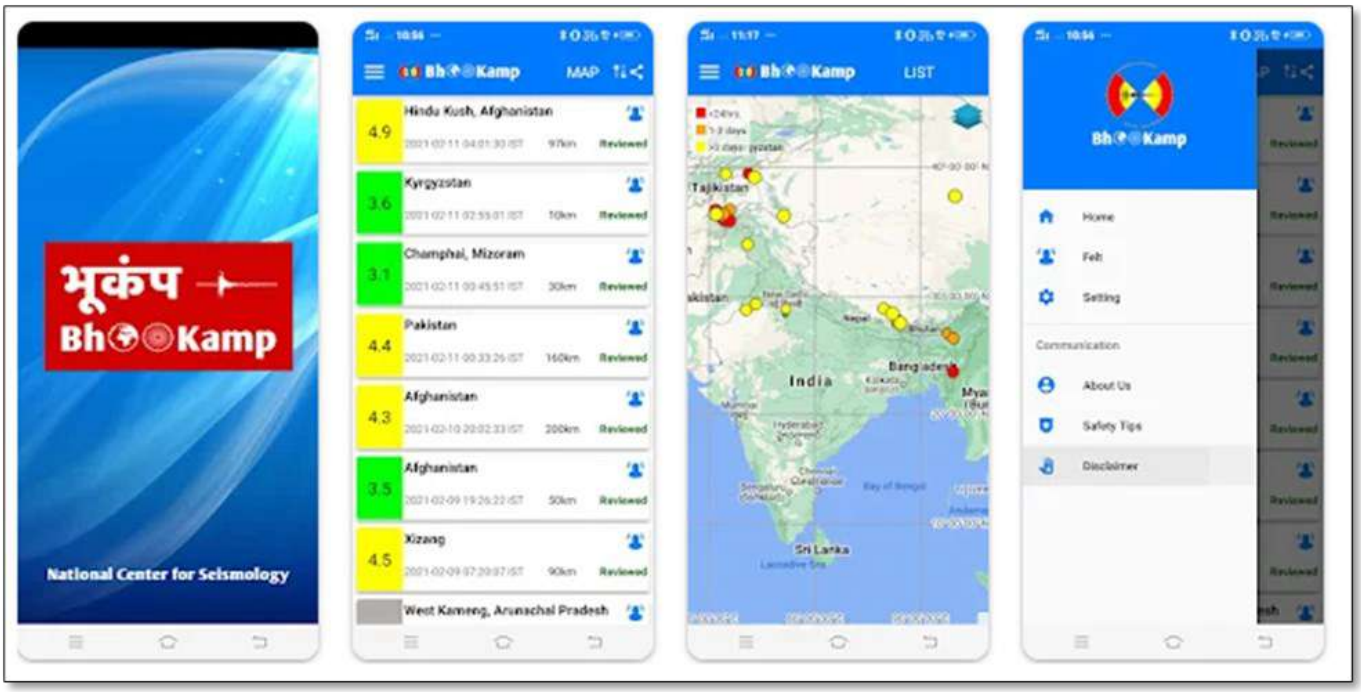

7.1.3.1 प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning Systems)-

गाँव और जिला प्रशासन के बीच एक द्वि–दिशात्मक संचार प्रणाली (Two & Way Communication System) स्थापित की जाएगी, जिससे किसी भी संभावित आपदा की सूचना तेजी से साझा की जा सके। इस प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख तत्व होंग

- गाँव स्तर पर पंचायत, ग्राम प्रधान, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, और स्थानीय रेडियो।
- जिला स्तर पर जिला प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), मौसम विभाग, और अन्य सरकारी एजेंसियाँ।
- संवाद के माध्यम मोबाइल संदेश, रेडियो, टेलीविजन, लाउडस्पीकर, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा।
- सूचना प्रवाह गाँव से प्राप्त जानकारी को जिला प्रशासन तक पहुँचाना और जिला प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी को गाँव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना।

7.1.3.2 चेतावनी प्रसार (Warning Dissemination)–आपदा की चेतावनी को हर व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाएँग।

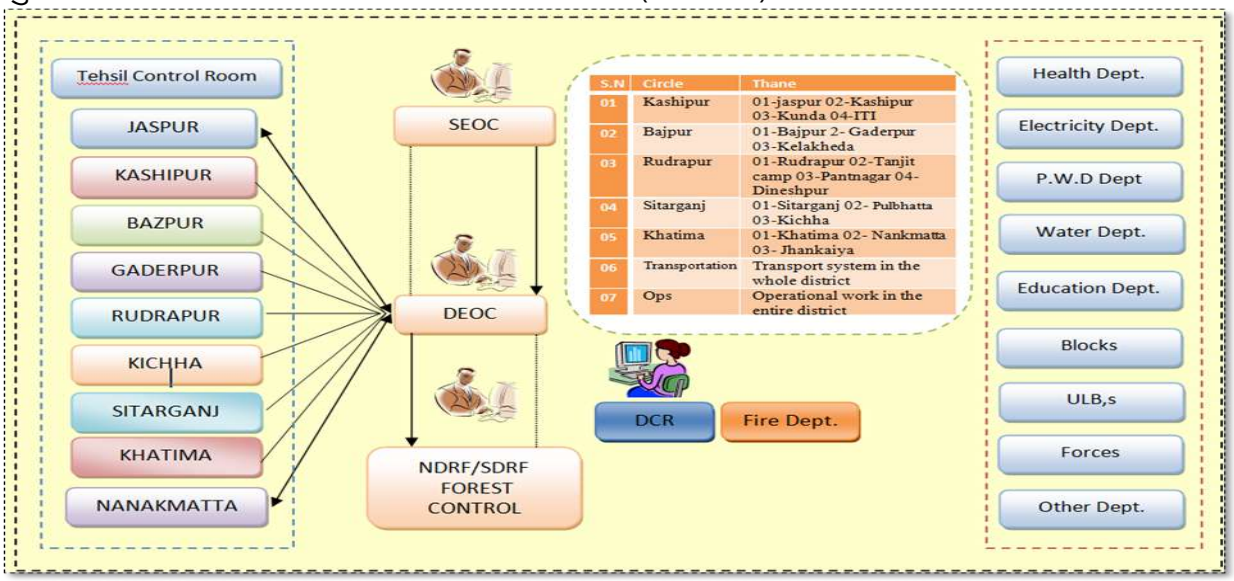

7.1.4 जिला संकट प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक–

आपदा के दौरान त्वरित निर्णय लेने और समन्वय स्थापित करने के लिए जिला संकट प्रबंधन समूह (Crisis Management Group & CMG) की बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, जल आपूर्ति, विद्युत विभाग, NGO और अन्य संबंधित संस्थाएँ शामिल होती हैं।

बैठक के प्रमुख कार्य–

- आपदा की स्थिति का आकलन करना और आवश्यक कार्रवाई की योजना बनाना।
- आपदा प्रबंधन टीमों को सक्रिय करना और उनकी जिम्मेदारियाँ तय करना।
- बचाव और राहत कार्यों का समन्वय करना और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।
- जनता को सटीक सूचना देना और अफवाहों को रोकने के लिए उपाय करना।
- राज्य और राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करना और आवश्यक सहायता प्राप्त करना।

7.1.5 आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) का सक्रियकरण–

EOC **का उद्देश्यः** आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) एक केंद्रीय केंद्र होता है, जहां संकट या आपात स्थिति के दौरान सभी संसाधनों और गतिविधियों का समन्वय किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थिति की निगरानी, निर्णय लेना और प्रभावी प्रतिक्रिया देना होता है।

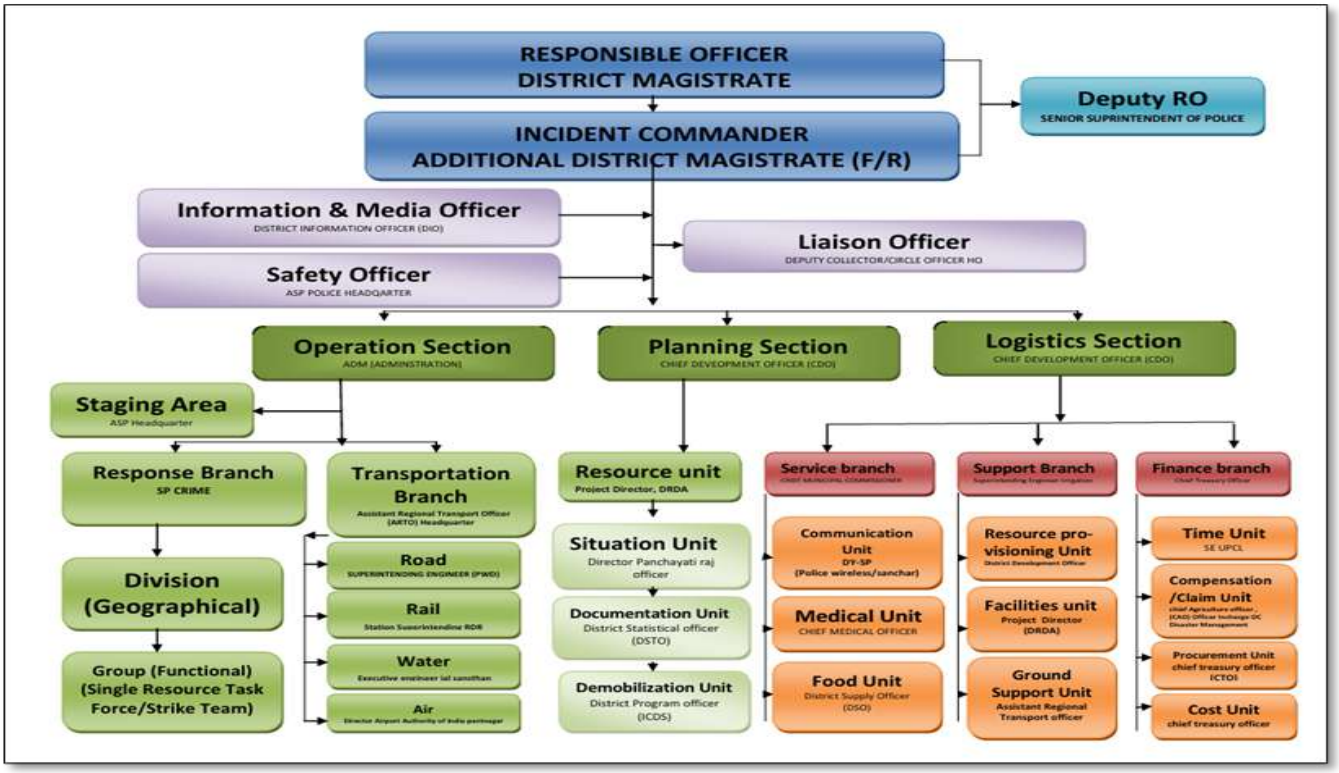

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की अध्याय 04 की धारा 28 की उपधारा–1 के अन्तर्गत आपदा के दौरान जनपद उधम सिंह नगर में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत IRS (Incident Response System) सिस्टम का गठन किया गया हैं।

7.1.6 संसाधनों का संचालन (Resource Mobilization)–

आपदा के दौरान कसी संकट, आपातकालीन स्थिति, या विकासशील परियोजना के दौरान आवश्यक मानव, वित्तीय, भौतिक और तकनीकी संसाधनों को जुटाने और उनका प्रभावी प्रबंधन करने की प्रक्रिया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संकट के समय सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों ताकि प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके।

संसाधनसंचालन की प्रक्रिया–

1. **उपलब्ध संसाधनों की पहचान और सूची तैयार करना–** सरकारी और निजी संस्थानों से उपलब्ध संसाधनों (वाहन, दवाइयाँ, खाद्य सामग्री, आश्रय स्थल, उपकरण आदि) की सूची बनाना।
2. **विभिन्न विभागों से समन्वय–**स्वास्थ्य, पुलिस, नगरनिगम, जल आपूर्ति, बिजली, परिवहन और अन्य विभागों के संसाधनों को आपदा क्षेत्र में भेजना।
3. **स्वयं सेवी संगठनों (NGOs) और निजी क्षेत्र से सहयोग:** राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए सामाजिक संगठनों और उद्योगों से सहायता प्राप्त करना।
4. **संसाधनों का समान वितरण:** प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार खाद्य सामग्री, पानी, कपड़े, दवाइयाँ औरअन्य राहत सामग्रियों का वितरण।
5. **संसाधनों का त्वरित परिवहन–**हेलीकॉप्टर, ट्रक, नाव और अन्य परिवहन साधनों का उपयोग करके राहत सामग्री को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में पहुँचाना।

7.1.7 बाहरी सहायता प्राप्त करना (Seeking External Help for Assistance)

आपदा की गंभीरता को देखत हुए, यदि जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त साबित होते हैं, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अन्य राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहरी सहायता (External Assistance) माँगी जाती है।

बाहरी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया–

1. **राज्य सरकार से संर्पक–** जिला प्रशासन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और राज्य सरकार को स्थिति की जानकारी देता है और अतिरिक्त सहायता का अनुरोध करता है।
2. **राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता–** राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), सेना, वायुसेना, नौसेना, और अर्ध सैनिक बलों से बचाव और राहत कार्यों के लिए सहयोग लिया जाता है।
3. **गैर–सरकारी संगठनों** (NGOs) **और निजी क्षेत्र की सहायता–** बड़े पैमाने पर राहत कार्यों में NGOs रेडक्रॉस, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ (UNICEF, WHO), धर्मार्थ संगठन और कॉरपोरेट सेक्टर (CSR पहल) से सहायता ली जाती है।
4. **अंतरराष्ट्रीय सहायता–** यदि आपदा का प्रभाव बहुत व्यापक है और राष्ट्रीय स्तर की सहायता भी अपर्याप्त साबित होती है, तो भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र, विदेशी सरकारों और अंतरराष्ट्रीय राहत एजेंसियों से सहायता प्राप्त कर सकती है।
5. **अतिरिक्त आपूर्ति और उपकरण–** दवाइयाँ, खाद्य सामग्री, पेयजल, टेंट, जनरेटर, मेडिकलकिट, संचार उपकरण और अन्य आवश्यक राहत सामग्रियों की आपूर्ति बाहरी एजेंसियों से सुनिश्चित की जाती है। इस प्रकार, बाहरी सहायता संभावित क्षेत्र में राहत कार्यों को तेजी से संचालित करन और आपदा के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

7.1.8 प्रभावित जनसंख्या की मानसिक और सामाजिक देखभाल (Psycho & Social Care of Affected Population)–

आपदा के बाद, प्रभावित लोगों में मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद और PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) जैसी मानसिक समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं। इसलिए, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक देखभाल (Psycho-Social Care) बेहद आवश्यक होती है।

मानसिक और सामाजिक देखभाल के प्रमुख पहलु–

1. **मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की उपलब्धता–** मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षित काउंसलरों को राहत शिविरो ंमें तैनात किया जाता है।
2. **व्यक्तिगत और समूह परामर्श** (Counseling)**:** मानसिक आघात से उबरने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर परामर्श सत्र आयोजित किए जाते हैं।
3. **विशेष रूप से दिव्यांगजनों की सहायता–**शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए विशेष सहायता सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। श्रवण, दृष्टि और चलने–फिरने में असमर्थ लोगों के लिए विशेष काउंसलिंग और समर्थन दिया जाता है।

4. **बच्चों और वृद्धजनों के लिए सहायता–** बच्चों को उनकी सामान्य दिनचर्या में वापस लाने के लिए मनोरंजन और खेल–कूद गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। वृद्धजनों के लिए चिकित्सा और भावनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
5. **सामुदायिक सहयोग–**NGOs, सामाजिक संगठन और स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से इस प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, ताकि प्रभावित लोगों को भावनात्मक और सामाजिक समर्थन मिल सके।
6. **धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ–** लोगों को भावनात्मक राहत देने के लिए प्रार्थना सभाएँ, आध्यात्मिक सत्र और सामाजिक मेल–मिलाप की व्यवस्था की जाती है।
7. **नौकरी और पुनर्वास सेवाएँ–** रोजगार और आजीविका बहाली के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं ताकि लोग अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस लौट सकें।

7.1.9 प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट (First Assessment Report)–

आपदा के तुरंत बाद, स्थिति का तेजी से मूल्यांकन (Rapid Assessment) करना आवश्यक होता है ताकि प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों को सही दिशा में संचालित किया जा सके। इसके लिए प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट (First Assessment Report) तैयार की जाती है।

क्र.सं.	विषय	मुख्य बिन्दु	उत्तरदायी विभाग/एजेंसी
01	आपदा की प्रकृति और स्तर	आपदा का प्रकार भूकम्प, बाढ, भूस्खलन चक्रवात आदि) और प्रभावित क्षेत्र का विस्तार	मौसम विभाग, भूगर्भीय संस्थान
02	जनहानि और सम्पत्ति का नुकसान	मृतको, घायलों और लापता लोगो की संख्या, क्षतिग्रस्त मकान, सड़के, स्कूल, अस्पताल आदि	पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय
03	मौजूदा संसाधनो और बचाव कार्य	राहत सामग्री (भोजन, पानी, दवाईयॉ) प्रशासन, पुलिस NDRF, SDRF द्वारा किये गये प्रयास	NDRF, SDRF पुलिस NGO
04	प्राथमिक आवश्यकताए	चिकित्सा सेवाए, आश्रय, बिजली, यातायात की स्थिति	स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग
05	भविष्य की रणनीति	राहत और पुनर्वास कार्यो की योजना सरकार और अन्य एजेन्सियो की सिफारिशों	राज्य सरकार NDMA/DDMA

7.1.10 मीडियाप्रबंधन/समन्वय/सूचना प्रसार(Media Management /Coordination/ Information /Dissemination)

आपात स्थितियों के दौरान लोगों और अधिकारियों को सूचित करने में मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों) की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर वे तरीके जिनसे मीडिया आपदाओं के बारे में जनता को शिक्षित करने, खतरों की चेतावनी देने, प्रभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी एकत्र करने और प्रसारित करने, सरकारी अधिकारियों को सचेत करने, राहत संगठनों और जनता को विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रति मदद करने और यहां तक कि आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के बारे में चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता और तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा

सकता है। किसी भी आपातकाल के दौरान, लोग अद्यतित, विश्वसनीय और विस्तृत जानकारी चाहते हैं। राज्य सरकार ने आपात स्थितियों के दौरान मीडिया के साथ सहयोग करने की एक प्रभावी प्रणाली स्थापित की है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) में, एक विशेष मीडिया सेल बनाया गया है, जिसे आपात स्थितियों के दौरान चालू किया जाता है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को नियमित रूप से पूर्व निर्धारित समय अंतराल पर घटनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है और जमीन पर मौजूदा स्थिति के बारे में बताया जाता है। जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) में भी इसी तरह की व्यवस्था सक्रिय है। प्रतिक्रिया समय के दौरान मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपदा के प्रभाव और किए जा रहे राहत उपायों के बारे में सटीक संचार सुनिश्चित करने और समुदाय और अन्य हितधारकों के बीच सद्भावना उत्पन्न करने के लिए मीडिया प्रबंधन कार्य करता हैं।

7.1.11 एसओपी (SOPS) का विकास–

एस.ओ.पी. का अर्थ है मानक संचालन प्रक्रिया, जो किसी कार्य कोव यवस्थित, कुशल और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। आपातकालीन सहायताकार्य (Emergency Support Functions-ESFs) से जुड़े एसओपी यह सुनिश्चित करते हैं कि आपात स्थति में सभी गतिविधियाँ सुचारू रूप से और समन्वित रूप से संचालित हों।

एस.ओ.पी. विकास के प्रमुख चरण–

- **आवश्यकताओं का निर्धारण–**ESFs के तहत कौन–कौन से कार्य आवश्यक हैं, उनकी पहचान करना।
- **संबंधित विभागों और एजेंसियों की भागीदारी–** पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन, संचार, परिवहन आदि से समन्वय करना।
- **प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण**– प्रत्येक कार्य के लिए चरण–दर–चरण गाइडलाइन तैयार करना।
- **प्रशिक्षण और परिक्षण** (Drills & Training)**–** सुनिश्चित करना कि सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इन एसओपी का पालन कर सकें।
- **समीक्षा और अद्यतन–**समय–समय पर एसओपी को संशोधित और अपडेट करना।

चेक लिस्ट का विकास–चेक लिस्ट सुनिश्चित करती हैं कि किसी कार्य के सभी महत्वपूर्ण चरण पूरे किए गए हैं। ESFs से संबंधित चेक लिस्ट आपातकालीन प्रतिक्रिया में तेजी और प्रभावशीलता लाने में मदद करती हैं।

आपदा प्रबंधन से संबंधित चेक लिस्ट–

- खतरे की सूचना प्रणाली कार्यरत है या नहीं?
- आपातकालीन संचार प्रणाली सक्रिय है या नहीं?
- सभी राहत सामग्री उपलब्ध है या नहीं?
- मेडिकल और बचाव टीम को सूचित किया गया है या नहीं?
- लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई है या नहीं?

प्रारूपों का विकास

आपात कालीन रिपोर्ट प्रारूप– घटना, समय, स्थान, प्रभावित क्षेत्र का विवरण।

राहत सामग्री वितरण प्रारूप–किस क्षेत्र में, कितनी मात्रा मेंसहायताभेजीगई।

संपर्क सूची प्रारूप–सभी संबंधित अधिकारियों, एजेंसियों और स्वयंसेवकों की जानकारी।

7.1.12 रिर्पोटिंग (Reporting)–

रिपोर्टिंग का अर्थ है आपातकालीन स्थिति या किसी घटना से संबंधित सूचना का सही और प्रभावी संकलन, विश्लेषण और संचार करना। यह विभिन्न हित धारकों (सरकार, एजेंसियाँ, मीडिया, जनता आदि) को त्वरित और स्पष्ट जानकारी प्रदान करने में मदद करता है।

7.1.12.1 सूचना प्रबंधन (Information Management)–

सूचना प्रबंधन का उद्देश्य सही, सटीक और अद्यतन जानकारी को संग्रहीत, विश्लेषण और साझा करना है।

मुख्य चरण:

- **डेटा संग्रहण–** फील्ड रिपोर्ट, सर्वेक्षण, तकनीकी उपकरणों (GIS, ड्रोन, सेंसर) के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना।
- **डेटा सत्यापन–** प्राप्त जानकारी की पुष्टि करना ताकि कोई गलत सूचना न फैले।
- **डेटा विश्लेषण–**स्थिति की गंभीरता को समझकर त्वरित निर्णय लेने के लिए डेटा को प्रोसेस करना।
- **सूचना का वितरण–**आवश्यक एजेंसियों, प्रशासकों और मीडिया को सही समय पर जानकारी भेजना।

7.1.12.2 स्थितिरिपोर्ट (Situation Reports & SITREP)–स्थिति रिपोर्ट (SITREP) किसी आपदा, संकट या घटना की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी देने वाला दस्तावेज होता है।

मुख्य बिंदु:

- **घटना का विवरण–**क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ?
- **प्रभाव का आकलन–**कितने लोग प्रभावित हुए, क्या नुकसान हुआ?
- **प्रतिक्रिया और बचाव कार्य–**क्या कार्रवाई की जा रही है, किन संसाधनों की जरूरत है?
- **आगे की योजना–**संभावित खतरे और आवश्यक कदम।
- **संलग्न साक्ष्य –**नक्शे, ग्राफ, चित्र, आँकड़े आदि।

7.1.12.3 मीडिया रिलीज (Media Release)–मीडिया रिलीज का उद्देश्य जनता और हित धारकों को अधिकृत और सटीक जानकारी प्रदान करना है, जिससे गलत सूचना न फैले और लोगो में जागरूकता बनी रहे।

मुख्य तत्व:

- **शीर्षक–**प्रमुख समाचार बिंदु को उजागर करना।
- **सरकारी प्रशासनिक दायित्व**– अधिकारियों द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी।
- **तथ्य और आँकड़े–** घटना स्थल की स्थिति, प्रभावित लोगों की संख्या, राहत प्रयास।
- **संपर्क जानकारी–**हेल्पलाइननंबर, राहतकेंद्रों का विवरण।

7.1.13 **विमोचन और समापन** (Demobilization and Winding Up)–आपदा प्रबंधन या किसी आपातकालीन प्रतिक्रिया (Emergency Response) के सफलतापूर्वक निष्पादन के बाद विमोचन और समापन प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसका उद्देश्य संसाधनों को वापस लेना, सभी गतिविधियों को औपचारिक रूप से समाप्त करना और भविष्य के लिए सीखना होता है।

7.1.13.1 दस्तावेजीकरण (Documentation)–दस्तावेजी करण का मतलब है कि संपूर्ण प्रतिक्रिया और राहत कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना, जिससे भविष्य में इसी तरह की परिस्थितियों से निपटने में सहायता मिल सके।

मुख्य तत्व:

- **घटना का पूरा विवरण–** कब, कहाँ, औरकैसे घटना घटी?
- **प्रतिक्रिया और राहत कार्य–**कौन–2 से कदम उठाए गए, कौन–सी एजेंसियाँ शामिल थीं?
- **चुनौतियाँ और समाधान–**किन दिक्कतों का सामना हुआ और उन्हें कैसे हल किया गया?
- **संपर्क और संसाधनों की जानकारी–**किन संसाधनो ंऔर व्यक्तियों ने मदद की?
- **डेटा और आँकड़े–**प्रभावित लोगों की संख्या, वितरित राहत सामग्री, बचाए गए लोगों की संख्या आदि।

7.1.13.2 सफलता की कहानियाँ (Success Stories)–

सफलता की कहानियाँ उन घटनाओं या प्रयासों को उजागर करती हैं, जिनसे अच्छे परिणाम प्राप्त हुए और जीवन प्रभावित हुए।

महत्व

- सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाने के लिए प्रेरणादायक कहानियाँ।
- नीतिगत सुधारों के लिए प्रभावी उदाहरण।
- भविष्य की योजनाओं के लिए उपयोगी रणनीतियाँ।

7.1.13.3 भविष्य के लिए सबक (Lessons for Future)–

यह अनुभाग भविष्य की आपातकालीन तैयारियों (Disaster Preparedness) और रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए पिछले अनुभवों से मिली सीख पर केंद्रित होता है।

महत्वपूर्ण सीख:

- **बेहतर संचार प्रणाली–** कई बार गलत फहमियों के कारण प्रतिक्रिया में देरी होती है, जिसे सुधारने की जरूरत है।
- **राहत सामग्री की त्वरित उपलब्धता–** राहत सामग्री का बेहतर स्टॉक और वितरण प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
- **तकनीकी उन्नति का उपयोग–** ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अन्य तकनीकों का अधिक उपयोग करना।
- **सामुदायिक प्रशिक्षण–** स्थानीय लोगों को बचाव कार्यों और आपातकालीन योजनाओं की ट्रेनिंग देना। इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार– भूकंप–रोधी भवनों और मजबूत सड़क नेटवर्क की आवश्यकता।

7.2 जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsibility Matrix) **का विकास–**जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsibility Matrix) एक योजना दस्तावेज होता है जो यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक प्रतिक्रिया उपाय (Response Measure) के लिए कौन जिम्मेदार होगा, उसे कब पूरा करना है और उसमें

कौन–कौन से प्रमुख हितधारक (Stakeholders) शामिल होंगे। प्रत्येक प्रतिक्रिया उपाय के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स विकसित करना (Evolving Responsibility Matrix for Each Response Measure within a Time Frame)

मुख्य उद्देश्य:

- **सुस्पष्ट जिम्मेदारी–** यह तय करना कि कौन–सा विभाग या एजेंसी किसी विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होगी।
- **समय सीमा निर्धारण–**हर कार्य को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करना।
- **संसाधन आवंटन–** कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक मानव संसाधन, वित्तीय सहायता और उपकरणों की पहचान करना।
- **समन्वय सुनिश्चित करना–**सभी हित धारकों के बीच तालमेल बनाकर कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा करना।

Table - Responsibility Matrix for Disaster Response Plan

क्र.सं.	प्रतिक्रिया उपाय	मुख्य उत्तरदायी एजेंसी	सर्पोटिंग ऐजेंसी	समय सीमा
01	आपात कालीन अलर्ट जारी करना	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)	मौसम विभाग,	1 घंटा
02	राहत शिविर स्थापित करना	जिला प्रशासन,	SDRF स्थानीय प्रशासन पुलिस	12 घंटे
03	घायलो को चिकित्सा सहायता	स्वास्थ्य विभाग	रेडक्रॉस, स्थानीय अस्पताल	06 घंटे
04	परिवहन और निकासी (Evacuation)	पुलिस एवं ट्रैफिक विभाग	नगर निगम, स्वंय सेवा संगठन	08 घंटे
05	खाद्य और पेयजल वितरण	आपूर्ति एवं खाद्य विभाग	एन0जी0ओ0, रेडक्रॉस	24 घंटे

प्रमुख हितधारकों के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsibility Matrix for Major Stakeholders)-

क्र.सं.	हितधारक (Stakeholders)	मुख्य भूमिका
1	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)	नीति निर्माण, दिशा निर्देश तैयार करना
2	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)	राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना लागू करना
3	जिला प्रशासन (District Administration)	स्थानीय स्तर परबचाव एवं राहत कार्य सुनिश्चित करना
4	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF)	बचाव और राहत अभियान चलाना
5	पुलिस और सुरक्षा एजेंसियाँ	निकासी, कानून–व्यवस्था बनाए रखना
6	स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा सुविधा,	एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराना
7	नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग	अस्थायी शिविर, जल आपूर्ति, साफ–सफाई सुनिश्चि करना
8	NGOs और स्वयंसेवी संगठन	राहत सामग्री वितरित करना, पुनर्वास कार्यों में सहायता करना
9	मीडिया एवं संचार एजेंसियाँ	सही सूचना प्रसारित करना, अफवाहों को रोकना
10	स्थानीय समुदाय	प्रशासन की मदद करना, प्राथमिक प्रतिक्रिया देना

7.2.1 खतरों (Hazards) के अनुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यों के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स–

इस जिम्मेदारी मैट्रिक्स का उपयोग उन आपदाओं के लिए किया जाता है जिन में पूर्व चेतावनी (Early Warning) उपलब्ध होती है, जैसे चक्रवात (Cyclone), बाढ़ (Flood), सुनामी (Tsunami), आदि। इस तालिका में आपातकालीन प्रतिक्रिया के विभिन्न चरणों में समयबद्ध गतिविधियाँ, जिम्मेदार विभाग/एजेंसी और उनके कार्य शामिल होते हैं।

Table - Responsibility Matrix by Time Frame

क्र. सं.	समय (Time)	कार्य (Task)	जिम्मेदारविभाग/ एजेंसी (Department/Agency)	गतिविधियाँ (Activity)
1	D–72 Hr (आपदा से 72 घंटे पहले)	प्रारंभिक चेतावनी जारी करना	मौसम विभाग (IMD), SDMA, NDMA	संभावित खतरे के बारे में सूचना देना
2	D-48 Hr (आपदा से 48 घंटे पहले)	जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान	जिला प्रशासन, नगर निगम	संवेदनशील क्षेत्रों की सूची तैयार करना
3	D-24 Hr (आपदा से 24 घंटे पहले)	लोगो ंको सतर्क करना और सुरक्षित स्थानो ंपर भेजना	पुलिस, स्थानीय प्रशासन, पंचायतें	सुरक्षित स्थानों पर निकासी (Evacuation) शुरू करना
4	D-0 Hr (आपदा घटितहोने का समय)	आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू करना	NDRF, SDRF, पुलिस, दमकलविभाग	बचाव और राहत कार्य शुरू करना
5	D+15 Min (आपदा के 15 मिनट बाद)	प्रारंभिक क्षति रिपोर्ट तैयार करना	जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन टीम	प्रभावित क्षेत्रों की प्राथमिक रिपोर्टिंग
6	D+30 Min (आपदा के 30 मिनट बाद)	हेल्पलाइन और संचार प्रणाली सक्रिय करना	आपदा प्रबंधन विभाग, टेली कम्युनिकेशन	आपातकालीन संपर्क केंद्र सुचारू करना
7	D+1 Hr (आपदा के 1 घंटे बाद)	घायलों को प्राथमिक चिकित्सा देना	स्वास्थ्य विभाग, रेडक्रॉस, एम्बुलेंस सेवा	घायलों को अस्पताल पहुँचाना
8	D+2 Hr (आपदा के 2 घंटे बाद)	राहत शिविर स्थापित करना	जिला प्रशासन, नगर निगम, SDRF	आपदा प्रभावितों के लिए टेंट, भोजन और पानी की व्यवस्था
9	D+3 Hr (आपदा के 3 घंटे बाद)	सड़क मार्ग और संचार बहाल करना	लोक निर्माण विभाग (PWD),BRO,टेलीकॉम एजेंसिया	बाधित मार्ग खोलना, मोबाइल नेटवर्क सुधारना
10	D+6 Hr (आपदा के 6 घंटे बाद)	भोजन, पानी और दवा वितरण करना	आपूर्ति विभाग, NGO, रेडक्रॉस	राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयाँ वितरित करना
11	D+12 Hr (आपदा के 12 घंटे बाद)	विस्तृत क्षति मूल्यांकन	जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	नुकसान का आकलन करना और राहत की योजना बनाना
12	D+24 Hr (आपदा के 24 घंटे बाद)	पुनर्वास योजनातैयारकरना	राज्य सरकार, NDRF, SDRF, पुनर्वास एजेंसियाँ	बेघर हुए लोगों के लिए पुनर्वास योजनाएँ लागू करना

7.2.2 त्वरित आने वाली आपदाओं के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsibility Matrix) जहां पूर्व चेतावनी उपलब्ध नही होती–

कुछ आपदाएँ अचानक घटित होती हैं, जिनके लिए कोई पूर्व चेतावनी (Early Warning) नहीं

होती, जैसे भूकंप (Earthquake), भूस्खलन (Landslide),बिजली गिरना (Lightning) आग (Fire), और फ्लैश फ्लड (Flash Floods)। ऐसे मामलों में त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया आवश्यक होती है, ताकि जान–माल का नुकसान कम से कम हो।

Table - Responsibility Matrix by Time Frame

क्र. सं.	समय (Time)	कार्य (Task)	जिम्मेदारविभाग/ एजेंसी (Department/Agency)	गतिविधियाँ (Activity)
1	D+15 Min (आपदा के 15 मिनट बाद)	प्रारंभिक चेतावनी और अलर्ट जारी करना	जिला प्रशासन, पुलिस, दमकल विभाग	संबंधित एजेंसियों को सूचित करना, आपातकालीन अलर्ट जारी करना
2	D+30 Min (आपदा के 30 मिनट बाद)	प्राथमिक बचाव अभियान शुरू करना	NDRF, SDRF, पुलिस, दमकल, स्वास्थ्य विभाग	घायलों की प्राथमिकचिकित्सा, जीवित लोगों की खोज
3	D+1 Hr (आपदा के 1 घंटे बाद)	घायलों को अस्पताल पहुँचाना	स्वास्थ्य विभाग, एंबुलेंस सेवा, रेडक्रॉस	घायलों को निकटतम चिकित्सा केंद्र ले जाना
4	D+2 Hr (आपदा के 2 घंटे बाद)	राहत शिविर स्थापित करना	जिला प्रशासन, नगर निगम, NGO	विस्थापित लोगों के लिए आश्रय, भोजन और पानी की व्यवस्था
5	D+3 Hr (आपदा के 3 घंटे बाद)	प्रभावित क्षेत्रों का मूल्यांकन	जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग	क्षति की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करना
6	D+6 Hr (आपदा के 6 घंटे बाद)	संचार और परिवहन मार्ग बहाल करना	PWD, BRO,टेलीकॉम एजेंसियाँ	क्षतिग्रस्त सड़कों और बाधित मोबाइल नेटवर्क की मरम्मत
7	D+12 Hr (आपदा के 12 घंटे बाद)	बचाव और पुनर्वास योजनाबनाना	राज्य सरकार, पुनर्वास एजेंसियाँ	पुनर्वास योजना तैयार करना, लॉन्ग–टर्म सहायता की व्यवस्था

अध्याय–08
पुनर्निर्माण, पुर्नवास एंव पुनप्राप्ति उपाय

8.1 सामान्य नीति दिशा–निर्देश (पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया की प्राथमिकता सहित)

पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को प्रभावी और कुशल बनाने के लिए निम्नलिखित सामान्य नीति दिशा–निर्देशों का पालन किया जाएगाः

- **प्रभावित जनसंख्या की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना–** सबसे पहले उन क्षेत्रों और लोगों की पुनर्प्राप्ति को प्राथमिकता दी जाएगी, जो आपदा के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। जीवन रक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
- **समावेशी और सहभागिता–आधारित दृष्टिकोण–** सभी संबंधित हितधारकों, विशेष रूप से प्रभावित समुदायों को पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। महिलाओं, बच्चों, वृद्ध जनों, और अन्य कमजोर समूहों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाएगा।
- **स्थायी और सतत विकास**–पुनर्निर्माण और पुनर्वास गतिविधियों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा कि वे दीर्घकालिक सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करें। पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- **संसाधन और वित्तीय प्रबंधन**–उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय सहायता और अन्य संसाधनों को जुटाने के प्रयास किए जाएंगे।
- **समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन**–पुनर्प्राप्ति योजना को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा। नियमित निगरानी और मूल्यांकन के माध्यम से प्रगति का आकलन किया जाएगा।
- **जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी**–पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया के दौरान भविष्य की आपदाओं के जोखिम को कम करने के उपायों को शामिल किया जाएगा। समुदाय की आपदा के प्रति जागरूकता और तैयारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

8.2 राहत और पुनर्प्राप्ति समन्वय

राहत और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया का समन्वय जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा किया जाएगा। यह समन्वय सुनिश्चित करेगा कि प्रभावित क्षेत्र में संसाधनों का कुशलतापूर्वक और समयबद्ध तरीके से उपयोग किया जाए, ताकि प्रभावित जनसंख्या को त्वरित और प्रभावी सहायता मिल सके।

समन्वय की प्रक्रियाः

- **राहत और पुनर्प्राप्ति आवश्यकताओं का आकलनः** प्रभावित क्षेत्र की स्थिति का मूल्यांकन कर यह निर्धारित किया जाएगा कि किन क्षेत्रों में तत्काल राहत और किन क्षेत्रों में दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता है।
- **जिला कलेक्टर (डीसी) की भूमिकाः** जिला कलेक्टर (District Magistrate) राहत और पुनर्प्राप्ति कार्यों के समन्वय में केंद्रीय भूमिका निभाएंगे।

➢ **जिला कलेक्ट्र द्वारा घोषणाः** प्रभावित क्षेत्र की स्थिति के आधार पर, जिला कलेक्टर यह घोषणा करेंगे कि अन्य सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों से किस प्रकार के समर्थन की आवश्यकता है और किस समय पर। इसमें खाद्य सामग्री, चिकित्सा सहायता, आवास, जल आपूर्ति, स्वच्छता, और अन्य आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता को स्पष्ट किया जाएगा।

➢ **एजेंसियों के बीच समन्वयः** सरकारी एजेंसियां: जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, खाद्य आपूर्ति विभाग आदि। गैर–सरकारी संगठन (NGOs) और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां: राहत सामग्री प्रदान करने, चिकित्सा सहायता, मानसिक स्वास्थ्य समर्थन, और सामुदायिक पुनर्निर्माण में योगदान करेंगी। निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायः पुनर्निर्माण कार्यों में सक्रिय भागीदारी करेंगे और संसाधनों के प्रबंधन में सहायता प्रदान करेंगे।

➢ **समयबद्धता और प्राथमिकताः** राहत कार्य तत्काल आवश्यकता के अनुसार शुरू किए जाएंगे, जैसे कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, भोजन, पानी और आश्रय। पुनर्प्राप्ति कार्य दीर्घकालिक योजना के तहत किए जाएंगे, जिसमें बुनियादी ढांचे की बहाली, जीवनयापन के अवसरों की पुनर्प्राप्ति, और सामाजिक सेवाओं की पुनर्स्थापना शामिल है।

➢ **निगरानी और मूल्यांकनः** राहत और पुनर्प्राप्ति कार्यों की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। प्रभावित जनसंख्या से फीडबैक लिया जाएगा और उसके आधार पर रणनीतियों में आवश्यक समायोजन किए जाएंगे।

पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्यो हेतु विभागीय दायित्व– आपदा घटित होने के पश्चात पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन के कार्यो हेतु विभागीय जिम्मेदारी निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

क्र.सं.	प्रमुख विभाग	मुख्य भूमिका
1	पंचायत राज एवं विकास विभाग	● ग्रामीण क्षेत्रो में आपदा प्रभावित अधोसंरचना (पंचायत भवन, विद्यालय आदि) का क्षति सर्वेक्षण करना।
		● जनहानी, आजीविका हानी का निर्धारित प्रारूप में सर्वेक्षण।
		● राजस्व इभाग के समन्वय में प्रभावितों को शासन के नियमानुसार मुआवजा एवं अनुग्रह अनुदान वितरण।
		● क्षति आंकलन के आधारपर पुनर्निर्माण की लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।।
		● कार्य योजना अनुसार आगामी कार्यवाही।
		● दीर्घ अवधि पुनः स्थापन हेतु स्थायी एवं अस्थायी राहत केन्द्रों का संबन्धित विभागों के समन्वय में निर्माण।
		● मनरेगा एवं रोजगार से संबन्धित अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आजीविका प्रदान करना।
2	राजस्व विभाग	● क्षति आंकलन कार्य में सभी संबन्धित विभागो के साथ समनवय तथा कुल क्षति का क्षेत्रवार आंकलन।
		● शासन के नियमानुसार अनुग्रह अनुदान राशि एवं मुआवजा वितरण।

क्र.सं.	प्रमुख विभाग	मुख्य भूमिका
		● क्षति आंकलन हेतु कुल वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन एवं जिला प्राधिकरण को रिपोर्टिंग।
		● संबन्धित विभागों द्वारा प्रस्तावित लघु एवं दीर्घ अवधि पुनः स्थापन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन।
		● आपदा प्रभावितों की पुनः स्थापन में सहायता हेतु जिला प्रशासन के सम्बंधित अधिकारियों का संपर्क नंबर।
3	कृषि विकास विभाग	● फसलो की क्षति का आकलन करना।
		● क्षतिग्रस्त फसलों के सेंपल को जांच हेतु प्रयोगशाला भेजना एवं उनका उन्मूलन करना।
		● फसल बीमा एवं मुआवजे के वितरण की व्यवस्था।
		● कृषकों को बीमा एवं मुआवजा संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु सहायता केन्द्रों की स्थापना करना।
		● बीज और अन्य कृषि इनपुट की सुविधा प्रदान करना।
		● सूखा एवं बाढ़ अनुकूलित बीजो का प्रचार।
		● क्षतिग्रस्त खेत के औजारो के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करना।
4	पुलिस विभाग	● कानून व्यवस्था बनाए रखना।
		● अफवाहों के नियंत्रण हेतु सभी संबन्धित विभागों से समन्वय।
5	वन विभाग	● वन एवं वन्य जीवों की आपदा के कारण हुई क्षति तथा विपरीत प्रभाव का आंकलन तथा अन्य संबन्धित विभागों के समन्वय में लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार कर वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण।
6	मत्स्य विभाग	● आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मत्स्य उद्योग पर हुये क्षति का अंकलन।
		● स्थानीय मछुवारों की नावों की क्षति का आंकलन करना एवं राजस्व विभाग के समन्वय में मुआवजा एवं राहत राशि प्रदान करने की व्यवस्था करना।
		● मत्स्य विभाग की लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।
7	सहकारिता विभाग	● कृषि विभाग के समन्वय से सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आपदा प्रभावितों को बीज खाद एवं अन्य आवश्यक सामग्री का आंकलन एवं प्रदाय।
8	शिक्षा विभाग	● विद्यालय की संरचना पर आपदा के प्रभावों का आंकलन तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय में मररामत का कार्य।
		● विद्यालयों के सुचारु संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था।
		● विद्यालय में स्वस्थ्य सफाई को सुनिश्चित करना।

क्र.सं.	प्रमुख विभाग	मुख्य भूमिका
9	सांख्यकी विभाग	● आपदा से हुई क्षति का सम्पूर्ण डेटा का विभ्हिन्न विभागों द्वारा आंकलन क्षति के आधार पर जिला विकास योजना में आपदा प्रभावित क्षेत्र की योजनाओं को शामिल करना।
10	स्वास्थ्य विभाग	● महामारी फैलने वाली बीमारियों/संक्रमक बीमारियों वाले संवेदनशील क्षेत्रों का चिहांकन एवं सर्वेक्षण।
		● स्वच्छता हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
		● संक्रांमक बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण करवाना।
		● संक्रामक रोगों से बचाव हेतु जन समुदाय को आवश्यक निर्देश प्रदान करना।
		● स्वास्थ्य की दृष्टि से सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु नगर निगम नगर पालिका लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी एवं अन्य विभागों के समन्वय।
		● आपदा से आघात लोगो की काउन्सलिंग करना।
		● चिकित्सा एवं घायलों/विकलांगों के समाजिक चिकित्सकीय पुर्नवास हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
11	नगरीय निकाय	● आपदा प्रभावित क्षेत्रों से मलबा निपादन
		● शुद्ध पेयजल की व्यवस्था
		● आवश्यकतानुसार शौचालयों का निर्माण।
12	जनसम्पर्क कार्यालय	● आपदा से संबन्धित समस्त जानकारियों को उचित मीडिया द्वारा जन समुदाय को जानकारी प्रदान करना।
		● आपदा उपरान्त प्रदत्त किये जाने वाले विभिन्न सहायता, धनराशि इत्यादि के विषय में स्थानीय जन समुदाय को समय पर जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था करना।
13	पूर्ति विभाग	● मुफ्त खाद्यान वितरण का आवश्यकता आंकलन तथा अन्य संबन्धित विभागों के माध्यम से वितरण।
		● खाद्यान्न गोदामों का संरक्षण
		● दान दाता एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त सामग्रियों का रखरखाव एवं वितरण।
14	लोक निर्माण विभाग	● अवरूद्ध सड़कों की साफ–सफाई।
		● गड्ढ़ों का भराव करना, मलवा सफाई तथा सड़क अवरूद्ध करने वाले पेड़ो को हटाना।
		● क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलो की मरम्मत करना तथा अतिशीघ्र यातायात व्यवस्था को बहाल करना।

क्र.सं.	प्रमुख विभाग	मुख्य भूमिका
		● संवेदनशील/आपदा स्थलों पर वैकल्पिक रास्तों का चिन्हीकरण करना।
		● क्षतिग्रस्त सड़क/डाइवरसन, राहत शिविर, चिकित्सा पोस्ट, पुल/पुलियों, सड़कों अस्थायी संरचनाओं का क्षति आकलन .
		● संरचनाओं का मजबूतीकरण तथा पुनः बहाली तथा जिन कारणों से संरचनाओ में नुकसान पहूँचा है, उनको यथा संभव दूर करना।
15	सिंचाई विभाग	● सिंचाई संरचनाओं का संरक्षण एवं निगरानी।
		● जिले के प्रमुख बांधों, पुलो, तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण एवं क्षति आंकलन।
		● संरचनाओं स्टेशन, उपकरण, पम्प, जनरेटर, मोटर इत्यादि का मरम्मत एवं निरीक्षण।
		● बांध टूट स्थल पर रोक हेतु आवश्यक कार्य।
16	यू.पी.सी.एल.	● क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर आदि का सर्वेक्षण तथा तत्काल बहाली का कार्य।
		● उच्च विद्युत क्षमता के तारो, विघुत उपकेन्द्रों ट्रांसफारर्मर/पोल इत्यादि महत्वपूर्ण घटकों का निरीक्षण एवं संबन्धित विभाग को सूचना प्रदान करना।
		● आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाली यथाशीघ्र सुनिश्चित करना।
		● क्षतिग्रस्त पोल, ट्रांसफारर्मर, कनडकर्टस इत्यादि उपकरणों की मरम्मत एवं बदलाव शीघ्रातिशीघ्र करना।
17	पशुपालन विभाग	● पशुधन क्षति आंकलन
		● आपदा उपरांत पशुजनित रोग नियंत्रण
		● सामान्य स्थिति होने तक पशु चारे व घास की व्यवस्था।
		● मवेशियो के शवों को हटाने तथा महामारी से बचने के लिए सफाई की उपयुक्त व्यवस्था हेतु नगर निगम एवं स्थानीय निकाय से समन्वय सुनिश्चित करना।
18	भारत संचार निगम लिमिटेड	● संचार व्यवस्था क्षति आंकलन.
		● संचार नेटवर्क को त्वरित रूप से बहाल करने हेतु समस्त सर्विस प्रोवाईडर से संचार व्यवस्था से समन्वय।
19	जल संस्थान	● नगर निगम/नगरपालिका के सहयोग से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पेय जल स्त्रोतों तथा जल प्रदाय व्यवस्था का क्षति आंकलन
		● प्रभावित पेय जल स्रोतों के शुद्धीकरण की व्यवस्था।
		● राहत केन्द्रों, अस्पतालों आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर शुद्ध पेयजल की

क्र.सं.	प्रमुख विभाग	मुख्य भूमिका
		व्यवस्था सुनिश्चित करना।
20	समाज कल्याण विभाग	● आपदा नि:शक्तजनों एवं अन्य संवेदनशीलता
		● कमजोर वर्ग को सर्वेक्षण उपरांत ट्राई साइकिल एवं अन्य आवश्यक सामग्रियाँ, तथा उचित सहायता उपलब्ध करना।
		● आपदा उपरांत नि: शक्तजनों के देखभाल तथा पुन:स्थापन हेतु सम्बंधित विभागों से समन्वय।
21	महिला एंव बाल विकास विभाग	● स्वास्थ्य सर्वेक्षण में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार आल्याण के साथ समन्वय
		● महिलाओं की आजीविका पर प्रभाव का आंकलन तथा पुन: स्थापन हेतु लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।

8.3 क्षति और हानि का आकलन (Damage and Loss Assessment) DALA–

एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आपदा के प्रभाव को समझने, पुनर्प्राप्ति योजना तैयार करने और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में सहायता करती है। यह आकलन प्रभावित क्षेत्र की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति का विश्लेषण करता है।

1. क्षति और हानि के आकलन के उद्देश्य:

- आपदा के कारण हुई क्षति की सीमा का निर्धारण करना।
- प्रभावित क्षेत्रों और समुदायों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पहचान करना।
- पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधनों और वित्तीय सहायता का आकलन करना।
- नीति निर्धारण और योजना निर्माण के लिए डेटा प्रदान करना।

2. क्षति और हानि के प्रकार:

भौतिक क्षति (Physical Damage)–बुनियादी ढांचा (सड़कें, पुल, भवन, जल आपूर्ति प्रणाली आदि) कृषि भूमि और फसलें मशीनरी, उपकरण और परिवहन साधन

आर्थिक हानि (Economic Loss)–व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट,रोजगार के अवसरों की हानि उत्पादन में गिरावट और आय का नुकसान।

सामाजिक हानि (Social Loss)–जीवन की हानि (मृत्यु और घायल व्यक्ति), शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाओं का नुकसान, परिवारों का विस्थापन और मानसिक आघात।

पर्यावरणीय हानि (Environmental Loss)–पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान जल स्रोतों, वनस्पति और जीव–जंतुओं पर प्रभाव

3. आकलन की प्रक्रिया:

- **तैयारी चरण:** आकलन टीम का गठन (सरकारी विभाग, एनजीओ, विशेषज्ञ) डेटा संग्रहण के लिए उपकरण और विधियों की परिभाषाप्रभावित क्षेत्रों का प्रारंभिक सर्वेक्षण

- **डेटा संग्रहण: मैदान पर सर्वेक्षण (Field Surveys):** प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन।
- **साक्षात्कार और परामर्श (Interviews & Consultations):** प्रभावित समुदायों, स्थानीय अधिकारियों और विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त करना।
- **दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स का विश्लेषण (Document Analysis):** सरकारी रिपोर्ट, बीमा दावों, और पूर्व के डेटा की समीक्षा।
- **विश्लेषण और मूल्यांकन**–एकत्रित डेटा का विश्लेषण कर क्षति और हानि का परिमाण निर्धारित करना। आर्थिक हानि की गणना के लिए आर्थिक मॉडलों का उपयोग। प्रभावित क्षेत्रों की प्राथमिकता तय करना।
- **रिपोर्ट तैयार करना**–आकलन के निष्कर्षों को एक विस्तृत रिपोर्ट में संकलित करना। रिपोर्ट में क्षति की सीमा, हानि का परिमाण, और सिफारिशें शामिल करना।

4. आकलन के लिए प्रमुख उपकरण और तकनीकं:

- जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (**GIS**) और रिमोट सेंसिंग
- ड्रोन तकनीक और उपग्रह चित्र
- सर्वेक्षण फॉर्म और प्रश्नावली
- डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर

8.4 पुर्नस्थापना (Restoration)

पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में प्रभावित क्षेत्र की सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए विभिन्न घटकों का पुनर्निर्माण और पुर्नस्थापना किया जाता है। यह प्रक्रिया प्रभावित जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने और उनके जीवनयापन के साधनों को पुनर्जीवित करने में सहायक होती है।

8.4.1 बुनियादी ढांचे का पुर्नस्थापन (Restoration of Basic Infrastructure)

उद्देश्य–प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें, पुल, जल आपूर्ति, विद्युत नेटवर्क, स्कूल, अस्पताल आदि जैसे बुनियादी ढांचे को शीघ्रता से बहाल करना। पुनर्निर्माण कार्यों में सतत विकास और जोखिम न्यूनीकरण को शामिल करना।

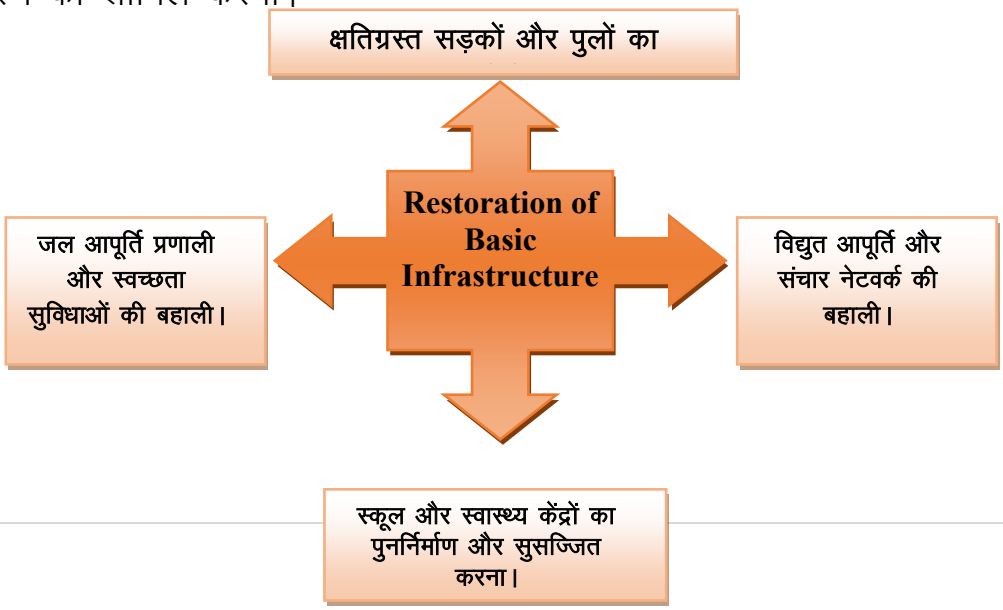

8.4.2 आवश्यक सेवाओं का पुर्नस्थापना (Restoration of Essential Services as per the Relief Code of the State/District)

उद्देश्यः प्रभावित जनसंख्या को आवश्यक सेवाओं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य आपूर्ति, और सुरक्षा सेवाओं की पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करना। आपातकालीन और दीर्घकालिक आवश्यकताओं के अनुसार सेवाओं का प्रावधान।

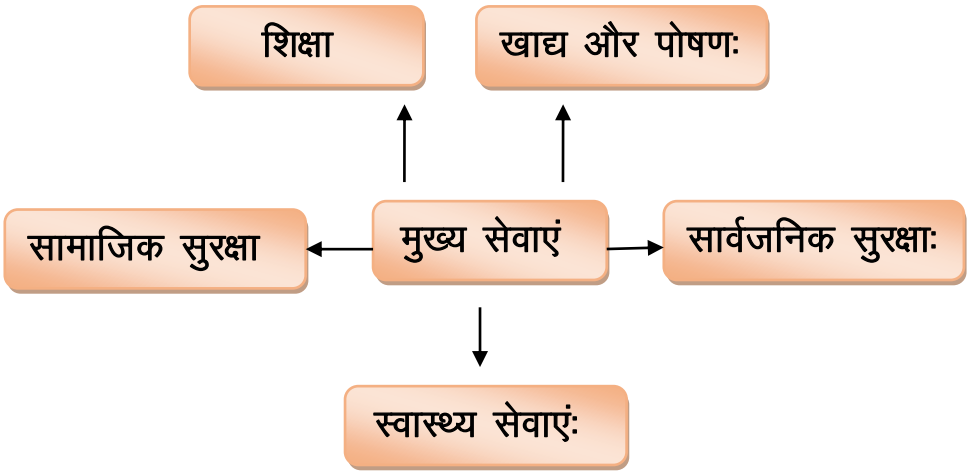

8.4.3 आजीविका का पुर्नस्थापना (Restoration of Livelihoods)

उद्देश्यः प्रभावित जनसंख्या को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उनके आजीविका के साधनों को पुनर्जीवित करना। सतत विकास और आर्थिक पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना।

मुख्य क्रियाकलापः

- **कृषि और मत्स्य पालनः** फसल उत्पादन के लिए बीज, उपकरण, और तकनीकी समर्थन प्रदान करना।
- **व्यवसायिक प्रशिक्षणः** स्थानीय लोगों को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना।
- सूक्ष्म उद्यम और छोटे व्यवसायः स्थानीय उद्यमियों को वित्तीय सहायता और संसाधन उपलब्ध कराना।
- **रोजगार सृजन कार्यक्रमः** सार्वजनिक कार्य योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर बनाना।
- **वित्तीय समावेशनः** प्रभावित लोगों को बैंकिंग सेवाओं और माइक्रोफाइनेंस तक पहुंच प्रदान करना।

8.5 पुनर्निर्माण/मरम्मत (Reconstruction/Repair)

पुनर्निर्माण और मरम्मत की प्रक्रिया प्रभावित क्षेत्रों में जीवन की सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य न केवल क्षतिग्रस्त ढांचे को पुनर्निर्माण करना है, बल्कि उन्हें आपदा–प्रतिरोधी और सतत विकास के अनुरूप बनाना भी है।

8.5.1 जीवन रेखा भवनों/सामाजिक अवसंरचना का पुनर्निर्माण (Reconstruction/Repair of Lifeline Buildings/Social Infrastructure)

उद्देश्यः

आपदा के दौरान सबसे अधिक प्रभावित महत्वपूर्ण भवनों जैसे अस्पताल, स्कूल, जल आपूर्ति प्रणाली, बिजली ग्रिड, और संचार नेटवर्क का शीघ्र पुनर्निर्माण। इन संरचनाओं को भविष्य में आपदाओं के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाना।

मुख्य क्रियाकलापः

- क्षतिग्रस्त सामाजिक अवसंरचना की स्थिति का मूल्यांकन करना।
- पुनर्निर्माण के लिए आपदा–प्रतिरोधी निर्माण मानकों का पालन करना।
- आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की बहाली सुनिश्चित करना।
- निर्माण कार्यों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

8.5.2 क्षतिग्रस्त भवनों का पुनर्निर्माण (Repair of Damaged Buildings)

उद्देश्यः

निजी और सरकारी भवनों के नुकसान का आकलन कर उन्हें सुरक्षित और रहने योग्य बनाना। प्रभावित परिवारों को उनके घरों की बहाली के लिए सहायता प्रदान करना।

मुख्य क्रियाकलापः

- निरीक्षण और आकलनः भवनों की संरचनात्मक स्थिति का मूल्यांकन करना।
- मरम्मत और पुनर्निर्माणः आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य या पूर्ण पुनर्निर्माण करना।
- सामग्री और तकनीकी समर्थनः निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री और तकनीकी सलाह प्रदान करना।
- सुरक्षा मानकों का पालनः निर्माण कार्यों में सुरक्षा और निर्माण मानकों का पालन सुनिश्चित करना।

8.5.3 पुनर्प्राप्ति में स्वामी–संचालित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना –(Promote Owner Driven Approach in Recovery)

उद्देश्यः

प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों को अपने स्वयं के घरों और संपत्तियों के पुनर्निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए सशक्त बनाना। स्थानीय संसाधनों और ज्ञान का प्रभावी उपयोग करके सतत विकास को बढ़ावा देना।

मुख्य क्रियाकलापः

- क्षमता निर्माणः प्रभावित लोगों को निर्माण तकनीक, डिजाइन और सुरक्षा मानकों के बारे में प्रशिक्षण देना।
- वित्तीय समर्थनः गृह मरम्मत के लिए अनुदान, ऋण, और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करना।

➢ सामग्री और तकनीकी सहायताः निर्माण सामग्री की आपूर्ति और तकनीकी मार्गदर्शन देना।

➢ समुदाय की भागीदारीः स्थानीय संगठनों और समुदाय के नेताओं को पुनर्निर्माण प्रक्रिया में शामिल करना।

➢ निगरानी और मूल्यांकनः यह सुनिश्चित करना कि पुनर्निर्माण कार्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुसार किए जा रहे हैं।

8.6 पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (Recovery Program)

पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति को बहाल करना और समुदायों को आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए सशक्त बनाना है। इसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार की रणनीतियाँ शामिल होती हैं ताकि प्रभावित जनसंख्या के जीवनयापन और विकास के लिए एक सतत आधार तैयार किया जा सके।

8.6.1 अल्पकालिक पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (Short-term Recovery Program)

उद्देश्यः

प्रभावित जनसंख्या के जीवनयापन की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करना। आपदा के बाद की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करना।

मुख्य घटकः

अल्पकालिक जीवनयापन सुरक्षा उपाय–

➢ अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करना।

➢ आपातकालीन खाद्य सहायता और पोषण समर्थन।

➢ अस्थायी आश्रय और बुनियादी जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति।

ऋण और वित्तीय सहायता (Loans and Financial Assistance)–

➢ छोटे किसानों और व्यवसायियों के लिए आपातकालीन ऋण योजना।

➢ प्रभावित परिवारों को तात्कालिक वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करना।

➢ बीमा दावों का त्वरित निपटान।

अनुदान और सहायता (Grants and Aid)–

➢ सरकारी और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से राहत अनुदान की उपलब्धता।

➢ सामुदायिक पुनर्निर्माण के लिए अनुदान योजनाएं।

➢ स्वास्थ्य, शिक्षा, और बुनियादी ढांचे के लिए विशेष सहायता।

8.6.2 दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (Long & term Recovery Program)

उद्देश्यः

➢ प्रभावित क्षेत्रों में सतत और स्थिर विकास सुनिश्चित करना।

➢ जीवनयापन के अवसरों को सशक्त बनाना और आर्थिक पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना।

मुख्य घटक:

सतत जीवनयापन (Sustainable Livelihoods):

- कृषि, मत्स्य पालन, और अन्य पारंपरिक आजीविका गतिविधियों का पुनर्निर्माण।
- व्यवसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम।
- छोटे और मध्यम उद्यमों को समर्थन और प्रोत्साहन।

सामुदायिक सशक्तिकरण (Community Empowerment)–

- स्थानीय समुदायों को निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में शामिल करना।
- सामुदायिक संगठनों का निर्माण और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना।

आर्थिक विकास (Economic Development)–

- निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए नीति उपाय।
- सतत कृषि पद्धतियों और हरित तकनीकों को बढ़ावा देना।

पर्यावरणीय पुनर्प्राप्ति (Environmental Recovery)–

- प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना।
- पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और संरक्षण गतिविधियाँ।

जोखिम न्यूनीकरण और आपदा तैयारी (Risk Reduction and Disaster Preparedness):

- आपदा–प्रतिरोधक बुनियादी ढांचे का निर्माण।
- आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम।

8.7 बीमा एवं अन्य संबंधित उपाय (Insurance and Other Related Measures)

बीमा और अन्य जोखिम प्रबंधन उपाय आपदा के बाद प्रभावित समुदायों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि प्रभावित व्यक्ति और समुदाय पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया के दौरान आर्थिक रूप से समर्थ रहें।

1. बीमा (Insurance)

उद्देश्य:

- आपदा के कारण होने वाली आर्थिक हानि को कम करना।
- व्यक्तिगत और व्यावसायिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

मुख्य प्रकार के बीमा:

फसल बीमा: किसानों के लिए, जो प्राकृतिक आपदाओं से फसल की हानि को कवर करता है।

गृह बीमा: घरों और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए।

व्यवसाय बीमा: छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए, जो आपदा के कारण होने वाले व्यापारिक

नुकसान को कवर करता है।

स्वास्थ्य बीमाः प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा खर्चों को कवर करने के लिए।

मुख्य गतिविधियाँ–

- बीमा उत्पादों के प्रचार के लिए जागरूकता अभियान।
- आपदा–प्रवण क्षेत्रों में बीमा कवरेज को बढ़ाना।
- बीमा दावों के त्वरित निपटान के लिए विशेष व्यवस्था।

2. जोखिम प्रबंधन और वित्तीय सुरक्षा (Risk Management and Financial Security)

उद्देश्यः

- समुदायों को आपदा के जोखिमों के लिए तैयार करना।
- वित्तीय लचीलापन बढ़ाना और पुनर्प्राप्ति को तेज करना।

मुख्य उपायः

जोखिम मूल्यांकन– आपदा जोखिमों का आकलन और उनके प्रभाव को समझना।

आपदा बीमा कोष– आपदा के बाद त्वरित सहायता के लिए एक कोष का निर्माण।

आपातकालीन निधि– आपदा के तुरंत बाद राहत कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराना।

3. बीमा और जोखिम प्रबंधन के लाभः

- आर्थिक सुरक्षा और जोखिम न्यूनीकरण।
- पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाना।
- प्रभावित परिवारों और समुदायों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।

4. बीमा के प्रचार के लिए रणनीतियाँः

- स्थानीय समुदायों के साथ साझेदारी करना।
- सरकार और बीमा कंपनियों के बीच सहयोग को मजबूत करना।
- बीमा योजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता फेलाना।

अध्याय 09

आपदा प्रबन्धन कार्ययाजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन (Financial Resources for Implementation of DDMP)

9.1 **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत उत्तराखंड में वित्तीय व्यवस्थाएँ–**भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय व्यवस्थाएँ की गई हैं।उत्तराखंड में इस अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित वित्तीय व्यवस्थाएँ लागू होती हैं:

1. राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1)(A) के तहत यह कोष स्थापित किया गया है।
- इसके दिशा निर्देश धारा 62 के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
- इस कोष का उपयोग केवल चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना और की हमले जैसी आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है।

2. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF)

- धारा 46 के तहत गठित इस कोष के दिशा निर्देश धारा 46(2) के तहत जारी किए गए हैं।
- जब किसी राज्य में आपदा इतनी गंभीर होती है कि SDRF का बजट पर्याप्त नहीं होता, तो NDRF से अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
- इसमें उन्हीं आपदाओं को कवर किया जाता है, जो SDRF में शामिल होत हैं, लेकिन वे केंद्र सरकार द्वारा "गंभीर" मानी जाती हैं।

3. केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes & CSS) के अंतर्गत फ्लेक्सी–फंड

- नीति आयोग द्वारा 17 अगस्त 2016 को जारी निर्देशों के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में फ्लेक्सी–फंड का प्रावधान किया गया है।
- इनफंड्स का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण शमन (MITIGATION) और पुनर्स्थापन (RESTORATION) गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- यह धनराशि उन क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी हो सकती है, जो आंतरिक सुरक्षा संकटों से प्रभावित हैं।

9.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बनाए जाने वाले कोष

9.2.1 जिला आपदा शमन कोष (District Disaster Mitigation Fund)

जिला आपदा शमन कोष एक वित्तीय प्रावधान है जिसे जिला स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण (**Disaster Risk Reduction**) और शमन (**Mitigation**) गतिविधियों के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा के संभावित प्रभावों को कम करने के लिए दीर्घकालिक और सतत उपायों को लागू करना है।

9.2.2 जिला आपदा प्रतिक्रिया कोष (District Disaster Response Fund)

जिला आपदा प्रतिक्रिया कोष एक विशेष निधि है जिसका उद्देश्य आपदा के समय तात्कालिक प्रतिक्रिया कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह कोष आपातकालीन स्थितियों जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, आग आदि के दौरान राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

9.2.3 जिला योजना कोष (District Planning Fund)

जिला योजना कोष का उद्देश्य जिले के विकासात्मक कार्यों और आपदा प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं के लिए धनराशि आवंटित करना है। यह कोष जिले के दीर्घकालिक विकास और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए रणनीतिक योजना बनाने में सहायक होता है।

9.2.4 जिला प्रतिक्रिया कोष (District Response Fund)

जिला प्रतिक्रिया कोष एक तात्कालिक आपातकालीन कोष है जिसका उपयोग आपदा के समय तुरंत आवश्यक राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए किया जाता है।

पूर्व–अनुमोदन (Pre-authorization): जिला कलेक्ट्रर (DC) को आपातकालीन स्थिति में ट्रेजरी से धनराशि निकालने के लिए पूर्व–अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि धनराशि का उपयोग त्वरित और प्रभावी रूप से किया जा सके। इस मुख्य उछेश्य है कि आपदा के तुरंत बाद प्रारंभिक प्रतिक्रिया कार्यों जैसे बचाव कार्य, चिकित्सा सहायता, अस्थायी आश्रय, और आपातकालीन आपूर्ति के लिए धनराशि उपलब्ध कराना।

9.3 आपदा जोखिम बीमा (Disaster Risk Insurance)

आपदा जोखिम बीमा एक वित्तीय उपकरण है जिसका उद्देश्य आपदा के बाद तात्कालिक आर्थिक राहत और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करना है। यह बीमा सरकार, निजी क्षेत्र, और स्थानीय समुदायों को आपदा के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद करता है।

आपदा के समय तात्कालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से किए जा सकें। आपदा के आर्थिक प्रभाव को कम करके विकासात्मक गतिविधियों की पुनर्बहाली को तेज करना।
प्रकारः सार्वजनिक आपदा बीमाः सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे, संपत्ति, और सार्वजनिक सेवाओं के लिए बीमा कवरेज। खेती और कृषि बीमाः किसानों के लिए बीमा योजनाएं जो बाढ़, सूखा, और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को कवर करती हैं। निजी और सामुदायिक बीमाः निजी कंपनियों और स्थानीय समुदायों के लिए अनुकूलित बीमा योजनाएं।

- आपदा के तुरंत बाद तात्कालिक धनराशि की उपलब्धता।
- पुनर्वास कार्यों के लिए वित्तीय भार को कम करना।
- आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रति जागरूकता और तैयारी को बढ़ावा देना।

9.4 टेक्नो–फाइनेंशियल प्रणाली (Techno-Financial Regime) सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण सहायता से आपदा के दौरान हुए भारी नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती।इस समस्या से निपटने के लिए नए वित्तीय साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे–

- कैटास्ट्रॉफिक जोखिम वित्तपोषण (Catastrophe Risk Financing)
- जोखिमबीमा (Risk Insurance)
- कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स (Catastrophe Bonds)
- माइक्रो–फाइनेंस और माइक्रो–इंश्योरेंस,
- पर्यावरण राहत कोष (Environmental Relief Fund), जो लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के तहत स्थापित किया गया था, का उपयोग रासायनिक दुर्घटनाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए किया जाता है।
- आपदा जोखिम बीमा, माइक्रो–इंश्योरेंस, नए बनाए गए घरों की वारंटी, और सुरक्षित निर्माण को होमलोन से जोड़ने जैसी रणनीतियों पर विचार किया जाएगा।

साझेदारियां (Partnership)

ऐसे परियोजनाएं/योजनाएं हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के प्राधिकरण और निजी पक्ष के बीच साझेदारी के माध्यम से वित्तपोषण किया जा सकता है, जिसे पीपीपी मोड (**PPP Mode Funding**) कहा जाता है। इस राज्य में, सरकार, निजी संगठनों और केंद्रीय सरकार मिलकर वित्तीय सहयोग करते हैं।

केंद्रीय रूप से वित्तपोषित योजना (**Centrally Sponsored Scheme**)

योजना का नाम	उद्देश्य	वित्तपोषण व्यवस्थाएं	योजना के अंतर्गत किए जा सकने वाले कार्य	मुख्य एजेंसी
NDRF / NCCF	राहत सहायता	100% केंद्रीय सरकार	नकद और सामग्री राहत	राजस्व विभाग
SDRF (CRF)	राहत सहायता	75%केंद्र, 25% राज्य	नकद और सामग्री राहत	राजस्व विभाग
योजना आयोग (13वां वित्त आयोग)	क्षमता निर्माण	100% केंद्रीय सरकार प्रशिक्षण,	जागरूकता कार्यक्रम, IEC सामग्री, मॉक ड्रिल्स	राजस्व विभाग

9.5 अन्य वित्तीय विकल्प

- DDMA विभिन्न विभागों के साथ मिलकर आपदा के बाद बुनियादी ढांचे और आजीविका की बहाली के लिए अन्य वित्तीय विकल्पों की पहचान करेगा।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) में उपलब्ध फ्लेक्सी फंड का उपयोग आपदा शमन और पुर्नस्थापना कार्यों में किया जाएगा।
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) के तहत आपदा सहनशीलता (Disaster Resilience) को बढ़ाने के लिए निवेश की संभावनाएँ तलाशी जाएँगी।

वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक विभागीय परिसम्पत्तियों में किये गये कार्यो एवं व्यय का विवरण।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि (लाख में)	कार्यो की संख्या	विभागों को आवंटित धनराशि (लाख में)	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2021–22	SDRF	787.50	136	197.89	197.89	589.61
		NON SDRF	200.00	15	182.72	182.72	17.28
		SDMF	100.00	13	100.00	100.00	0.00
2	2022–23	SDRF	800.00	118	174.55	153.97	646.03
		NON SDRF	166.00	29	166.00	166.00	0.00
		SDMF	83.00	10	83.00	83.00	0.00
3	2023–24	SDRF	750.00	389	750.00	750.00	0.00
		NON SDRF	300.00	29	300.00	300.00	0.00
		SDMF	100.00	11	100.00	100.00	0.00
4	2024–25	SDRF	1100.00	551	1100.00	1087.37	12.63
		NON SDRF	400.00	41	400.00	400.00	0.00
		SDMF	145.00	30	256.84	256.84	0.00
5	2025–26	SDRF	900.00	170	400.00	400.00	500.00
		NON SDRF	200.00	13	148.41	148.41	51.59
		SDMF	150.00	10	100.00	100.00	50.00

ANNEXURE

वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य पोषित मद संख्या–15 जिलाधिकारियों हेतु आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुर्ननिर्माण मद (NON-SDRF)में स्वीकृत कार्यो का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम व स्थान	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर में बाजपुर विकास खण्ड के ग्राम पंचायत बरहैनी के ग्राम–झारखण्डी में पुलिया के समीप गडरी नदी का जंगल से आने वाली पानी से पुलिया को जोड़ते हुए अपस्ट्रीम में दोनो ओर पुलिया का कटाव रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य।	झारखण्डी	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	2.31	2.31

लोक निर्माण विभग, रूद्रपुर

क्र. सं.	कार्य का नाम व स्थान	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	दैवी आपदा वर्ष 2020–21 के अर्न्तगत जनपद उधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र गदरपुर में मसीत बहार बजीर सैदलीगंज के कि0मी0 5 में क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनः निमार्ण का कार्य।	गदरपुर	लोक निर्माण विभाग रूद्रपुर	1.77	1.77
2	वित्तीय वर्ष–2020–21 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियां के पुर्ननिर्माण/मरम्मत के अन्तर्गत उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र गदरपुर में सरदारनगर बन्नाखेड़ा मोटर मार्ग के कि0मी0 9 पर आर0आर0सी0 पुल के पहुंच मार्ग की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	लोक निर्माण विभाग रूद्रपुर	4.09	4.09
योगः				**5.86**	**5.86**

सिंचाई खण्ड, सितारगंज।

क्र. सं.	कार्य का नाम व स्थान	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (2020–21) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में स्थित ग्राम टुकड़ी में श्री मन्तर सिंह एवं श्री मोले सिंह के खेत के पास क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनः निर्माण कार्य।	टुकड़ी	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	2.93	2.93
2	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (2020–21) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में स्थित ग्राम बिचुवा में श्री बाबू सिंह एवं श्री मंगल सिंह के खेत के पास क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनः निर्माण कार्य।	बिचुवा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	3.77	3.77
3	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (2020–21) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में स्थित ग्राम बिचुवा में श्री महेन्द्र सिंह एवं श्री बालसुग्रीव के खेत के पास क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनः निर्माण कार्य।	बिचुवा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	2.79	2.79
4	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (2020–21) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में स्थित ग्राम टुकड़ी में श्री छोटे लाल एवं श्रीमती सुब्रा देवी के खेत के पास क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनः निर्माण कार्य।	टुकड़ी	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	3.01	3.01
5	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (2020–21) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में स्थित ग्राम टुकड़ी में श्री मदन सिंह एवं श्री रामदास के खेत के पास क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनः निर्माण कार्य।	टुकड़ी	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	2.93	2.93
6	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (2020–21) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में स्थित ग्राम ध्यानपुर में ध्यानपुर–बरकीडांडी सम्पर्क मार्ग पर स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनः निर्माण का कार्य।	ध्यानपुर	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	3.30	3.30
				18.73	**18.73**

सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर।

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत जगदीशपुर नहर की मरम्मत का कार्य।(रीच–किमी0 5.100 से 5.200 तक)	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	5.63	5.63
2	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अन्तर्गत नन्दपुर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य (रीच कि0मी0 1.350 से कि0मी0 1.485 तक)	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	8.67	8.67
3	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के आदर्शनगर में नहर के किमी0 4.700 से किमी0 4. 750 के मध्य की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.99	1.99
4	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के अन्तर्गत गदरपुर नहर के किमी0 1.250 से 1.300 किमी0 के मध्य क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.95	1.95
5	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के अन्तर्गत आवास विकास कालोनी में गदरपुर नहर के किमी0 1.110 से किमी0 1.160 के मध्य क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.93	1.93
6	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में खजिया नहर के किमी0 0.480 पर क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.99	1.99
			योगः–	**22.16**	**22.16**
			सम्पूर्ण योग	**49.06**	**49.06**

वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य पोषित मद संख्या–11 आपदा न्यूनीकरण निधि मद (SDMF) में स्वीकृत कार्यो का विवरण

लोक निर्माण विभाग, काशीपुर

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में नैनीताल कालाढुंगी बाजपुर दोरोहा मार्ग के किमी0 58 लेवड़ा पुल के पास (शहरी भाग में) आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य।	बाजपुर	लोक निर्माण विभाग, काशीपुर	9.93	9.93

सिंचाई खण्ड, सितारगंज

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत तहसील सितारगंज के कैलाश नदी से ग्राम रसोईयापुर में हो रहे कटाव को रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य। रींच 0.000 किमी0 से 0.100 किमी0 (रसोईयापुर अपस्ट्रीम)	रसोईयापुर	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	9.90	9.90
2	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत तहसील सितारगंज के कैलाश नदी से ग्राम रसोईयापुर में हो रहे कटाव को रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य। रींच 0.100 किमी0 से 0.200 किमी0 (रसोईयापुर डाउन स्ट्रीम)	रसोईयापुर	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	9.90	9.90
3	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत तहसील सितारगंज के कैलाश नदी से ग्राम कौंधारतन में हो रहे कटाव को रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य। रींच कौंधाअशरफ	कौंधारतन	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	9.90	9.90
4	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत तहसील सितारगंज के कैलाश नदी से ग्राम कौंधारतन में हो रहे कटाव को रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य। रींच कौंधारतन	कौंधारतन	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	6.60	6.60
5	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत तहसील सितारगंज के	थारूतिसौर	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	9.90	9.90

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
	कैलाश नदी से ग्राम थारूतिसौर में हो रहे कटाव को रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य। रींच थारूतिसौर				
6	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत तहसील सितारगंज के के ग्राम डोहरा में कैलाश नदी के बाई पास में बाढ़ से हो रहे कटाव को रोकने हेतु बैंक सुरक्षात्मक कार्य। रींच 0.000 से किमी0 0.075 के मध्य 04 स्पर एवं 18 मीटर लम्बाई में बटरसवाल का निर्माण।	डोहरा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	9.91	9.91
7	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अर्न्तगत जनपद उधमसिंह नगर के तहसील सितारगंज में कैलाश नदी के बायें पार्श्व में ग्राम–कनपुरा मटिहा में कटाव को रोकने हेतु बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य। स्पर नं0–04, 05, 06, 07	कनपुरा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	9.98	9.98
8	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अर्न्तगत सितारगंज के ग्राम चीकाघाट में कैलाश नदी के बायें पार्श्व में बाढ़ से हो रहे कटाव को रोकने हेतु बैक सुरक्षात्मक कार्य। किमी0 0.000 से किमी0 0. 100 के मध्य 04 स्पर एवं 38 मीटर लम्बाई में बटरसवाल का निर्माण।	चीकाघाट	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	9.82	9.82
9	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अर्न्तगत जनपद उधमसिंह नगर के तहसील सितारगंज में कैलाश नदी के बायें पार्श्व पर ग्राम–खैराना में कटाव को रोकने हेतु बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।	खैराना	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	3.87	3.87
10	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत ग्राम–उमरूखुर्द में प्रदीप सिंह धामी व पंकज पुनेठा के घर के पास बरसाती नाले से हो रहे भू–कटाव से क्षतिग्रसत गूल व निर्माण कार्य एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य	उमरूखुर्द	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	19.94	19.94
11	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत तहसील सितारगंज के कैलाश नदी से ग्राम नकुलिया में हो रहे कटाव को रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य।	नकुलिया	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	9.90	9.90
12	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत तहसील सितारगंज के निर्मललगी, बैगुल बन्ध से लगभग 63 मी0 दूरी पर सुशान्त श्रीकान्त, संजय मण्डल एवं रवी मण्डल के खेत में बैगुल नदी की बाढ़ से हो रहे कटाव को रोकने हेतु बैक सुरक्षात्मक कार्य।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	9.92	9.92
13	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (2020–21) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में स्थित ग्राम कच्चा खमरिया के समीप बहने वाले नाले की बाढ़ से हो रहे भू–कटाव को रोकने हेतु बैंक सुरक्षात्मक कार्य।(रीच किमी0 0.000 से किमी0 0.050 तक)	खमरिया	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.99	1.99
			योगः	**121.53**	**121.53**

सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर।

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अर्न्तगत विकास खण्ड गदरपुर में गदरपुर हैड रेगुलेटर के समीप खजिया नदी से हुए भूकटाव व हैड रेगुलेटर के संरक्षण का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	9.50	9.50

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रूद्रपुर, उधम सिंह नगर

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम के आवासीय परिसर एवं अतिथि गृह को हल्दी नदी से हो रहे भू–कटाव से रोकने हेतु।	रूद्रपुर	कृषि विभाग	7.66	7.66
			योगः–	**7.66**	**7.66**
			सम्पूर्ण योग	**148.62**	**148.62**

वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य आपदा मोचन निधि मद (SDRF)से स्वीकृत कार्यो का विवरण

लोक निर्माण, रूद्रपुर

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	वित्तीय वर्ष–2020–21 में एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के आवास विकास मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग में पी0सी0 द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	लोक निर्माण, रूद्रपुर	1.29	1.29
				1.29	**1.29**

सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर।

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जाफरपुर नहर की मरम्मत का कार्य।(रीच–कि0मी0 2.800 से 2.850 तक)	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.37	1.37
2	दैवीय आपदा मद के अर्न्तगत विजयनगर नहर की मरम्मत का कार्य। (रींच कि0मी0 5.000 से कि0मी0 5.550 तक)	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.35	1.35
3	दैवीय आपदा मद के अर्न्तगत मोहनपुर फीडर नहर की मरम्मत का कार्य। (रींच कि0मी0 0.500 से कि0मी0 0.550 तक)	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.21	1.21
4	दैवीय आपदा मद के अर्न्तगत दिनेशपुर नहर की मरम्मत का कार्य। (रींच कि0मी0 2.800 से कि0मी0 2.900 तक)	दिनेशपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.40	1.40
5	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत झगड़पुरी नहर की क्षतिगस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य(रींच कि0मी0 4.000 से कि0मी0 4.018 तक)	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.47	1.47
6	दैवीय आपदा मद के अर्न्तगत झगड़पुरी नहर की क्षतिगस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। (रींच कि0मी0 4.018 से कि0मी0 4.036 तक)	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.45	1.45
7	दैवीय आपदा मद के अर्न्तगत ककराला नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। (रींच कि0मी0 0.720 से कि0मी0 0.755 तक)	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48
8	दैवीय आपदा मद के अर्न्तगत नन्दपुर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। (रींच कि0मी0 0.000 से कि0मी0 0.023 तक)	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48
9	दैवीय आपदा मद के अर्न्तगत झगड़पुरी नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। (रींच कि0मी0 2.417 से कि0मी0 2.434 तक)	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.38	1.38
योगः				**12.59**	**12.59**

सिंचाई खण्ड, सितारगंज

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	दैवीय आपदा मद (2020–21) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण पूरनगढ़ माईनर में दायें एवं बायें पार्श्व की क्षतिग्रस्त लाईनिंग का मरम्मत कार्य।रींच किमी0 4.340 से 4.440 किमी0 तक।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.50	1.50
2	दैवीय आपदा मद (2020–21) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण नवेदिया माईनर में दायें एवं बायें पार्श्व की क्षतिग्रस्त लाईनिंग का मरम्मत कार्य। रींच किमी0 0.630 से 0.710 किमी0 तक।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.50	1.50
3	दैवीय आपदा मद वर्ष–2020–21 के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृद्धि के कारण कटना नहर में क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–किमी0 8.362 से किमी0 8.376 एवं किमी0 9.235 से 9.250 किमी0 तक)	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.34	1.34
4	दैवीय आपदा मद वर्ष–2020–21 के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण नवोदिया माईनर में दायें एवं बायें पार्श्व की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच किमी0 2.830 से 2.870 किमी0 तक	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	0.89	0.89
5	दैवीय आपदा मद वर्ष–2020–21 के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण नानकमत्ता नहर में दायें एवं बायें पार्श्व की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी0 1.700 से 1.780 किमी0 तक	नानकमत्ता	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.50	1.50
योगः				**6.73**	**6.73**

सिंचाई खण्ड, काशीपुर

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर विकास खण्ड में चकरपुर माईनर के क्षतिग्रस्त दायें पार्श्व की मरम्मत का कार्य (रीच कि0मी0 0.865 से कि0मी0 0.895 के मध्य)	चकरपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.44	1.44
2	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर विकास खण्ड में चकरपुर माईनर के क्षतिग्रस्त बायें पार्श्व की मरम्मत का कार्य (रीच कि0मी0 0.752 से कि0मी0 0.780 के मध्य)	चकरपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.37	1.37
3	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर विकास खण्ड में चकरपुर माईनर के क्षतिग्रस्त बायें पार्श्व की मरम्मत का कार्य (रीच कि0मी0 0.632 से कि0मी0 0.660 के मध्य)	चकरपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.00	1.00
			योग–	**3.81**	**3.81**
			सम्पूर्ण योग–	**24.42**	**24.42**

वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य पोषित मद संख्या–15 जिलाधिकारियों हेतु आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुर्ननिर्माण मद (NON-SDRF)में स्वीकृत कार्यो का विवरण

सिचाई खण्ड सितारगंज

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत सूखी बन्ध के समीप ग्राम पड़ागावु में बाढ़ सुरक्षा कार्य की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण का कार्य रीच–स्टड नं0–03 व 04	पड़ागाव	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	8.54	8.54
2	जनपद उधम सिंह नगर के विकास खझउ खटीमा में श्रीपुर विचुवा नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग का कार्य कि0मी0 0.980 से 1.050 कि0मी0 तक	श्रीपुर विचुव	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	5.40	5.40
3	जनपद उधम सिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा में खटीमा नहर संख्या 4ए की क्षतिग्रस्त लाईनिंग का कार्य कि0मी0 0.100 से 1.200 कि0मी0 तक	खटीमा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	6.39	6.39
4	दैवीय आपद मद के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण साबेपुर ब्रान्च नहर में क्षतिग्रस्त बैंक की मरम्मत एवं सुदढ़ीकरण कार्य कि0मी0 0480 से कि0मी0 0935 तक	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.93	1.93
5	दैवीय आपद मद के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण कटना नहर में क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। कार्य कि0मी0 3.214 से कि0मी0 3.240 तक	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.99	1.99
6	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड सितारगंज में कैलाश नदी द्वारा क्षतिग्रस्त डोहरी की एससीएस0पी0 के अन्तर्गत बाढ़ सुरक्षा योजना की मरम्मत पुननिर्माण का कार्य	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	9.89	9.89
			योग–	**34.14**	**34.14**

सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत तहसील किच्छा में अतिवृष्टि के कारण हसली नदी में नमक फैक्ट्री के पास आवागमन हेतु बाढ़ से क्षतिग्रस्त कॉजवे से होते हुए ग्राम रकवीर नगर एवं किच्छा बैराज को जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क में ई.सी. बैग एवं मिट्टी भरान का कार्य। लम्बाई 17.00 मी0	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	5.76	5.76
2	आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के श्यामनगर नहर के क्षतिग्रस्त जलसेतु की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	8.00	8.00
3	आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में खजिया नहर के कुलावा संख्या–11 की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	6.87	6.87
4	आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में ग्राम गुरूनानकपुर में खजिया नहर के क्षतिग्रस्त दिवार व बैड की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	9.17	9.17
5	आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में ग्राम सभा खेमपुर की ककराला नहर पर क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	4.94	4.94
6	आपदा न्यनीकरण मद के अन्तर्गत दिनेशपुर नहर की मरम्मत का कार्य। रीच–किमी0 2.460 से 2.700 तक	दिनेशपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	9.48	9.48
7	आपदा न्यनीकरण मद के अन्तर्गत बुक्सौरा बाया नहर की मरम्तत का कार्य। रीच–किमी0 0.400 से 0.450 तक)	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	2.00	2.00
8	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में चमनगंज हैड रेगुलेटर के समीप खजिया नदी से हुए भू–कटाव व रेगुरेटर के संरक्षण का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	7.86	7.86
9	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में चमनगंज नहर के क्षतिग्रस्त एब्युटमैंट व बैड की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	8.88	8.88
10	राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में ग्राम हरिपुरा तौक में बरसाती नाले से हो रहे भू–कटाव एवं झाल की सुरक्षा का कार्य।	हरिपुरा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	9.83	9.83
11	राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में नन्दपुर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी0 1.485 से कि0मी0 1.689	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	9.92	9.92
12	राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में कुलवन्तनगर नहर के कि0मी0 1.500 से आगे क्षतिग्रस्त दीवार व बैड की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	6.95	6.95
13	राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में आर्यनगर नहर के कि0मी0 0.010 से 0.795 के मध्य व कि0मी0 2. 300 से आगे क्षतिग्रस्त दीवार व बैड की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	7.23	7.23
			योग–	**96.89**	**96.89**

सिंचाई खण्ड, काशीपुर

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	दैवीय आपदा (राज्य आपदा निधि) के अन्तर्गत चाँदपुर माइनर नहर के क्षतिग्रस्त साईफन की सुरक्षा एवं मरम्मत का कार्य।	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	7.24	7.24
2	दैवीय आपदा (राज्य आपदा निधि) के अन्तर्गत तुमरिया बहल्ला फीडर के दायें पार्श्व में साईफन के सुरक्षा हेतु बने क्षतिग्रस्त सी0सी0 स्पर के मरम्मत का कार्य। (रीच स्पर संख्या– 5)	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	7.51	7.51
3	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) मद के अन्तर्गत जसपुर विकास खण्ड में फीका नदी से ग्राम राजपुर को बचाने हेतु बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य। (रीच ग्राम राजपुर में फीका नदी के दॉये बैंक पर) लम्बाई 0.00 मी0 से 35.00 मी0 के मध्य में।	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	9.48	9.48
4	राज्य आपद मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) मद के अन्तर्गत काशीपुर विकास खण्ड में ढेला नदी से ढेला बस्ती को बचाने हेतु बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य। रीच नदी के बाये पार्श्व पर ढेला बस्ती के पास अनुमानित लागत रू0 9.82 लाख	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	9.82	9.82
5	राज्य आपद मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) मद के अन्तर्गत काशीपुर विकास खण्ड में ढेला नदी से रहमत नगर को बचाने हेतु बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य। रीच ढेला नदी के बाये पार्श्व रहमत नगर के पास अनुमानित लागत रू0 9.72 लाख	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	9.72	9.72
			योग–	**43.77**	**43.77**

लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र किच्छा में बण्डिया भट्टा मार्ग के कि0मी0 02 में हसूली नदी (बेनी नदी) पर अस्थाई मार्ग व ह्यूम पाईप द्वारा कोजवे का निर्माण कार्य।	किच्छा	लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर	7.92	7.92
				7.92	**7.92**
				182.72	**182.72**

वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य पोषित मद संख्या–11 आपदा न्यूनीकरण निधि मद (SDMF) में स्वीकृत कार्यो का विवरण

सिंचाई विभाग, सितारगंज

क्र सं	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
01	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत सितारगंज के शक्तिफार्म क्षेत्र के राजनगर में बैगुल नदी से हो रहे कटाव को रोकने हेतु बैंक सुरक्षात्मक कार्य।	शक्तिफार्म	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	7.73	7.73
02	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत सितारगंज के कोटाफार्म में बैगुल नदी से हो रहे कटाव को रोकने हेतु बैंक सुरक्षात्मक कार्य।	कोटाफार्म	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	7.50	7.50
03	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में कैलाश नदी से ग्राम झुकहा में हो रहे कटाव को रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य।	झुकहा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	8.45	8.45
04	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत तहसील खटीमा के ग्राम मझौला में मझौला नाले का चैनेलाईजेशन का कार्य।	मझौला	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	3.06	3.06
05	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत तहसील खटीमा के ग्राम–नगला तराई में पूर्व माध्यमिक विद्यालय (काला पुल) से तालाब तक नाला चैनेलाईजेशन एवं बाढ़ सुरक्षा का कार्य।	नगला तराई	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	4.86	4.86
06	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत तहसील खटीमा के ग्राम भूड़ महोलिया में गोपाल सिंह के खेत पर बरसाती नाले से हो रहे भू–कटाव रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य।	भूड़ महोलिया	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	6.28	6.28
07	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत तहसील खटीमा के ग्राम बरी अंजनिया के टेडाघाट में लोहिया नाले से हो रहे भू–कटाव रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य।	बरी अंजनिया	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	4.25	4.25
08	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत सितारगंज के कैलाश नदी क बायें पार्श्व में स्थित ग्राम कनपुरा– मटिहा में काश्तकार श्री शत्रुघन सिंह के खेत के पास भूमि कटाव को रोकने हेतु बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।	कनपुरा– मटिहा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	9.87	9.87
09	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत सितारगंज के ग्रामसभा डोहरा के पथरियाफार्म क्षेत्र में रूढ़ सिंह एवं बलविन्दर सिंह के खेत में कैलाश नदी की बाढ़ से हो रहे कटाव को रोकने हेतु बैंक सुरक्षात्मक कार्य।	डोहरा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	9.89	9.89
			योग–	**61.89**	**61.89**

सिंचाई विभाग, रूद्रपुर

क्र सं	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
01	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में गदरपुर हैड रेगुलेटर के समीप ठंडी नदी के बांये पार्श्व पर हुए भू–कटाव व रेगुरेटर के संरक्षण का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	8.87	8.87
02	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में भमरौला हैड रेगुलेटर के डाउन स्ट्रीम में हल्दी नदी से बायें पार्श्व में भू–कटाव व रेगुलेटर के संरक्षण का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	9.78	9.78
03	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत विकास खण्ड रूद्रपुर में जगदीशपुर हैड के अपस्ट्रीम में कागरसेन नदी से हुए भू–कटाव के संरक्षण का कार्य।	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	9.50	9.50
04	राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के सरदार नगर ग्राम के पीछे निहाल नदी से भू–कटाव रोकने हेतु सी0सी0 ब्लाक का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	9.96	9.96
			योग–	**38.11**	**38.11**
			सम्पूर्ण योग–	**100**	**100**

वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य आपदा मोचन निधि मद (SDRF)से स्वीकृत कार्यो का विवरण
सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की खजिया नहर पर क्षतिग्रस्त पुलिया व दिवार की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
2	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम दौलतगंज में नहर के कि0मी0 0.800 से 0.900 के मध्य क्षतिग्रस्त दिवार व बैड की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.46	1.46
3	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की ग्राम सभा धनपुर विजयपुर में नहर के कि0मी0 6.150 से 6.250 के मध्य क्षतिग्रस्त फॉल व दिवार की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
4	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम महावीरनगर में नहर के कि0मी0 3.100 से 3.200 के मध्य क्षतिग्रस्त दिवार व बैड की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
5	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में चमनगंज नहर के कि0मी0 3.700 से 3.800 के मध्य क्षतिग्रस्त दिवार व बैड की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
6	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत रामसागर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी0 0.180 से 0.215 कि0मी0 तक	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.41	1.41
7	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत करीम बक्श नं0 2 नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी01.035 से 1.070 कि0मी0 तक	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.40	1.40
8	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत सरोमन नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत कार्य। रीच–कि0मी0 0.650 से 0.683 तक	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
9	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत फतेहगंज नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी0 1.020 से 1.054 कि0मी तक	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.46	1.46
10	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत अपर भाखड़ा नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी0 0.600 से 0.630 कि0मी0 तक	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48
11	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत झगड़पुरी नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। कार्य। रीच–कि0मी0 5.193 से 5.233 कि0मी0 तक	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.43	1.43
12	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत बलखेड़ा नहर की क्षतिग्रसत लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। कार्य। रीच–कि0मी0 0.825 से 0.860 कि0मी0 तक	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.44	1.44
13	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत गदरपुर विकास खण्ड की ककराला नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। कार्य। रीच–कि0मी0 2.513 से 2.528 कि0मी0 तक	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48
14	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत नन्दपुर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी0 0.385 से 0.450 कि0मी0 तक	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48
15	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में ठण्डी नदी से चमनगंज पुल के अपस्ट्रीम में नदी के क्षतिग्रस्त बैंक की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
16	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत बुक्सौरा बांया नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच कि0मी0 1.110 से 1.170 कि0मी0 तक	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
17	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के धनपुर विजयपुर में नहर जलसेतु के बांया पार्श्व की क्षतिग्रस्त दिवार की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
18	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की खजिया नहर के कि.मी. 4.600 से 4.630 के मध्य क्षतिग्रस्त दिवार की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.44	1.44
19	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की लोअर भाखड़ा नहर के कि.मी. 2.400 से 2.450 के मध्य क्षतिग्रस्त दिवार की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.44	1.44
20	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की गदरपुर नहर के कि.मी. 3.300 से 3.335 के मध्य क्षतिग्रस्त दिवार की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
21	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की मुकन्दपुर नहर के कि.मी. 2.200 से 2.250 के मध्य क्षतिग्रस्त दिवार की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.47	1.47
22	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की कुलवन्तनगर नहर के कि.मी. 1.800 से 1.850 के मध्य क्षतिग्रस्त दिवार की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.46	1.46
23	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की आर्यनगर नहर के कि.मी. 2.000 से 2.050 के मध्य क्षतिग्रस्त दिवार की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.44	1.44
24	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की श्याम नगर नहर पर क्षतिग्रस्त पुलिया व नहर की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
25	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की रामजीवनपुर नहर के कि.मी. 3.200 से 3.250 के मध्य क्षतिग्रस्त दिवार की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.44	1.44
26	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत तहसील किच्छा में अतिवृष्टि के कारण हसली नदी में नमक फैक्ट्री के पास आवागमन हेतु बाढ़ से क्षतिग्रस्त कॉजवे के डाउन स्ट्रीम साइड अस्थाई सुरक्षात्मक कार्य। लम्बाई 51 मी0	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
27	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत झगड़पुरी नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। (रीच–कि0मी0 6.550 से कि0मी0 6.630 तक)	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.44	1.44
28	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत बलखेडा नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। (रीच–कि0मी0 0.00 से कि0मी0 0.050 तक)	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48
29	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत रामसागर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। (रीच–कि0मी0 0.235 से कि0मी0 0.260 तक)	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.47	1.47

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
30	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत नन्दपुर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। (रीच–कि0मी0 0.750 से कि0मी0 0.850 तक)	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
31	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत आनन्दखेड़ा दांया नहर की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 0.500 से 0.530 कि.मी. तक	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.46	1.46
32	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत ग्राम मोहनपुर 01 में मोहनपुर नहर पर पुलिया निर्माण का कार्य।	मोहनपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48
33	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के बुक्सा माइनर नहर जलसेतु की क्षतिग्रस्त दीवार की मरममत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
34	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की श्यामनगर नहर के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 0.050 के मध्य क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48
35	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत गदरपुर विकास खण्ड के जगदीशपुर हैड रेगूलेटर पर क्षतिग्रस्त गेटों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48
36	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत गदरपुर विकास खण्ड के कागरसेन हैड रेगूलेटर पर क्षतिग्रस्त गेटों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.47	1.47
37	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत खानपुर पूर्व नहर की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 2.700 से 2.750 कि.मी. तक	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.46	1.46
38	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जाफरपुर नहर पर नरपत नगर रोड के सामने नहर पर पुलिया निर्माण का कार्य।	जाफरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
39	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत देवरिया नहर की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 0.000 से कि.मी. 1.500 तक	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.44	1.44
40	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत दरऊ नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 0.010 से कि.मी. 0.040 तक	दरऊ	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.45	1.45
41	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत तहसील किच्छा में अतिवृष्टि के कारण बरा नहर में क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 1. 306 से कि.मी. 1.324 तक	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
42	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत तहसील किच्छा में अतिवृष्टि के कारण शहदौरा नहर पर क्षतिग्रस्त दायें पार्श्व में कृषक शमशेर सिंह एवं कुलवन्त के खेत के पास ई.सी. बैग लगाने एवं मिट्टी भरान का कार्य। रीच–कि.मी. 1.805 से कि.मी. 1.811, कि.मी. 1.820 से कि.मी. 1.828 एवं कि.मी. 1.509 से कि.मी. 1.518 तक	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
43	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत ककराला नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 2.570 से 2.585 कि.मी. तक।	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
44	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत गिरधरनगर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 3.120 से 3.160 कि.मी. तक।	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.43	1.43
45	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जुनार नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 0.600 से 0.700 कि.मी. तक।	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.44	1.44
46	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विशनपुर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 0.000 से 0.050 कि.मी. तक।	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.47	1.47

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
47	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत गदरपुर कैनाल कालोनी के आवासीय परिसर की क्षतिग्रस्त चाहर दीवारी की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 0.000 से कि0मी0 0.032	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.46	1.46
48	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत किच्छा नहर के क्षतिग्रस्त बैंकों की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 1.100 से कि.मी. 2.00 तक	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.43	1.43
49	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत मलसी नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 3.000 से कि.मी. 3.044 तक	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
50	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत कोटा नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 0.150 से कि.मी. 0.194 तक	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
51	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत भमरौला नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 0.000 से कि.मी. 0.009 तक	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
52	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत श्रीपुर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 2.500 से कि.मी. 2.550 तक	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
53	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत समदपुरी नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 4.980 से कि.मी. 4.999 तक	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
54	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत फतेहपुरी नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 1.500 से कि.मी. 1.519 तक	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.47	1.47
55	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत फुलसुंगा नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 1.350 से कि.मी. 1.394 तक	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
56	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत गंगापुर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 0.650 से कि.मी. 0.669 तक	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
57	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत बरौर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 0.000 से कि.मी. 0.019 तक	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.47	1.47
58	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत कनकपुर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 2.080 से कि.मी. 2.099 तक	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
59	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत बगवाड़ा नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी0 0.000 से कि0मी0 0.036 तक	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
60	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत रूद्रपुर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी0 0.000 से कि0मी0 0.036 तक	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
61	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत मलसा नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। (रीच–कि0मी0 0.877 से कि0मी0 0.923 तक)	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.29	1.29
62	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत तहसील रूद्रपुर में अतिवृष्टि के कारण दानपुर फीडर के क्षतिग्रस्त दांये पार्श्व में पूरन के घर के पास सी0ई0बैग लगाने एवं मिट्टी भरान का कार्य।	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	0.58	0.58

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
63	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विजयनगर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 3.500 से 3.650 कि.मी. तक	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
64	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जाफरपुर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 2.900 से 2.930 कि.मी. तक	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
65	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जगदीशपुर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 0.550 से 0.600 कि.मी. तक	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48
66	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत दिनेशपुर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 2.150 से 2.200 कि.मी. तक	दिनेशपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.47	1.47
67	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत मोहनपुर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 0.150 से 0.180 कि.मी. तक	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
68	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत बलखेड़ा नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 2.400 से 2.450 कि.मी. तक	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48
69	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत नन्दपुर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 1.690 से 1.720 कि.मी. तक	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
			योग–	**100.56**	**100.56**

सिंचाई खण्ड, काशीपुर

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर विकास खण्ड में चकरपुर माईनर के क्षतिग्रस्त वॉये पार्श्व की मरम्मत का कार्य। रीच किमी0 0.720 से किमी0 0.750 किमी0 के मध्य	बाजपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.49	1.49
2	दैवीय आपदा (राज्य आपदा निधि) के अन्तर्गत तुमरिया बहल्ला फीडर के बायें पार्श्व में साईफन के सुरक्षा हेतु बने क्षतिग्रस्त स्पर के मरम्मत का कार्य। (रीच स्पर संख्या – 1)	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.50	1.50
3	दैवीय आपदा (राज्य आपदा निधि) के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त धनौरी सप्लाई चैनल की मरम्मत का कार्य। (रीच– किमी0 0.000 से किमी0 0.250 तक विभिन्न रीचों में)	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.50	1.50
4	दैवीय आपदा (राज्य आपदा निधि) के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त द्रोणासागर राजवाहा की मरम्मत का कार्य। (रीच– किमी0 0.910 से किमी0 4. 350 तक विभिन्न रीचों में)	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.50	1.50
5	दैवीय आपदा (राज्य आपदा निधि) के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त खरमासा माइनर की मरम्मत का कार्य। (रीच– किमी0 0.000 से किमी0 1.000 के मध्य)	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.50	1.50
6	दैवीय आपदा (राज्य आपदा निधि) के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त ढकिया माइनर की मरम्मत का कार्य। (रीच– किमी0 0.000 से किमी0 1.500 के मध्य)	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.50	1.50
7	दैवीय आपदा (राज्य आपदा निधि) के अन्तर्गत जुड़का सप्लाई चैनल में सिल्ट/मलवा सफाई का कार्य। (रीच– किमी0 2.800 से किमी0 3. 134 के मध्य)	काशीपुर	सिंचाई खण्ड,	1.50	1.50
8	दैवीय आपदा (राज्य आपदा निधि) के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त लेबड़ा माइनर की मरम्मत का कार्य। (रीच– किमी0 0.000 से किमी0 0.700 के मध्य)	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.50	1.50
9	दैवीय आपदा के अन्तर्गत विकास खण्ड काशीपुर में कुण्डेश्वरी राजवाहा के बायें पार्श्व पर क्षतिग्रस्त लाईनिंग का कार्य। (रीच– किमी0 7.100 से किमी0 7.250 के मध्य)	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.49	1.49

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
10	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर विकास खण्ड में चनकपुर माइनर के क्षतिग्रस्त दाये पार्श्व की मरम्मत का कार्य। रीच– किमी0 1.900 से किमी0 2.000 के मध्य।	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.39	1.39
11	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर विकास खण्ड में कचनाल माइनर के क्षतिग्रस्त दाये पार्श्व की मरम्मत का कार्य। रीच– किमी0 1.100 से किमी0 1.200 के मध्य।	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.39	1.39
12	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर विकास खण्ड में महादेव राजवाहा के क्षतिग्रस्त दाये पार्श्व की मरम्मत का कार्य। रीच– किमी0 1.680 से किमी0 1.710 के मध्य।	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.30	1.30
13	चन्दनपुरा माइनर के क्षतिग्रस्त दायें पार्श्व की मरम्मत का कार्य। रीच कि0मी0 4.600 से कि0मी0 5.000 के मध्य ।	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.49	1.49
14	रामनगरमाइनर के क्षतिग्रस्तदायें एवंबायेंपार्श्व की मरम्मत का कार्य।रीच कि0मी0 1.010 से कि0मी0 1.035 के मध्य।	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.49	1.49
15	केलाखेड़ा माइनर के क्षतिग्रस्त दायें पार्श्व की मरम्मत का कार्य। रीच कि0मी0 0.175 से कि0मी0 0.200 तक	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.49	1.49
16	बद्रीपुर माइनर के क्षतिग्रस्त बायें पार्श्व की मरम्मत का कार्य। रीच कि0मी0 6.900 से कि0मी0 6.937 के मध्य	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.49	1.49
17	मुण्डिया पिस्तौर माइनर के क्षतिग्रस्त दायें पार्श्व की मरम्मत का कार्य। रीच कि0मी0 4.200 से कि0मी0 4.400 के मध्य ।	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.49	1.49
18	तेलीपुरा माइनर के क्षतिग्रस्त दायें पार्श्व की मरम्मत का कार्य। रीच कि0मी0 7.010 से कि0मी0 7.040 के मध्य ।	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.49	1.49
19	चकरपुर माइनर के हैड पर बने झाल/चैक डैम की क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत का कार्य।	चकरपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.49	1.49
20	संडीला माइनर के क्षतिग्रस्त बायें पार्श्व की मरम्मत का कार्य। रीच कि0मी0 0.100 से कि0मी0 0.200 के मध्य ।	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.49	1.49
21	आल्हापुर माइनर के क्षतिग्रस्त दोनों पाश्वों की मरम्मत का कार्य। रीच कि0मी0 2.600 से कि0मी0 2.650 के मध्य।	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.49	1.49
22	गुमसानी (पूर्व) माइनर के क्षतिग्रस्त हैड/झाल की मरम्मत का कार्य।	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.45	1.45
23	खम्बारी माइनर के क्षतिग्रस्त दायें पार्श्व की मरम्मत का कार्य। रीच कि0मी0 1.675 से कि0मी0 1.700 के मध्य।	खम्बारी	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.25	1.25
24	मजरापच्चू (पूर्व) माइनर के क्षतिग्रस्त दायें पार्श्व की मरम्मत का कार्य। रीच कि0मी0 1.230 से कि0मी0 1.260 के मध्य ।	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.50	1.50
25	मुरादाबाद माइनर के क्षतिग्रस्त दायें एवं बायें पार्श्व की मरम्मत का कार्य। रीच कि0मी0 4.719 से कि0मी0 4.728 के मध्य तक ।	काशीपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.49	1.49
26	पीपलगांव माइनर के क्षतिग्रस्त दायें एवं बायें पार्श्व की मरम्मत का कार्य। रीच कि0मी0 2.000 से कि0मी0 2.100 के मध्य तक।	पीपलगांव	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.30	1.30
27	कट्टैया माइनर के क्षतिग्रस्त दायें पार्श्व की मरम्मत का कार्य। रीच कि0मी0 0.670 से कि0मी0 0.700 के मध्य तक।	पीपलगांव	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.47	1.47

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
28	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर विकासखण्ड में कासमपुर राजवाहा की लाईनिंग की पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य। (रीच किमी0 0.300 से 0.400 के मध्य में)	जसपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.50	1.50
29	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर विकासखण्ड में हल्दुआ माइनर की लाईनिंग की पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य। (रीच किमी0 0.600 से 0.750 के मध्य में)	जसपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.50	1.50
30	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर विकासखण्ड में सूरजपुर माइनर की लाईनिंग की पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य। (रीच किमी0 2.400 से 2.500 के मध्य में)	जसपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.31	1.31
31	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर विकासखण्ड में महुआडाबरा माइनर की लाईनिंग की पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य। (रीच किमी0 0.250 से 0.300 के मध्य में)	जसपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.50	1.50
32	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर विकासखण्ड में सुरजनगर राजवाहा की लाईनिंग की पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य। (रीच किमी0 2.700 से 2.750 के मध्य में)	जसपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.50	1.50
33	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर विकासखण्ड में किशनपुर माइनर की लाईनिंग की पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य। (रीच किमी0 0.800 से 0.900 के मध्य में)	जसपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.50	1.50
34	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर विकासखण्ड में टी0ई0एम0सी0 की बॉये भाग की लाईनिंग की पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य। (रीच किमी0 7.700 से 7.750 के मध्य में)	जसपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.48	1.48
35	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर विकास खण्ड में करनपुर राजवाहा की लाईनिंग की पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य। किमी0 0.400 से 0.450 के मध्य में	जसपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.48	1.48
36	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर विकास खण्ड में दुर्गापुर राजवाहा की लाईनिंग की पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य। किमी0 0.200 से 0.300 के मध्य में	जसपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.50	1.50
37	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर विकास खण्ड में बाबरखेड़ा नहर की लाईनिंग की पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य। किमी0 3.800 से 3.900 के मध्य में	जसपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.50	1.50
38	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर विकास खण्ड में रामजीवनपुर नहर की लाईनिंग की पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य। किमी0 1.100 से 1.200 के मध्य में	जसपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.50	1.50
39	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर विकास खण्ड में लालपुर नहर की लाईनिंग की पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य। किमी0 0.400 से 0.500 के मध्य में	जसपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.50	1.50
40	दैवीय आपदा (राज्य आपदा निधि) के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र जसपुर में फीका बैराज के अपस्ट्रीम में फीका नदी के बायें पार्श्व की मरम्मत का कार्य।	जसपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1.30	1.30
			योग–	**58.50**	**58.50**

सिंचाई खण्ड, सितारगंज

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा में खटीमा नहर संख्या–3ए की क्षतिग्रस्त लाईनिंग का कार्य। (रीच–0. 250 से 0.271 किमी0)	खटीमा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.48	1.48
2	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा में नहर संख्या–04 की क्षतिग्रस्त लाईनिंग का कार्य। (रीच–1.870 से 1.888 किमी0)	खटीमा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.49	1.49
3	दैवीय आपदा मद (2021–22) के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा के ग्राम–तिगरी में नहर संख्या–3ए की क्षतिग्रस्त लाईनिंग का कार्य।	खटीमा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.49	1.49
4	दैवीय आपदा मद वर्ष–2021–22 के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण नवोदिया माईनर में दायें एवं बायें पार्श्व की क्षतिग्रस्त लाईनिंग का मरम्मत कार्य। रीच–कि0मी0 0.210 से 0.250 कि0मी0 एवं कि0मी0 0.380 से 0.430 कि0मी0 तक।	खटीमा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.50	1.50
5	दैवीय आपदा मद वर्ष–2021–22 के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण नानकमत्ता नहर में दायें एवं बायें पार्श्व की क्षतिग्रस्त लाईनिंग का मरम्मत कार्य। रीच–कि0मी0 1.990 से 2.040 कि0मी0 तक।	नानकमत्ता	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.50	1.50
6	दैवीय आपदा मद वर्ष–2021–22 के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण पूरनगढ़ माईनर में दायें एवं बायें पार्श्व की क्षतिग्रस्त लाईनिंग का मरम्मत कार्य। रीच–कि0मी0 0.050 से 0.070 कि0मी0 तक, कि0मी0 0.350 से 0.380 कि0मी0 तक एवं कि0मी0 2.105 से 2.115 कि0मी0 तक।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.49	1.49
7	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत तहसील सितारगंज शक्तिफार्म क्षेत्र के सूखी बन्ध विस्तार का कार्य। रीच–0.680 कि0मी0 से 1.100 कि0मी0 तक।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.49	1.49
8	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में क्षतिग्रस्त अपर बैगुल नहर की मरम्मत का कार्य। रीच–12.900 कि0मी0 से 12.930 कि0मी0 तक।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.48	1.48
9	दैवीय आपदा के अन्तर्गत तहसील सितारगंज पडागॉव में क्षतिग्रस्त स्टड की मरम्मत का कार्य। रीच–स्टड नं0–1	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.47	1.47
10	दैवीय आपदा के अन्तर्गत तहसील सितारगंज के ग्राम कौंधाअसरफ में क्षतिग्रस्त विभागीय स्टड की मरम्मत का कार्य। स्टड नं0–1	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.49	1.49
11	दैवीय आपदा के अन्तर्गत तहसील सितारगंज के ग्राम बिज्टी में क्षतिग्रस्त विभागीय स्टड की मरम्मत का कार्य। स्टड नं0–1	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.47	1.47
12	दैवीय आपदा के अन्तर्गत तहसील सितारगंज के ग्राम तुर्कातिसौर में क्षतिग्रस्त विभागीय स्टड की मरम्मत का कार्य। स्टड नं0–1	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.49	1.49

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
13	दैवीय आपदा मद (वर्ष–2021–22) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण कटना नहर में क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच कि0मी0 4.325 से कि0मी0 4.360 के मध्य	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.49	1.49
14	दैवीय आपदा मद (वर्ष–2021–22) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण बसगर नहर में क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी0 2.400 से कि0मी0 2.410 के मध्य	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	0.90	0.90
15	दैवीय आपदा मद (वर्ष–2021–22) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण भुड़िया नहर में क्षतिग्रस्त बैंक की मरम्मत का कार्य।रीच–कि0मी0 4.710 से कि0मी0 4.725 के मध्य	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.50	1.50
16	दैवीय आपदा मद (वर्ष–2021–22) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण दौंदा नहर में क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी0 0.405 से कि0मी0 0.435 के मध्य	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.44	1.44
17	दैवीय आपदा मद (वर्ष–2021–22) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में ग्राम सलमती में कैलाश नदी की बाढ से क्षतिग्रस्त बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य (स्पर) की मरम्मत का कार्य। रीच–स्पर नं0– 06	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.48	1.48
18	दैवीय आपदा मद (2021–2022) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण पूरनगढ़ माईनर में दायें एवं बायें पार्श्व की क्षतिग्रस्त लाईनिंग का मरम्मत कार्य। रीच कि0मी0 4.810 से 4.920 कि0मी0।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.49	1.49
19	दैवीय आपदा मद (2021–2022) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण नवोदिया माईनर में दायें एवं बायें पार्श्व की क्षतिग्रस्त लाईनिंग का मरम्मत कार्य। रीच कि0मी0 1.520 से 1.580 कि0मी0।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.49	1.49
20	दैवीय आपद मद के अन्तर्गत तहसील सितारगंज के बैगुल मार्जिनल बन्ध दायां पार्श्व के विभिन्न रीचों में मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण का कार्य। रीच–0.590 कि0मी से 0.700 कि0मी0 तक	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.38	1.38
21	दैवीय आपद मद के अन्तर्गत तहसील सितारगंज शक्तिफार्म क्षेत्र के बैगुल बन्ध दांया पार्श्व के विभिन्न रीचों में मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण का कार्य। रीच–5. 125 कि0मी0 से 5.950 कि0मी0 तक	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.44	1.44
22	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में क्षतिग्रस्त सिसैया नहर के विभिन्न रीचों में मरम्मत कार्य। रीच–0.900 कि0मी0 से 1.100 कि0मी0 तक	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.48	1.48
23	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में क्षतिग्रस्त अपर बैगुल नहर के विभिन्न रीचों में मरम्मत कार्य एवं पुर्ननिर्माण का कार्य। रीच–11.800 कि0मी0 से 12.000 कि0मी0 तक	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.47	1.47
24	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में क्षतिग्रस्त मैनाझुण्डी नहर के विभिन्न रीचों में मरम्मत कार्य एवं पुर्ननिर्माण का कार्य। रीच–1.650 कि0मी0 से 1.670 कि0मी0 तक	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.42	1.42

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
25	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत चीकाघाट नहर की मरम्मत का कार्य। रीच–3.870 कि0मी0 से 3.955 कि0मी0 तक	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.39	1.39
26	दैवीय आपदा मद (2021–22) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण भुड़िया नहर में क्षतिग्रस्त बैंक की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। रीच–कि0मी0 3.800 से कि0मी0 3.850 के मध्य	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.48	1.48
27		सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.14	1.14
योग–				**38.83**	**38.83**
सम्पूर्ण योग–				**197.89**	**197.89**

वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य पोषित मद संख्या–15 जिलाधिकारियों हेतु आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुर्ननिर्माण मद (NON-SDRF)में स्वीकृत कार्यो का विवरण

सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर।

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
01	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की ठण्डी नदी पर स्थित गदरपुर हैड रेगुलेटर के क्षतिग्रस्त बैकों का सुरक्षात्मक का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	9.98	9.98
02	राज्य आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत गदरपुर विकास खण्ड के मरघटाई के समीप नहर पर क्षतिग्रस्त पुलिया व नहर की मरम्मत का कार्य ।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	4.07	4.07
03	राज्य आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत गदरपुर विकास खण्ड के आदर्षनगर ग्राम में खजिया नहर पर क्षतिग्रस्त पुलिया व नहर की मरम्मत का कार्य ।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	4.00	4.00
04	राज्य आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत गदरपुर विकास खण्ड के ग्राम तिलपुरी न01 में नहर के किमी0 1.900 पर क्षतिग्रस्त पुलिया व दिवार की मरम्मत का कार्य ।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	3.87	3.87
05	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त बरा नहर की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी0 3.500 से 3.680 कि0मी0 तक	किच्छा	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	9.88	9.88
06	राज्य आपदा न्यूनीकरण (नॉन एस0डी0आर0एफ0) निधि मद के अन्तर्गत भमरौला हैड रेगुलेटरकी सुरक्षा हेतु पिचिंग का कार्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	9.76	9.76
07	राज्य आपदा न्यूनीकरण (नॉन एस0डी0आर0एफ0) निधि मद के अन्तर्गत ग्राम बरा में क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	9.68	9.68
08	राज्य आपदा न्यूनीकरण (नॉन एस0डी0आर0एफ0) निधि मद के अन्तर्गत ग्राम किच्छा शहर की आबादी को बचाने हेतु गोला नदी के किनारे सुरक्षात्मक कार्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	9.84	9.84
09	राज्य आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की भाखड़ा नहर पर क्षतिग्रस्त पुलिया व विगं दिवार की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	3.66	3.66
10	राज्य आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की चमनगजं नहर पर क्षतिग्रस्त पुलिया व विगं दिवार की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	3.45	3.45
11	राज्य आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के दौलतगजं में नहर पर क्षतिग्रस्त पुलिया व विगं दिवार की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	3.30	3.30
12	राज्य आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के गोविन्दपुर में नहर पर क्षतिग्रस्त पुलिया व विगं दिवार की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	3.15	3.15
13	राज्य आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के गुरुनानकपुर में नहर पर क्षतिग्रस्त पुलिया व विगं दिवार की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	3.24	3.24

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
14	राज्य आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के कोपा सिघंल में फीडरनहर पर क्षतिग्रस्त पुलिया व विगं दिवार की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	2.89	2.89
15	राज्य आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के महावीरनगर में नहर पर क्षतिग्रस्त पुलिया व विगं दिवार की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	3.12	3.12
16	राज्य आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की बुक्सा नहर पर क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	3.76	3.76
17	राज्य आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के सतोंशनगर में नहर पर क्षतिग्रस्त पुलिया व विगं दिवार की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	3.33	3.33
18	**राज्य आपदा न्यूनीकरण (नॉन एस0डी0आर0एफ0) मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम आदर्शनगर में खजिया नदी से हुए कटाव का बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।**	**गदरपुर**	**सिंचाई खण्ड रूद्रपुर**	**9ण्09**	**9ण्09**
19	राज्य आपदा न्यूनीकरण (नॉन एस0डी0आर0एफ0) मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम धनपुर विजयपुर ठंडी नदी से हुए कटाव का बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	8.75	8.75
20	राज्य आपदा न्यूनीकरण (नॉन एस0डी0आर0एफ0) मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के एन0एच0 74 बाईपास के समीप निहाल नदी से हुए कटाव का बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	8.84	8.84
21	राज्य आपदा न्यूनीकरण (नॉन एस0डी0आर0एफ0) मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम बरीराई में जल भराव तथा भूमि के कटाव की सुरक्षात्मक कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	9.84	9.84
			योग	**127.50**	**127.50**

सिंचाई खण्ड, सिंतारगंज

क्र.सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत तहसील खटीमा के ग्राम छिन्की में चौसाली पट्टी के मुख्य आवागमन मार्ग में लोहया नालें की बाढ़ से हो रहे भू–कटाव को रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य।	खटीमा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	6.10	6.10
2	जनपद ऊधम सिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा में क्षतिग्रस्त परिसम्पत्यिों के पुनर्निर्माण–24 वृहत निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत सिंचाई नहर संख्या 04 की क्षतिगस्त लाईनिंग का पुनर्निर्माण कार्य। (रीच 1.920 से 1.970 कि0मी0 के मध्य)	खटीमा	सिंचांई विभाग, सितारगंज	4.14	4.14
			योगः	**10.24**	**10.24**

लोक निर्माण खण्ड, रूद्रपुर

क्र.सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	दैवीय आपदा मद वर्ष–2022–23 के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र किच्छा में बण्डिया भट्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 02 में हसूली नदी (बेनी नदी) पर अस्थाई मार्ग व ह्यूम पाईप द्वारा कॉजवे का विस्तार एवं मरम्मत का कार्य।	किच्छा	लोक निर्माण खण्ड, रूद्रपुर।	9.94	9.94
			योगः	**9.94**	**9.94**

लोक निर्माण खण्ड, काशीपुर

क्र.सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
01	आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 मे बरहैनी से हरिपुरा हरसान मोटर मार्ग के किमी0 2 से हजीरा लिंक मार्ग के किमी0 2 में क्षतिग्रस्त भाग का सुरक्षात्मक एवं पुनः निर्माण कार्य।	हजीरा	लोक निर्माण खण्ड, काशीपुर।	5.87	5.87
02	आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 मे नैनीताल कालाढुंगी मोटर मार्ग के किमी0 53 से हजीरा लिंक मार्ग के किमी0 1 में वेन्टेड काजवे का सुरक्षात्मक कार्य।	हजीरा	लोक निर्माण खण्ड, काशीपुर।	3.00	3.00
03	आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 मे नमूना सन्तोषपुर से जनता फार्म मार्ग के किमी0 3 से हजीरा लिंक मार्ग के किमी0 2 में वेन्टेड काजवे का सुरक्षात्मक कार्य।	हजीरा	लोक निर्माण खण्ड, काशीपुर।	2.00	2.00
04	आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 मे सरदारनगर बन्नाखेड़ा मोटर मार्ग के किमी0 9(6–8) में 4.00 मी0 स्पान की पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य।	बन्नाखेड़ा	लोक निर्माण खण्ड, काशीपुर।	1.99	1.99
05	आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 मे खमरिया नरखेड़ा मोटर मार्ग के किमी0 1 व किमी0 3 में मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त भाग का सुरक्षात्मक एवं पुनःनिर्माण काय।	खमरिया नरखेड़ा	लोक निर्माण खण्ड, काशीपुर।	5.46	5.46
			योगः	**18.32**	**18.32**
			सम्पूर्ण योग	**166**	**166**

वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य पोषित मद संख्या–11 आपदा न्यूनीकरण निधि मद (SDMF) में स्वीकृत कार्यो का विवरण

सिंचाई खण्ड, सितारगंज

क्र.सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
01	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत सितारगंज में ग्राम उकरौली की कैलाश नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु नदी में चैनेलाईजेशन का कार्य।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	4.70	4.70
02	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत तहसील खटीमा के ग्राम मझौला–1 में ढाकी क्षेत्र की आबादी व भवनों को देहवा नदी की बाढ़ से बचाने हेतु सुरक्षात्मक कार्य। रीच किमी0 25.500 से किमी0 25.900 तक	खटीमा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	9.82	9.82
03	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत विकास खण्ड सितारगंज में ग्राम उकरौली के डाउनस्ट्रीम में कैलाश नदी के दायें पार्श्व में हो रहे भू–कटाव को रोकने हेतु बैंक सुरक्षात्मक कार्य।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	8.02	8.02
04	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (2022–23) मद के अन्तर्गत सितारगंज शक्तिफार्म क्षेत्र के ठाकुरनगर के अपस्ट्रीम में सूखी/बैगुल नदी से हो रहे भू–कटाव को राकेने हेतु बैंक सुरक्षात्मक कार्य।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	9.64	9.64
05	राज्य आपदा न्यूनीकरण मद के तहसील खटीमा में खकरा नाले के बायें पार्श्व पर नैनीताल फलोर मिल के बचाव हेतु शेष बचे भाग हेतु पिंचिंग का कार्य।	खटीमा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	7.96	7.96
06	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में कैलाश नदी से ग्राम गगनपुर में हो रहे कटाव को रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	4.30	4.30
07	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत सितारगंज उकरौली में कैलाश नदी के दायें पार्श्व में हो रहे कटाव को रोकने हेतु बैंक सुरक्षात्मक कार्य।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	9.95	9.95
08	राज्य आपदा न्यूनीकरण के अन्तर्गत मानसून अवधि में बाढ़ कार्यो/क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुनर्निमाण मद में जनपद उधम सिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा में ग्राम नदन्ना में नदन्ना नाले के दॉये पार्श्व में क्षतिग्रस्त बाढ़ सुरक्षा कार्य की मरम्मत/पुर्ननिर्माण कार्य।	खटीमा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	9.77	9.77
			योग	**64.16**	**64.16**

सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर

क्र.सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
01	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम केशवगढ़ में श्री खैरातीलाल जी के खेतों के समीप भू–संरक्षण का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	9.87	9.87
02	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधी के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के मझराशीला ग्राम में निहाल नदी से हुए भूकटाव व बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	8.97	8.97
			योगः–	**18.84**	**18.84**
			सम्पूर्ण योग	**83.00**	**83.00**

वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य आपदा मोचन निधि मद (SDRF)से स्वीकृत कार्यो का विवरण
सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर

क्र.सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम मझराशीला में नहर के कि.मी. 2.230 से 2.290 कि. मी. के मध्य क्षतिग्रस्त दिवार व बैड की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.47	0.90
2	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की रामजीवनपुर नहर के कि.मी. 3.400 से 3.450 कि.मी. के मध्य क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	0.88
3	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के वार्ड नं0 9 भौनाइस्लामनगर में नहर के कि.मी. 1.351 से 1. 371 कि.मी. के मध्य क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	0.91
4	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की गदरपुर नहर के कि.मी. 2.470 से 2.520 कि.मी. के मध्य क्षतिग्रस्त दिवार व बैड की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.47	0.92
5	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की अपरबड़ा खेड़ा नहर के कि.मी. 1.330 से 1.350 कि.मी. के मध्य क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	0.88
6	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के रामसागर नहर के कि.मी. 0.170 से 0.200 कि.मी. के मध्य क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.47	0.94
7	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम धीमरखेड़ा फतेहगंज नहर के कि.मी. 1.600 से 1.640 कि.मी. के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	0.92
8	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के बलखेड़ा नहर के कि.मी. 1.550 से 1.600 कि.मी. के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	0.92
9	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम बुक्सौरा में सिंचाई विभाग की बुक्सौरा बांयों सिंचाई नहर के कि.मी. 1.500 से 1.550 के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	0.97
10	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम आनन्दखेड़ा में सिंचाई विभाग की आनन्दखेड़ा दांया नहर के कि.मी. 2.000 से 2.100 के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.42	0.93
11	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम विजयपुर चंदीपुर में सिंचाई विभाग की जगदीशपुर नहर के कि.मी. 0.800 से 0.900 के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	0.95
12	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम महेशपुर में सिंचाई विभाग की मोहनपुर नहर के कि.मी. 4.500 से 4.600 कि.मी. के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.46	0.93
13	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम आदर्शनगर में नहर के कि.मी. 4.100 से 4.300 के मध्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	0.89

क्र.सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
	क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।				
14	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम अमरपुरी में नहर के कि.मी. 2.600 से 2.700 के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	0.91
15	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम आर्यनगर में नहर के कि.मी. 2.100 से 2.150 के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	0.92
16	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के आवास विकास कालोनी में क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	0.88
17	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की भैसिया नहर के कि.मी. 0.600 से 0.700 के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	0.94
18	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम गदरपुरा में क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	0.94
19	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम गुमचईया में नहर के कि.मी. 2.400 से 2.500 के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	0.97
20	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम गुरूनानकपुर में नहर के कि.मी. 6.700 से 6.800 के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	0.93
21	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम करतारपुर में नहर के कि.मी. 1.510 से 1.600 के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	0.92
22	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम गोविन्दपुर में नहर के कि.मी. 0.800 से 0.900 के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	0.93
23	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम लखनऊ में नहर के कि.मी. 0.910 से 1.000 के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	0.97
24	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में मोनार्ड स्कूल के समीप क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	0.94
25	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम मुकन्दपुर में नहर के कि.मी. 0.510 से 0.600 के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	0.94
26	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम सन्तोषनगर में नहर के कि.मी. 1.600 से 1.700 के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	0.87
27	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के तेजा फौजा में नहर के कि.मी. 0.000 से 0.200 के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.43	0.89
28	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ठण्डी नदी पर पनचक्की ग्राम में क्षतिग्रस्त एक्वाडक्ट की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	0.87
29	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के चमनगंज नहर के कि.मी. 3.400 से 3.500 के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	0.87
30	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम दौलतगंज में नहर के कि.मी. 1.100 से 1.200 के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	0.92
31	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत देवरिया नहर की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी0 1.500 से 3.500 कि0मी0 तक	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.47	0.95
32	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत बरा नहर के क्षतिग्रस्त बैंको की मरम्मत का कार्य रीच–कि0मी0 3.380 से 3.450 कि0मी0 तक	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	0.98
33	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत मेन पाहा नहर के क्षतिग्रस्त	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.43	1.01

क्र.सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
	बैंको की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी0 8.000 से 9.000 कि0मी0 तक				
34	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत भंगा नहर की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी0 2.200 से 3.800 कि0मी0 तक	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.45	0.97
35	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत के अन्तर्गत ग्राम बरा में अजीतपुर नहर की क्षतिग्रस्त बैंको की मरम्मत का कार्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.03
36	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत बिडौरा नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी0 1.082 से 1. 112 कि0मी0 तक	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.46	1.17
37	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत डूंडापीपल नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी0 2.581 से 2. 611 कि0मी0 तक	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.46	1.17
38	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत ग्राम सैजनी के दरउ नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.21
39	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत ग्राम शहदौरा नहर की क्षतिग्रस्त बैंको की मरम्मत का कार्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.08
40	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की उल्हतापुर नहर के किमी0 1.000 पर क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
41	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की श्यामनगर नहर के किमी0 1.800 पर क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
42	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की रामजीवनपुर नहर के किमी0 3.000 पर क्षतिग्रस्त दिवार की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
43	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के नारायणपुर में नहर के किमी0 1.700 पर क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
44	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की नकटिया नहर के किमी0 3.000 पर क्षतिग्रस्त दिवार की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
45	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की लोअर भाखड़ा नहर के किमी0 2.000 पर क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.46	1.46
46	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के लगंड़ाभोज में नहर के किमी0 1.400 पर क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
47	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की लघुबड़ाखेड़ा नहर के किमी0 0.800 पर क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
48	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की कुलवन्तनगर नहर के किमी0 3.100 पर क्षतिग्रस्त बैड की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
49	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की खजिया नहर के किमी0 2.400 पर क्षतिग्रस्त नहर फाल की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
50	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के हरिपुर न0 4 में नहर के किमी0 2.100 पर क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
51	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की भैसिंया नहर के किमी0 2.000 पर क्षतिग्रस्त फाल की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48
52	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के गदरपुर नहर के किमी0 3.000 पर क्षतिग्रस्त पुलिया व दिवार की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
53	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के महतोष मोड़ के समीप नहर पर क्षतिग्रस्त पुलिया व दिवार	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50

क्र.सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
	की मरम्मत का कार्य				
54	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के चमनगजं नहर के किमी0 4.000 पर क्षतिग्रस्त पुलिया व दिवार की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
55	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के चरणपुर में नहर के किमी0 4.100 पर क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
56	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के पिपलिया न01 में नहर के किमी0 7.100 पर क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
57	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम सुखशन्तीनगर में फीडर नहर के क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48
58	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम महावीरनगर में नहर के आउटलेट न0–5 पर क्षतिग्रस्त लाईनिगं की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
59	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम दौलतगजं में नहर के आउटलेट न0–1 पर क्षतिग्रस्त लाईनिगं की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
60	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम बरीराई में नहर के आउटलेट न0–8 पर क्षतिग्रस्त लाईनिगं की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
61	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में अजगरा नहर में किमी0 1.000 पर क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.46	1.46
62	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के कोपाकृपाली में नहर के किमी0 0.500 पर क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
63	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में कूल्हा नहर में किमी0 1.500 पर क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.47	1.47
64	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के मदपुरी नहर के किमी0 0.500 पर क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
65	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में मकरन्दपुर नहर में किमी0 1.800 पर क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.46	1.46
66	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में प्रेमनगर में किमी0 3.800 पर क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.46	1.46
67	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में रतनपुरा में किमी0 10.800 पर क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
68	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में कुन्दननगर में किमी0 4.000 पर क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48
69	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम मदनापुर में सिचांई विभाग की नहर के किमी0 3.400 से किमी0 3.450 पर क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
70	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में कागरसेन नदी के हैड पर सिचांई विभाग की जाफरपुर एवं मोहनपुर नहर के गेटों के मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.46	1.46
71	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम आनन्दखेड़ा में सिचांई विभाग की आनन्दखेड़ा दांया व बायां नहर के गेटों के मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.43	1.43
72	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की विशनपुर नहर के किमी0 0.750 से 0.800 किमी0 के मध्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48

क्र.सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
	क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य				
73	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम बरीराई में सिचांई विभाग की नहर के किमी0 8.800 से किमी0 8.850 पर क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
74	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के सैदलीगजं में नहर के किमी0 0.400 से 0.420 किमी0 के मध्य क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48
75	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की गिरधरनगर नहर के किमी0 3.100 से 3.120 किमी0 के मध्य क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
76	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत धौराडाम के पास भंगा नहर की मरम्मत का कार्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.47	1.47
77	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत ग्राम बरा में बरा नहर के क्षतिग्रस्त बैंकों की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी0 2.900 से 3.000 कि.मी. तक	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.47	1.47
78	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत ग्राम छिनकी में दौलतपुर नहर के आन्तरिक सैक्शन का सुधार एवं क्षतिग्रस्त बैंकों की मरम्मत का कार्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48
79	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत खुरपिया फार्म के पास देवरिया नहर की मरम्मत का कार्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.44	1.44
80	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत ग्राम तुर्कागौरी में मेनपाहा नहर के आन्तरिक सैक्शन का सुधार एवं क्षतिग्रस्त बैंकों की मरम्मत का कार्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.45	1.45
81	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत दांया पाहा नहर के आन्तरिक सैक्शन का सुधार एवं क्षतिग्रस्त बैंकों की मरम्मत का कार्य। रीच–कि.मी. 0.445 से 0.550 कि.मी. तक।	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.47	1.47
82	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत तीन पानी डैम के पास क्षतिग्रस्त बरा नहर की मरम्त का कार्य। रीच–कि0मी0 2. 160 से 2.185 कि0मी0 ।	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.43	1.43
83	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत ग्राम फिरोजपुर में क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.43	1.43
84	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत सिरसा नहर के आन्तरिक सैक्शन का सुधार एवं क्षतिग्रस्त बैंकों की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी0 1.360 से 1.450 कि.मी.	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48
85	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत ग्राम शहदौरा में सिंचाई नहर के क्षतिग्रस्त बैंकों की मरम्मत का कार्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48
86	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत रामसागर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच– कि.मी. 7.900 से कि.मी. 7.980 तक	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.45	1.45
87	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम बुक्सौरा में मुकूल पाठक के खेत के समीप सिंचाई विभाग की नहर के कि.मी. 0.020 से 0.100 के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48
88	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम मुकन्दपुर डेरे में नहर के कि.मी. 3.000 से 3.100 के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
89	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत ग्राम बिडौरा में बिडौरा नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मम्मरत का कार्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.47	1.47
90	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जवाहरनगर नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी0 2.200 से 2.228 कि0मी0 के मध्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.46	1.46
91	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत इन्द्रपुर नहर मे कि0मी0 1.	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.46	1.46

क्र.सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
	700 से 1.728 कि0मी0 तक क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य।				
92	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की आदर्षनगर नहर के किमी0 4.500 पर क्षतिग्रस्त दिवार की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
93	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की अमरपुरी में नहर के किमी0 2.200 पर क्षतिग्रस्त दिवार की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
94	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की आर्यनगर नहर के किमी0 0.800 पर क्षतिग्रस्त दिवार की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
95	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की रामजीवनपुर नहर के किमी0 2.800 पर क्षतिग्रस्त दिवार की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.47	1.47
96	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की गुरुनानकपुर में नहर के किमी0 6.600 पर क्षतिग्रस्त दिवार की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.50	1.50
97	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर की भैसिंया नहर प्रणली पर क्षतिग्रस्त हैड की मरम्मत का कार्य	गदरपुर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
98	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत बरा गांव एवं नाथ बस्ती में बरा नहर के क्षतिग्रस्त बैंको की मरम्मत का कार्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.45	1.45
99	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत ग्राम बब्बरपुर एवं याकूब फार्म से निकलने वाली भंगा नहर के क्षतिग्रस्त बैंको की मरम्मत का कार्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.45	1.45
100	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत दौलतपुर नहर के क्षतिग्रस्त बैंको की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी0 0.000 से कि0मी 2.000 तक	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.45	1.45
101	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत ग्राम राघुनगर, आनन्दपुर एवं खुरपिया फार्म में मैन पाहा नहर के क्षतिग्रस्त बैंको की मरम्मत का कार्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.45	1.45
102	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत ग्राम शंकर फार्म एवं धाधा फार्म में किच्छा नहर के क्षतिग्रस्त बैंको की मरम्मत का कार्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
103	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत ग्राम अलीनगर एवं दिलबाग फार्म के मध्य शहदौरा नहर के क्षतिग्रस्त बैंको की मरम्मत का कार्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.47	1.47
104	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत ग्राम रहपुरा में डूंडापीपल नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.47	1.47
105	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत ग्राम सैजनी में सैजनी माईनर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48
106	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत मलसा नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य। रीच–कि0मी0 1.353 से 1. 383 कि0मी0 तक	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.49	1.49
107	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत ग्राम शिमला पिस्तौर में हल्दी नदी में बने क्षतिग्रस्त रेगूलेटर की मरम्मत का कार्य।	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.47	1.47
108	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत दरऊ नहर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग की मरम्मत का कार्य।(रीच–कि0मी0 1.355 से 1. 430 कि0मी0 तक)	किच्छा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	1.48	1.48
			योग	**159.75**	**139.17**

सिंचाई खण्ड, सितारगंज

क्र.सं.	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	ब्लॉक एवं ग्राम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	दैवीय आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा नहर प्रणाली की नहर संख्या–7 की मरम्मत के कार्य का प्राक्कलन।	खटीमा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.47	1.47
2	दैवीय आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा नहर प्रणाली की नहर संख्या–8 की मरम्मत के कार्य का प्राक्कलन।	खटीमा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.49	1.49
3	दैवीय आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा नहर प्रणाली की नहर संख्या–9 की मरम्मत के कार्य का प्राक्कलन।	खटीमा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.44	1.44
4	दैवीय आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा नहर प्रणाली की नहर संख्या–10 की मरम्मत के कार्य का प्राक्कलन।	खटीमा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.46	1.46
5	दैवीय आपदा मद (2022–23) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण नानकमत्ता नहर की दाये एवं बाये पार्श्व की क्षतिग्रस्त लाईनिंग का मरम्मत कार्य। रींच– किमी0 3.105 से किमी0 3.150 तथा किमी0 3.430 से 3.580 किमी0।	नानकमत्ता	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.49	1.49
6	दैवीय आपदा मद (2022–23) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण पूरनगढ माईनर की दाये एवं बाये पार्श्व की क्षतिग्रस्त लाईनिंग का मरम्मत कार्य। रींच– किमी0 1.470 से किमी0 1.650 तक।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.50	1.50
7	दैवीय आपदा मद (2022–23) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण नवोदिया माईनर की दाये एवं बाये पार्श्व की क्षतिग्रस्त लाईनिंग का मरम्मत कार्य। रींच– किमी0 0.910 से किमी0 1.440 एवं किमी0 2.480 से किमी0 2.590।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.50	1.50
8	दैवीय आपदा मद (2022–23) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण नानकमत्ता नहर की दाये एवं बाये पार्श्व की क्षतिग्रस्त लाईनिंग का मरम्मत कार्य। रींच– किमी0 3.215 से किमी0 3.280 तक।	नानकमत्ता	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.50	1.50
9	दैवीय आपदा मद (2022–23) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण पूरनगढ माईनर की दाये एवं बाये पार्श्व की क्षतिग्रस्त लाईनिंग का मरम्मत कार्य। रींच– किमी0 2.210 से किमी0 2.410 तक।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.46	1.46
10	दैवीय आपदा मद (2022–23) के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण नवोदिया माईनर की दाये एवं बाये पार्श्व की क्षतिग्रस्त लाईनिंग का मरम्मत कार्य। रींच– किमी0 0.750 से किमी0 0.830 तक।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	1.49	1.49
			योगः–	**14.80**	**14.80**
			सम्पूर्ण योग	**174.55**	**153.97**

सिंचाई खण्ड सितारगंज (एस0डी0आर0एफ0) वित्तीय वर्ष–2025–26

क्र.सं.	कार्य का नाम व स्थान	ब्लॉक का नाम	कार्यदायी संस्थान का नाम	धनराशि लाख में
01	तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आने से सुरेन्द्रनगर गॉव के पास बैगुल नदी के क्षतिग्रस्त बांये तटबन्ध की मरम्मत कार्य। रीच–सुरेन्द्रनगर गॉव के पास।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	1.94
02	तहसील सितारगंज में दिनांक 14.08.2025 को अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आने से अलौट गॉव के पास बैगुल नदी के क्षतिग्रस्त दांये तटबन्ध की मरम्मत कार्य। रीच–अलौट गॉव के पास।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	1.94
03	तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आने से सिडकुल ट्रांसपोर्ट हब के पास बैगुल नदी के क्षतिग्रस्त बांये तटबन्ध की मरम्मत कार्य। रीच–सिडकुल ट्रांसपोर्ट हब के पास।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	1.95
04	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत तहसील सितागरंज में ग्राम औदला के पास क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत/पुनर्निमाण का कार्य।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड	1.95

			सितारगंज	
05	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड सितारगंज में ग्राम देवनगर में स्थित सिंचाई नहर की क्षतिग्रस्त लाइनिंग की मरम्मत का कार्य (रीच–बसगर नहर कि0मी0 0.530 से कि0मी0 0.560 के मध्य)	सितारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	1.92
06	एस0डी0आर0एफ0 मद के अन्तर्गत खटीमा के ग्राम– टोडाघाट में साप्ताहिक बाजार के पास लोहिया नाले में क्षतिग्रस्त तटबन्ध का पुर्निनिर्माण।	सिंतारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	1.93
07	दैवीय आपदा मद 2025–26 के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण ग्राम मोहम्मदगंज के समीप स्थित माईनर की क्षतिग्रस्त लाईनिंग का पुनर्निर्माण कार्य।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	1.89
08	दैवीय आपदा मद वर्ष 2025–26 के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में अतिवृष्टि के कारण ग्राम कल्याणपुर–प्प के समीप स्थित क्षतिग्रस्त नहर की लाईनिंग का पुर्ननिर्माण कार्य। रीच–कि0मी0 2.830 से 2.950 कि0मी0 तक।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	1.94
09	दैवीय आपदा मद वर्ष 2025–26 के अन्तर्गत खटीमा शहर में प्रवाहित होने वाले ऐंठा नाले की तली से कूड़ा/मलबा निकासी का कार्य। (रीच किमी0 1.50 से किमी0 2.55 तक)	सितारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	1.91
10	दैवीय आपदा मद वर्ष 2025–26 के अन्तर्गत खटीमा शहर में प्रवावित होने वाले खकरा नाले की तली से कूड़ा/मलवा निकासी का कार्य। रीच–कि0मी0 2.50 से कि0मी0 3.45 तक।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	1.91
11	तहसील सितारगंज में दिनांक 14.08.2025 को अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आने से अरविन्द नगर में झाड़ी न0–08 गॉव के पास बैगुल नदी के क्षतिग्रस्त दांये तटबन्ध की मरम्मत कार्य। रीच––झाड़ी नं0–08 गांव के पास।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	1.92
12	तहसील सितारगंज में दिनांक 14.08.2025 को अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आने से अरविन्द नगर में झाड़ी न0–07 गॉव के पास बैगुल नदी के क्षतिग्रस्त दांये तटबन्ध की मरम्मत कार्य। रीच––झाड़ी नं0–07 गांव के पास।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	1.92
13	तहसील सितारगंज में दिनांक 14.08.2025 को अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आने से बीसर्क्वाटर गॉव के अपस्ट्रीम बैगुल नदी के क्षतिग्रस्त दांये तटबन्ध की मरम्मत कार्य। रीच– बीसर्क्वाटर गांव के अपस्ट्रीम।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	1.95
14	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड सितारगंज में गड़ी वियर हैड रेगुलेटर की मरम्मत एवं सफाई का कार्य।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	1.90
15	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड सितारगंज में अपर बैगुल नहर की क्षतिग्रस्त लाइनिंग की मरम्मत का कार्य (रीच–कि0मी0 4.900 से कि0मी0 5.000 के मध्य)	सितारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	1.91
16	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में दौंदा नहर से जलभराव की निकासी हेतु नहर की तली से वनस्पति एवं मलवा सफाई का कार्य। (रीच–किमी0 0.000 से कि0मी0 1.000 के मध्य)	सितारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	1.90
17	तहसील सितारगंज में दिनांक 14.08.2025 को अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आने से गगनपुर गॉव के पास कैलाश नदी के क्षतिग्रस्त दांये तटबन्ध की मरम्मत कार्य। रीच– गगनपुर गांव के पास।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	1.92
18	तहसील सितारगंज में दिनांक 14.08.2025 को अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आने से नकुलिया लौका गॉव के पास कैलाश नदी के क्षतिग्रस्त दांये तटबन्ध की मरम्मत कार्य। रीच––नकुलिया लौका गांव के पास।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	1.92
19	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड सितारगंज में नकटपुरा नहर से जलभराव की निकासी हेतु नहर की तली से वनस्पति एवं मलवा सफाई का कार्य। (रीच– कि0मी0 0.000 से किमी0 1.000के मध्य)	सितारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	1.87
20	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत तहसील सितारगंज में ग्राम नकुलिया के पास क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत/पुनर्निर्माण का कार्य।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	1.85
योगः–(अठतीस लाख चौतीस हजार मात्र)				**38.34**

सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर।

क्र. सं.	कार्य का नाम व स्थान	ब्लॉक का नाम	कार्यदायी संस्थान का नाम	स्वीकृत लागत लाख में
01	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के लखनऊ ग्राम में क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रुद्रपुर	1.97
02	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम पिपलिया नं0 02 के समीप सिंचाई नहर पर क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रुद्रपुर	1.98
03	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के नारायणपुर ग्राम में क्षतिग्रस्त सिंचाई गूल की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रुद्रपुर	1.97
04	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के गदरपुरी ग्राम में क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रुद्रपुर	1.97
05	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर के गोविन्दपुर ग्राम में सिंचाई नहर के किमी0 0.305 से किमी0 0.370 पर क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रुद्रपुर	1.97
06	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम खेमपुर में सिंचाई नहर के किमी0 3.150 से 3.250 के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रुद्रपुर	1.98
07	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम खानपुर पश्चिम में नहर के किमी0 3.450 से 3.550 के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रुद्रपुर	1.98
08	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जनपद विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम मसीत में सिंचाई नहर के किमी0 1.750 से 1.850 के मध्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत	गदरपुर	सिंचाई खण्ड रुद्रपुर	1.99
	योगः–(पन्द्रह लाख इक्यासी हजार मात्र)			**15.81**

पी0एम0जी0एस0वाई0

क्र. सं.	कार्य का नाम व स्थान	ब्लॉक का नाम	कार्यदायी संस्थान का नाम	स्वीकृत लागत लाख में
01	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित जनपद ऊधम सिंह नगर के विकासखण्ड जसपुर में श्यामनगर से बाबर खेड़ा मोटर मार्ग (चैनेज–0.000 किमी0 3.00 किमी0) में दैवीय आपदा वर्ष 2025–26 के अन्तर्गत मरम्मत तथा पुर्ननिर्माण का कार्य।	जसपुर	PMGSY	14.67
	योगः–(चौदह लाख सठसट हजार मात्र)			**14.67**

शिक्षा विभाग

क्र. सं.	कार्य का नाम व स्थान	ब्लॉक का नाम	कार्यदायी संस्थान का नाम	स्वीकृत लागत लाख में
01	रा0प्रा0वि0 कोपा बसन्ता में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	गदरपुर	ग्रा0नि0 वि0	3.00
02	रा0प्रा0वि0 रूपपुर में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	गदरपुर	ग्रा0नि0 वि0	1.92
03	रा0उ0प्रा0वि0 झगड़पुरी चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	गदरपुर	ग्रा0नि0 वि0	2.13
04	रा0उ0प्रा0वि0 साधूनगर सितारगंज में भवन का मरम्मत कार्य।	सितारगंज	ग्रा0नि0 वि0	2.25
05	रा0प्रा0वि0 नकटपुरा सितारगंज में भवन का ध्वस्तीकरण व किचन का मरम्मत कार्य।	सितारगंज	ग्रा0नि0 वि0	1.08
06	रा0प्रा0वि0 टाण्डा गोरू बाजपुर में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	बाजपुर	ग्रा0नि0 वि0	2.45
07	रा0प्रा0वि0 झनकट सितागरंज में भवन का मरम्मत कार्य।	सितारगंज	ग्रा0नि0 वि0	3.00
08	रा0उ0प्रा0वि0 सरदारनगर में छत मरम्मत का कार्य।	गदरपुर	ग्रा0नि0 वि0	2.26
09	रा0प्रा0वि0 बागवाला में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	रूद्रपुर	ग्रा0नि0 वि0	2.09
10	रा0उ0प्रा0वि0 दानपुर में शौचालय का मरम्मत कार्य।	रूद्रपुर	ग्रा0नि0 वि0	2.10
11	रा0प्रा0वि0 टा कालौनी में छत मरम्मत एव रंग–रोगन का कार्य।	रूद्रपुर	ग्रा0नि0 वि0	2.76
12	रा0प्रा0वि0 खेमपुर में सितारगंज भवन का मरम्मत कार्य।	सितारगंज	ग्रा0नि0 वि0	2.22
13	रा0प्रा0वि0 विडौरा में मरम्मत एव रंग–रोगन का कार्य।	रूद्रपुर	ग्रा0नि0 वि0	3.38
14	रा0उ0प्रा0वि0 फूलबाग सेन्टर में छत मरम्मत का कार्य।	रूद्रपुर	ग्रा0नि0 वि0	3.63
15	रा0प्रा0वि0 ढकिया नं0– 01 काशीपुर में कक्षा–कक्ष मरम्मत का कार्य।	काशीपुर	ग्रा0नि0 वि0	3.30
16	रा0प्रा0वि0 बासखेड़ी काशीपुर में कक्षा–कक्ष मरम्मत का कार्य।	काशीपुर	ग्रा0नि0 वि0	4.32

क्र. सं.	कार्य का नाम व स्थान	ब्लॉक का नाम	कार्यदायी संस्थान का नाम	स्वीकृत लागत लाख में
17	रा0प्रा0वि0 दानपुर में छत एवं शौचालय क्षतिग्रस्त एवं षौचालय पुनः निर्माण का कार्य।	रूद्रपुर	ग्रा0नि0 वि0	4.36
18	रा0प्रा0वि0 जगतपुरा में क्षतिग्रस्त शौचालय क्षतिग्रस्त एवं शौचालय पुनः निर्माण का कार्य।	रूद्रपुर	ग्रा0नि0 वि0	4.36
19	रा0प्रा0वि0 बिन्दूखेड़ा में छत मरम्मत का कार्य।	रूद्रपुर	ग्रा0नि0 वि0	4.90
20	रा0प्रा0वि0 पिण्ड्री सितारगंज में भवन का मरम्मत कार्य।	सितारगंज	ग्रा0नि0 वि0	4.27
21	राजकीय प्राथमिक विद्यालय खानपुर पश्चिम क्षतिग्रस्त चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	गदरपुर	ग्रा0नि0 वि0	4.75
22	राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामजीवनपुर न0– 03 में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	गदरपुर	ग्रा0नि0 वि0	5.06
23	रा0प्रा0वि0 ओझान काशीपुर में कक्षा–कक्ष मरम्मत का कार्य।	काशीपुर	ग्रा0नि0 वि0	5.21
24	रा0प्रा0वि0 बासखेड़ा खुर्द में कक्षा–कक्षों का मरम्मत कार्य।	काशीपुर	ग्रा0नि0 वि0	5.30
25	रा0प्रा0वि0 खुनसरा सितारगंज में भवन का मरम्मत कार्य।	सितारगंज	ग्रा0नि0 वि0	5.80
26	रा0प्रा0वि0 निजामगढ़ जसपुर कक्षा–कक्षों का मरम्मत कार्य।	जसपुर	ग्रा0नि0 वि0	6.09
27	रा0प्रा0वि0 जसपुर प्रथम में कक्षा–कक्ष मरम्मत का कार्य।	जसपुर	ग्रा0नि0 वि0	6.92
28	दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय सन्तना खटीमा की मरम्मत का कार्य।	खटीमा	ग्रा0नि0 वि0	2.88
29	दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय खटीमा (प्प) 2 की मरम्मत का कार्य।	खटीमा	ग्रा0नि0 वि0	2.85
30	ग्राम लोहिया खटीमा में दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत का कार्य।	खटीमा	ग्रा0नि0 वि0	2.82
31	दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय चारूबेटा खटीमा की मरम्मत का कार्य।	खटीमा	ग्रा0नि0 वि0	2.88
32	दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय इस्लामनगर 2 खटीमा की मरम्मत का कार्य।	खटीमा	ग्रा0नि0 वि0	2.82
	कुल योगः(एक करोड़ तेरह लाख सोलह हजार मात्र)			113.16
	महा योग (एक करोड़ इक्यासी लाख अठानवें हजार मात्र)			181.98

सिंचाई खण्ड, सितारगंज (NON SDRF)

क्र. सं.	कार्य का नाम व स्थान	ब्लॉक का नाम	कार्यदायी संस्थान का नाम	स्वीकृत लागत लाख में
01	नॉन एस.डी.आर.एफ. मद के अन्तर्गत खटीमा के ग्राम –खेतलसण्डा मुस्ताजर में गम्भीर चन्द के घर के पास सनिया नाले में क्षतिग्रस्त पुलिया के तटबन्ध का पुनर्निनिर्माण।	खटीमा	सिंचाई खण्ड सितारगंज	9.74
02	जनपद ऊधमसिंह नगर में तहसील खटीमा के ग्राम–पकड़िया बंगाली कॉलोनी वार्ड न0 10 में क्षतिग्रस्त भाग पर पुलिया निर्माण का कार्य।	खटीमा	सिंचाई खण्ड सितारगंज	11.53
03	नॉन एस0डी0आर0एफ0 मद के अन्तर्गत खटीमा के ग्राम–नगरा तराई में अतिवृष्टि के कारण शारदा नहर के पार्श्व पर क्षतिग्रस्त कार्य का पुनर्निर्माण ।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	9.78
04	जनपद ऊधम सिंह नगर में तहसील खटीमा के ग्रामसभा–बिल्हैरी (चकरपुर) में वन चेतना स्टेडियम के पास रेश्मा के घर से हरिप्रिया की और गोरखा नालें से हो रहे भू–कटाव को रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	14.44
05	विकास खण्ड खटीमा के वार्ड न0 –15 में खकरा नालें के दायें पार्श्व पर पिचिंग का कार्य।	सितारगंज	सिंचाई खण्ड सितारगंज	9.51
	योगः–(पचपन लाख मात्र)			**55.00**

सिंचाई खण्ड, काशीपुर।

क्र. सं.	कार्य का नाम व स्थान	ब्लॉक का नाम	कार्यदायी संस्थान का नाम	स्वीकृत लागत लाख में
01	आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन मद के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में महादेव नगर की लाईनिंग की पुर्नस्थापना/पुर्ननिर्माण का कार्य। (रीच/लोकेशन 3.400 कि0मी0 से 3.800 कि0मी0 तक)।	काशीपुर	सिंचाई खण्ड काशीपुर	14.60
02	नॉन एस0डी0आर0एफ0 (2025–26) के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के बाजपुर विकास खण्ड के ग्राम मुण्डियाकलां में चिंगार नाले से आबादी में घरों की सुरक्षा हेतु बाढ़ निरोधक सुरक्षात्मक कार्य।	बाजपुर	सिंचाई खण्ड काशीपुर	9.82
03	नॉन एस0डी0आर0एफ0 मद के अन्तर्गत ढेला नदी की बाढ़ से तुमरिया बहल्ला नहर को बचाने हेतु बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य। (जाँब संख्या–02) रीच–ढेला नदी के बायें बैंक पर लम्बाई 30.00 मी0 में।	काशीपुर	सिंचाई खण्ड काशीपुर	14.98
योगः– (उन्तालीस लाख चालीस हजार मात्र)				**39.40**

सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर।

क्र. सं.	कार्य का नाम व स्थान	ब्लॉक का नाम	कार्यदायी संस्थान का नाम	स्वीकृत लागत लाख में
01	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद (नॉन एस0डी0आर0एफ0) के अन्तर्गत ग्राम कोटखर्रा में गोला नदी से हो रहे भू–कटाव से आवासीय भवन एवं कृषि भूमि को बचाने हेतु सुरक्षात्मक कार्य।	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	14.50
02	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद(नॉन एस0डी0आर0एफ0) के अन्तर्गत ग्राम राघवनगर में मुख्य पाहा नहर से हो रहे भू–कटाव से प्रभावित ग्रामीण आबादी एवं कृषि भूमि को बचाने हेतु सुरक्षात्मक कार्य (रीच कि0मी0 7.282 से किमी0 7.480 के मध्य)	रूद्रपुर	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	9.88
योगः– (चौबीस लाख अठतीस हजार मात्र)				**24.38**

लोक निमार्ण खण्ड काशीपुर

क्र.सं.	कार्य का नाम व स्थान	ब्लॉक का नाम	कार्यदायी संस्थान का नाम	स्वीकृत लागत लाख में
1	नॉन एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत नमूना सन्तोषपुर में जनता फार्म के कि0मी0 03 से क्षतिग्रस्त भाग का सुरक्षात्मक एवं पुनः निर्माण कार्य।	बाजपुर	लो0नि0 खण्ड काशीपुर	4.01
2	नॉन एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत बरहैनी से हरिपुरा हरसान मोटर मार्ग के कि0मी0 02 से हजीरा लिंक मार्ग के कि0मी0 02 में क्षतिग्रस्त भाग का सुरक्षात्मक कार्य।	बाजपुर	लो0नि0 खण्ड काशीपुर	10.68
योगः–(चौदह लाख उन्हत्तर हजार मात्र)				**14.69**

पी0एम0जी0एस0वाई0, ऊधम सिंह नगर।

क्र. सं.	कार्य का नाम व स्थान	ब्लॉक का नाम	कार्यदायी संस्थान का नाम	स्वीकृत लागत लाख में
01	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना में निर्मित जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा में खटीमा से नौगवाठग्गू मोटर मार्ग में दैवीय आपदा वर्ष 2025–26 के अन्तर्गत मरम्मत तथा पुर्नर्निमाण का कार्य।	खटीमा	पी0एम0जी0एस0वाई0	**14.94**
योगः–(चौदह लाख चौरानबे हजार मात्र)				**14.94**
माहयोगः–(एक करोड़ अठतालीस लाख इक्तालीस हजार मात्र)				**148.41**

सिंचाई खण्ड सितारगंज (एस0डी0एम0एफ0)

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	ब्लाक/ तहसील	धनराशि लागत (लाख रू0में)
01	तहसील सितारगंज में दिनांक 14.08.2025 को अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आने से महेन्द्रनगर गांव के पास बैगुल नदी के क्षतिगस्त दॉयें तटबन्ध की मरम्मत कार्य। (रीच महेन्द्र नगर गॉव के पास)	सिंचाई खण्ड सितारगंज	सितारगंज	7.86
02	जनपद ऊधम सिंह नगर के अन्तर्गत खटीमा में नगरा तराई व दमगडा के मध्य खालीमहुवट बाईसपुल की ओर खिलडिया नालें की सफाई का कार्य।	सिंचाई खण्ड सितारगंज	खटीमा	07.93
03	जनपद ऊधम सिंह नगर में तहसील खटीमा के ग्रामसभा–बिल्हैरी (चकरपुर) में वन चेतना स्टेडियम के पास गिरीश प्रसाद के यहा से रेशमा के घर तक गोरखा नालें से हो रहे भू–कटाव को रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य।	सिंचाई खण्ड सितारगंज	खटीमा	9.86
योगः–(रू0 पच्चीस लाख पैसठ हजार मात्र)				**25.65**

सिंचाई खण्ड रूद्रपुर

क्र.सं.	योजना/कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	ब्लाक/ तहसील	धनराशि लागत (लाख रू0में)
01	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधी मद के अन्तर्गत गदरपुर विकास खण्ड के ग्राम विजयनगर में कागरसेन नदी से आसुतोष राय के घर में हो रहे भू–कटाव को रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य।	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	गदरपुर	9.54
योगः– (रू0 नौ लाख चौवन हजार मात्र)				**9.54**

सिंचाई खण्ड काशीपुर

क्र. सं.	योजना/कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	ब्लाक/ तहसील	धनराशि लागत (लाख रू0में)
01	राज्य आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत विकास खण्ड काशीपुर के ग्राम फिरोजपुर में गुरमुख सिंह जी के खेत के पास कास्तकारों की जमीनों को ढेला नदी की बाढ़ से बचाने हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य। लम्बाई–100 मी0 लगभग। (रीचः– कि0मी0 0.000 से 0.100 के मध्य में)		काशीपुर	14.81
योगः–(चौदह लाख इक्यासी हजार मात्र)				14.81
सम्पूर्ण योगः– (रू0 पचास लाख मात्र)				**50.00**

अध्याय 10
जिला आपदा प्रबंधन योजना का रख रखाव और समीक्षा

10.1 परिचयः जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) क्षैतिज (Horizontal) और ऊर्ध्वाधर (Vertical) स्तरों पर बनाई गई योजनाओं का समग्र रूप है।

- जनपद उधम सिंह नगर जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) एक सार्वजनिक दस्तावेज है, जो किसी भी विभाग या प्रशासन के किसी विशेष भाग तक सीमित नहीं है।
- आपदा प्रबंधन का मूल सिद्धांत यह है कि यह सभी विभागों का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, और कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता।

10.2 DDMP के रख रखाव और समीक्षा की जिम्मेदारी

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), उधम सिंह नगर प्रतिवर्ष इस योजना को अपडेट करेगा और इसकी स्वीकृत प्रति सभी हित धारकों को वितरित करेगा।
- DDMA, उधम सिंह नगर निम्नलिखित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धाराओं के अनुसार योजना के संचालन, समन्वय, निगरानी और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।
- धारा 31, उपधारा (4)– जिला योजना की हर वर्ष समीक्षा और अद्यतन (Update) किया जाना अनिवार्य है।
- धारा 31, उपधारा (7)– जिला प्राधिकरण समय–समय पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा और जिले के विभिन्न सरकारी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

10.3 DDMP की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन

- DDMA, उधम सिंह नगर हर छह महीने में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करेगा, जिसमें राज्य में आपदा प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा और DDMP का अद्यतन किया जाएगा।
- सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को इस बैठक में भाग लेना अनिवार्य होगा।
- सभी विभाग अपनी रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही (हर तीन महीने) में प्रस्तुत करेंगे और आपदा प्रबंधन से जुड़े विशिष्ट मुद्दों पर सिफारिशें (RECOMMENDATIONS) देंगे।

10.4 आपदा के बाद मूल्यांकन तंत्र

- DDMA अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि हर आपदा के बाद, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसके प्रभावों पर डेटा एकत्र करने की विशेष व्यवस्था की जाए।
- पोस्ट–डिजास्टर मूल्यांकन तंत्र के लिए विशेषज्ञों, पेशेवरों और शोधकर्ताओं की एक टीम बनाई जाएगी, जो एकत्र किए गए डेटा का सत्यापन और दस्तावेजीकरण करेगी।
- यह डेटा आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) में संग्रहीत किया जाएगा और भविष्य की संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- DDMA आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) का मूल्यांकन बैठकों और हित धारकों से परामर्श करके करेगा।

10.5 DDMP के अद्यतन (Updation) का समय निर्धारण–

DDMP को उपरोक्त प्रक्रियाओं के साथ निम्नलिखित तरीकों से अपडेट किया जाएगा।

1. जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) से नियमित रूप से डेटा संग्रह।
2. डेटा का गहन विश्लेषण।
3. DDMA अध्यक्ष द्वारा समीक्षा।
4. योजना का अद्यतन और इसे हितधारकों के बीच प्रचारित करना।

अपडेटेड DDMP डेटा को जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) की वेबसाइट पर रखा जाएगा ताकि इसे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत उपयोग किया जा सके।

DDMA अध्यक्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर योजना को छमाही आधार (biannual basis) पर अपडेट करने की जिम्मेदारी लेंगे:

- जिले में उपलब्ध उपकरणों की सूची (DDMRI)।
- मानव संसाधन का विवरण, संपर्क पता और फोन नंबर (DDMRI)।
- पिछली आपदाओं के अनुभव और उनकी विस्तृत मैट्रिक्स को अपडेट करना।
- संचालन गतिविधियों और स्थान में प्रमुख परिवर्तन (SOPs और चेक लिस्ट के माध्यम से)।
- प्रशिक्षण और आपदा से निपटने के अभ्यास (Mock Drills) से मिली सीख।
- आपदा की घटनाओं में बदलाव।
- संभावित खतरों की पहचान में तकनीकी संरचना और नई तकनीकों का उपयोग।
- जनसंख्या संरचना में बदलाव।
- भू–राजनीतिक (Geo-political) माहौल में बदलाव।

क्र.सं.	माह	प्रस्तावित गतिविधिया
01	अक्टूबर	जीवन रेखीय विभागों द्वारा DDMP की समीक्षा
02	अक्टूबर–नंवबर	DDMA को सिफारिशों का प्रस्तुतिकरण
03	नंवबर–दिसंबर	संशोधनों का सभी हित धारकों में वितरण
04	दिसंबर–जनवरी	SDMA को अनुमोदन के लिए प्रस्तुतिकरण/अपडेटेड योजना को DDMA/SDMA वेबसाइट पर अपलोड करना

10.6 DDMA/SDMA वेब साइट पर अद्यतन योजनाओं को अपलोड करना

जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) एक सार्वजनिक दस्तावेज है।

- प्रत्येक अद्यतन के बाद इसे जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer) की निगरानी में DDMA/SDMA वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
- यह अपलोडिंग DDMA अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के बाद ही की जाएगी।

10.7 मॉकड्रिल (Mock Drills) का आयोजन

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (DM Act, 2005) की धारा 30 (2) (X) के अनुसार:

- जिला प्राधिकरण को यह समीक्षा करनी होगी कि जिले में किसी भी आपदा या संभावित आपदा स्थिति से निपटने की क्षमता कैसी है।

- प्रशासन को आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों और अधिकारियों को सुधार एवं उन्नयन के निर्देश देने होंगे।
- इसी तरह, DM Act, 2005 की धारा 30 (2) (XI) यह निर्धारित करती है कि:
- जिला प्राधिकरण को तैयारी उपायों (Preparedness Measures) की समीक्षा करनी चाहिए।
- संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए ताकि वे प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रह सकें।

मॉकड्रिल्स के उद्देश्य:

1. आपदा से निपटने की तैयारी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन।
2. कमियों की पहचान और उनका सुधार।
3. सरकारी विभागों, गैर–सरकारी संगठनों और समुदायों के बीच समन्वय को बेहतर बनाना।
4. आपदा प्रबंधन योजना (DDMP), आपातकालीन सहायताकार्य (ESFs) और मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) की प्रभावशीलता की जांच।
5. सीखे गए पाठों के आधार पर योजना में आवश्यक संशोधन करना।
6. आपदा के दौरान एवं पुनर्प्राप्ति चरण में त्वरित, संगठित और बेहतर प्रतिक्रिया को सक्षम बनाना।

10.7.1 जिले में मॉक ड्रिल आयोजित करने की जिम्मेदार संस्थाएँ

स्तर 1: जिला स्तर

जिला स्तरीय मॉकड्रिल का आयोजन जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर एंव अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर कि जम्मेदारी होगी। इसमें अतिरिक्त उपायुक्त (ADC), पुलिस अधीक्षक (SP), मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO), जिला परिषद अध्यक्ष, और अन्य प्रमुख विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।

अन्य प्रतिभागी:

- आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उधम सिंह नगर
- लोक निर्माण विभाग (PWD), UPCL), जल संस्थान/जलनिगम
- राजस्व विभाग
- उपजिलाधिकारी (SDM), तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी
- नगर निगम /नगर पालिका एवं नगर पंचायत
- पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधि –सरपंच, ग्रामसेवक
- दमकल विभाग
- होमगार्ड्स और स्वयंसेवक
- जिला जनसंपर्क अधिकारी (DPRO)
- परिवहन विभाग
- खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग
- अर्धसैनिक बल (ITBP/SSB)
- सेना
- एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0

स्तर 2:उप–मंडल (Sub-Divisional) स्तर

उप जिलाधिकारी (SDM) को तहसील स्तर पर मॉक अभ्यास (Mock Exercise) कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

स्तर 3: खंड (Block) स्तर

- खंड विकास अधिकारी (BDO) खंड स्तर पर मॉकड्रिल आयोजित कराने के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

स्तर 4:पंचायतस्तर

- ग्राम पंचायत स्तर पर मॉकड्रिल आयोजित कराने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान (Pradhan) की होगी।
- प्रत्येक गांव में ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (Village Disaster Management Committee) इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करेगी।

स्तर 5:विभागीय स्तर

- संबंधित विभागों/ इकाइयों के विभागाध्यक्ष (HODs) अपने–अपने विभागों में ऑन–साइट और ऑफ–साइट मॉकड्रिल आयोजित करेंगे।
- इन मॉकड्रिल्स को जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके किया जाएगा।

10.7.2 मॉकड्रिल आयोजित करने की अनुसूची

- जिला प्रशासन वर्ष में दो बार अनिवार्य मॉकड्रिल आयोजित करेगा।
- यह मॉकड्रिल आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) के निगरानी, मूल्यांकन, अद्यतन और रखरखाव के लिए आवश्यक होगी।

पहली मॉकड्रिल:

- पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले आयोजित की जाएगी।
- मार्च या अप्रैल माह में इसका आयोजन किया जाएगा, जो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

दूसरी मॉकड्रिल:

- राष्ट्रीय महोत्सव (NATIONAL FASTIVAL) से पहले आयोजित की जाएगी।
- इसका उद्देश्य विभागों की कार्यक्षमता की जांच करना है ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना को रोका जा सके।

सभी स्तरों पर मॉकड्रिल का आयोजन:

- उल्लिखित सभी स्तरों (जिला, उप–मंडल, ब्लॉक, पंचायत, और विभागीय स्तर) पर हर छह महीने में कम से कम एक बार मॉकड्रिल आयोजित की जाएगी।
- इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन योजनाओं का मूल्यांकन और सुधार करना होगा।

अध्याय 11
जिला आपदा प्रबन्धन योजना के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र

11.1 विभागों के बीच आंतरिक और बाह्य समन्वय

उधम सिंह नगर जिले में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता है ताकि योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके और प्रशासनिक कार्यों में प्रभावशीलता बनी रहे। इस समन्वय को दो मुख्य रूपों में देखा जा सकता हैः आंतरिक समन्वय **(Intra-Departmental Coordination)** और बाहरी समन्वय, जो मुख्य रूप से भ्वतप्रवदजंस स्पदांहमे पर आधारित होते हैं।

1. आंतरिक समन्वय

आंतरिक समन्वय का तात्पर्य उस विभाग के भीतर विभिन्न इकाइयों और कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्यपूर्ण कार्यप्रणाली से है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विभाग के विभिन्न स्तरों पर कार्य सुसंगत और प्रभावी ढंग से किए जाएं। उदाहरण के तौर परः

- राजस्व विभाग में भूमि रिकॉर्ड और मुआवजा भुगतान के बीच समन्वय।
- स्वास्थ्य विभाग में अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के बीच सहयोग, ताकि सेवा वितरण बेहतर हो सके।
- शिक्षा विभाग में स्कूलों के बीच पाठ्यक्रम और शिक्षक प्रशिक्षण के समन्वय की आवश्यकता।

2. बाहरी समन्वय (Inter&Departmental Coordination)

बाहरी समन्वय का मतलब एक विभाग और दूसरे विभाग के बीच लिंक बनाना होता है ताकि योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो सके। उधम सिंह नगर जिले में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसेः

- कृषि विभाग और जल संसाधन विभाग के बीच समन्वय ताकि कृषि के लिए जल आपूर्ति का प्रबंधन सही ढंग से किया जा सके।
- पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच आपातकालीन सेवाओं में सहयोग।
- जनसेवा विभाग और वित्त विभाग के बीच सरकारी योजनाओं के फंड का सही उपयोग सुनिश्चित करना।

2. Horizontal Linkages

Horizontal Linkages का मतलब है विभागों के बीच एक समान स्तर पर जानकारी का आदान–प्रदान और सहयोग। यह समन्वय सुनिश्चित करता है कि विभाग एक–दूसरे की गतिविधियों के बारे में सही समय पर जानकारी प्राप्त कर सकें और मिलकर कार्य करें। इस समन्वय से :

- निर्णय प्रक्रिया में तेजी आती है, क्योंकि विभिन्न विभागों के बीच शीघ्र जानकारी का आदान–प्रदान होता है।
- संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होता है।
- समस्याओं का समाधान जल्दी होता है, क्योंकि सभी विभाग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं।

उदाहरण

1. नदियों के जलस्तर की निगरानी करते हैं और सूखा या बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए योजनाएं बनाते हैं।
2. सड़क सुरक्षाः परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और लोक निर्माण विभाग मिलकर सड़क सुरक्षा से जुड़े उपायों को लागू करते हैं, जैसे सड़कों की मरम्मत और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना।

- **ऊधम** सिंह **नगर जिला में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत राहत एवं बचाव मद (Response & Relief) में वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 (10 फरवरी 2026 तक) जनपद स्तर पर मृतक, घायल, भवन क्षति, पशु हानि, फसल क्षति, गौशाला एवं झोपड़ी आदि मदों में व्यय की गई धनराशि का विस्तृत विवरण (राशि लाख रुपये में)**

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	योजना/प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का विवरण			अवमुक्त धनराशि का विवरण			
		स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय/अंतिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि
1	2021-22	मृतक–05		20.00	20.00	-	-	20.00
		घायल–03		0.13	0.13	-	-	0.13
		पूर्ण भवन–24		2.69	2.69	-	-	2.69
		आंशिक कच्चा भवन–82		3.01	3.01	-	-	3.01
		आंशिक पक्का भवन–09		0.47	0.47	-	-	0.47
		बडे पशु–51		15.05	15.05	-	-	15.05
		छोटे पशु–33		2.84	2.84	-	-	2.84
		कुक्कुट–2412		1.39	1.39	-	-	1.39
		गौशाला–06		0.13	0.13	-	-	0.13
		झोपड़ी–127		4.76	4.76	-	-	4.76
		अहैतुक सहायता–30244		1,149.14	1,149.14	-	-	1,149.14
		फसल क्षति–13100 (प्रभावित)		894.15	894.14	-	-	894.14
		शीतलहरी/कम्बल वितरण/भोजन		5.00	5.00	-	-	5.00
वित्तीय वर्ष का योग				**2,098.76**	**2,098.75**	**-**	**-**	**2,098.75**
2	2022-23	मृतक–03		12.00	12.00	-	-	12.00
		घायल–05		0.30	0.30	-	-	0.30
		आंशिक कच्चा		49.37	49.37	-	-	49.37

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	योजना/प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का विवरण			अवमुक्त धनराशि का विवरण			
		स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय/अंतिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि
		भवन–1556						
		आंशिक पक्का भवन–06		0.31	0.31	-		0.31
		बडे पशु–27		8.10	8.10	-	-	8.10
		छोटे पशु–45		2.47	2.47	-		2.47
		कुक्कुट–200		0.10	0.10	-		0.10
		गौशाला–30		0.63	0.63	-	-	0.63
		झोपड़ी–71		3.13	3.13	-	-	3.13
		अहैतुक सहायता–2711		102.30	102.30	-	-	102.30
		फसल क्षति–781 (प्रभावित)		50.03	50.03	-	-	50.03
		शीतलहरी/कम्बल वितरण/भोजन		9.61	9.61	-	-	9.61
		राहत उपाय		0.31	0.31	-	-	0.31
		कोरोना से मृत व्यक्तियों को वितरित सहायता (85 लाभार्थी)		42.50	42.50	-	-	42.50
		कोविड–19 में अधिगृहित वाहनों के लम्बित देयको का भुगतान		33.28	33.28	-	-	33.28
वित्तीय वर्ष का योग				**314.44**	**314.44**	**-**	**-**	**314.44**
3	2023-24	मृतक–09		36.00	36.00	-	-	36.00
		घायल–03		0.27	0.27	-	-	0.27
		पूर्ण भवन–07		8.40	8.40	-	-	8.40
		आंशिक कच्चा भवन–60		2.40	2.40	-	-	2.40
		आंशिक पक्का भवन–42		2.73	2.73			2.73
		बडे पशु–11		3.93	3.93	-	-	3.93
		छोटे पशु–08		0.96	0.96	-	-	0.96
		कुक्कुट–6200		0.31	0.31	-	-	0.31

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	योजना/प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का विवरण			अवमुक्त धनराशि का विवरण			
		स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय/अंतिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि
		गौशाला–11		0.31	0.31	-	-	0.31
		झोपड़ी–23		1.76	1.76	-	-	1.76
		अहैतुक सहायता–2825		137.24	137.24	-	-	137.24
		फसल क्षति–77.65 है0		15.77	15.77	-	-	15.77
		शीतलहरी/कम्बल वितरण/भोजन		11.48	11.48	-	-	11.48
		कोरोना से मृत व्यक्तियों को वितरित सहायता (50,000 प्रति)		2.50	2.50			2.50
वित्तीय वर्ष का योग				**224.05**	**224.05**	**-**	**-**	**224.05**
4	2024-25	मृतक–10		40.00	40.00	-	-	40.00
		घायल–06		0.32	0.32	-	-	0.32
		आंशिक कच्चा भवन–47		1.88	1.88	-	-	1.88
		आंशिक पक्का भवन–04		0.26	0.26	-	-	0.26
		बडे पशु–50		18.75	18.75	-	-	18.75
		छोटे पशु–74		4.95	4.95			4.95
		कुक्कुट–15400		1.00	1.00			1.00
		गौशाला–17		0.51	0.51	-	-	0.51
		झोपड़ी–10		0.78	0.78	-	-	0.78
		अहैतुक सहायता–32641		1,595.59	1,595.59	-	-	1,595.59
		फसल क्षति–31.911		5.69	5.69	-	-	5.69
		शीतलहरी/कम्बल वितरण/भोजन		46.18	46.18	-	-	46.18
		कोरोना से मृत व्यक्तियों को वितरित सहायता (50,000 प्रति)		2.50	2.50			2.50
वित्तीय वर्ष का योगः–				**1,718.41**	**1,718.41**	**-**	**-**	**1,718.41**
5	2025-26	मृतक–10		40.00	40.00	-	-	40.00

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	योजना/प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का विवरण			अवमुक्त धनराशि का विवरण			
		स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय/अंतिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि
		घायल–03		0.37	0.37	-	-	0.37
		पूर्ण भवन–02		2.40	2.40	-	-	2.40
		आंशिक कच्चा भवन–04		0.16	0.16	-	-	0.16
		आंशिक पक्का भवन–08		0.49	0.49	-	-	0.49
		बडे पशु–07		2.57	2.57	-	-	2.57
		छोटे पशु–06		0.56	0.56	-	-	0.56
		गौशाला–17		0.51	0.51	-	-	0.51
		झोपड़ी–10		0.80	0.80	-	-	0.80
		अहैतुक सहायता–4758		231.18	231.18	-	-	231.18
		फसल क्षति–22.21 है0		2.71	2.71	-	-	2.71
		शीतलहरी में निराश्रितों हेतु कम्बल क्रय में व्यय की गयी धनराशि		9.00	5.09	-	-	5.09
		भोजन/राशन में व्यय		10.08	10.08	-	-	10.08
वित्तीय वर्ष का योगः–				**300.83**	**296.92**	**-**	**-**	**296.92**
महायोग (2021–22 से 2025–26) (10 फरवरी, 2026 तक)				**4,656.48**	**4,652.56**	**-**	**-**	**4,652.56**

11.2 आपदा जोखिम प्रबंधन के संदर्भ में एनजीओ, सीबीओ और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के साथ समन्वय तंत्र

उधम सिंह नगर जिले में आपदा जोखिम और संवेदनशीलता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने, आपदा तैयारियों, शमन और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को सुधारने के लिए एनजीओ (गैर सरकारी संगठन), सीबीओ (सामुदायिक आधारित संगठन) और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के साथ समन्वय करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन संगठनों के पास स्थानीय समुदायों के साथ मजबूत संबंध होते हैं, जिनका प्रभावी रूप से उपयोग करके आपदा जोखिम और सामाजिक संवेदनशीलता को कम करने के उपायों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

1. एनजीओ, सीबीओ और SHG का योगदान

- **जन जागरूकता में वृद्धिः** एनजीओ और सीबीओ समुदायों में आपदा जोखिम और संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह उन समुदायों के बीच आपदा की संभावनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करता है, जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।
- **आपदा तैयारियों और शमनः** ये संगठन स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर आपदा तैयारी, शमन रणनीतियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया की क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि बाढ़, भूकंप, सूखा आदि के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और शमनः** जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने में एनजीओ और सीबीओ बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वे स्थानीय समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने के लिए उपायों के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं, और विभिन्न देशों में अपनाई जा रही अच्छी प्रथाओं को अपनाने में मदद कर सकते हैं।

2. आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता

- एनजीओ और सीबीओ स्थानीय समुदायों के लिए दो–तरफा और बहुपक्षीय दाताओं से वित्तीय संसाधन जुटाने में सक्षम होते हैं। ये संसाधन आपदा जोखिम और संवेदनशीलता को कम करने के लिए नए और प्रभावी उपायों को लागू करने में मदद कर सकते हैं।
- सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को समन्वयित करने में एनजीओ मदद कर सकते हैं, ताकि इन योजनाओं के तहत सभी आवश्यक कार्यों को प्रभावी तरीके से एकजुट किया जा सके और समुदायों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके।

3. समन्वय तंत्र और भूमिका

- डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) जिले में कार्यरत एनजीओ, सीबीओ और SHGs का एक उचित रिकॉर्ड रखेगा और उनके लिए उपलब्ध संसाधनों का मानचित्रण करेगा।
- DDMA एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो एनजीओ, सीबीओ और SHG के साथ समन्वय करेगा।
- DDMA हर साल एनजीओ, सीबीओ और SHG की बैठक आयोजित करेगा, जहां इन संगठनों के संसाधनों का मानचित्रण किया जाएगा। यह बैठक नोडल अधिकारी द्वारा समन्वित की जाएगी।

4. संसाधनों का मानचित्रण और समन्वय

- बैठक में, एनजीओ, सीबीओ और SHG के प्रतिनिधि अपनी गतिविधियों, उपलब्ध संसाधनों और समुदायों में किए गए कार्यों पर चर्चा करेंगे।
- इस बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि इन संगठनों के बीच संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो और आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाई जाए।

11.3 ब्लॉक/गांव स्तर पर टास्क फोर्स के साथ समन्वय (Vertical Linkages) और ब्लॉक तथा गांवों के बीच समन्वय (Horizontal Linkages)

उधम सिंह नगर जिले में आपदा प्रबंधन की दृष्टि से ब्लॉक/गांव स्तर पर टास्क फोर्स के साथ समन्वय और ब्लॉक तथा गांवों के बीच समन्वय का विशेष महत्व है। यह समन्वय तंत्र, चाहे वह वर्टिकल लिंक हो या हॉरिजेंटल लिंक, जिले के विभिन्न स्तरों पर प्रभावी आपदा प्रबंधन और संसाधनों के बेहतर उपयोग में सहायक होता है

1. वर्टिकल लिंक (Vertical Linkages)

वर्टिकल लिंक का तात्पर्य है कि विभिन्न स्तरों पर विभागों और अधिकारियों के बीच संचार और समन्वय होना। इस संदर्भ में, ब्लॉक और जिला स्तर के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि ब्लॉक स्तर पर होने वाली गतिविधियों और निर्णयों का प्रभाव जिला स्तर पर देखा जा सके और इसके विपरीत।

ब्लॉक/गांव स्तर पर टास्क फोर्स के साथ समन्वयः

- **ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स** का गठन किया जाता है, जो आपदा से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम करती है। यह टास्क फोर्स गांव स्तर पर भी कार्यरत रहती है, जहां ग्रामीणों को आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया, तैयारी और शमन के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है।
- **डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA)** जिले के सभी ब्लॉकों के साथ एक मजबूत समन्वय बनाए रखेगा, ताकि विभिन्न ब्लॉकों में होने वाली गतिविधियों का सही दिशा में कार्यान्वयन हो सके। प्रत्येक ब्लॉक के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे अपनी टास्क फोर्स के साथ आपदा से संबंधित योजनाओं और तैयारियों की निगरानी करें और जिला स्तर पर रिपोर्ट करें।
- **सूचना प्रवाहः** जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधन, दिशा–निर्देश और योजनाओं का प्रवाह ब्लॉक स्तर पर उचित तरीके से किया जाएगा, ताकि आपदा के समय किसी भी तरह की अड़चन या देरी न हो।

2. हॉरिजेंटल लिंक

हॉरिजेंटल लिंक का मतलब है एक ही स्तर पर विभिन्न इकाइयों और ब्लॉकों के बीच समन्वय। इसमें एक ब्लॉक या गांव के बीच दूसरे ब्लॉक या गांव के साथ संवाद और सहयोग शामिल होता है।

ब्लॉक और गांव स्तर पर समन्वयः

- **ब्लॉक स्तर पर समन्वयः** उधम सिंह नगर जिले में विभिन्न ब्लॉकों के बीच आपदा प्रबंधन के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के अनुभवों और उपायों से लाभ उठाने के लिए एक मंच पर लाया जाएगा, ताकि समग्र रणनीति का बेहतर कार्यान्वयन किया जा सके।
- **गांव स्तर पर समन्वयः** गांवों में, ग्राम प्रधान और अन्य स्थानीय संगठनों के बीच आपदा प्रबंधन, चेतावनी प्रणाली, और बचाव कार्यों को लेकर नियमित बैठकें और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक गांव का अनुभव दूसरे गांव के लिए एक मॉडल बने, विशेष रूप से आपदा की स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
- **आपसी सहयोगः** ब्लॉक और गांवों के बीच संसाधनों का आदान–प्रदान, जैसे राहत सामग्री, मेडिकल सहायता, और अन्य आपातकालीन सेवाएं, ताकि आपदा के समय जल्दी और प्रभावी सहायता प्रदान की जा सके।

3. समन्वय की भूमिका और लाभ

- आपदा से त्वरित निपटाराः ब्लॉक और गांव स्तर पर समन्वय से आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है, क्योंकि सभी स्तरों पर सक्रिय समन्वय और संसाधनों का आदान–प्रदान होता है।

- प्रशिक्षण और जानकारी का आदान–प्रदानः एक ब्लॉक या गांव का अनुभव दूसरे के साथ साझा किया जाएगा, जिससे सभी ब्लॉकों और गांवों में एक समान स्तर पर तैयारियां और प्रशिक्षण सुनिश्चित हो सके।
- संसाधनों का बेहतर उपयोगः विभिन्न ब्लॉकों और गांवों के बीच समन्वय से यह सुनिश्चित होता है कि उपलब्ध संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग किया जाए और आपदा के समय आवश्यकता के अनुसार स्थानों तक राहत सामग्री और सेवाओं का पहुंचाया जा सके।

11.4 राज्य विभागों और राज्य तथा जिला स्तर पर प्रशिक्षण संस्थाओ के साथ समन्वय तंत्र

उधम सिंह नगर जिले में आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक कार्यों, और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ मजबूत समन्वय तंत्र स्थापित करना आवश्यक है। यह समन्वय राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक कार्यों के बेहतर संचालन, क्षमता निर्माण, और आपदा प्रबंधन में सुधार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

1. राज्य विभागों के साथ समन्वय

राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है और हर विभाग का विशेष कार्य होता है। इन विभागों के साथ समन्वय करने से योजनाओं का सही क्रियान्वयन, संसाधनों का प्रभावी उपयोग और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकती है।

राज्य विभागों के साथ समन्वय के प्रमुख पहलू:

- **आपदा प्रबंधन विभाग (Disaster Management Department)**: राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए बनी समितियों और अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क रखना जरूरी है। राज्य से जिला स्तर पर आपदा के दौरान आवश्यक संसाधन जैसे राहत सामग्री, चिकित्सा सेवाएं, और विशेषज्ञता की मदद तुरंत उपलब्ध कराई जा सकती है।
- **स्वास्थ्य विभाग (Health Department)**: राज्य और जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभागों के साथ समन्वय से आपदा के समय त्वरित चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन और बीमारी फैलने की संभावना को कम किया जा सकता है।
- **शिक्षा विभाग (Education Department)**: आपदा प्रबंधन में छात्रों को जागरूक करने के लिए शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करना आवश्यक है। जिला स्तर पर स्कूलों में आपदा सुरक्षा और बचाव कार्यों की शिक्षा देने के लिए राज्य स्तर से दिशा–निर्देश और पाठ्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं।
- **कृषि विभाग (Agriculture Department)**: आपदा के बाद कृषि क्षेत्र की स्थिति को सुधारने और किसानों को राहत देने के लिए कृषि विभाग के साथ मिलकर कार्य किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन और सूखा जैसे मुद्दों पर सहयोग से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

2. राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय

राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षण संस्थान आपदा प्रबंधन, संकट से निपटने और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता को पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय के प्रमुख पहलू:

- **राज्य आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थानः** राज्य स्तर पर ऐसे संस्थानों का काम होता है कि वे अधिकारियों और कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन, बचाव कार्यों, और राहत अभियानों के लिए प्रशिक्षित करें। उधम सिंह नगर जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित रूप से इन संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है, ताकि वे आपदा के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया दे सकें।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM):** एनआईडीएम जैसे संस्थान जिला अधिकारियों को आपदा जोखिम में कमी, पुनर्निर्माण, और तैयारियों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। इन संस्थानों के साथ समन्वय से जिला अधिकारियों की क्षमता को मजबूत किया जा सकता है।
- **स्थानीय प्रशिक्षण केंद्र और संस्थानः** जिले में स्थानीय स्तर पर स्थापित प्रशिक्षण केंद्रों और संस्थानों के साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। इससे स्थानीय समुदाय और कर्मचारियों को आपदा से निपटने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान किया जा सकता है।

3. समन्वय प्रणाली के लाभ

- प्रभावी आपदा प्रतिक्रियाः राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षण और समन्वय से आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकती है। यह समन्वय अधिकारियों को सही जानकारी और संसाधन उपलब्ध कराने में मदद करता है।
- क्षमता निर्माणः राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर प्रशिक्षण देने से अधिकारियों, कर्मचारियों, और स्थानीय समुदायों की क्षमता बढ़ती है, जिससे वे आपदा की स्थिति में अधिक सक्षम होते हैं।
- संसाधनों का प्रभावी उपयोगः राज्य विभागों के साथ समन्वय से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आपदा के समय आवश्यक संसाधन जैसे चिकित्सा उपकरण, खाद्य सामग्री, और बचाव उपकरण जिले तक समय पर पहुंच सकें।

4. समन्वय तंत्र के कार्यान्वयन की प्रक्रिया

- नोडल अधिकारी का नियुक्तिः जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा, जो राज्य विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय सुनिश्चित करेगा। यह अधिकारी विभिन्न विभागों के बीच जानकारी का आदान–प्रदान और संसाधनों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा।
- वार्षिक बैठक और समीक्षाः राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और आपदा प्रबंधन योजनाओं की नियमित समीक्षा और वार्षिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में विभिन्न विभागों और संस्थानों की गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाएगा और सुधार के उपाय सुझाए जाएंगे।

11.5 इंट्रा–ब्लॉक और इंट्रा–गांव समन्वय

1. **इंट्रा–ब्लॉक समन्वयः** उधम सिंह नगर जिले में ब्लॉक स्तर पर विभागों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय आवश्यक है। इसमें विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और पुलिस के बीच आपसी सहयोग शामिल है। ब्लॉक स्तर पर सभी सरकारी योजनाओं और आपदा प्रबंधन कार्यों का समन्वय किया जाता है, ताकि सभी समुदायों तक राहत सामग्री और सेवाएं शीघ्र पहुंचाई जा सकें। ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित बैठकें आयोजित कर विभिन्न विभागों की गतिविधियों की समीक्षा की जाती है और सुनिश्चित किया जाता है कि योजनाएं प्रभावी रूप से लागू हों।

2. **इंट्रा–गांव समन्वयः** गांव स्तर पर ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य और स्थानीय समुदाय के बीच प्रभावी समन्वय जरूरी है। इसमें आपदा के समय बचाव कार्य, स्वास्थ्य सेवाएं और राहत कार्यों के लिए सहयोग सुनिश्चित किया जाता है। गांवों में आपदा प्रबंधन योजनाओं की जानकारी और तैयारियों को लेकर ग्राम स्तर पर

बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूह (SHGs) और अन्य समुदाय आधारित संगठनों के साथ मिलकर समन्वय बढ़ाया जाता है, ताकि आपदा के समय बेहतर सहयोग मिल सके।

11.6 स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज – जिला परिषद, मध्यस्तरीय, ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय) के साथ समन्वय

उधम सिंह नगर जिले में आपदा प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (जिला परिषद, मध्यस्तरीय पंचायत, ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय) के साथ मजबूत समन्वय की आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (धारा 41) के तहत, इन स्थानीय प्राधिकरणों को जिला प्राधिकरण के निर्देशों के तहत कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्थानीय संस्थाएं जिला प्राधिकरण के मार्गदर्शन में काम करें।

समन्वय तंत्रः

- जिला परिषद और मध्यस्तरीय पंचायतः जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं और कार्यक्रमों का मार्गदर्शन और निगरानी करते हैं। इन संस्थाओं को जिले में आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- ग्राम पंचायतः ग्राम पंचायतें स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती हैं। ये पंचायतें समुदाय आधारित गतिविधियों, बचाव कार्यों और राहत वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- शहरी स्थानीय निकायः शहरी क्षेत्रों में नगर निगम और नगर पालिकाओं के साथ समन्वय से आपदा के समय राहत, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचे की मरम्मत सुनिश्चित की जाती है।

11.7 उधम सिंह नगर जिले का पड़ोसी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन योजनाएं से समन्वय

उधम सिंह नगर जिले के पड़ोसी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं के साथ समन्वय करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि आपदा के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। यह समन्वय विभिन्न आपदाओं के दौरान संसाधनों, जानकारी और सहायता का आदान–प्रदान करने में मदद करता है।**समन्वय के प्रमुख पहलूः**

1. **सामूहिक आपदा प्रतिक्रियाः** जब एक जिला आपदा से प्रभावित होता है, तो पड़ोसी जिलों से त्वरित सहायता प्राप्त करने के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं का समन्वय आवश्यक होता है। इससे संसाधन, जैसे राहत सामग्री, चिकित्सा सेवाएं और बचाव दल, जरूरतमंद क्षेत्रों में शीघ्र पहुंचाए जा सकते हैं।
2. **जानकारी का आदान–प्रदानः** सीमावर्ती जिलों के साथ जानकारी का त्वरित आदान–प्रदान किया जाता है, जैसे मौसम पूर्वानुमान, बाढ़ की चेतावनी, या भूकंप की जानकारी, जिससे सभी जिलों को आपदा के लिए तैयार होने का समय मिलता है।
3. **संपर्क नेटवर्क और राहत कार्यः** उधम सिंह नगर जिले को पड़ोसी जिलों के आपदा प्रबंधन तंत्र के साथ संपर्क में रहना चाहिए, ताकि आपदा के समय समन्वित तरीके से राहत कार्य किए जा सकें। यह समन्वय बुनियादी ढांचे की मरम्मत, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य राहत कार्यों में मदद करता है।
4. **संवेदनशील क्षेत्रों की पहचानः** सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ मिलकर आपदा के संभावित खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान करना और वहां की तैयारी को मजबूत करना, ताकि किसी भी प्रकार की आपदा का प्रभाव कम किया जा सके।

11.8 (राज्य आपदा प्रबंधन योजना) के साथ समन्वय

उधम सिंह नगर जिले का राज्य आपदा प्रबंधन योजना के साथ समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि जिले में आपदा प्रबंधन के कार्य राज्य स्तर पर निर्धारित दिशा–निर्देशों और योजनाओं

के अनुसार हों। यह समन्वय जिले को राज्य स्तर पर उपलब्ध संसाधनों, तकनीकी सहायता और विशेषज्ञता का लाभ उठाने का अवसर देता है।

समन्वय के प्रमुख पहलूः

1. **राज्य स्तर पर दिशा–निर्देश और नीतियांः** SDMP राज्य के लिए एक समग्र योजना प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न आपदाओं के लिए प्रतिक्रिया, बचाव, पुनर्निर्माण और शमन रणनीतियाँ शामिल होती हैं। उधम सिंह नगर जिले को इस योजना के तहत राज्य स्तर से मिल रही दिशा–निर्देशों का पालन करना होता है।
2. **संसाधनों और वित्तीय सहायता का समन्वयः** राज्य आपदा प्रबंधन योजना के तहत राज्य सरकार जिले को आपदा के दौरान वित्तीय संसाधन और राहत सामग्री प्रदान करती है। यह समन्वय सुनिश्चित करता है कि जिले को त्वरित सहायता मिले और संसाधनों का प्रभावी ढंग से वितरण हो सके।
3. **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माणः** SDMP राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और समुदाय के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। उधम सिंह नगर जिले के अधिकारी और समुदाय इस प्रशिक्षण का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे उनकी क्षमता और आपदा प्रतिक्रिया में सुधार होता है।
4. **आपदा सूचना और चेतावनी प्रणालीः** राज्य स्तर पर SDMP के तहत एक सूचना और चेतावनी प्रणाली स्थापित की जाती है। उधम सिंह नगर जिले को इस प्रणाली के जरिए आपदा पूर्व चेतावनी, मौसम पूर्वानुमान और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जिससे जिले में आपदा से निपटने की तैयारी को बेहतर बनाया जा सकता है।
5. **समन्वित आपदा प्रतिक्रियाः** SDMP के तहत राज्य और जिले के बीच आपदा के समय समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाती है। इसमें राज्य के आपदा प्रबंधन तंत्र द्वारा जिले को त्वरित सहायता, बचाव दल, चिकित्सा सेवाएं, और अन्य संसाधन भेजे जाते हैं।

अध्याय–12
मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) एवं चैकलिस्ट

मानक संचालन प्रक्रिया पूर्व से तैयार होने पर किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया एवं दिशा–निर्देशों के संबंध में ज्ञात होने पर कार्यो का सम्पादन सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,उधम सिंह नगर द्वारा किसी भी आपदा में निम्नानुसार कार्यवाही की जा सकती है–

12.1 पूर्व चेतावनी प्रणाली

पूर्व चेतावनी प्रणाली प्रबन्धनः कार्यवाही एवं भूमिका–

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका
1.	पूर्व चेतावनी प्रणाली मौसम विज्ञान विभाग,केन्द्रीय जल आयोग, NDMA SDRF,जीएसआई, हिम व हिमस्खलन शिक्षण केन्द्र।	प्रभारी जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
2.	पूर्व चेतावनी के सम्बन्ध में अधिसूचित करना–अध्यक्ष डीडीएमए,पुलिस अधीक्षक,अपर जिलाधिकारी,उपजिलाधिकारी नोडल लाईन विभाग	प्रभारी जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
3.	मौसम पूर्व चेतावनी को खण्ड,विकासखण्ड,पंचायत में प्रसारित करना	प्रभारी जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा लाईन विभागों के माध्यम से
4.	मौसम पूर्व चेतावनी को सोशल मीडिया,टेलीविजन,रेडियो में प्रसारण	जिला सूचना अधिकारी
5.	जनपद की वैबसाईट में मौसम चेतावनी को प्रसारित करने हेतु डेशबोर्ड	जिला सूचना अधिकारी
6.	मौसम चेतावी के संबंध मे समुदाय/जनमानस/ग्रामीण आदि को पी.ए. सिस्टम के माध्यम से सचेत करना।	तहसीलदार/राजस्व उपनिरीक्षक /नगरपालिका/नगर पंचायत/ पुलिस/फील्ड स्तरीय अधिकारी
7.	किसी भी आपदा/आपातकालीन स्थिति में जनमानस को सचेत करने हेतु मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा व चर्च इत्यादि में पी0ए0 सिस्टम का उपयोग करना।	तहसीलदार/राजस्व उपनिरीक्षक
8.	मौसम चेतावनी सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाओं को प्रेशित करना, तथा आवश्यकता अनुसार संस्थानों को बन्द करने के निर्देश निर्गत करना।	तहसीलदार/राजस्व उपनिरीक्षक

12.2 प्रारम्भिक चेतावनी मिलने पर निकासी योजना–

प्रारम्भिक चेतावनी मिलने पर निकासीः कार्यवाही एवं भूमिका–

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका
1.	पूर्व चेतावनी प्रणाली मौसम विज्ञान विभाग,केन्द्रीय जल आयोग,एनडीएमए, एसडीएसए,जीएसआई,हिम व हिमस्खलन शिक्षण केन्द्र	प्रभारी जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
2.	पूर्व चेतावनी के सम्बन्ध में अधिसूचित करना–अध्यक्ष डीडीएमए, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी , उपजिलाधिकारी नोडल लाईन विभाग	प्रभारी जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
3.	समीक्षा बैठक का आयोजन करते हुए स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा करना तथा समुदाय/जनसंख्या की निकासी हेतु निर्णय लेना।	अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
4.	राजस्व व पुलिस के अधिकारियों को निकासी हेतु लिए गये निर्णय के सम्बन्ध में अवगत कराना।	अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
5.	प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुॅचाना।	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार
6.	कानून व्यवस्था बनाने, यातायात व्यवस्था के साथ–साथ क्षेत्र की घेराबंन्दी हेतु टीम को तैनात करना।	पुलिस अधीक्षक
7.	आश्रय स्थल, लॉजिस्टक व्यवस्था करना।	राजस्व विभाग
8.	सूचना कक्ष की स्थापना	राजस्व विभाग/सूचना विभाग
9.	हेल्प लाईन नम्बर की स्थापना	राजस्व विभाग/ भारम सचार निगम लि0

12.3 कोई पूर्व चेतावनी न होने पर निकासी–

कोई पूर्व चेतावनी न होने पर निकासीः कार्यवाही एवं भूमिका–

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका
1.	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र की स्थापना	प्रभारी जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
2.	पूर्व चेतावनी के सम्बन्ध में अधिसूचित करना–अध्यक्ष डीडीएमए ,पुलिस अधीक्षक,अपर जिलाधिकारी , उपजिलाधिकारी नोडल लाईन विभाग	प्रभारी जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
3.	समीक्षा बैठक का आयोजन करते हुए स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा करना तथा समुदाय/जनसंख्या की निकासी हेतु निर्णय लेना।	अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
4.	राजस्व व पुलिस के अधिकारियों को निकासी हेतु लिए गये निर्णय के सम्बन्ध में अवगत कराना।	अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
5.	प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुॅचाना।	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार
6.	कानून व्यवस्था बनाने, यातायात व्यवस्था के साथ–साथ क्षेत्र की घेराबंन्दी हेतु टीम को तैनात करना।	पुलिस अधीक्षक
7.	आश्रय स्थल, लॉजिस्टक व्यवस्था करना।	राजस्व विभाग
8.	सूचना कक्ष की स्थापना	राजस्व विभाग/सूचना विभाग
9.	हेल्प लाईन नम्बर की स्थापना	राजस्व विभाग/बी0एस0एन0एल0

12.4 खोज एवं बचाव–

खोज एवं बचावः कार्यवाही एवं भूमिका–

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका
1.	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र की स्थापना	प्रभारी जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
2.	पूर्व चेतावनी के सम्बन्ध में अधिसूचित करना–अध्यक्ष डीडीएमए, पुलिस अधीक्षक,अपर जिलाधिकारी ,उप जिलाधिकारी नोडल लाईन विभाग	प्रभारी जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
3.	चिन्हित स्थलों पर खोज एवं बचाव टीम की तैनाती।	अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
4.	खोज–बचाव कार्य हेतु अग्निशमन व आपातकालीन टीम की तैनाती	जिला अग्निशमन अधिकारी
5.	खोज–बचाव कार्य हेतु होमगार्ड की तैनाती	जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड
6.	एन0डी0आर0एफ0 की मॉग	अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
7.	साइड पर समन्वय तन्त्र स्थापित करना	अपर जिलाधिकारी/ उप जिलाधिकारी
8.	खोज बचाव कार्यों में तैनात विभिन्न टीमों को कार्यदायित्व सौंपना	अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी
9.	खोज–बचाव कार्य हेतु स्टेजिंग ऐरिया की स्थापना	अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी
10.	खाद्यान्न, पेयजल व अन्य स्वच्छता सुविधाओं हेतु कैम्प की स्थापना	अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी
11.	कानून व्यवस्था बनाने, यातायात व्यवस्था के साथ–साथ क्षेत्र की घेराबंन्दी हेतु टीम को तैनात करना।	पुलिस अधीक्षक
12.	घटना स्थल के निकटतम हैलीपैड का चिन्हींकरण तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि वह क्रियाशील स्थिति में है।	अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी
13.	ट्राइएज की स्थापना	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी
14.	गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों हेतु परिवहन व्यवस्था	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी/108/एम्बुलेंस/रैडक्रॉस
15.	घटना स्थल के समीप प्राथमिक उपचार हेतु मेडिकल कैम्प की स्थापना	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी
16.	सूचना कक्ष व मृत शवों के चिन्हींकरण हेतु कक्ष की स्थापना।	अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी
17.	प्रभावित लोगों की सुरक्षित स्थलों पर निकासी	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार
18.	भीड़ प्रबन्धन, मार्ग प्रबन्धन, प्राथमिक उपचार, सूचना प्रबन्धन में सहायता हेतु स्वयं सेवकों की तैनाती।	अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी
19.	पशुओं का खोज–बचाव कार्य	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी

घटना विशेष में प्रभावित व्यक्तियों के सम्बन्ध में चिकित्सकीय टीम द्वारा प्रभावित को पहचानने हेतु त्वरित कार्य–

- **टैगिंग–**किसी भी क्षेत्र विशेष में आपदा सम्बन्धी घटना घटित होने पर चिकित्सकीय टीम द्वारा प्रभावित लोगों की स्थिति को टैगिंग के माध्यम से पृथक किया जाता है, ताकि खोज–बचाव टीम को घटना

स्थल में प्रभावित व्यक्ति की संवेदनशीलता से अवगत कराया जा सके, इस प्रक्रिया में प्रभावित व्यक्ति पर विभिन्न प्रकार के टैग लगाये जाते हैं ताकि प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धितों हेतु निकासी की व्यवस्था बनाई जा सके।

I. **रेड टैग–** यह टैग दर्शाता है, कि प्रभावित व्यक्ति को प्रथम प्राथमिकता प्रदान करते हुए रैस्क्यू किया जाना अति आवश्यक है, रैड टैग धारित व्यक्ति को तत्काल/शीघ्र उपचार की आवश्यकता होती है।

II. **ग्रीन टैग**–यह टैग दर्शाता है, कि प्रभावित व्यक्ति को द्वितीय प्राथमिकता के आधार पर रैस्क्यू की आवश्यकता है, इस मरीज को भी अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, लेकिन सम्बन्धित की चोट जीवन को क्षति पहुॅचाने से सम्बन्धित नहीं होती है।

III. **यलौ टैग–** यह टैग दर्शाता है, कि प्रभावित व्यक्ति को तृतीय प्राथमिकता पर रैस्क्यू की आवश्यकता है, लेकिन प्रभावित व्यक्ति का जीवन खतरे से बाहर रहता है।

IV. **ब्लेक टैग–** यह टैग दर्शाता है, कि घटना से प्रभावित व्यक्ति के जीवन की क्षति हो चुकी है।

12.5 राहत अभियान–

राहत अभियानः कार्यवाही एवं भूमिका–

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका
1.	परगना/खण्ड/तहसील स्तर पर खाद्यान्न, पेयजल,आश्रय, स्वच्छता, कपड़े, बर्तन, चिकित्सा व अन्य सामग्री की आवश्यकताओं का आंकलन करना	अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी
2.	सुरक्षित स्थल का चिन्हींकरण करते हुए रिलीफ कैम्प की स्थापना	अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार
3.	प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करना	उ0वि0पॉ0कॉ0लि0
4.	यह सुनिश्चित किया जाय कि रिलीफ कैम्प में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हो।	पुलिस उपाधीक्षक
5.	यह सुनिश्चित किया जाय कि रिलीफ कैम्प में पेयजल व्यवस्था व साफ–सफाई की पर्याप्त व्यवस्था हो।	जन संस्थान/पेय जल निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत
6.	आर0ओ0 प्लॉट व अन्य सुविधाओं के माध्यम से तत्काल पेयजल आपूर्ति सुचारू करना।	जन संस्थान/पेय जल निगम
7.	प्रभावित समुदाय को खाद्यान्न सामग्री वितरित करना	जिला पूर्ति अधिकारी
8.	आपदा में क्षतिग्रस्त आवश्यक सामग्री यथा बर्तन, कपड़े आदि उपलब्ध कराना।	अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी
9.	मांगानुसार अस्थायी कैम्प बनाते हुए आश्रय स्थल की स्थापना करना।	उप जिलाधिकारी/तहसीलदार
10.	रिलीप कैम्प व समुदाय के निकट चिकित्सकीय सुविधाओं की व्यवस्था करना	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी/108/एम्बुलेंस/रैडक्रॉस
11.	आपदा के कारण किसी बिमारी के प्रकोप से रोक–थाम हेतु टीकाकरण करवाना	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी
12.	कैम्प में रह रहे प्रभावित लोगों हेतु मनोचिकित्सकीय सहायता हेतु व्यवस्था	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी
13.	गर्भवती महिलाओं हेतु पोाक तत्वों से परिपूर्ण सामग्री कैम्पों में उपलब्ध कराना।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका
14	स्वयं सेवी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें भी शामिल करना।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी /चिकित्सा अधिकारी
15.	शिकायत निवारण तन्त्रों की स्थापना	उप जिलाधिकारी / तहसीलदार
16.	यह सुनिश्चित किया जाय कि रिलीफ कैम्प में आवागमन हेतु उचित सुविधा रहे।	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
17.	लाभार्थियों को राहत सहायता वितरित करने पर सम्बन्धित अभिलेखों को व्यवस्थित करना	उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार
18.	मौसम के अनुसार पर्याप्त व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करना	उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार
19.	घायल पशुओं हेतु प्राथमिक व चिकित्सकीय उपचार प्रदान करना	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उधम सिह नगर
20.	जानवरों हेतु आश्रय स्थल की स्थापना	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उधम सिह नगर
21.	पशुओं हेतु चारे की व्यवस्था	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उधम सिह नगर
22.	आवश्यकतानुसार पशु कल्याण बोर्ड व नागरिक समाज संगठन को शामिल करना	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उधम सिह नगर
23.	प्रभावित इलाकों में लोगों द्वारा धनराशि की आवश्यकता होने पर निकटतम बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना।	जिला लीड बैंक अधिकारी

➢ **रिलीफ कैम्प स्थापित करने तथा संचालित करने हेतु गाईडलाईन।**

I. राजस्व विभाग/जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार घटना स्थल के समीप रिलीफ कैम्प की स्थापना या जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना में जिला/परगनावार पूर्व से निर्धारित स्थलों पर रिलीफ कैम्प स्थापित करना।

II. इसके अतिरिक्त यदि पूर्व से चिन्हित स्थलों पर किन्हीं कारणोंवष रिलीफ कैम्प स्थापित करना सम्भव न हो तो नवीन स्थल पर रीलिफ कैम्प स्थापित करने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

III. यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि चिन्हित स्थल भू–स्खलन, त्वरित बाढ़ के प्रति संवेदनशील न हों, स्थान पूर्णतः सुरक्षित हों।

IV. रिलीफ कैम्प पूर्व से अवस्थित ऐसे भवन जिसमें रहने आदि की उचित व्यवस्था हो में बनाया जा सकता है, जैसे–सामुदायिक भवन, विद्यालय, बारात घर, पंचायत भवन आदि

V. यदि सम्भव हो तो ऐसे स्थान का चिन्हींकरण किया जाय जहॉ चौपहिया वाहन सुगमतापूर्वक पहुॅच सके।

VI. इसके अतिरिक्त सड़क, पार्किंग, जल निकासी, की पर्याप्त व्यवस्था हो।

VII. उक्त क्षेत्र किसी अन्य प्रकार की महामारी के प्रति संवेदनशील नहीं होना चाहिए।

➢ **आश्रय स्थल में आवश्यक व्यवस्थाऐं–**

I. आश्रय स्थल में प्रभावित लोगों के रहने हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

II. यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि शुद्ध वायु के साथ–साथ सुरक्षा व्यवस्था का उचित प्रबन्ध रहे।
III. यदि टैन्ट में कैम्प बनाये जाने की दशा में प्रत्येक टैन्ट के मध्य दूरी निर्धारित की जानी आवश्यक होगी।
IV. आश्रय स्थलों में प्रभावित लोगों को ठहराने में प्राथमिकता पर महिलाओं, विधवा महिलाओं, बच्चों पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा।

➢ **जिला प्रशासन की कैम्प में व्यवस्था–**

- किसी भी आपदा की स्थिति में रिलीफ कैम्प स्थापित किये जाने पर जिला प्रशासन द्वारा जिम्मेदार अधिकारी की तैनाती की जाय, जिनके द्वारा रिलीफ कैम्प में आवश्यक व्यवस्थाओं की निगरानी की जाएगी।
- रिलीफ कैम्प के समीप हैल्प डैस्क/कंट्रोल रूम/ऑफिसर रूम बनाया जाना आवश्यक होगा जिसमें प्रभावित व्यक्तियों द्वारा आवश्यतानुसार शिकायतों/परेशानियों को बताया जा सके।

मूलभूत सुविधाऐं–

I. प्रकाश की उचित व्यवस्था–

- कैम्प में प्रकाश पर्याप्त व्यवस्था हो उक्त कार्य का तकनीकी रूप से पर्यवेक्षण लो0नि0वि0 के अधीन अभियान्त्रिक अभियन्ता के माध्यम से किया जाय।
- कैम्प में उपलब्ध प्रत्येक कक्ष/टैन्ट में एक बड़ी मोमबत्ती व एक माचिस का डिब्बा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उपलब्ध कराया जाय।
- पर्याप्त मात्रा में ईमरजेंन्सी लाईट व पैट्रोमैक्स की व्यवस्था कैम्प में की जाय।
- शौंचालय व पेयजल श्रोत मार्ग में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

II. पेयजल आपूर्ति की उचित व्यवस्था–

- मॉगानुसार पीने के पानी, शौंचालय, कपड़े/बर्तन धोने हेतु पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के लिए एक अधिकारी को नामित किया जाय।
- पुरूष एवं महिला हेतु पृथक–पृथक स्नानागार/शौंचालय बनाये जाऐं।

III. स्वच्छता व्यवस्था–

- आश्रय स्थल/टैन्ट/कक्ष से स्नानागार/शौंचालय की न्यूनतम दूरी 10 मीटर तथा अधिकतम दूरी 50 मीटर होनी चाहिए साथ ही स्नानागार/शौंचालय में स्वच्छता सम्बन्धी सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

IV. खाद्य भण्डारण एवं वितरण–

- कोई भी खाद्य सामग्री जैसे–बिस्कुट, पका हुआ भोजन, नूडल्स आदि वितरित करने से पूर्व सामग्री की वैद्यता तिथि का परीक्षण करने उपरान्त ही वितरित किया जाय।
- समुदाय की दिनचर्या/संस्कृति के अनुसार ही खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करायी जाय।

- भोजन बनाते समय साफ–सफाई व्यवस्था के साथ–साथ भोजन उपरान्त अवषेश खाद्यान्न पदार्थ का निस्तारण करने हेतु उचित प्रबन्धन किया जाय।

V. कपड़े आदि–

- मौसम के अनुकूलता के अनुसार कैम्प में निवासरत जन समुदाय को कपड़े आदि वितरित किये जाऐं।
- उक्त क्षेत्र की संस्कृति के अनुसार ही सम्बन्धितों को कपड़े उपलब्ध कराये जाऐं।

VI. चिकित्सकीय सुविधा व मनोविज्ञान–सामाजिक सहायता

- कैंप में चक्रा क्रम में चिकित्सकीय टीम की तैनाती की जाय।
- मैडिकल टीम के लिए पृथक से कक्ष/टैन्ट स्थापित किया जाय।
- कैम्प में निवासरत लोगों का समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाय।
- कतिपय समय रिलीफ कैम्प में निवासरत लोगों को सॉप के काटने सम्बन्धित घटना घटित होने की सम्भावना रहती है, जिस हेतु आवश्यक है, कि निकटतम अस्पताल में उक्त से सम्बन्धित आवश्यक दवाईयॉ/इन्जेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों।
- किसी भी आपदा के घटित होने पर कतिपय समय प्रभावित लोगों को सामान्य स्थिति में लाने हेतु मनोचिकित्सक/कॉउन्सिलिंग की आवश्यकता होती है, जिस हेतु सम्बन्धित टीम को तैनात रखा जाय।

VII. महिलाओं, बच्चों व दिव्यांगजनों एवं वृद्धों हेतु विशेष व्यवस्थाऐं–

- किसी भी आपदा/आपातकालीन स्थिति के घटित होने पर महिलाओं, बच्चों व दिव्यांगजनों एवं वृद्धों के विशेष रूप से प्रभावित होने की सम्भावना रहती है, जिस हेतु उनका चिन्हींकरण एवं देख–भाल करना अति आवश्यक है।
- महिलाओं एवं बच्चों के सुरक्षा के दृष्टिगत रिलीफ कैम्प के समीप पुलिस टीम की तैनाती आवश्यक है।

VIII. सुरक्षा व्यवस्था–

- महिलाओं की सुरक्षा हेतु पुलिस टीम की चक्राक्रम में ड्यूटी निर्धारित की जाय।
- राहत शिविर में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है, बेहतर सुरक्षा माहौल बनाये जाने हेतु शिविर में युवाओं को शामिल किया जा सकता है।
- शिविर की सीमा और गेट पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जानी चाहिए।

IX. मनोरंजन एवं आईसीई कार्यक्रम–

- शिविर में रहने वाले लोगों को मनोरंजन की सुविधाऐं प्रदान करके व्यस्त रखा जा सकता है।
- शिविर में आने वाले लोगों के लिए पुस्तकों/पत्रिकाओं की व्यवस्था हेतु साहित्यक संगठनों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- शिविर में जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से छोटे बच्चों हेतु आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित किया जा सकता है।
- शिविर में अस्थायी स्कूल स्थापित किये जा सकते हैं।
- प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को भी शिविर में अस्थायी स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

12.6 आवश्यक सेवाओं की पुर्नस्थापनाः कार्यवाही एवं भूमिका–

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका
1.	मलुवा निस्तारण व मार्ग की सफाई प्राथमिकता के आधार पर करना	लो0नि0वि0 / पी0एम0जी0एस0वाई / रा0रा0मार्ग / बी0आर0ओ0 / वाप्कॉस / ब्रिडकुल / ग्रामीण निर्माण विभाग
2.	मलुवा हटाने व सड़क मार्ग साफ करने के लिए आवश्यक उपकरण के साथ टीमों का गठन	लो0नि0वि0 / पी0एम0जी0एस0वाई / रा0रा0मार्ग / बी0आर0ओ0 / वाप्कॉस / ब्रिडकुल / ग्रामीण निर्माण विभाग
3.	प्राथमिकता के आधार पर विद्युत आपूर्ति सुचारू करने के लिए पुर्नस्थापना का कार्य।	उ0वि0पॉ0कॉ0लि0
4.	विद्युत आपूर्ति की बहाली हेतु टीम का गठन	उ0वि0पॉ0कॉ0लि0
5.	प्राथमिकता के आधार पर पेय जल आपूर्ति सुचारू करने के लिए पुर्नस्थापना का कार्य।	जल संस्थान / पेयजल
6.	जल आपूर्ति की बहाली हेतु टीम का गठन	जल संस्थान / पेयजल
7.	प्राथमिकता के आधार पर संचार व्यवस्था सुचारू करने के लिए पुर्नस्थापना का कार्य।	बी0एस0एन0एल0
8.	संचार व्यवस्था आपूर्ति की बहाली हेतु टीम का गठन	बी0एस0एन0एल0
9.	संवेदनषील क्षेत्रों में संचार व्यवस्था की तत्काल बहाली हेतु टीम की तैनाती	बी0एस0एन0एल0
10.	मोटर मार्गों के पुर्नस्थापना का आंकलन करते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना	लो0नि0वि0 / पी0एम0जी0एस0वाई / रा0रा0मार्ग / बी0आर0ओ0 / वाप्कॉस / ब्रिडकुल / ग्रामीण निर्माण विभाग
11.	मोटर मार्गों की पुर्नस्थापना हेतु टीम का गठन	लो0नि0वि0 / पी0एम0जी0एस0वाई / रा0रा0मार्ग / बी0आर0ओ0 / वाप्कॉस / ब्रिडकुल / ग्रामीण निर्माण विभाग
12.	ऐसे स्थान जहॉ पर पुल आदि पूर्णतः बह गये हों तो वैली ब्रिज व अस्थायी मोटर मार्ग बनाये जाने हेतु आर्मी / एस0डी0एम0ए0 से सहयोग हेतु समन्वय करना	जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी

12.7 शवों का निस्तारण–

शवों का निस्तारणः कार्यवाही एवं भूमिका–

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका
1.	मृत शवों के पहचान हेतु ग्राम/वार्ड स्तर पर समिति का गठन	उप जिलाधिकारी/नगर पालिका/नगर पंचायत
2.	शवों की पहचान होने उपरान्त निकटतम सम्बन्धितों को सुपुर्द करना	ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर नामित समिति
3.	शवों के पहचान हेतु जन मानस को अनाउन्समैंट करवाना	उप जिलाधिकारी/नगर पालिका/नगर पंचायत
4.	शवों की पहचान न होने की स्थिति में सम्बन्धित की आई0डी0, फोटोग्राफ, फिंगर प्रिंटर्स, व अन्य आवश्यक कार्यवाही को पूर्ण करना।	उप जिलाधिकारी/तहसीलदार
5.	उक्त कार्य के सहयोग हेतु एन0जी0ओ0 से समन्वय करना	उप जिलाधिकारी/तहसीलदार
6.	धार्मिक प्रथाओं के अनुसार लावारिस/अज्ञात शवों के अन्तिम संस्कार आदि का दायित्व	उप जिलाधिकारी/तहसीलदार
7.	जानवरों के सम्बन्ध में दर्ज सूचना को फॉरेन्सिक जानकारी के रूप में सुरक्षित रखना	समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार

12.8 शव निपटारण–

शव निपटारणः कार्यवाही एवं भूमिका–

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका
1.	जानवरों के शवों का रिकार्ड तैयार करना	उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार/ रा0उ0नि0
2.	जानवर के स्वामी की पहचान करने हुए शव को सुपुर्द करना	उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार/ रा0उ0नि0
3.	ऐसे जानवर जिनकी पहचान नहीं हो पायी हो शव निस्तारण से पूर्व फोटोग्राफ आदि सभी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय	उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/ रा0उ0नि0
4.	शवों के निस्तारण से पूर्व अज्ञात जानवरों/ऐसे जानवर जिनको मुआवजा आदि नहीं दिया जाना है, की फोटोग्राफी का कार्य करना	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
5.	जानवरों के शवों व सुपुर्द जानवारों का डाटा सुव्यवस्थित तरीके से रखना	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
6.	शवों को दफनाने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/ उप जिलाधिकारी/तहसीलदार

जानवरों के शवों का शवाधान हेतु दिशा–निर्देश–

I. यदि सम्भव हो तो जानवरों के शवों का दूरस्थ क्षेत्र में शवाधान किया जाय।

II. सवाधान क्षेत्र कुँऐं जलाशय जल श्रोत व अन्य जल संसाधनों से अधिकतम 300 फिट की दूरी पर अवस्थित होना चाहिए।

III. जानवरों के शवाधान हेतु जमीन में अधिकतम 4–6 फीट का गढ्ढा खोदा जाना चाहिए।

IV. इसके अतिरिकत शवाधान हेतु चिन्हित भूमि तीव्र ढाल में न होकर स्थिर होनी चाहिए।

V. शवाधान ऐरिया का समय–समय पर निरीक्षण करना चाहिए।

12.9 सूचना एवं मीडिया प्रबन्धन–

सूचना एवं मीडिया प्रबन्धनः कार्यवाही एवं भूमिका–

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका
1	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में मीडिया सैन्टर की स्थापना	जिला सूचना अधिकारी, ऊधम सिंह नगर
2	आधिकारिक प्रवक्ता नामित करना	अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
3	प्रेस नोट तैयार करना	जिला सूचना अधिकारी, ऊधम सिंह नगर
4	प्रेस नोट जारी करने का समय निर्धारित करना	जिला सूचना अधिकारी, ऊधम सिंह नगर
5	प्रेस कॉन्फ्रेन्स हेतु समय निर्धारित करना	जिला सूचना अधिकारी, ऊधम सिंह नगर
6	प्रेस कॉन्फ्रेन्स हेतु स्थल आदि का निर्धारित करना	जिला सूचना अधिकारी, ऊधम सिंह नगर
7	आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मीडिया के निरीक्षण के दौरान लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना	जिला सूचना अधिकारी, ऊधम सिंह नगर
8	समाचार कतरनों में प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार आवष्यक कार्यवाही करना	जिला सूचना अधिकारी, ऊधम सिंह नगर

- **सूचना प्रबन्धन हेतु दिशानिर्देश–**
  - मौसम पूर्वानुमानों को टेलीवीजन व रेडियों में प्रसारित किया जाए।
  - आपदा सम्बन्धित आवश्यक सूचनाओं को अपसी समन्वय के साथ एकत्रित करते हुए प्रसारित करना चाहिए।
  - समय–समय पर अद्यतन सूचना प्राप्त करते हुए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाय।
  - घटना के सम्बन्ध में सटीक जानकारी प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ–साथ वैबसाईट में उपलब्ध करायी जाय ताकि जनमानस अद्यतन स्थिति से अवगत हो सके।
  - घटना के सम्बन्ध में कुछ–कुछ अन्तराल में अद्यतन स्थिति टेलीवीजन व रैडियों में प्रसारित किये जाय।
  - घटना के सम्बन्ध में फोटोग्राफ/वीडियोग्राफ एकत्रित किये जायें।
  - किसी भी घटना के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने हेतु पृथक–पृथक प्रारूप पूर्व से तैयार रखे जाऐं, ताकि सटीक सूचनाओं को यथा समय प्रसारित किया जा सके।
  - स्थिति के अनुसार प्रति 3–4 घण्टे की अवधि में सूचना के सम्बन्ध में रिपोर्ट को अद्यतन किया जाए।

विशेष आगन्तुकों के आगमन हेतु प्रबन्धन–

विशेष आगन्तुकों के आगमन हेतु प्रबन्धनः कार्यवाही एवं भूमिका–

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका
1.	विशेष आगन्तुकों के आगमन की सूचना प्राप्त करना	प्रभारी अधिकारी, वी0आई0पी0
2.	विशेष आगन्तुकों के आगमन पर व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करना	प्रभारी अधिकारी, वी0आई0पी0
3.	विशेष आगन्तुकों के आगमन पर मिनट टू मिनट कार्यक्रम तैयार करना	प्रभारी अधिकारी, वी0आई0पी0
4.	विशेष आगन्तुकों हेतु अद्यतन रिपोर्ट तैयार कर	आपदा प्रबन्धन

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका
	उपलब्ध कराना	
5.	विशेष आगन्तुकों के प्रभावित स्थलों पर निरीक्षण के दौरान नोडल ऑफिसरों की तैनाती करना	उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/आपदा प्रबन्धन
6.	पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना	पुलिस अधीक्षक
7.	विशेष आगन्तुकों को प्रोटोकॉल के अनुसार ऐम्बुलेंस, सुरक्षा व्यवस्था, स्कॉट आदि उपलब्ध कराना	पुलिस अधीक्षक/चिकित्साधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार
8.	आवश्यतानुसार एल0आई0यू0 से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करना	पुलिस अधीक्षक
9.	विशेष आगन्तुकों हेतु रहने की उचित व्यवस्था करना	प्रभारी अधिकारी, वी0आई0पी0
10.	आवश्यकता अनुसार हैलीपैड की उपलब्धता सुनिश्चित करना	उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/लो0नि0वि0
11.	विशेष आगन्तुकों हेतु प्रेस कॉन्फ्रेन्स आयोजित करना	जिला सूचना अधिकारी

12.11 अस्पताल व्यवस्थाओं में सुधार हेतु सुझाव–

अस्पताल व्यवस्थाओं में सुधार हेतु सुझावः कार्यवाही एवं भूमिका–

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका
1	अस्पताल अन्तर्गत जैन सैट आदि की क्रियाशीलता/स्थिति की जॉच करना	मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
2	आई0सी0यू0 व लेबर रूम में जनरेटर से विद्युत आपूर्ति के संयोजन की व्यवस्था।	मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
3	एक समय अवधि में अधिकतम 200 लीटर डीजल रिजर्व में रखा जाना आवश्यक होगा ताकि आपातकालीन स्थिति में उपयोग में लाया जा सके।	मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
4	यह सुनिश्चित किया जाय कि चिकि त्सकों द्वारा लिखी गयी दवाईयॉ अस्पताल अन्तर्गत चिकित्सक केन्द्र में उपलब्ध हों।	मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
5	मरीज के तामीरदारों को भुगतान के आधार पर अस्पताल के मैस में ही खाना/जल पान इत्यादि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था।	मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
6	अस्पताल अन्तर्गत समस्त प्रकार के स्वास्थ्य सम्बन्धी टैस्टों हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।	मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

इस प्रकार जनपद में किसी भी प्रकार की आपदा/आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर घटना की संवेदनशीलता/आकार के आधार पर उपरोक्त तालिका में उल्लेखित एस0ओ0पी0 का अनुपालन किया जाएगा।

!! सहायता हेतु संपर्क करें !!

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र

टोल-फ्री हेल्पलाइन :

1077

☎ दूरभाष :

05944-250719, 250103

📱 मोबाइल :

+91 8954725707 | 8057402121 |

✉ ई-मेल :

ddmausn@gmail.com

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
जिलाधिकारी कार्यालय परिसर,
जनपद ऊधमसिंह नगर, उत्तराखंड ।